Synd nayidisha

नई सोच, नया दृष्टिकोण, नई भविष्यदृष्टि.

New look, fresh outlook, renewed vision.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2013-2014

CELEBRATING 88 YEARS SINCE 1925

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री एम आंजनेय प्रसाद
कार्यपालक निदेशक
Sri M Anjaneya Prasad
Executive Director

श्री सुधीर कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sri Sudhir Kumar Jain
Chairman & Managing Director

श्री टी के श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Sri T K Srivastava
Executive Director

श्री एच प्रदीप राव
निदेशक
Sri H Pradeep Rao
Director

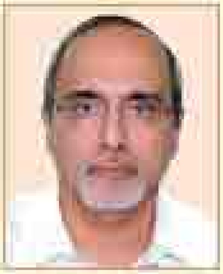

श्री एम राजेश्वर राव
निदेशक
Sri M Rajeshwar Rao
Director

श्री शंकरन भास्कर अय्यर
निदेशक
Sri Sankaran Bhaskar Iyer
Director

श्री संजय अनंत मांजरेकर
निदेशक
Sri Sanjay Anant Manjrekar
Director

श्री दिलीप कुमार सक्सेना
निदेशक
Sri Dilip Kumar Saxena
Director

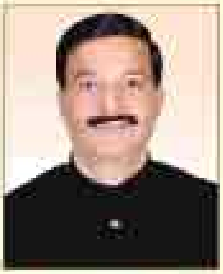

श्री जगदीश राज श्रीमाली
निदेशक
Sri Jagdish Raj Shrimali
Director

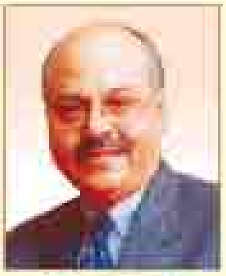

श्री रमेश एल अडिगे
निदेशक
Sri Ramesh L Adige
Director

श्री सी आर नसीर अहमद
निदेशक
Sri C R Naseer Ahamed
Director

श्री आनंद के पंडित
निदेशक
Sri Anand K Pandit
Director

सुश्री जसलीन सूरी
निदेशक
Ms Jasleenn Suri
Director

श्री अतुल अशोक गलांडे
निदेशक
Sri Atul Ashok Galande
Director

महाप्रबंधक गण / General Managers

श्री पी एम वसंतराजन
Sri P M Vasantharajan

श्री एस बालकृष्णन
Sri S Balakrishnan

श्री प्रदीप कुमार सक्सेना
Sri Pradeep Kumar Saxena

श्री एस के ढींगरा
Sri S K Dhingra

श्री आई एन राघवेन्द्र भट
Sri I N Raghavendra Bhat

श्री के संतोष कामत
Sri K Santhosh Kamath

श्री के प्रीतम लाल
Sri K Preetam Lal

श्री सतीश कुमार ठक्कर
Sri Satish Kumar Thakkar

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री नागराज राव आई पी
Sri Nagaraja Rao I P

श्री शशिशेखर प्रहराज
Sri Shashisekar Praharaj

श्री के बालकृष्ण मेनन
Sri K Balakrishna Menon

महाप्रबंधक गण / General Managers

श्री टी रवीन्द्रनाथ
Sri T Ravindranath

श्री वी गणेशन
Sri V Ganesan

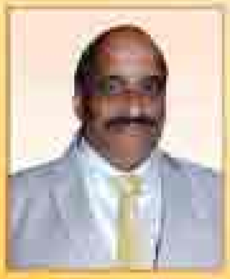
श्री सिद्दलिंगप्पा
Sri Siddalingappa

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumder

श्री एस इंदिराजीत
Sri S Indirajith

श्री मोहिन्दर प्रताप नागपाल
Sri Mohinder Pratap Nagpal

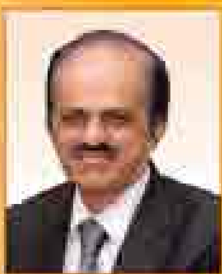
श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

श्री पी राजा रेड्डी
Sri P Raja Reddy

श्री तिम्मप्पा रै के
Sri Thimmappa Rai K

श्री कमल कुमार
Sri Kamal Kumar

श्री जार्ज एम कुरियन
Sri George M Kurien

कार्यक्रम / Events

दिनांक 26.06.2013 को माननीय वित्त मंत्री महोदय को लाभांश चेक प्रदान करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री म.गो.संघवी

Then CMD Mr M G Sanghvi handing over dividend cheque on 26.06.2013 to Finance Minister

कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री श्री सिद्दारमय्या के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुधीर कुमार जैन

CMD Sudhir Kumar Jain with Sri Siddaramaiah, Chief Minister of Karnataka

बेंगलूर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक

S L B C Meeting at Bangalore

गोवा के मुख्य मंत्री के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CMD with Goa Chief Minister

कार्यक्रम / Events

दिनांक 29.09.2013 को तंजाऊर शाखा का उद्घाटन

Thanjur Branch opening on 29.09.2013

दिनांक 20.10.2013 को वित्तीय समावेशन पर हिंदी में एनिमेटेड कार्टून सीडी का विमोचन

Animated Cartoon CD on Financial Inclusion in Hindi released on 20.10.2013

संस्थापक दिवस के अवसर पर दिनांक 20.10.2013 को रक्तदान

Blood Donation on 20.10.2013 on the occasion of Founder's Day.

बेंगलूर में दिनांक 20.10.2013 को स्थापना दिवस का आयोजन

Foundation Day celebrations at Bangalore on 20.10.2013

कार्यक्रम / Events

दि. 06.12.2013 को मेवार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CMD addressing Mewar Chamber of Commerce on 06.12.2013

दि. 10.01.2014 को मणिपाल में आयोजित असाधारण आम बैठक

Extra Ordinary General Body Meeting at Manipal on 10.01.2014

दि. 27.01.2014 को नई दिशा कार्यशाला का उद्घाटन

Nayi Disha Workshop inauguration on 27.01.2014

दि. 31.01.2014 को प्रेस बैठक

Press Meet on 31.1.2014

कार्यक्रम / Events

दि. 03.02.2014 को मुंबई में एनलिस्ट बैठक

Analysts' Meet at Mumbai on 03.02.2014

दि. 08.03.2014 को आयोजित महिला दिवस

Women's Day Celebrations on 08.03.2014

इस्कान, बेंगलूर को अक्षय पात्र वैन का दान

Akshaya Patra Van donated to ISKCON, Bangalore

लंदन शाखा के स्टाफ के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CMD with staff at London Branch

बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिट / Units Financed by the Bank

राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, भिलवाड़ा शाखा
Rajasthan Spinning & Weaving Mills, Bhilwara Branch

नितिन स्पिनर्स लि., भिलवाड़ा शाखा
Nitin Spinners Ltd, Bhilwara Branch

आटोमेटेड पैकिंग सेक्शन ऑफ किशलय स्नैक्स, गुवाहाटी मुख्य शाखा
Automated Packing Section of Kishlay Snacks, Guwahati Main Branch

केनाल प्रोजेक्ट, केआर सर्कल शाखा, मैसूर
Canal Project, KR Circle Branch, Mysore

एस के एम फीड प्लांट, ईरोड शाखा
SKM Feed Plant, Erode Branch

फ्लोरिकल्चर यूनिट, अत्तिबेल्ले शाखा
Floriculture Unit, Attibele Branch

फ्लोरिकल्चर यूनिट, मारसूर शाखा
Floriculture Unit, Marsur Branch

नारायण इंजीनियर्स यूनिट, एसएमई, होसपेट शाखा
Narayan Engineers Unit, SME Hospet Branch

रुपम गारमेंट्स, बिजापुर मुख्य शाखा
Rupam Garments, Bijapur Main Branch

विजयनगर एग फार्म, बेल्लारी मुख्य शाखा
Vijayanagar Egg Farm, Bellary Main Branch

श्रीनी पॉल्ट्री , एम जे रोड शाखा हैदराबाद
Sreeni Poultry, MJ Road, Hyderabad Branch

विशिष्टताएँ : एक नज़र में

Highlights at a Glance

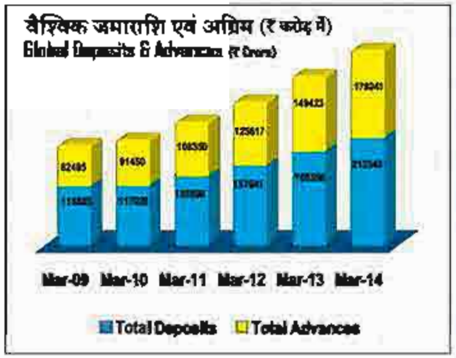

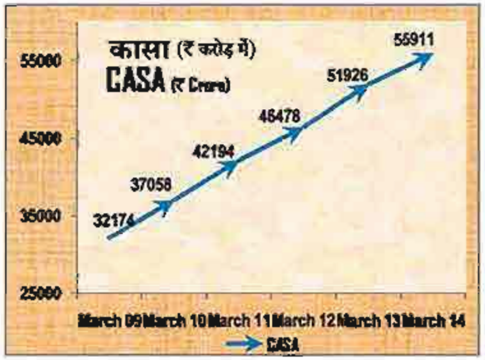

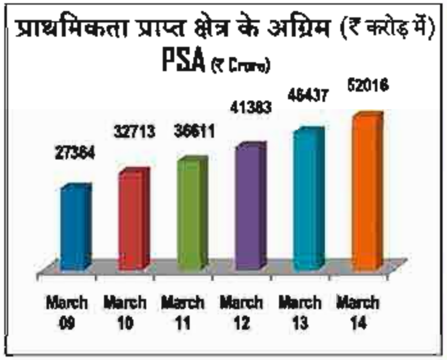

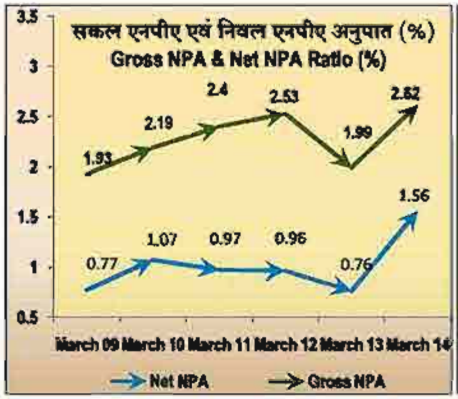

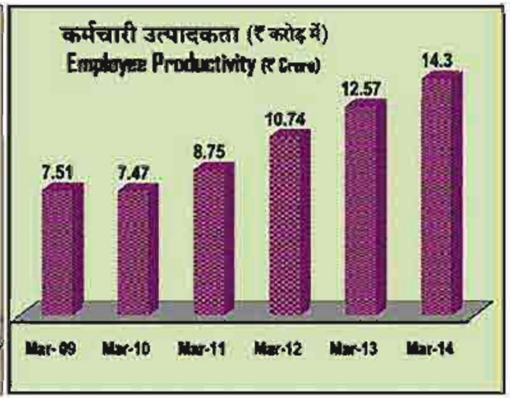

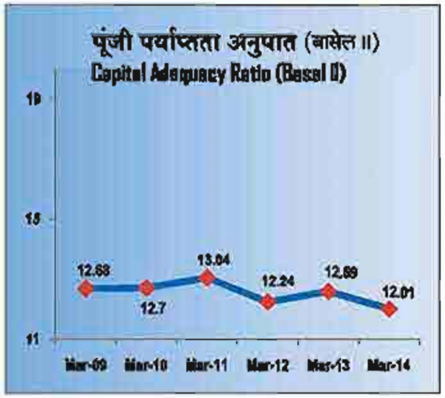

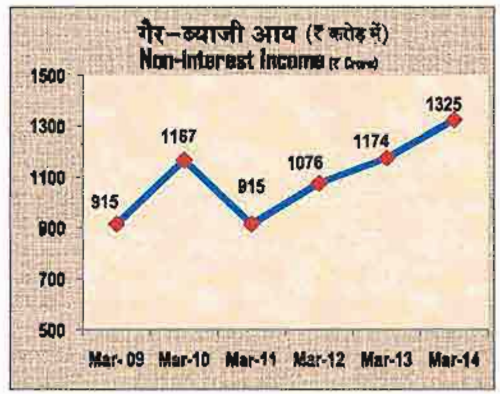

विषय सूची CONTENTS
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2013 – 2014

	पृष्ठ Page
• अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	3
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	13
• नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	68
• बासेल – II प्रकटीकरण – मार्च 2014 Basel II Disclosures – March 2014	118
• लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	131
• तुलन-पत्र Balance Sheet	134
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	135
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	136
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	142
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	149
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	167
• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	169
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	207
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	223
• प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	227
• फार्म 2बी Form 2B	229
• उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	231
• नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण : कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	233
• पते में परिवर्तन का फार्म Change of Address Form	234
• शिकायत पंजीकरण फार्म Grievance Registration Form	236

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री सुधीर कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Sudhir Kumar Jain
Chairman & Managing Director

श्री एम आंजनेय प्रसाद, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri M Anjaneya Prasad,** *Executive Director*
श्री टी के श्रीवास्तव , *कार्यपालक निदेशक*	**Shri T K Srivastava,** *Executive Director*
श्री एच प्रदीप राव, *निदेशक*	**Shri H Pradeep Rao,** *Director*
श्री एम राजेश्वर राव, *निदेशक*	**Shri M Rajeshwar Rao,** *Director*
श्री शंकरन भास्कर अय्यर, *निदेशक*	**Shri Sankaran Bhaskar Iyer,** *Director*
श्री संजय अनंत मांजरेकर, *निदेशक*	**Shri Sanjay Anant Manjrekar,** *Director*
श्री दिलीप कुमार सक्सेना, *निदेशक*	**Shri Dilip Kumar Saxena,** *Director*
श्री जगदीश राज श्रीमाली, *निदेशक*	**Shri Jagdish Raj Shrimali,** *Director*
श्री रमेश एल अडिगे, *निदेशक*	**Shri Ramesh L Adige,** *Director*
श्री सी आर नसीर अहमद, *निदेशक*	**Shri C R Nasseer Ahamed,** *Director*
श्री आनंद के पंडित, *निदेशक*	**Shri Anand K Pandit,** *Director*
सुश्री जसलीन सूरी, *निदेशक*	**Ms. Jasleenn Suri,** *Director*
श्री अतुल अशोक गलांडे, *निदेशक*	**Shri Atul Ashok Galande,** *Director*

लेखा-परीक्षक	Auditors
मेसर्स चंडोक एण्ड गुलियानी	M/s Chandiok & Guliani
मेसर्स जे एन शर्मा एण्ड कंपनी	M/s J N Sharma & Co.
मेसर्स रमणलाल जी शाह एण्ड कंपनी	M/s Ramanlal G Shah & Co.
मेसर्स शंभु एन डे एण्ड कंपनी	M/s Sambhu N De & Co.
मेसर्स के एन गोयल एण्ड कंपनी	M/s K N Goyal & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	Registrars & Share Transfer Agents
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड	M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
यूनिट: सिंडिकेटबैंक	Unit: SyndicateBank
प्लॉट सं.17 से 24	Plot No. 17 to 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर	Vithalrao Nagar, Madhapur
हैदराबाद – 500 081	Hyderabad – 500 081
दूरभाष: 04044655000 विस्तार: 116 या 040 44655116 (सीधा)	Ph.: 040 44655000-Extn: 116 or 040 44655116 (D)
फैक्स: 040 23420814	Fax: 040 23420814

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल तथा सिंडिकेट बैंक के सहयोगियों की तरफ से और मैं अपनी ओर से आपके बैंक की इस पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों को साथ-साथ प्रस्तुत करते हुए मैं काफी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ।

आपके पास सुलभ संदर्भ हेतु 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और बैंक के वार्षिक लेखे की लेखा-परीक्षित एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के महत्वपूर्ण निष्पादनों पर चर्चा करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि बैंक के समग्र निष्पादन में जिन व्यापक आर्थिक परिवेशों का समावेश रहा है उन पर प्रकाश डालूँ।

व्यापक आर्थिक परिवेश

वर्ष 2013 के दौरान, वैश्विक वित्तीय स्थिति बड़ी अस्थिरता एवं धीमी वृद्धि के साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी। वर्ष 2013 में पूरे वर्ष के दौरान व्यापक आर्थिक परिस्थिति निराशाजनक रही और उच्च ब्याज दर, स्फीति दबाव, उर्जा की बढती कीमतें, कमजोर निवेश प्रवृत्ति, संरचनात्मक तंगी, बाज़ार की अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल तथा व्यापक आर्थिक असंतुलन के कारण वर्ष 2013 के दौरान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भी गिरावट देखी गई जिससे इनमें से उभरती हुई कई अर्थव्यवस्थाएं दुर्बल स्थिति में रहीं। ब्राज़ील, भारत तथा इंडोनेशिया जैसी उभरती हुई कुछ अर्थव्यवस्थाओं को, अपनी मुद्राओं की गिरती कीमतों से निजात पाने तथा इससे बचने के लिए ब्याज-दर बढ़ानी पड़ी।

हालांकि, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुधार आई है। फिरभी, वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी जोखिम अभी भी नीचे की ओर है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2012 के 3.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान 3.0 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2014 में यह बढ़कर 3.5% हो सकती है।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, my colleagues at SyndicateBank and also on my personal behalf, I extend a very warm welcome to all of you to this Fifteenth Annual General Meeting of your Bank.

It gives me great pleasure to present the Annual Report of the Bank together with the audited financial statements for the financial year ended 31st March 2014.

The Annual Report for the Financial Year ending 31st March 2014, along with the Director's Report, Audited Annual Accounts and Auditors Report of your Bank are with you for some time as ready reference.

Before I proceed to read out the performance highlights of the Bank during the year 2013-14, let me briefly touch upon the prevailing macro economic environment in which your Bank generated the results as they impact our operations as well.

MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT

During 2013, the global economic condition remained highly uncertain and weak, reflecting subdued growth in almost all the major economies of the world. Throughout the year 2013, the macroeconomic situation was bleak and continues to face high interest rates, inflationary pressure, escalating energy prices, weak investment sentiments, structural bottlenecks, market volatility, political instability and macroeconomic imbalances. The slowdown in a number of emerging economies in 2013 was "hard" enough, and many of these emerging economies remained vulnerable in the outlook. Some of the emerging economies such as Brazil, India and Indonesia, raised interest rates in an attempt to curb currency depreciation and to counteract the effect of Fed tapering of quantitative easing programe.

Though the mild recovery in global economic activities is set, risk to the global economy is still on the downside. Global GDP grew by 3.0% in 2013 as against 3.1 per cent registered in 2012 and poised to grow by 3.5% in 2014.

वैश्विक अर्थव्यवस्था की गिरावट से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। वर्ष 2012-13 में दर्ज 4.5 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही तक) के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही तथा उम्मीद है कि वर्ष 2014 के पूरा होने तक यह बढ़कर 5.50 प्रतिशत तक हो जाएगी।

वर्ष 2012-13 के 13.8 प्रतिशत तुलना में वर्ष 2013-14 में मुद्रा आपूर्ति (M3) 13.5 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की 7.35 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष की औसत डब्ल्यु.पी.आई. स्फीति 5.93 प्रतिशत रही। वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियों तथा अग्रिमों में क्रमश: 14.6 प्रतिशत तथा 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई।

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में जहाँ बैंकिंग उद्योग बढ़ती अनर्जक आस्ति से उत्पन्न संकट की दौर से गुजर रहा था वहाँ हमने अपनी मजबूत स्थिति रखी। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि आपके बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान अच्छा वित्तीय निष्पादन दिया।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के वित्तीय निष्पादन का वैशिष्ट्य निम्नलिखित हैं:

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष 2012-13 के ₹334779 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में ₹16.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹388584 करोड़ पर पहुँच गया है।
- वैश्विक जमाराशियाँ वर्ष 2012-13 के ₹185356 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 14.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹212343 करोड़ पर पहुँच गई है।
- वैश्विक अग्रिम वर्ष 2012-13 के ₹149423 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹176241 करोड़ हो गया है।
- वर्ष 2012-2013 की घरेलू कासा जमाराशि ₹51926 करोड़ की तुलना में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 में ₹55911 करोड़ हो गयी। 31.03.2014 की स्थिति में कुल घरेलू जमा का 29.90 प्रतिशत कासा जमाराशियों (घरेलू) का रहा।
- वर्ष 2012-13 में ₹9939.39 करोड़ के मुकाबले बैंक के आरक्षित निधि एवं अधिशेष 12.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करके वर्ष 2013-14 में ₹11219.61 करोड़ हो गए।
- बैंक की निवल मालियत 31 मार्च 2013 के ₹9296 करोड़ की तुलना में सुधरकर 31 मार्च 2014 की स्थिति में ₹10663 करोड़ हो गई।
- परिचालन लाभ वर्ष 2012-13 के ₹3449.59 करोड़ के मुकाबले 3.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2013-14 में ₹3562.95 करोड़ हो गया।
- बैंक का निवल लाभ वर्ष 2012-13 के ₹2004 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में न्यूनतम एकांतर कर (MAT) की अनुपलब्धता तथा अनर्जक आस्तियों के बड़े प्रावधानों के कारण ₹1711 करोड़ हो गया है।
- गैर-ब्याजी आय वर्ष 2012-13 के ₹1174.36 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 12.82 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1324.88 करोड़ हो गई।
- बैंक का प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च 2013 के ₹12.57 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2014 को बढ़कर ₹14.30 करोड़ हो गया।
- प्रति शेयर बही मूल्य 2012-13 के ₹175.12 की तुलना में 2013-14 की स्थिति में सुधरकर ₹189.63 हो गया।

The country's economy too has been impacted by the slowdown in the global economy. India's GDP grew by 4.7% in 2013-14 (Q3, FY'14) as against 4.5% registered in 2012-13 and poised to grow by 5.50% in 2014.

Money supply (M3) grew by 13.5% in 2013-14 as against 13.8% in 2012-13. The average WPI inflation stood at 5.93 per cent as compared to 7.35 per cent during corresponding period of the previous year. Scheduled commercial Bank deposits and advances grew by 14.6% and 14.3% respectively during 2013-14.

Even in this global economic downturn wherein banking industry is under immense pressure due to rising NPAs, we have consolidated and strengthened our position. I am pleased to announce that your Bank has delivered a good financials during 2013-14.

The key highlights of the Bank's performance during the financial year 2013-14 are as under:

- The global business of the Bank grew by 16.07 per cent from ₹334779 crore in 2012-13 to ₹388584 crore in 2013-14.
- Global deposits of the Bank grew by 14.56 per cent from ₹185356 crore in 2012-13 to ₹212343 crore in 2013-14.
- The Bank's global advances rose from ₹149423 crore in 2012-13 to ₹176241 crore in 2013-14 registering a growth of 17.95 per cent.
- Domestic CASA deposits of the Bank grew by 7.67 per cent from ₹51926 crore in 2012-13 to ₹55911 crore in 2013-14. CASA deposits (domestic) stood at 29.90 per cent of total domestic deposits as at 31.03.2014
- Reserves and Surplus of the Bank grew by 12.88 per cent from ₹9939.39 crore in 2012-13 to ₹11219.61crore in 2013-14.
- Net Worth of the Bank improved from ₹9296 crore as at March 31, 2013 to ₹10663 crore as at March 31, 2014.
- Operating profit grew by 3.29 per cent from ₹3449.59 crore in 2012-13 to ₹3562.95 crore in 2013-14.
- Net profit stood at ₹1711 crore in FY 2013-14 as against ₹2004 crore in FY 2012-13, due to MAT non-availability and higher provisioning for NPAs.
- Non-interest Income grew by 12.82 per cent from ₹1174.36 crore in 2012-13 to ₹1324.88 crore in 2013-14.
- Business per employee of the Bank improved from ₹12.57 crore as at March 31, 2013 to ₹14.30 crore as at March 31, 2014.
- The Book Value per share of the Bank improved from ₹175.12 in 2012-13 to ₹189.63 in 2013-14.

- आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ए.) वर्ष 2012-13 के 1.07 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 0.78 प्रतिशत हो गया है।
- बैंक का निवल ब्याज मार्जिन वर्ष 2012-13 के 3.19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 2.79 प्रतिशत रहा।
- बैंक का प्रति शेयर अर्जन 2012-13 की स्थिति में ₹33.30 की तुलना में 2013-14 में ₹28.21 हो गया।
- निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्ति प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 0.76 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 1.56 प्रतिशत पर आ गई।
- बैंक का एनपीए प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च 2013 के 83.41 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2014 की स्थिति में 70.02 प्रतिशत हो गया।
- बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) वर्ष 2013-14 के दौरान बासेल III के 11.41 प्रतिशत की तुलना में बासेल II के तहत 12.01 प्रतिशत हो गया।
- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने जनवरी 2014 में घोषित 25 प्रतिशत अंतरिम लाभांश के अलावा 30 प्रतिशत के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है।

शाखा विस्तार

बैंक ने दि. 31.03.2014 तक 317 शाखाएँ खोलकर कुल 3251 शाखाओं का कीर्तिमान बनाया है। अब देश के हर प्रांत और संघ शासित क्षेत्रों में हमारे बैंक ने उपस्थिति दर्ज करा दी है।

नये उत्पादों का विकास

वर्ष के दौरान बैंक ने कई नए उत्पाद लाए हैं जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:

देयता उत्पाद

''सिंड दिशा''– बैंक ने 444 दिनों के लिए 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ''सिंड दिशा'' नामक एक नया उत्पाद शुरू किया है। वरिष्ठ नागरिक 0.50 प्रतिशत प्र.व. अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करेंगे, यह उत्पाद ₹10.00 करोड़ से कम राशि की जमा पर ही लागू होगा। खुदरा निवेशकों का उत्पाद होने के कारण बैंक इस उत्पाद की अच्छी खासी रकम का उपयोग कर सकता है।

आस्ति–उत्पाद

अग्रिमों के सिलसिले में, हमने सिंडडॉक्टर, सिंडमार्बल, सिंडटेक्सटाइल, सिंडकैश्यु तथा सिंडट्रांसपोर्ट जैसे पाँच नए एम.एस.एम.ई. उत्पाद अपने 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किए हैं। योग्य डॉक्टरों, मार्बल, ग्रेनाइड व स्टोन क्रशिंग युनिटों, टेक्स्टाइल युनिटों, कैश्यु प्रोसेसिंग युनिटों तथा ट्रांसपोर्ट संचालकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई यह एक विशेष योजना है।

हमने सिंड–ई–टर्म डिपॉजिट तथा सिंड फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट जैसे दो नए उत्पादों का प्रस्ताव भी रखा है। बीमा से युक्त बचत बैंक खाता तथा सावधि जमा खाता की शुरूआत अभी प्रक्रियारत है।

- The Return on Assets stood at 0.78 per cent in 2013-14 as compared to 1.07 per cent in 2012-13.
- The Bank's Net Interest Margin (NIM) stood at 2.79 per cent in 2013-14 as compared to 3.19 per cent in 2012-13.
- The Earning per share (EPS) of the Bank stood at ₹28.21 in 2013-14 as compared to ₹33.30 in 2012-13.
- Net NPA percentage to net advances stood at 1.56 per cent in 2013-14 as compared to 0.76 per cent in 2012-13.
- NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 70.02 per cent as at March 31, 2014 as compared to 83.41per cent as at March 31, 2013.
- Bank's Capital Adequacy Ratio (CRAR) stood at 12.01 per cent as per Basel II and of 11.41 per cent as per Basel III during 2013-14.
- The Board of Directors of the Bank have proposed a Final Dividend of 30 per cent for the year ended 31st March 2014, in addition to Interim Dividend of 25 per cent declared earlier in January 2014.

BRANCH NETWORK

Bank has opened 317 branches during the year and reached a mile stone of 3251 branches as at 31.03.2014. Bank has presence in all the States and Union Territories of the country.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

During the year Bank has envisaged lot of new products. Some of which are outlined below:

Liability Products

SyndDisha"- Bank has introduced a new deposit product christened as "SyndDisha" for a special 444 days tenure with an interest rate of 9.25% pa. Senior citizens will get an additional interest of 0.50% pa. This product is applicable for deposits of less than ₹10 crore only. Being a product for retail investors Bank could mobilize a sizable amount under this product.

Assets Products

On the advances front, we have introduced five new MSME products viz. SyndDoctor, SyndMarble, SyndTextile, SyndCashew and SyndTransport on the occasion of our 88th Foundation Day. These products are tailor made schemes, to meet the credit requirements of qualified doctors, Marble, Granite and Stone Crushing Units; Textile units, Cashew Processing units and transport operators.

We have also proposed to introduce two new deposit products viz. Synd E-Term Deposit and Synd Flexi Recurring Deposit scheme. Introduction of Insurance Linked Savings Bank Account and Term Deposit Account is on the anvil.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों, कमजोर वर्गों अल्पसंख्यकों के ऋण-प्रवाह को सुधारने तथा सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों को ऋण सुविधा, समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध कराने तथा समग्र विकास के उद्देश्य से बैंक ने कई रणनीतियाँ बनाई हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण 31.03.2013 के ₹46437 करोड़ के मुकाबले 12.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2014 तक ₹52016 करोड़ पर पहुँच गया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 43.19 प्रतिशत है जबकि अधिदेशी आवश्यकता 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार, प्रत्यक्ष कृषि ऋण 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ए.एन.बी.सी. का 15.62 प्रतिशत हो गया जबकि अधिदेशी आवश्यकता 13.50 प्रतिशत है। कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिम 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ए.एन.बी.सी. का 10.60 प्रतिशत हो गया जबकि इसकी अधिदेशी आवश्यकता 10 प्रतिशत है। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त अग्रिम 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए प्राथमिकता क्षेत्र के पूरे ऋण का 15.98 प्रतिशत हो गया जबकि आवश्यक स्तर 15 प्रतिशत है। महिला ग्राहकों को प्रदत्त अग्रिम 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ए.एन.बी.सी. के संपूर्ण ऋण का 7.46 प्रतिशत हो गया जबकि इसका अधिदेशी स्तर 5 प्रतिशत है। इस प्रकार, आपका बैंक उन कुछेक बैंकों में से है जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता के तहत वृद्धि एवं उपलब्धियों की सभी अधिदेशी स्तरों को पार कर लिए हैं।

वित्तीय समावेशन

दि. 31.03.2014 तक 2000 से कम जनसंख्या वाले 2111 गाँव हमारे बैंक को आबंटित किए गए थे। बैंक ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 729 बी.सी.ए. सहित 32 शाखाएँ/सेटेलाइट कार्यालय खोलकर 2000 से कम जनसंख्या वाले 2248 गावों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई।

हमारे बैंक में 69.74 लाख मूल बचत बैंक खाते हैं जिनमें 8.10 लाख के.सी.सी., 0.49 लाख जी.सी.सी. सहित 4.05 लाख स्मार्ट कार्ड/मोबाइल सुविधायुक्त खाते हैं। बैंक ने जे.जे.एफ.एल.सी.सी. ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत बैंक के अग्रणी जिलों में 38 वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC) तथा 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (FIRC) हैं। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने वर्ष के दौरान 9901 साक्षरता कैम्प आयोजित किए जिनमें 384742 लोगों ने लाभ उठाया।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी)

बैंक ने वर्ष के दौरान (01.7.2013 से लागू) चुने हुए 78 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कई कदम उठाए हैं। 102 जिलों में हमारे बैंक की 852 शाखाओं का बढ़िया नेटवर्क है। इन 852 शाखाओं में से 681 शाखाओं के पास ऑन-साइट एटीएम हैं।

तकनीकी पहल

विभिन्न नई तकनीकों को क्रियान्वित करने में आपका बैंक अगली पंक्ति में है, बैंक ने वर्ष के दौरान पर्यायी वितरण चैनल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल शुरू किए हैं जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- दि. 31.03.2014 तक बैंक द्वारा लगाए गए कुल एटीएम की संख्या 1946 एक पहुँच गई है। 31.03.2014 तक डेबिट कार्डों की कुल

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank has taken lot of measures to improve flow of credit to agriculture & allied activities, weaker section, minorities and adequate & timely supply of credit to various productive sectors at micro level covering all sections of the society to achieve the goal of inclusive growth. Priority Sector Credit increased by 12.01% from ₹46437 crore as at 31.03.2013 to ₹52016 crore as at 31.03.2014 which stands at 43.19% of ANBC against the required level of 40%. Similarly, direct agricultural credit increased by 17%, forming 15.62% of ANBC as against the mandatory requirement of 13.50%. Advances to Weaker Section increased by 7%, forming 10.60% of ANBC against the mandatory requirement of 10%. Advances to minority community grew by 9%, forming 15.98% of Priority Sector against the mandatory level of 15% of PSA. Advances to women customers increased by 9%, forming 7.46% of ANBC against the mandatory level of 5%. Thus your Bank is one of the few banks to have consistent growth and achievement under all the mandatory required level, which is our national priority.

FINANCIAL INCLUSION

The Bank was allotted a target for coverage of 2111 villages of less than 2000 population by 31.03.2014. Bank has extended banking services to 2248 villages of less than 2000 population by engaging 729 BCAs and by opening of 32 Branches / Satellite Offices.

Our Bank has 69.74 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts and has extended 8.10 lakh KCCs, 0.49 lakh GCCs and issued 4.05 lakh smart cards / mobile enabled accounts. Bank is promoting financial literacy through JJFLCC Trust which has opened 38 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centre (FIRC) in the Lead Districts of the Bank. These FLCs have conducted 9901 Literacy Camps benefitting 3,84,742 persons during the year.

DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT)

The Bank has taken a number of steps for successful implementation of Direct Benefit Transfer in the identified 78 districts during the year (w.e.f 01.07.2013). Our Bank has a network of 852 branches in 102 Districts. Out of 852 branches 681 branches are provided with on-site ATMs.

TECHNOLOGICAL INITIATIVES

Your Bank is the front runner in implementation of various new technologies. During the year Bank undertook several initiatives to encourage the usage of alternate delivery channels. Some of which are enumerated below:

- The total no. ATMs installed by the Bank reached to 1946 as at 31.03.2014. Total number of debit card

संख्या 59.11 लाख तथा क्रेडिट कार्डों की संख्या 77592 से अधिक हो गई। बैंक ने अब तक 1772 पी.ओ.एस. टर्मिनल लगाए हैं जिनमें से वर्ष के दौरान 1054 टर्मिनल लगाए गए।

- बैंक ने सरकारी कारोबार मॉड्युल (जी.बी.एम.) प्राप्त किया है जिसके अंतर्गत पी.पी.एफ., वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस.सी.एस.एस.) भा.रि.बैं. रिलीफ बॉण्ड, ओल्टास, इजिएस्ट, विभिन्न राज्यों के राज्य-कर की वसूली आदि शामिल हैं। इसके तत्काल क्रियान्वयन की आशा की जा रही है।
- इन्टरनेट बैंकिंग समाधान के नए उच्चतर वर्ज़न को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया जारी है। नया वर्ज़न इन्टरनेट एक्सप्लोरर के अलावा सभी नए ब्राउजरों (क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी आदि) में भी आसानी से काम करेगा।
- बैंक ने नियमित कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए सभी केंद्रों पर लीज़ लाइन अद्यतन बनाने का कार्य पूरा कर लिया है।
- पर्यायी चैनलों, इन्टरनेट बैंकिंग, ए.टी.एम. तथा एस.एम.एस. के माध्यम से आधार (Aadhar) निरूपण को क्रियान्वित किया गया है।
- कासा खातों में बकाया इतिशेष जानने के लिए ग्राहकों को मिस्ड कॉल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने का कार्य भी क्रियान्वित किया गया है।
- हिंदी भाषी क्षेत्रों में एटीएम के द्विभाषिक स्क्रीन उपलब्ध करा दिए गए हैं। कर्नाटक तथा केरल राज्यों में बहुभाषी स्क्रीन शुरू कर दिए गए हैं।
- एटीएम द्वारा किए गए सभी लेनदेनों के लिए ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर एस.एम.एस. भेजने की सुविधा शुरू कर दी गई है।

गठजोड़ रणनीति एवं संयुक्त उद्यम

बैंक ने निम्नलिखित के साथ अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम की व्यवस्था की है:

ए) **एल आई सी के साथ समझौता ज्ञापन :** बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों को शुल्क के आधार पर बिना किसी जोखिम सहभागिता के संवितरण हेतु, एक कारपोरेट एजेंट के रूप में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) के साथ दिनांक 27 जून 2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

बी) **यू आई आई सी के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ :** सामान्य बीमा उत्पादों और सिंडिकेट बैंक खाताधारों को स्पर्धात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध - एक समूह मेडिक्लेम बीमा सह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी -सिंड आरोग्य के संवितरण हेतु बैंक ने युनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ की व्यवस्था की है।

सी) **म्यूच्युअल फंड संवितरण उद्यम :** बैंक अपने अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की टीम को मजबूत बना रहा है जो म्यूचुअल फंड उत्पादों की सुविज्ञ बिक्री में सहायक बनते हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास 380 एन आई एस एम (सीरीज़-v - ए) प्रमाणित व्यक्ति और 154 ईयूआईएन समर्थित स्टाफ हैं, जो दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 134 और 23 थे।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों के प्रति लगातार सहयोग दे रहा है जैसे - शैक्षिक संस्थानों में कुर्सियों का प्रायोजन, चिकित्सा

issued to 59.11 lakh and credit card base to over 77592 as at 31.03.2014. Bank had installed 1,772 POS Terminals, out of which 1,054 terminals were installed during the year.

- Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States etc. It is expected to be implemented shortly.
- Bank is in the process of upgrading to a new higher version of Internet Banking Solution. The new version will be compatible in all Browsers (like Chrome, Firefox, opera, Safari) apart from Internet Explorer.
- Bank has upgraded the lease line capacity in all centres to ensure continuous availability of connectivity.
- Addhar seeding through alternative channels internet banking, ATM and SMS is implemented.
- Missed Call Banking facilitates the customers to know the balance outstanding in their CASA account is implemented.
- Bilingual screens are made available in ATM's of Hindi speaking areas. Multilanguage screens have been introduced in the States of Karnataka and Kerala.
- SMS is being sent to the customers' registered mobile number for all ATM transactions..

STRATEGIC ALLIANCE & JOINT VENTURES

Bank has undergone strategic alliance and joint ventures with the following:

a) **MOU signed with LIC:** Bank had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Life Insurance Corporation of India (LIC) on 27th June 2013, as a Corporate Agent for distribution of Life Insurance Products on fee basis without any risk participation.

b) **Corporate Agency Tie-up with UIIC**: Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited for distribution of General Insurance products, including SyndArogya- a Group Mediclaim Insurance Cum Personal Accident policy-which is available at competitive premium for SyndicateBank Account Holders.

c) **Mutual Fund Distribution Venture:** Bank continued developing its team of qualified persons facilitating informed selling of mutual funds products. As on 31.03.2014, the Bank had a team of 380 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 154 EUIN compliant staff, compared to 134 and 23 respectively as on 31.03.2013.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank continues to contribute to CSR activities- sponsoring chairs in educational institutions, donating ambulance

सेवाओं के लिए एंबुलेंस का दान, स्कूली बच्चों को भोजन पहुँचाने के लिए वैन, अनाथालय, निराश्रितों और विकलांग बच्चों की सोसाइटी को दान, वित्तीय समावेशन वाले गाँवों में तालाब की सफाई आदि। बैंक के संस्थापना दिवस को यादगार बनाने हेतु बैंक के सभी नियंत्रक कार्यालयों में ग्राहकों एवं कर्मचारियों द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। बैंक ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन किया है, जैसे – नासिक उत्सव, जिससे बैंक के सीमाक्षेत्र में काफी वृद्धि हुई तथा हमारे बैंक उत्पादों का प्रचार–प्रसार हुआ। जरूरतमंद गरीब रोगियों को कृत्रिम अंग, कैलिपर, व्हीलचेयर, हस्तचालित साईकिल, बैसाखी एवं अन्य सहायक वस्तुएं मुहैया कराने में वालंटियर के रूप में सहयोग के लिए ''भगवान महवीर विकलांग सहायता समिति'', जयपुर को भी बैंक ने दान दिया जिससे 150 विकलांगों को लाभ प्राप्त हुआ।

नई पहल:

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

प्रभावी नियंत्रण और कारोबार विकास की दृष्टि से बैंक ने दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं – एक मदुरै में और एक ओंगोल में। इसके साथ ही बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 43 हो गई है जो अनुषंगी कार्यालयों और अत्यंत लघु शाखाओं के अतिरिक्त 3250 शाखाओं की कार्यप्रणाली का नियंत्रण करते हैं।

क्षेत्र महाप्रबंधक

परिवर्तनशील बाजार परिवेश को ध्यान में रखते हुए और ऋण मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने एवं उच्च कार्यपालकों का ग्राहकों और शाखाओं के साथ नज़दीकी संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से, बैंक ने 8 केंद्रों में ''क्षेत्र महाप्रबंधक'' नामक एक नई संकल्पना की शुरुआत की है। इससे बैंक का समग्र विकास एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लोगो का पुन: स्थापन

बैंक की छवि को बढ़ाने की दिशा में, बैंक ने अपने लोगो का रंग बदलते हुए उसका पुन:स्थापन किया है। एक ब्रांड मैनुअल को तैयार करके उसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को भेजा गया है। लोगो में मुख्य रूप से नारंगी एवं पीले रंग का समावेशन है। जहाँ नारंगी रंग सामूहिक कार्य एवं सोच द्वारा बैंक की स्पंदनशीलता, सक्षमता एवं विश्वास को दर्शाता है। वहीं पीला रंग सामूहिक कार्य एवं सोच द्वारा नेवोन्मेषता, स्पंदनशीलता, का सहायक तथा निर्णय का प्रतीक है।

सिंड नई दिशा

₹10 लाख करोड़ के कारोबार स्तर तक पहुँचने के लिए बैंक ने ''विजन 2020'' के नाम से अपनी दीर्घावधि योजना की रूपरेखा तैयार की है। विजन 2020 के लक्ष्यों को पाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही बैंक ने अपने विजन एवं मिशन वक्तव्य का भी पुनर्शोधन किया है। बैंक ने ये सभी पहल सिंड नई दिशा के अंतर्गत किए हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन एवं कारोबार प्रक्रिया का पुनर्सृजन

एच.आर.एम.एस. परियोजना से संबंधित निविदा प्रक्रिया को बैंक ने पूरा कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष से इस पर पूर्ण रूप से काम शुरू हो जाएगा।

for medical services, vans for carrying food to school children, donation to orphanage, destitute Home and society for physically challenged, pond cleaning in FI villages . Bank also arranged blood donation camps by staff and customers at all controlling offices of the bank commemorating Foundation Day of the bank. Bank also sponsored a social and cultural event, Nasik festival which brought lot of visibility to the bank and publicity to our Bank products. Bank also donated to "Bhagwan Mahveer Viklang Sahayata Samiti", Jaipur, for supporting their yeomen service of providing artificial limbs, calipers, wheelchairs, hand paddled tricycles, crutches and other aid to the needy poor patients which has benefited 150 disabled.

NEW INITIATIVES

Re-organization of Regions

For effective control and business development, Bank has opened two new Regional Offices - one at Madurai and another at Ongole. With this, the Bank is having 43 regional offices controlling the functions of 3250 branches besides satellite offices and ultra small branches.

Field General Manager

Keeping in view the changing market environment and in order to ensure quick Turn Around Time (TAT) for credit and also to ensure top executive being close to customers & branches, Bank has introduced the concept of "Field General Manager" at 8 centres. This will ensure quick decision-making and improve overall development of the Bank.

Repositioning of LOGO

As part of a Bank's brand building exercise and to harness its image, Bank has repositioned its Logo by changing the colour patterns. A Brand Manual has been prepared and supplied to all Regional Offices and Field GM's Offices. The logo contains predominantly organge and yellow colours. Orange indicates Bank's vibrancy, competency and confidence through collective work and thinking. Yellow indicates innovation, backing the vibrancy and quick decision through collective work and thinking.

SyndNayiDisha

Bank has drawn its long term plan "Vision 2020" for reaching business level of ₹10 lakh crore. Bank has revisited its Vision and Mission Statements along with lot of initiatives are being taken to reach vision 2020 goals. Bank has brought all these initiatives under SyndNayiDisha.

HRM & BUSINESS PROCESS REENGINEERING

Bank has completed the tendering process in respect of HRMS project and full roll out will happen starting this financial year.

बैंक ने अग्रणी संस्थानों से गठजोड़ करके प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ बनाया है।

गहन ऋण एवं विदेशी विनिमय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा कर लिया गया है और आगे इसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। प्रस्तावित मिड कारपोरेट शाखाओं को, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ऋण अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। बैंक ने एच.आर.एम. एवं बी.पी.आर. के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड से ले लिया है और बैंक आपकी संस्था में एच.आर. कार्य-कलापों का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करना चाहता है ताकि इसे उच्च अभिप्रेरित तथा निष्पादन अनुकूल कार्यबल मिले।

एम.आई.एस. मिशन: एक गेम चेंजिंग पहल

गुणवत्तायुक्त एम.आई.एस. की रिपोर्टिंग के लिए एक अलग स्कंध का सृजन किया गया है। फिलहाल बैंक ने आस्ति उत्पादों के अंतर्गत खातों (लगभग 34 लाख खातों में से) में से लगभग 99% को कवर कर लिया है। एक बार जब यह पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तो शाखाएँ विभिन्न विवरणों को प्रस्तुत करने से मुक्त हो जाएंगी, जिससे उन्हें ऋणों की वसूली तथा अपने उत्पादों के विपणन के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक ने एक सुदृढ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया है ताकि कारोबार के दौरान बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जोखिमों को निपटाया जा सके। बैंक का उच्च प्रबंधन, आनेवाले जोखिम के समग्र स्तर को पहचानने की क्षमता, उपाय, निगरानी एवं नियंत्रण के सुधार पर खास ध्यान रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) को ऋण जोखिम का ध्यान रखनेवाली ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के समय परिचालनगत जोखिम पहलुओं पर ध्यान देते हुए आस्ति देयता एवं चलनिधि जोखिम की देख-रेख करने वाली आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का पूरा सहयोग प्राप्त है।

बैंक, बासेल दिशानिदेशों के आधुनिक दृष्टिकोणों की ओर बढ़ रहा है।

ऋण जोखिम के मामले में, बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार की गणना करता है और आंतरिक रेटिंग आधारित (आई.आर.बी.) दृष्टिकोण की ओर जाने के प्रयास जारी हैं। बाजार जोखिम के मामले में, मानकीकृत मापन दृष्टिकोण को अपनाया गया है। समग्र कोषीय प्रबंधन प्रणाली (आई.टी.एम.एस.) को भी लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015 तक वैज्ञानिक निधि अंतरण तंत्र (एफ.टी.पी.) को भी लागू करने का प्रस्ताव है और इसके साथ ही बैंक आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के मामले में, बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाते हुए पूंजी की गणना करता है। मार्च 2014 तक, मानकीकृत दृष्टिकोण (टी.एस.ए.) में जाने के भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित 12 तिमाहियों के समग्र आय की बिजनेश लाइन मैपिंग के साथ बैंक तैयार है। अग्रणी मापन दृष्टिकोण (ए.एम.ए.) अपनाने के लिए बैंक ने एक सॉफ्टवेयर आधारित

Bank has strengthened the training system by tieing up with leading institutions.

Intensive credit and foreign exchange training programmes have been completed and going forward this will be intensified. The fully trained credit officers will be manning the proposed mid corporate branches. Bank has taken board approval for appointment of consultants for HRM & BPR and wants to put in place the best of HR practices in your organisation, to have highly motivated and performance oriented work force.

MIS-MISSION – A game changing initiative

A separate vertical has been created to have quality MIS reporting. At present Bank has covered about 99% of the accounts under asset product (out of approximate 34 lakh accounts). Once this is stabilized the branches will be freed from submission of various statements, giving them more time to contribute on recovery of loans and marketing of various products.

RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE

The bank has implemented a robust and comprehensive Risk Management Framework to deal with various kinds of financial and non-financial Risks as confronted by the Bank in course of doing business. Top Management of the Bank attaches considerable importance to improve the ability to identify, measure, monitor and control the overall level of risk undertaken. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) which takes care of the Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) looking after the Asset Liability and Liquidity Risk, while Operational Risk Management taking care of operational risk aspects.

Bank is progressing towards moving to Advanced approaches of Basel Guidelines.

In respect of credit risk, bank is computing capital charge under standardised approach and efforts are on to move to Internal Rating Based (IRB) approach. In respect of market risk the standardised measurement approach is being adopted. Integrated Treasury Management system (ITMS) has been implemented. Also, the Scientific Funds transfer mechanism (FTP) is proposed to be implemented by the financial year 2015 and with these Bank is moving forward to Internal Model Approach.

In respect of Operational Risk Management, Bank is computing capital using Basic Indicator approach. As on March 2014, bank is ready with the Business Line mapping of gross income for 12 quarters as prescribed by RBI to move to The Standardised Approach (TSA). Also, bank has developed a software based Operational Risk management solution (ORMS) for moving to Advanced

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान (ओ.आर.एम.एस.) का भी सृजन किया है जिसका उपयोग नष्ट हुए आंकड़ों की वापसी एवं मॉडल का उपयोग करते हुए पूंजी की गणना में किया जा सकता है।

बासेल III एवं पूंजी योजना

बासेल III के दिशानिदेशों के अनुसार सी.आर.ए.आर. के अनुपालन हेतु बैंक के पास सुविधाजनक पूंजी स्थिति है। तथापि, अपनी सी.आर.ए.आर. को 12% पर स्थिर रखने के उद्धेश्य से बैंक बाजार की स्थिति के आधार पर राइट इशू/क्यू.आई.पी. (घरेलू/विदेशी) फॉलो ऑन पब्लिक इशू के माध्यम से इक्विटी कैपिटल को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है और भविष्य में बासेल III से युक्त अतिरिक्त टीयर I बांड एवं टीयर 2 बांड के लिए बाजार में उतरेगा। वर्ष 2014-15 के दौरान उचित समय पर ₹200 करोड़ की क्यू.आई.पी. इश्यू के लिए बैंक ने वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले रखा है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक समग्र सी.आर.ए.आर. को 12% के ऊपर जारी रखने के लिए आश्वस्त है। आगे बढ़ते हुए, लंदन शाखा की निधि आवश्यकताओं के लिए बैंक एम.टी.एन. के माध्यम से निधि को बढ़ा भी सकता है। लंदन शाखा की लोन बुक बिल्डिंग के आधार पर जब भी ब्याज दर अनुकूल हो, यू.एस.डी. 2 बिलियन तक की लंदन शाखा की निधि आवश्यकताओं के लिए विदेशी बाजार में मिडियम टर्म नोट (एम.टी.एन.) के माध्यम से निधि को बढ़ाने हेतु बैंक को बोर्ड का अनुमोदन मिला है।

प्रशिक्षण एवं विकास

नवनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली में शिष्टाचार एवं व्यवहार संबंधी एक नया कार्यक्रम शामिल किया गया है ताकि प्रथम पंक्ति में कार्यरत कर्मचारी ग्राहकों के साथ प्रभावीपूर्ण चर्चा कर सकें। व्यय तथा उपरीलागत में कमी लाने के साधन के रूप में कर्मचारियों के लिए ऑन-लाइन लर्निंग सिस्टम की शुरूआत भी की गयी है।

महत्वपूर्ण बैंकिंग परिचालन क्षेत्र जैसे-ऋण, विदेशी विनिमय, जोखिम प्रबंधन, निरीक्षण, लेखापरीक्षा, अनुपालन आदि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य बैंक ने पहले ही शुरू कर दिया है।

औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध काफी मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण रहा है जिससे स्वस्थ वातावरण में कार्य करने का माहौल बना है। यूनियन/एसोसिएशन बड़े ही जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बैंक की प्रगति एवं समृद्धि के लिए अबाधित रूप से काफी सकारात्मक एवं सहयोगात्मक समर्थन प्रदान किया है।

मंजिलें और भी हैं

विश्व अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक नीति की रूझान ने पूरे देश को पथ विचलित कर दिया है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान जटिल आर्थिक समस्याएँ पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। पूँजी के अस्थिर बहाव तथा अनिश्चित बाज़ार जैसे बाहरी झटकों से उत्पन्न आर्थिक संकट से देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में पुन: संतुलित करने जैसी चुनौतियाँ इन विचलनों में उत्पन्न होंगी। सीमा-पारीय आर्थिक गतिविधियों तथा निवेश में आई गिरावट के कारण देश के अंदर सकारात्मक प्रभाव लाने में हम असफल होते आ रहे हैं। इसके बावजूद, हमारे देश का समष्टि आर्थिक आधार अन्य

Measurement approach (AMA) which is to be used for collection of loss data and compute capital using models.

BASEL III AND CAPITAL PLANNING

Bank has comfortable capital position to comply with CRAR as per Basel III guidelines. However, in order to maintain CRAR of 12% the Bank proposes to raise Equity Capital by way of Rights Issue/QIP (Domestic/Foreign)/ Follow on public issue based on market conditions and approach the market for Basel III compliant Additional Tier 1 Bonds and Tier 2 Bonds in the future. Bank is holding approval from MOF for issue of QIP of ₹200 crore at appropriate time during 2014-15. Bank is confident to maintain overall CRAR above 12% during 2014-15. Going forward, Bank can also raise funds through MTN for funds requirement of London branch. Board has approved the Bank to raise the funds through Medium Term Notes (MTN) in overseas market for funds requirements of London branch upto USD 2 billion as and when the interest rates are favorable and based on the Loan book building of London branch.

TRAINING & DEVELOPMENT

The Training System has also devised a new programme to groom the newly recruited officers in etiquette and manners for effective and impressionable interaction with the customers by the Front Line Employees. Bank has also started on-line learning system for employees as a tool to minimize the expenditure and overheads.

Bank has already started imparting training to staff in important areas of banking operations viz. Credit, Foreign Exchange, Risk Management, Inspection, Audit, Compliance etc.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial Relations in the Bank have been cordial and harmonious, fostering a healthy work environment. The Unions/Associations have been responsive and proactive and they have extended unstinted support for the measures aimed at the progress and prosperity of the Bank.

THE WAY AHEAD

Macroeconomic policy stances in the world economy have become more diverse across countries, and some critical transitions are expected to occur during the current financial year. Such diversification could also lead challenges towards the countries around the world for rebalancing their country's economies amidst more external shocks in term of volatile flow of capital and uncertain market forces. The subdued cross-border economic activities and investment continued to fail to bring intraregional positive spillover effects. Nevertheless, our country's macroeconomic fundamentals are better

कई देशों की उभरती अर्थव्यवस्था से बेहतर है और उनकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2014 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद हमारे नीति-निर्माताओं ने ऐसे कवच तैयार किए हैं जो संभावित झटके को झेल सकता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा क्योंकि हमें एक स्थाई सरकार मिलनेवाली है, जो विनिर्माण क्षेत्र में वापसी, ऋण विस्तार एवं निवेश में वृद्धि के बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी। वर्ष 2014-15 के दौरान यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो जाएगा।

आपके बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान स्वयं को सुदृढ बनाने एवं समेकित वृद्धि लाने हेतु कदम उठाए हैं। वर्षों की मजबूत नींव बैंक के निष्पादन को बढ़ाने में सहायता करेगी। चालू वर्ष के दौरान भी सभी प्रमुख मानदंडों के तहत अपने निष्पादन और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए बैंक कटिबद्ध है। एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पी.ओ.एस., इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एस.एम.एस. बैंकिंग आदि विभिन्न पर्यायी वितरण चैनलों में सुधार लाकर बैंक ने ग्राहक-केंद्रित तकनीकी को और अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। बैंक ने 20 प्रमुख स्थानों पर स्वयं-सेवा कियोस्क (24x7) वाले ई-लॉन्ज खोलने तथा दो स्थानों पर केंद्रीकृत खाता खोलने के लिए बैक ऑफिस खोलने का प्रस्ताव रखा है। बैंक ने सरकारी कारोबार मोड्युल (GBM) प्राप्त किया है जिसके अंतर्गत पी.पी.एफ., वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), भा.रि.बै. रिलीफ बॉण्ड, ओल्टास, इजियस्ट, विभिन्न राज्यों के राज्य-कर की वसूली आदि शामिल हैं। इसके तत्काल क्रियान्वयन की आशा की जा रही है।

बैंक ने जनवरी 2014 में दो-दिवसीय नई दिशा कार्यशाला का आयोजन किया है जिसमें कार्यपालकों सहित सभी श्रेणी के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया तथा काफी विचार मंथन के बाद एक नई भविष्य दृष्टि तथा लक्ष्य कथन उभरकर सामने आए। बैंक ने वर्ष 2020 तक ₹10 लाख करोड़ के कुल कारोबार का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में कई रणनीतियाँ बनाई गई हैं।

विपणन के लिए अलग स्कंध बनाया गया है जो कासा, खुदरा अग्रिम तथा अन्य पक्ष उत्पादों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

शुल्क आधारित आय एवं सिंड कारपोरेट ऋण को बढ़ाने के लिए कार्पोरेट स्तर पर एक नया स्कंध कार्य करना शुरू कर दिया है। शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए बैंक कई अन्य उपाय भी खोज़ रहा है।

बैंक ने उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में कारपोरेट कार्यालय में एक सिंडिकेशन कक्ष की स्थापना की है जो शुल्क आधारित आय को अर्जित करने में बैंक की सहायता करेगा। मिड कॉरपोरेट उधारकर्ताओं पर ध्यान देने के लिए बैंक ने पूरे देश में करीब 25 मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोलने का निर्णय लिया है। इससे बैंक को जहाँ एक ओर ऋण जोखिम कम करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर बेहतर प्रतिफल मिलेगा जिससे निवल ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.) को सुधारने में मदद मिलेगा।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रतिबद्ध कार्यबल की सहायता से आपका बैंक, ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से

than many of the emerging market economies, making it less vulnerable in comparison to others. World economy is projected to grow at 3.5 per cent in 2014.

Even though the global economic conditions are still challenging, our policy maker has rebuilt buffers to cushion it against possible spillovers. The outlook of the country's economy during the FY 2014-15 will be more positive since we are moving towards a stable government who will be taking positive decisions which will lead to rebound in manufacturing, credit expansion and investment growth. India's GDP is projected to grow at 5.5 per cent during 2014-15.

Your Bank has taken steps to further strengthen and consolidate growth during 2014-15. The strong foundation laid by the Bank over the years, enabled it to increase the performance. Bank has committed to increase market share as well as performance under all key parameters during the current year also. Looking forward, Bank has endevoured to increase customer-centric technological initiatives by improving various alternate delivery channels viz. ATMs, credit/debit card, POS, internet banking, mobile banking, SMS banking etc. Bank is proposing to open E-Lounges (24X7) self serviced kiosk in 20 important locations and Back Office in 2 locations for Centralised Account Opening. Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States etc. It is expected to be implemented shortly.

Bank conducted two days NayiDisha workshop in January 2014 involving staff members and executives across the Bank and after brainstorming, a new vision and mission statement has been arrived at. The Bank adopted a goal of reaching a total business of ₹10 lakh crore by 2020. Various strategies have been drawn towards the same.

Separate vertical for marketing who will focus on augmentation of CASA and retail advances & third party products.

A new vertical for augmenting the fee based income and for increasing the Mid Corporate credit have also started functioning at corporate level. Bank is also exploring various other avenues for increasing its fee based income.

Bank has established a syndication cell at Corporate Office, headed by DGM which will help Bank in earning fee based income. To focus midcorporate borrowers Bank has decided to open around 25 mid corporate branches all over the country. This will help Bank on one hand, to spread credit risk and on the other hand, to have better yield which will in turn help in improving NIM.

I would like to assure you that with the help of committed workforce, your Bank is fully equipped to move forward by

सुसज्जित होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इससे ग्राहक सेवा के प्रति हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट होती है जो कारोबार का मूल-मंत्र है।

इस अवसर पर, मैं आप सबको बैंक द्वारा प्राप्त उपलब्धियों एवं पुरस्कारों के बारे में सहर्ष सूचित करना चाहता हूँ।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान बैंक ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनमें से कुछ निम्नवत् हैं:

1) हमारे बैंक को इसके शानदार निष्पादन के लिए ''इनवेस्टमेंट एडवाइज़'' मैगजीन की जून 2013 के प्रकाशन द्वारा **''बैंक ऑफ द इयर''** का सम्मान प्राप्त हुआ है।
2) फाइनांशियल एक्सप्रेस भारत के बेस्ट बैंक सर्वे 2012-13 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में हमारे बैंक को **''द्वितीय सर्वोत्तम पीएसयू बैंक''** का सम्मान प्राप्त हुआ है।
3) आंध्रप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री.किरण कुमार रेड्डी द्वारा हमारे बैंक को आंध्रप्रदेश राज्य में **'एस एच जी संयोजक कार्यक्रम लागू करने में सर्वोत्तम निष्पादनकर्ता बैंक'** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
4) रूडसेटी की गतिविधियों को कार्यान्वित करने में समस्त बैंकों में से हमारे बैंक को श्री जयराम रमेश, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा **''बेस्ट बैंक अवार्ड''** प्रदान किया गया है।
5) स्टेट फॉरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल द्वारा हमारे बैंक को **''समग्र निष्पादन में द्वितीय सर्वोत्तम बैंक के रूप में बैंकिंग एक्सलेंस पुरस्कार 2013''** प्रदान किया गया है।
6) **सिंड एल आई सी सप्ताह (2 से 7 दिसंबर 2013 तक) के दौरान** एक सप्ताह में 15119 पालिसियों की मार्केटिंग करते हुए बैंक एश्योरेन्स भागीदारों में से **रिकार्ड ब्रेकिंग निष्पादन** करने के लिए हमारे बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा पुरस्कृत किया गया।
7) BIZTECH2.COM द्वारा कारोबार बौद्धिकता के लिए हमारे बैंक को मान्यता प्रमाणपत्र- **''सी आई ओ मास्टर 2013''** प्रदान किया गया है।
8) कारोबार - तकनीकी -नेतृत्व के लिए हमारे बैंक को **''सी आई ओ 100 - एसट्यूट 100 - होनोरी 2013''** पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था के निष्पादन को बुलंदियों तक पहुँचाने वाले अपने सभी सिंडियन्स की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

अंत में, मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सादर,

आपका,

(सुधीर कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 15.05.2014

delivering superior services to customers. This reinforces our absolute commitment to customer service which is the essence of doing business.

At this juncture, I am happy to share the accolades and awards showered on the bank.

ACCOLADES/AWARDS

During the year Bank has received number of awards. Some of them are outlined below:

1) Our Bank has been recognised as **"BANK OF THE YEAR"** for its splendid performance by magazine 'Investment Advice' in its June 2013 issue.
2) Our Bank has been adjudged as "**SECOND BEST PSU BANKS"** by Financial Express India's best banks survey 2012-13.
3) Our Bank has been presented with an award as **'Best Performing Bank in Implementation of SHG linkages programme'** in the state of Andhra Pradesh by Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N Kiran Kumar Reddy.
4) Bank has been conferred "**Best Bank Award**" amongst all the Banks in the RSETI movement by Sri Jairam Ramesh, Hon'ble Minister for Rural Development, Government of India.
5) Bank has been awarded "**Banking Excellence Award 2013 for the second best public Bank in overall performance"** by State forum of Bankers Club Kerala.
6) Bank has been awarded for **Record Breaking Performance during Synd LIC Saptah (2nd to 7th December, 2013)** by marketing 15119 policies Highest by any of the Bancassurance Partners during a week by Life Insurance Corporation of India (LIC).
7) Bank has been awarded ***"CIO Master 2013"*** – Certification of Recognition for its Business Intelligence by BIZTECH2.COM.
8) Bank has been awarded **"CIO 100 – ASTUTE 100 – HONOREE 2013"** for its Business -Technology – Leadership.

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India, for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our esteemed customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by Syndians for enabling the Bank to scale new heights of performance.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With regards,

Yours Sincerely,

(Sudhir Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 15.05.2014

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल, 31मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

पुनरुत्थान के सकारात्मक संकेतों के बावजूद, वैश्विक विकास की रफ्तार धीमी है क्योंकि कई विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी अपनी औद्योगिक गिरावट से उबरने की कोशिश में लगे हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं, लेकिन कड़ी वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं कमजोर निवेश संभावनाओं के कारण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मामूली विकास हो पाया है। ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत जैसी कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रही हैं और उनकी मुद्रा भी काफी दबाव में आ गई है।

एम ई एन ए पी (मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, अफगानिस्तान व पाकिस्तान) में चले लंबे राजनीतिक बदलाव के कारण बढ़ती हुई अनिश्चितताएं कमजोर बाह्य वातावरण, बैंकिंग क्षेत्र की दुर्बलताएं, नई नीतिगत चुनौतियां, अमेरिका का अपना घटता हुआ परिमाणात्मक उपाय एवं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नीति का प्रभाव आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो वैश्विक विकास की संभावनाओं को अधोमुखी जोखिम की ओर ले गए हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत प्रवाह में आगे अस्थिरता की दौड़ का खतरा है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान-संतुलन में भारी गड़बड़ी है। मांग में व्यापक गिरावट के कारण यूरो क्षेत्र का विकास अभी भी धीमा है।

जनवरी 2014 में आई एम एफ के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा प्रकाशित डेटा के अनुसार, वैश्विक जी डी पी में वर्ष 2013 में 3.0% की वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2012 में 3.1 प्रतिशत दर्ज हुई थी। अमेरिका के जी डी पी में वर्ष 2012 में 2.8% के स्थान पर वर्ष 2013 में 1.9% की वृद्धि हुई है। ब्रिटेन ने 2012 में 0.3% के प्रति वर्ष 2013 में 1.7% की एक खुशनुमा वृद्धि दर्ज की है। उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) की वृद्धि वर्ष 2012 में 4.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013 में 4.7 प्रतिशत हो गई है। विकसित अर्थव्यवस्था 2012 में 1.4% से गिरकर 2013 में 1.3% हो गई है। यूरो क्षेत्र ने वर्ष 2013 में 0.4% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शायी है।

घरेलू विकास

विश्व की आर्थिक मंदी का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है क्योंकि देश अपने आप को वैश्विक मंदी के परिणामों से बचा नहीं सका जिसका साक्ष्य, मुद्रास्फीति के स्थायित्व, घटती वृद्धि दर, कमजोर कारपोरेट तुलन पत्र, बैंकों की गिरती आस्ति गुणवत्ता, वित्तीय असंतुलन और बाह्य क्षेत्र का असुरक्षित माहौल, है। विनिर्माण क्षेत्र की मंदी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की

DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present the Bank's Directors' Report along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2014 and the Profit & Loss Account statement for the financial year ended 31st March 2014.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro Economic Scenario

Global Perspective

Despite positive signs of recovery, global growth appears to be on a sluggish trail as many of the emerging and developing economies are still struggling to overcome their industrial slowdown. The advanced economies are gradually strengthening, but the growth in emerging market economies are moderated due to weak investment outlook and tighter global financial conditions. Some of the emerging market economies such as Brazil, Indonesia, and India are confronting high inflation and their currencies have also come under severe pressure.

The growing uncertainty in terms of, prolonged political transitions in MENAP (Middle East, North America, Afghanistan and Pakistan), weak external environment, banking sector fragilities, new policy challenges, US tapering of its quantitative easing measures and policy spillovers in major economies are some of the factors which have led to downside risks to global growth prospects. Besides, there is a risk of further bouts of volatility in capital flows. For some economies, there is severe balance of payments disruption. The Euro area growth is still lackluster owing to a pervasive demand slump.

As per the data published by IMF's World Economic Outlook in Jan. 2014, global GDP grew by 3.0% in 2013 as against 3.1 per cent registered in 2012. United States' GDP grew by 1.9% in 2013 as against 2.8% in 2012. UK registered a buoyant growth of 1.7% in 2013 as against 0.3% in 2012. Growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) dropped from 4.9 per cent in 2012 to 4.7 per cent in 2013, advanced economy declined from 1.4% in 2012 to 1.3% in 2013. The Euro area showed a negative growth of 0.4% in 2013.

Domestic Development

The recession of world economy has also been felt on the domestic economy as India could not keep itself isolated from the aftermath impact of global meltdown which is evident by persistence in inflation, falling growth, weaker corporate balance sheet, deteriorating asset quality of the banks, fiscal imbalances and external sector vulnerabilities. The sluggishness of manufacturing sector which has spilled

अर्थव्यवस्था पर पड़ा है जिसने सामान्य तौर पर मजबूत माना जानेवाला सेवा क्षेत्र को भी घेर लिया है।

यद्यपि हाल में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए नीतिगत सुधारों से गिरावट से उबरने में कुछ हद तक सहयोग मिला है, पर आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत वर्ष 2014-15 में दिखने की उम्मीद है।

बुनियादी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम वृद्धि दर के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला 10 बिलियन डॉलर को कम करने के हाल की घोषणा का भी कुछ प्रभाव डॉलर-रुपया विनिमय दर पर पड़ा है। तथापि, भा.रि.बैं. ने अस्थिरता दूर करने के लिए कदम उठाए हैं।

उपर्युक्त परिदृश्य में देश के जी डी पी में वर्ष 2012-13 में दर्ज 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 (तीसरी तिमाही, वि.व. 14) में 4.7% की वृद्धि हुई है।

कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में क्रमश: 1.4%, 1.0% एवं 7.0% की तुलना में 3.6%, (-) 0.7% एवं 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक उत्पादन (आई आई पी) के सूचकांक में समग्र वृद्धि अप्रैल-फरवरी 2012-13 में 0.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2013-14 के दौरान (-) 0.1 प्रतिशत रही।

धन की आपूर्ति पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 13.8 प्रतिशत की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 21 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹95130.5 बिलियन हो गई। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी विनिमय आस्तियां (एन एफ ए) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 21 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹18909.2 बिलियन हो गई।

पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) के लिए औसत डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति दर 5.93 प्रतिशत रही जो वर्ष 2012-13 में इसी अवधि के दौरान 7.35 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय सीपी आई मुद्रास्फीति (एक साथ मिलाकर) मार्च 2013 में 10.39 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 8.31 प्रतिशत हो गई।

बैंकिंग परिदृश्य

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) की कुल जमाराशियाँ 21 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹77394 बिलियन हो गई जिसमें पिछले वर्ष की 14.2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष की उसी अवधि के दौरान 14.6 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) का ऋण 21 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹60131 बिलियन हो गया जिसमें पछिले वर्ष की 14.1 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष की उसी अवधि के दौरान 14.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

over to other sectors of the economy is also taking a toll on the growth of usually resilient service sector.

Though the recent policy reforms undertaken by Government of India and Reserve Bank of India have contributed to some extent in arresting the downturn, the visible signs of improvements in economic conditions are expected to be seen in the year 2014-15.

The measures which have been taken to remove constraints facing the infrastructure sector will be crucial for growth revival. The recent announcement of tapering by US Fed by $ 10 billion may also have some impact on the $ - Rupee exchange rate. However RBI has taken steps to avert the volatility.

Against this backdrop, the country's GDP grew by 4.7% in 2013-14 (Q3, FY'14) as against 4.5% registered in 2012-13.

The growth in agriculture, industry and services was placed at 3.6%, (-) 0.7% and 7.6% respectively as against 1.4%, 1.0% and 7.0% in 2012-13.

Overall growth in the Index of Industrial Production (IIP) was (-) 0.1 per cent during April-February 2013-14 as compared to 0.9 per cent in April- February 2012-13.

The money supply stood at ₹95130.5 billion as at March 21, 2014 registering a y-o-y growth of 13.5 per cent as compared to 13.8 per cent in the corresponding period of the previous year. Net foreign exchange assets (NFA) of Banking Sector grew by 15.3 per cent y-o-y to ₹18909.2 billion as at March 21, 2014 as compared to an increase of 6.9 per cent on the corresponding period of the last year.

The average WPI inflation rate for last 12 months (April 2013 to March 2014) was 5.93 per cent as compared to 7.35 per cent during corresponding period in 2012-13. The all India CPI inflation (combined) has decreased from 10.39 per cent in March 2013 to 8.31 per cent in March 2014.

Banking Scenario

The aggregate deposits with Scheduled Commercial Banks (SCBs) stood at ₹77394 billion as at March 21, 2014 registering a y-o-y growth of 14.6 per cent as compared to 14.2 per cent during the corresponding period of the previous year.

The bank credit with Scheduled Commercial Banks (SCBs) stood at ₹60131 billion as at March 21, 2014 registering a y-o-y growth of 14.3 per cent as compared to 14.1 per cent during the corresponding period of the previous year.

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) का निवेश 21 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹22217 बिलियन हो गया जिसमें 10.7 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

बाह्य क्षेत्र वृद्धि

निर्यात का संचयी मूल्य यू एस डालर के संबंध में अप्रैल-मार्च 2012-13 के यू एस डी 300400.69 मिलियन की जगह अप्रैल-मार्च 2013-14 की अवधि में यू एस डी 312355.45 मिलियन हो गया है जिसमें वर्षानुवर्ष 3.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि आयातों का संचयी मूल्य यू एस डालर के संबंध में अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान यू एस डी 490736.66 मिलियन की जगह अप्रैल-मार्च 2013-14 की अवधि में यू एस डी 450949.04 मिलियन हो गया है और उनमें वर्षानुवर्ष 8.11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

तेल के आयात का मूल्य अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान यू एस डी 167624.6 मिलियन आंका गया जो अप्रैल-मार्च 2012-13 के यू एस डी 164040.6 मिलियन की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है जबकि गैर-तेल आयात का मूल्य अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान यू एस डी 283324.4 मिलियन था जो अप्रैल-मार्च 2012-13 के यू एस डी 326696.1 मिलियन की तुलना में 13.3 प्रतिशत कम था।

व्यापार घाटे का आकलन अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान समग्रत: यू एस डी 138593.59 मिलियन था जो अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान दर्ज किए गए घाटे, यू एस डी 190335.97 मिलियन की तुलना में कम था।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ 29 मार्च 2013 के यू एस डी 292.64 बिलियन की तुलना में 28 मार्च 2014 को यू एस डी 303.67 बिलियन रही। विदेशी मुद्रा आस्तियाँ 29 मार्च 2013 के यू एस डी 259.72 बिलियन की तुलना में 28 मार्च 2014 को यू एस डी 276.40 बिलियन हो गई।

मार्च 2013 की तुलना में मार्च 2014 को रुपये में यू एस डालर, पांउड स्टर्लिंग, जापानी येन तथा यूरों की तुलना में क्रमश: 12.1 प्रतिशत, 23.6 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ।

नई भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी वक्तव्य

एक छोटे से तटीय गांव "उडुपी" से शुरुआत कर बैंक ने अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाते हुए एक लंबी यात्रा तय की है तथा अपनी शाखाओं को दूर-दूर तक फैलाकर ₹3.88 लाख करोड़ से अधिक कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा बैंक बन गया है।

अपनी यात्रा को आगे जारी रखने हेतु, बैंक ने एक दीर्घावधि लक्ष्य तय करने तथा संस्था के महत्व, विचारधारा को समझने एवं भविष्य में अपने कारोबार को नया रूप देनेवाले ताकतों के लिए अपनी नई भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी वक्तव्य बनाया है।

इस प्रकार हमारी भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी वक्तव्य हमारे व्यापार के हर पहलु में दिशानिर्देशक तत्व की तरह कार्य करेगा तथा हमें एक रूपरेखा

Scheduled Commercial Banks (SCBs)' Investment in Govt. and other approved securities stood at ₹22217 billion as at March 21, 2014 registering a y-o-y growth of 10.7 per cent.

External Sector Growth

The cumulative value of Exports for the period April-March 2013-14, in US dollar terms was USD 312355.45 million as against USD 300400.69 million for April-March 2012-13 registering a y-o-y growth of 3.98%. Whereas the cumulative value of Imports for the period April-March 2013-14, in US dollar terms was USD 450949.04 million as against USD 490736.66 million for April-March 2012-13 registering a decline of 8.11% on y-o-y basis.

Oil imports during April-March 2013-14 were valued at USD 167624.6 million which was 2.2 per cent higher than USD 164040.6 million during April-March 2012-13. While non-oil imports during April-March 2013-14 were valued at USD 283324.4 million which was 13.3 per cent lower than USD 326696.1 million during April-March 2012-13.

The trade deficit, in absolute terms, during April-March 2013-14 was estimated at USD 138593.59 million which was lower than the deficit of USD 190335.97 million recorded during April-March 2012-13.

Foreign exchange reserves stood at USD 303.67 billion as at March 28, 2014 as compared to USD 292.64 billion as at March 29, 2013. Foreign Currency Assets stood at USD 276.40 billion as at March 28, 2014 as compared to USD 259.72 billion as at March 29, 2013.

The rupee depreciated by 12.1 per cent against US dollar, 23.6 per cent against Pound sterling, 3.8 per cent against the Japanese yen and 19.5 per cent against euro during March 2014 over March 2013.

NEW VISION & MISSION STATEMENTS

Originating from a small coastal village 'Udupi", Bank has traversed a long journey digging its roots deeper and deeper and spreading its branches farther & wider to be known as a Large Public Sector Bank with business of over ₹3.89 lakh crore.

To continue its tradition forward, Bank has come up with a new Vision & Mission Statement for creating a long-term destination and values for the organisation, understanding the trends and forces that will shape our business in the future.

Our Vision & Mission Statement, thus, serves as a guiding force in each and every aspects of our business providing

प्रदान करेगा कि हमें अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना है और कैसे करना है।

हमारी भविष्यदृष्टि

"ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त-सक्षम वैश्विक बैंक बनना"

हमारा लक्ष्य

1. **समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।**
   ए) नवोन्मेषी, आवश्यकता-आधारित एवं सुगम्य बैंक-उत्पाद सहित वित्तीय सुपर बाजार बनना।
   बी) उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी दर्ज करते हुए वित्तीय मानदंडों सहित भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के 5 शीर्ष बैंकों में अपना स्थान बनाना।
   सी) सामाजिक जिम्मेदार बैंक बनते हुए वित्तीय समावेशन में आगे रहना।

2. **अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अति मान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।**
   ए) पूर्ण उत्पाद ज्ञान के साथ प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ सेवा प्रदान करने का जुनून
   बी) ग्राहकों के सभी मामलों के समाधान के लिए एकल संपर्क केंद्र
   सी) त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण

3. **अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहां कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरणा महसूस करें।**
   ए) सही जगह पर सही व्यक्ति, के सिद्धांत पर युवा, चुस्त एवं अभिप्रेरित कार्यबल
   बी) भर्ती, प्रशिक्षण, प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना आदि सहित उच्च कोटी की मानव संसाधन पहल
   सी) सभी प्रकार के पहलों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त मानव संसाधन प्रबंधन के लिए सुपरिभाषित एवं पारदर्शी मानव संसाधन नीति।

4. **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों के लिए सुखद माहौल तैयार करना।**
   ए) समय बचाने वाला अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का नेटवर्क
   बी) कागजरहित बैंकिंग परिवेश, अधिकाधिक प्रयोक्ता अनुकूल डिजिटल चैनल
   सी) शाखाओं में श्रेष्ठ बुनियादी सुविधा एवं आरामदायक परिवेश

5. **सशक्त वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन**
   ए) ₹10 लाख करोड़वाला कारोबारी आकार, 5000 शाखाएं, 8000 एटीएम और निवल अनर्जक आस्ति 1% से कम
   बी) ₹10,000 करोड़ से अधिक परिचालनगत लाभ तथा लगातार उच्च लाभांश की अदायगी।

us detailed roadmap in terms of –'what to do and how to do' for reaching our preferred destination.

Vision:

"Be a leading financially strong universal bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Mission

1. **Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society**
   a) Financial Supermarket with innovative, tailor made & flexible Bank products
   b) Among top 5 PSBs in India on financial metrics with significant international presence
   c) Be a socially responsible Bank and leader in financial inclusion

2. **Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service**
   a) Passion to deliver excellent service at front desk with full product knowledge
   b) Single point of contact solution for all customer issues
   c) Quick and efficient grievances redressal

3. **Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated**
   a) Young, energetic and motivated workforce with right person at the right place
   b) Best in class HR initiatives including recruitment, training, talent management, succession planning etc.,
   c) Well defined and transparent HR Policy, robust HRM for implementation of all initiatives.

4. **Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders**
   a) State of the art network infrastructure with zero downtime.
   b) Paperless banking environment, most user friendly digital channels
   c) Excellent infrastructure and ambience at branches

5. **To Deliver strong financial and operational performance**
   a) Business size of ₹10 lac crores, 5000 branches, 8000 ATMs and Net NPA < 1%
   b) Operating profit of > ₹10000 crores, Consistently high dividend payout.

वर्ष 2013-14 के लिए कॉरपोरेट कार्यनीति

कारोबारी चुनौतियों पर सफलता पाते हुए एवं आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों को समझते हुए अधिक जोश एवं शक्ति के साथ अपने कॉरपोरेट लक्ष्य को पाने हेतु लगातार श्रेष्ठ निष्पादन दर्शाने के उद्देश्य से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अपने कॉरपोरेट कार्यनीति के रूप में **"POTENTIAL"** को अपनाया है, जिसका विस्तार इस प्रकार है :

कारोबार लक्ष्य हासिल करें
संसाधनों को सुव्यवस्थित करें
सामूहिक कार्य करें
कार्यक्षमता को बढ़ाएं
विपणन संस्कृति को विकसित करें
समय का सदुपयोग करें
प्रतिस्पर्धा में नवोन्मेषता लाएँ
सकारात्मक प्रवृति अपनाएं
परिस्थितियों का फायदा उठाएं

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

पूँजी एवं आरक्षित निधि

31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹3000 करोड़ हो गई तथा प्रदत्त पूँजी ₹624.58 करोड़ हो गई (प्रति शेयर ₹10 की दर से 624584631 ईक्विटी शेयर)।

बैंक की प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष 12.88 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2012-13 के ₹9939.39 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹11219.61 करोड़ हो गए।

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर) 31 मार्च 2013 के ₹9296 करोड़ से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करते हुए 31 मार्च 2014 को ₹10663 करोड़ हो गई है।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए 30 प्रतिशत अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। यह जनवरी 2014 में प्रदत्त 25 प्रतिशत अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इस प्रकार पूरे वर्ष के लिए कुल लाभांश 55 प्रतिशत है। लाभांश के रूप में कुल व्यय पिछले वर्ष के ₹471.85 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में ₹401.91 करोड़ रहा।

कारोबार वृद्धि

बैंक का वैश्विक कारोबार, वर्ष 2012-13 के ₹ 334779 करोड़ की जगह 2013-14 में 16.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹388584 करोड़ हो गया है जबकि बैंक के घरेलू कारोबार में 13.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2012-13 के ₹291337 करोड़ से बढकर 2013-14 में ₹330701 करोड़ हो गया है।

CORPORATE STRATEGY FOR 2013-14

In order to deliver consistently superior performance by overcoming business challenges, understanding industry trends and to pursue its corporate goal with more vigour and strength, Bank had opted "**POTENTIAL**" as its corporate strategy for the financial year 2013-14 which signifies as under:

Pursue Business Goals
Organising Resources
Team Work
Efficiency Enhancement
Nurture Sales Culture
Turn Around Time Reduction
Innovate to Compete
Articulate Positive Attitude
Leverage Opportunities

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2013-14

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3000 crore and the paid-up capital ₹624.58 crore (624584631 equity shares of ₹10 each) during the financial year ended at 31.03.2014.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹9939.39 crore in 2012-13 to ₹11219.61crore in 2013-14 registering a y-o-y growth of 12.88 per cent over the previous year.

Net worth

Tangible Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) improved significantly from ₹9296 crore as at March 31, 2013 to ₹10663 crore as at March 31, 2014.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has proposed a Final Dividend of 30 per cent for the year ended March 2014. This is in addition to an Interim Dividend of 25 per cent paid in January 2014. For the whole year, the Total Dividend is 55%. The total outgo in the form of dividend (inclusive of dividend tax) during the year 2013-14 was ₹401.91crore as against ₹471.85 crore of the previous year.

Business Growth

The global business of the Bank grew by 16.07 per cent from ₹334779 crore in 2012-13 to ₹388584 crore in 2013-14, whereas, Bank's domestic business rose by 13.51 per cent from ₹291337 crore in 2012-13 to ₹330701 crore in 2013-14.

जमा संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 14.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2012-13 के ₹185356 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में ₹212343 करोड़ दर्ज की गई। इसी प्रकार, बैंक की घरेलू जमाराशियाँ वर्ष 2012-13 के ₹167055 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹186966 करोड़ दर्ज की गई ।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ वर्ष 2012-13 के ₹51926 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 के दौरान 7.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹55911 करोड़ हो गई। 31-03-2014 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा का प्रतिशत 29.90 रहा ।

ऋण अभिनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम वर्ष 2012-13 के ₹149423 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹176241 करोड़ दर्ज़ किया गया। घरेलू अग्रिम वर्ष 2012-13 के ₹124282 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹143735 करोड़ दर्ज़ किया गया। इसी प्रकार, पिछले वर्ष के 80.61 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान वैश्विक ऋण जमा अनुपात 83.00 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष 2012-13 के ₹46437 करोड़ से बढ़कर 2013-14 के दौरान ₹52016 करोड़ हो गया जो ए.एन.बी.सी. का 43.19 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम वर्ष 2012-13 के ₹16018 करोड़ से बढ़कर 2013-14 के दौरान ₹18807 करोड़ हो गया जो ए.एन.बी.सी. का 15.62 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 13.50 प्रतिशत है।

एम.एस.ई. अग्रिम, वर्ष 2012-13 के ₹15074 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 24.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹18697 करोड़ दर्ज़ किया गया।

एम.एस.एम.ई. अग्रिम, वर्ष 2012-13 के ₹16428 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 20.52 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹19800 करोड़ दर्ज़ किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2012-13 के ₹ 3449.58 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 3.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹3562.95 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

बैंक का निवल लाभ वर्ष 2012-13 के ₹2004.42 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 के दौरान 14.62 प्रतिशत घटकर ₹1711.46 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

कर्मचारी उत्पादकता

31मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी करोबार ₹12.57 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹14.30 करोड़ दर्ज़ किया गया। प्रति कर्मचारी लाभ 31 मार्च 2013 के ₹8.11 लाख की तुलना में 31 मार्च 2014 को ₹6.83 लाख दर्ज़ किया गया।

Deposit Mobilization

Global deposits of the Bank grew by 14.56 per cent from ₹185356 crore in 2012-13 to ₹212343 crore in 2013-14. Domestic deposits grew by 11.92 per cent from ₹167055 crore in 2012-13 to ₹186966 crore in 2013-14.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹51926 crore in 2012-13 to ₹55911 crore in 2013-14, registering a growth of 7.67 per cent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 29.90 per cent as at 31.03.2014.

Credit Deployment

The Bank's global advances rose from ₹149423 crore in 2012-13 to ₹176241 crore in 2013-14 registering a growth of 17.95 per cent. Domestic advances grew by 15.65 per cent from ₹124282 crore in 2012-13 to ₹143735 crore in 2013-14. The global credit deposit ratio stood at 83.00 per cent in 2013-14 as compared to 80.61 per cent of the last year.

Priority Sector Advances increased from ₹46437 crore in 2012-13 to ₹52016 crore in 2013-14 forming 43.19 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Direct Agriculture Advances increased from ₹16018 crore in 2012-13 to ₹18807 crore in 2013-14 forming 15.62 per cent of ANBC as against mandatory level of 13.50 per cent.

MSE Advances increased from ₹15074 crore in 2012-13 to ₹18697 crore in 2013-14 registering a growth of 24.03 per cent.

MSME Advances increased from ₹16428 crore in 2012-13 to ₹19800 crore in 2013-14 registering a growth of 20.52 per cent.

Profitability

The Bank has registered an increase of 3.29 per cent in Operating profit from ₹3449.59 crore in 2012-13 to ₹3562.95 crore in 2013-14.

Net profit of the Bank declined by 14.62 per cent from ₹2004.42 crore in 2012-13 to ₹1711.46 crore in 2013-14.

Employees' Productivity

Business per employee of the Bank improved from ₹12.57 crore as at March 31, 2013 to ₹14.30 crore as at March 31, 2014. Profit per employee stood at ₹6.83 lakh as at March 31, 2014 as compared to ₹8.11 lakh as at March 31, 2013.

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय वर्ष 2012-13 के ₹18295.05 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 9.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹19945.21 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की ब्याजी आय वर्ष 2012-13 के ₹17120.69 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 8.76 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹18620.33 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय वर्ष 2012-13 के ₹1174.36 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 12.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1324.88 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज वर्ष 2012-13 के ₹11666.63 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 12.12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹13080.51 करोड़ हो गया।

बैंक का परिचालन व्यय 2012-13 के ₹3178.83 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹3301.75 करोड़ हो गया।

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) आस्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष 2012-13 के 1.07 प्रतिशत के स्थान पर 2013-14 में 0.78 प्रतिशत हो गया है।

बी) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) वर्ष 2012-13 के 3.19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.79 प्रतिशत हो गया है।

सी) अग्रिमों पर अर्जन वर्ष 2012-13 के 10.51 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 9.59 प्रतिशत हो गया है।

डी) बैंक की जमाराशियों की लागत वर्ष 2012-13 के 6.83 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 6.56 प्रतिशत हो गई है।

ई) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) वर्ष 2012-13 के ₹33.30 की तुलना में वर्ष 2013-14 में ₹28.21 हो गया है।

एफ) बैंक का प्रतिशेयर बही मूल्य वर्ष 2012-13 के ₹175.12 की तुलना में वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹189.63 हो गया है।

जी) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ वर्ष 2012-13 के 0.76 प्रतिशत की जगह वर्ष 2013-14 में 1.56 प्रतिशत हो गई हैं।

एच) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ वर्ष 2012-13 के 1.99 प्रतिशत की जगह वर्ष 2013-14 में 2.62 प्रतिशत हो गई हैं।

आई) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रोविजन कवरेज अनुपात 31 मार्च 2013 के 83.41 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2014 को 70.02 प्रतिशत हो गया है।

जे) बासेल II के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी आर ए आर) वर्ष 2012-13 के 12.59 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 12.01 प्रतिशत हो गया है। बासेल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी आर ए आर) 31.03.2014 को 11.41 प्रतिशत हो गया है।

के) ईक्विटी शेयरों पर लाभांश वर्ष 2012-13 के 67 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 55 प्रतिशत हो गया है।

Income & Expenditure

The Bank's total income rose by 9.02 per cent from ₹18295.05 crore in 2012-13 to ₹19945.21 crore in 2013-14.

The Bank's interest income rose by 8.76 per cent from ₹17120.69 crore in 2012-13 to ₹18620.33 crore in 2013-14.

The non-interest income of the Bank improved by 12.82 per cent from ₹1174.36 crore in 2012-13 to ₹1324.88 crore in 2013-14.

The Interest expenditure of the Bank increased by 12.12 per cent from ₹11666.63 crore in 2012-13 to ₹13080.51 crore in 2013-14.

Operating expenditure of the Bank increased by 3.87 per cent from ₹3178.83 crore in 2012-13 to ₹3301.75 crore in 2013-14.

Important Financial Ratios

a) The Return on Assets stood at 0.78 per cent in 2013-14 as compared to 1.07 per cent in 2012-13.

b) The Bank's Net Interest Margin (NIM) stood at 2.79 per cent in 2013-14 as compared to 3.19 per cent in 2012-13.

c) The yield on advances of the Bank stood at 9.59 per cent in 2013-14 as compared to 10.51 per cent in 2012-13.

d) The cost of deposits of the Bank stood at 6.56 per cent in 2013-14 as compared to 6.83.per cent in 2012-13.

e) The Earning Per Share (EPS) of the Bank stood at ₹28.21 in 2013-14 as compared to ₹33.30 in 2012-13.

f) The Book Value per share of the Bank improved from ₹175.12 in 2012-13 to ₹189.63 in 2013-14.

g) Net NPA percentage to net advances stood at 1.56 per cent in 2013-14 as compared to 0.76 per cent in 2012-13.

h) Gross NPA percentage to Gross Advances stood at 2.62 per cent in 2013-14 as compared to 1.99 per cent in 2012-13.

i) NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 70.02 per cent as at March 31, 2014 as compared to 83.41per cent as at March 31, 2013.

j) The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel II stood at 12.01 per cent in 2013-14 as compared to 12.59 per cent in 2012-13. The Capital Adequacy Ratio (CRAR), as per Basel III stood at 11.41per cent as at 31.03.2014

k) Dividend on equity shares stood at 55 per cent in 2013-14 as compared to 67 per cent in 2012-13.

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 317 भौतिक शाखाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ा है जिससे 31.03.2014 तक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या (लंदन शाखा सहित) 3251 हो गई। इसमें 78 शाखाएँ बैंकिंग से जुड रहे जिलों में तथा 63 शाखाएँ बैंकिंग में अल्पसंख्यक जिलों में हैं।

वर्ष के दौरान उपरोक्त में से 8 शाखाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खोले गए। बैंक ने दमन में एक शाखा खोलकर भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रान्तों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। साथ ही, वर्ष के दौरान बैंक ने कई जगह मिड-कारपोरेट शाखाएँ भी खोले हैं। बैंकने माकुपुरा, अजमेर में एक महिला शाखा खोला है जिससे बैंक की कुल महिला-शाखाएं बढ़कर चार हो गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंके के दिशा-निदेशानुसार बैंक को अपनी 25% शाखाएँ, 5-6 टीयर की बैंकिंग सुविधा-रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोलना है। 31.3.2014 की स्थिति में, बैंक को ऐसे केंन्दों में 10 और शाखाएँ खोलने थे। इस कमी को अगले वित्तीय वर्ष (2014-15) के दौरान पूरा कर किया जाएगा ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निदेशों का अनुपालन हो सके।

देशी शाखा नेटवर्क में 1032 ग्रामीण शाखाएँ, 856 अर्ध-शहरी शाखाएँ, 704 शहरी शाखाएँ तथा 658 महानगरीय एवं पोर्ट-टॉउन शाखाएँ शामिल हैं। 31.03.2014 तक लगाए गए कुल ए.टी.एम. की संख्या बढ़कर 1946 हो गई।

पिछले वर्ष के 32 मिलियन ग्राहक आधार के मुकाबले 31 मार्च 2014 में यह 5.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए 33.9 मिलियन हो गया।

खुदरा उधार

खुदरा उधार, बैंक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में बैंक की खुदरा उधार-राशि ₹20925.92 करोड पर पहुँच चुकी है। बकाया आवास ऋण (प्रत्यक्ष) की राशि बढकर ₹9713.62 करोड हो गई जो बैंक के कुल खुदरा उधार संविभाग का 46.42 प्रतिशत है। बैंक वर्षों से, होनहार विद्यार्थियों को भारत में और विदेशों मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक के शैक्षिक ऋण संविभाग की ऋण राशि बढकर ₹2768.24 करोड हो गई, जो बैंक के कुल खुदरा ऋण संविभाग का 13.23 प्रतिशत है। मार्च 2014 की स्थिति में बैंक ने, 1.16 लाख विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

वर्ष केदौरान बैंक ने, खुदरा ऋण में बढोत्तरी लाने हेतु अनेक उपाय किया है। वर्तमान एवं नए आवास ऋण उधारकर्ताओं, दोनों के मामले में उनके द्वारा लिए गए ऋण राशि को ध्यान दिए बिना मूल दर के आधार पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की गई। वर्ष के दौरान बेंक ने, आवास ऋण प्रस्तावों को जुटाने के लिए अनुमोदित भवन निर्माणकर्ताओं को और चौपाहिया वाहनों से संबंधित ऋण प्रस्ताओं को जुटाने के लिए चौपाहिया वाहनों के डीलरों और उनके सेल्स क्सिक्यूटिव को सेवा प्रभार अदा करने की योजना शुरू की है। आभूषण ऋण पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया और प्राथमिकता

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year the Bank has added 317 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) stood at 3251 as on 31.03.2014. These include 78 branches in under banked Districts and 63 branches in minority concentration Districts.

Out of the above, 8 branches are opened in the North Eastern Part of India during the year. Bank opened a branch in Daman and with this Bank has presence in all the States & Union territories of India. Bank also opened Mid corporate branches during the year. Bank opened one all women branch at Makupura, Ajmer. With this the total number of all women branch comes to 4.

As per RBI guidelines, Banks are required to open 25% of the new branches at rural unbanked tier 5-6 centres. As on 31.3.2014, there is a shortfall of 10. These shortfalls will be made good within the next financial year (2014-15) to comply with RBI guidelines.

The domestic branch network consisted of 1032 rural branches, 856 semi-urban branches, 704 urban branches, 658 metro & port town branches. ATMs installed reached to 1946 as at 31.03.2014.

The bank has a customer base of 33.9 million as at March 31, 2014 as against 32 million at the end of the previous fiscal, registering a growth of 5.62 per cent.

RETAIL LENDING

Retail lending continued to be the thrust area of the Bank. Outstanding retail lending of the Bank reached ₹20925.92 crore as at March 2014. The outstanding housing loans (direct) increased to ₹9713.62 Crore, constituting 46.42% of the total retail lending portfolio of the Bank. Over the years, the Bank has supported promising student to purse higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹2768.24 crore, constituting 13.23% of the total retail lending portfolio of the Bank. The Bank financed more than 1.16 lakh students as at March 2014.

The Bank took several measures during the year to expand retail credit. Uniform Rate of Interest at Base Rate was fixed irrespective of the loan amount in respect of both existing and new housing loan borrowers. Schemes for payment of service charges to the approved builders for sourcing housing loan proposals and Four Wheeler Dealers and their sales executives for sourcing four wheeler loan proposals were launched by the Bank during the year. Rate of interest on Gold loans was rationalized and made uniform to both priority and non-priority gold loans. Tie-ups with leading car manufacturing companies were renewed to boost

प्राप्त एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त आभूषण ऋण, दोनों के लिए एक समान ब्याज दर निर्धारित की गई। वाहन ऋण अग्रिमों में वृद्धि लाने के लिए प्रमुख कार बनाने वाली कंपनियों के साथ गठजोड व्यवस्था का नवीकरण किया गया। शैक्षिक ऋण प्रस्तावों को जुटाने के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं के साथ गठजोड की गई। बैंक ने प्रमुख सरकारी उपक्रम/बहुराष्ट्रीय कंपनी/सरकारी विभागों के कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर में ऋण प्रदान करने हेतु उन संस्थाओं के साथ गठजोड किया। वर्ष के दौरान, वाहन ऋणों पर ब्याज दर और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए दिए गए ऋणों की ब्याज दरों को घटाया गया। बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवास ऋणों और वाहन ऋणों की प्रक्रिया प्रभारों को घटाया गया। किराए पर प्राप्य राशि के प्रति ऋण खंड के अंतर्गत कारोबार जुटाने के लिए इस ऋण की ब्याज दर को घटाया गया। बैंक की ब्रांड छवि का निर्माण करने और अत्यधिक कारोबार जुटाने के लिए बैंक ने, वर्ष के दौरान कार-डीलरों और भवननिर्माणकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करने के अलावा ऋणों और शैक्षिक ऋणों पर विभिन्न प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

गुणवत्तापूर्ण आवास ऋण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने आवास ऋण प्रदान करने हेतु अनुमोदित भवननिर्माणकर्ताओं की मदद ली। बैंक ने, देश भर में बडी संख्या में प्रतिष्ठित भवननिर्माणकर्ताओं को चिन्हित किया है और आवास ऋण संविभाग में गति लाने के लिए उन्हें अनुमोदित किया है। देश भर में स्थित, बैंक के 17 केंद्रीय संसाधन केंद्र (सी पी सी एम), आवास ऋण की त्वरित निपटान के लिए कार्यरत हैं। बैंक ने, नए कारोबार जुटाने के लिए दुगना प्रयास करने हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय संसाधन केंद्रों में प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की है। आभूषण ऋण कारोबार जुटाने में स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजनाएँ बनाई गई हैं।

नैगम ऋण विभाग

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की देखरेख में गठित ऋण अनुमोदन समिति (टीएर I) ने मंजूरी अधिकार को बढ़ाकर ऋण के मामले में ₹400 करोड़ तथा वसूली प्रस्ताव के मामले में ₹400 लाख कर दिया है।

नैगम कार्यालय के कार्यकारी निदेशक के देखरेख में गठित ऋण अनुमोदन समिति (टीएर II) 75 करोड़ तक के ऋण निपटान तथा 75 लाख ₹ तक के वसूली के प्रस्ताव का निपटान कर सकती है।

महाप्रबंधकों की देखरेख में गठित ऋण अनुमोदन समिति (टीयर III) के मंजूरी अधिकार को बढ़ाकर ऋण के मामले में ₹50 करोड़ और वसूली प्रस्ताव के मामले में 45 लाख कर दिया है।

मिड कारपोरेट विभाग

कारपोरेट कार्यालय का मिड कारपोरेट विभाग ₹100 करोड़ तक के प्रस्तावों को देख रहा है। पूरे देश में 68 शाखाओं को मिड कारपोरेट शाखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। 31-03-2014 की स्थिति में इन शाखाओं का बकाया अग्रिम ₹14240 करोड़ है। देश के प्रमुख शहरों में मिड कारपोरेट

vehicle loan advances. Tie-ups with premier educational institutions were executed to mobilize education loan proposals. The Bank also took steps to have tie-ups with leading PSUs/MNCs/Govt Departments for extending loans to their employees at concessional rates of interest. The rates of Interest on vehicles loans and loans for purchase of consumer durables were slashed down during the year. The processing charges on housing loans and vehicle loans were also reduced to compete in the market. The rate of interest on loans against the rent receivables was also reduced to mobilize business under this segment. The Bank actively participated in various Exhibitions /Expos on housing loans and education loans, besides holding meets of car dealers and builders during the year to build brand image of the Bank and to mobilize substantial business.

In order to ensure quality housing loan portfolio, the Bank adopted approved builders' route to extend housing loans. The Bank also identified large number of reputed builders across the country and approved them to boost housing loan portfolio. The Bank has 17 Central Processing Centers (CPCs) for expeditious disposal of housing loan proposals across the country. The Bank also launched incentive schemes to the branches/regional offices and central processing centers to encourage the staff to re-double their efforts in canvassing new business. The Bank also launched incentive scheme to the branches and regional offices to encourage the staff to mobilize gold loan business.

CORPORATE CREDIT DEPARTMENT

Delegated sanctioning powers of Credit Approval Committee (Tier I) (Committee headed by the Chairman & Managing Director) has been increased to ₹400 crore for credit and ₹400 lakh in respect of recovery proposals.

Credit Approval Committee (Tier II) has been constituted headed by Executive Director at Corporate office to dispose of credit upto ₹75 crore and recovery involving sacrifice of ₹75 lakh for speedy disposal of the proposals.

Delegated sanctioning powers of Credit Approval Committee (Tier III) (Committee headed by the General Managers) has been increased to ₹50 crore for credit and ₹45 lakh in respect of recovery proposals.

MID CORPORATE DEPARTMENT

Mid Corporate Department at Corporate office is handling proposals between ₹35 crore to ₹100 crore, including Commercial Real Estate, MFIs, Infrastructure, New Business group. 68 branches were designated as Mid Corporate branches across the country, these branches are having advances outstanding of ₹14240 crore as on 31.3.2014.

ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 30 विशिष्ट मिड कारपोरेट शाखाएं खोलने की योजना है।

बैंक को, 2014-15 में इन शाखाओं से ₹5000 करोड़ को वृद्धिशील कारोबार की अपेक्षा है। इन शाखाओं में सहायक महा प्रबन्धक स्तर तक के प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को रखा जाएगा और केवल उच्च मूल्य के ऋण वृद्धि पर ध्यान दिया जाएगा और यहां कोई खुदरा व्यवसाय नहीं होगा।

प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं संघटन कक्ष

₹50 करोड़ या अधिक की परियोजनावाले मीयाद ऋण प्रस्तावों तथा ₹25 करोड़ या अधिक को बैंक वित्तीयन के टीईवी अध्ययन/आईएम अध्ययन और जांच करने के लिए प्रोजेक्ट मूल्यांकन कक्ष गठित किया गया है। इस शुरुआत से ऋण प्रस्तावों में लगनेवाली अवधि कम हो जाएगी और इस तरह की सेवाएँ हमारी शाखाओं को अल्प सूचना पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

संघटन के तहत ऋण प्रदान करने के लिए उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक संघटन कक्ष की स्थापना की गई है । यह बैंक के लिए शुल्क आधारित आय बढ़ाने वाली पहल है तथा इससे उच्च गुणवत्ता वाली उच्च मूल्य की प्राप्य आस्तियाँ तैयार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे बैंक के एन आइ एम में भी सुधार होगा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

(रकम ₹ करोड़ में)

मानदंड	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	**41383**	**46437**	**52016**
कुल कृषि	17409	20156	22071
उनमें से:			
प्रत्यक्ष	13585	16018	18807
परोक्ष	3824	4138	3264
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	13360	15074	18697
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	10614	11207	11248
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम	3284	3712	4243
कमजोर वर्ग को अग्रिम	11034	11918	12758
महिलाओं को अग्रिम	7344	8245	8981
अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम	6609	7601	8308

Bank is planning to open 30 Specialized Mid Corporate branches in key cities of the country to have a focused attention to the Mid Corporate Clientele.

Bank is expecting incremental business of ₹5000 crore from these new branches for 2014-15. These Specialized branches will be posted with trained and experienced people up to the cadre of Asst. General Manager and will focus only high value credit growth and no retail business will be entertained.

PROJECT APPRAISAL & SYNDICATION CELL

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation/ vetting of TEV study/IM study in respect of term loan proposals involving project of ₹50 crore and above, with Bank finance of ₹25 crore and above. This initiative will reduce the turn around time (TAT) for credit proposals as well as providing such services to our branches at a short notice.

A Syndication Cell has been constituted headed by a Dy.General Manager for arranging loans under syndication. This initiative will increase the fee based income for the Bank and also will help in creating quality high value high yielding assets for the bank and also for improving the NIM of the Bank.

PRIORITY SECTOR CREDIT

(Amount ₹in crores)

Parameters	March-12	March-13	March-14
Priority Sector Advances	**41383**	**46437**	**52016**
Total Agriculture	17409	20156	22071
Of which:			
Direct	13585	16018	18807
Indirect	3824	4138	3264
Micro & Small Enterprises	13360	15074	18697
Other PSA	10614	11207	11248
Advances to SC/ST	3284	3712	4243
Weaker Section advances	11034	11918	12758
Advances to Women	7344	8245	8981
Advances to Minority Communities	6609	7601	8308

राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति (एएनबीसी की तुलना में %)				
क्षेत्र	अधिदेशी अपेक्षाएँ	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	40%	45.21	44.62	43.19
उनमें से :				
कुल कृषि	18%	19.02	19.37	18.33
प्रत्यक्ष कृषि	13.5%	14.84	15.39	15.62
कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	12.06	11.46	10.60
महिलाओं को अग्रिम	5%	8.03	7.93	7.46
अल्पसंख्यकों को अग्रिम (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम की तुलना में %)	15%	15.97	16.37	15.98

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एस के सी सी)

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने **1.40** लाख सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार अब तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या, नवीकरणों को छोड़कर 16.25 लाख हो गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹ **11014.11** करोड़ हैं। मार्च 2014 की स्थिति में, **116903** नियमित एस.के.सी.सी. खातों के तहत रुपे किसान कार्ड भी जारी किए गए हैं ।

मार्च 2014 तक, वर्ष के दौरान सिंडिकेट किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, बैंक ने 158 कार्ड जारी किए हैं, जिनकी कुल ऋण सीमा **₹1.97 करोड़** है। यह योजना आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण प्रदान करने के साथ-साथ झंझट रहित निवेश ऋण प्रदान करती है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

मार्च 2014 तक, सरकार द्वारा प्रायोजित एवं डी.आर.आई. योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों को बकाया अग्रिम

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	बकाया शेष		उनमें अ.जा./अ.ज.जा.		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाता	रकम	
पीएमआरवाई	6446	49.66	1059	7.08	16.43
पीएमईजीपी	1941	63.95	998	8.80	51.42
एसजीएसवाई	8335	60.47	1820	10.13	21.84
एसजेएसआरवाई	6993	49.37	1203	6.06	17.20
एसआरएमएस	278	1.38	124	0.45	44.60
डीआरआई	3671	8.96	1579	3.92	43.02

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम :

अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम **मार्च 2013 के ₹ 7601 करोड़** से बढ़कर **मार्च 2014 को ₹ 8308 करोड़** हो गए, जिसमें **वर्ष 2013-14 के दौरान 9% की वृद्धि** दर्ज की गई । भारत सरकार के निदेशों के अनुसार,

Achievement of national Goals (% to ANBC)				
Area/Sector	Mandatory Requirement	March-12	March-13	March-14
Priority Sector Credit	40%	45.21	44.62	43.19
Of which :				
Total Agriculture	18%	19.02	19.37	18.33
Direct Agriculture	13.5%	14.84	15.39	15.62
Weaker section Advances	10%	12.06	11.46	10.60
Credit to Women	5%	8.03	7.93	7.46
Credit to Minorities (% to PSA)	15%	15.97	16.37	15.98

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC):

The Bank has issued **1.40 lakh** Syndicate Kisan Credit Cards during the year 2013-14. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards issued so far up to March 2014, excluding the renewals, is **16.25 lakh** with a total credit limit of **₹11014.11 crore**. As at March 2014, Rupay Kisan Cards have been issued in case of **116903** operative SKCC A/cs.

Under Syndicate Kisan Samrudhi Credit Card Scheme, the Bank has issued 158 cards with a credit limit of **₹1.97 crore** during the year up to March 2014, which provides hassle free investment credit in addition to need based short-term credit.

Government Sponsored Schemes:

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI Scheme as on March 2014

(Amount ₹in crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMRY	6446	49.66	1059	7.08	16.43
PMEGP	1941	63.95	998	8.80	51.42
SGSY	8335	60.47	1820	10.13	21.84
SJSRY	6993	49.37	1203	6.06	17.20
SRMS	278	1.38	124	0.45	44.60
DRI	3671	8.96	1579	3.92	43.02

Advances to Minorities:

The advances to Minorities rose from **₹7601 crore as at March 2013** to ₹8308 **crore as at March 2014,** registering a **growth of 9% during the year 2013-14**. As per GOI directives, Priority Sector Loans extended to

जैन समुदाय को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम की परिगणना में शामिल किया गया है । अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने और **अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम** के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशों इत्यादि से संबंधित जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2010 के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए विशेष ब्याज योजना की शुरुआत की थी और यह वर्ष 2013-14 के दौरान भी जारी है।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कमज़ोर वर्ग को दिए गए अग्रिमों के विभिन्न घटक:

(रकम ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया राशि
लघु एवं सीमांत कृषक, कृषि मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार	6681.61
कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	45.29
अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारी	3076.49
डीआरआई ऋण	8.96
एसएचजी/जेएलजी अग्रिम	1809.59
अनियमित क्षेत्र का ऋण चुकाने के लिए विपदग्रस्त गरीबों को अग्रिम	57.28
₹50,000 तक के व्यक्तिगत महिला हिताधिकारियों को अग्रिम	1078.86
कुल	**12758.08**

वर्ष के दौरान नई पहल एवं अन्य विकास :

- दिनांक 01.12.2013 से 28.02.2014 तक कृषि ऋण पर विशेष अभियान चलाया गया और उच्चतम 3 स्थान प्राप्त करनेवाले क्षेत्रों को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र से नवाजा गया ।
- कृषि अग्रिम के अंतर्गत प्रस्तावों को जुटाने के लिए सभी क्षेत्रों में ऋण कैम्पों का आयोजन किया गया ।
- बैंक ने मार्च 2014 सहित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, कुल कृषि, प्रत्यक्ष कृषि, कमजोर वर्ग को अग्रिम, महिला हिताधिकारियों को अग्रिम और अल्पसंख्यकों को अग्रिम के अंतर्गत सभी अधिदेशी लक्ष्यों को हासिल किया है ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन ₹ **5798.13 करोड़** का फसल उत्पादन ऋण प्रदान करके **714.35 लाख किसानों** को लाभ पहुँचाया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ब्याज दर में 2% का अनुदान देकर **₹54.27 करोड़** और समय पर अदायगी के लिए 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देकर **₹9.75 करोड़** का लाभ पहुँचाया है और इस प्रकार पात्र किसानों को 4% की प्रभावी दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है । भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना वर्ष 2013-14 में भी जारी रही ।

Jain Community were included for computing Minority Sector Advance.The information pertaining to credit flow to Minority communities and status on implementation of **Prime Minister's 15 point programme for Minorities** and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest scheme was introduced by the Bank during 2010 for the benefit of Minority Community under Priority Sector lending, and the same is continued during 2013-14.

Various components of Advances to Weaker Sections as at 31.03.2014:

(Amount ₹in crores)

Sectors	Outstanding
Small & Marginal Farmers, Agri. Labourers,Tenant Farmers and share croppers	6681.61
Artisans, Village and Cottage Industries	45.29
SC/ST Beneficiaries	3076.49
DRI Loans	8.96
SHG/JLG Advances	1809.59
Advances to Distressed Poor to repay debt to informal sector	57.28
Advances to Individual Women beneficiaries up to ₹50,000	1078.86
TOTAL	**12758.08**

New Initiatives and other developments during the year:

- Special Campaign on Agricultural Credit was held from 01.12.2013 to 28.02.2014 and Regions which have secured top 3 places were recognized with Trophies and Certificates.
- Credit Camps were organized in all the Regions for canvassing proposals under Agricultural Advances.
- The Bank has achieved all the mandatory targets under Priority Sector Credit, Total Agriculture, Direct Agriculture, Weaker Section Advances, Credit Women Beneficiaries and credit to Minorities for the last 3 financial years including March 2014.
- The Bank has extended crop production credit of **₹5798.13 crore** benefitting **7.14 lakh farmers** during 2012-13 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The bank has extended the interest subvention benefit @2% to the tune of **₹54.27 crore** and **₹9.75 crore** as additional incentive subvention @ 3% for timely payment during 2012-13 and making the eligible farmer derive credit at the effective rate of 4%. The Interest Subvention scheme of Govt of India is continued during 2013-14 also.

- वर्ष 2013-14 के दौरान **35873 नए स्व सहायता समूहों** को ऋण सुविधा से जोडा गया तथा **₹1267.45 करोड़ की ऋण सहायता** प्रदान की गई है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, स्व सहायता समूहों का बकाया अग्रिम 90875 खातों में **₹1799.58 करोड़** था। इसके अतिरिक्त, 543 संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.जी.) को **₹3.34 करोड़** की ऋण सहायता के साथ ऋण सुविधा से जोड़ा गया । मार्च 2014 की स्थिति में, जे.एल.जी. के 1618 खातों का कुल बकाया ऋण रु.10.01 करोड़ है ।
- बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम की जन श्री बीमा योजना में भागीदार है जिसके अंतर्गत बैंक के साथ ऋण सुविधा से जोड़े गए एस.एच.जी. के महिला सदस्यों को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त प्रीमियम दर पर बीमा रक्षा प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, इस योजना में शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत वर्धित लाभ उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत एस.एच.जी. के बीमाकृत सदस्यों के दो बच्चों को स्कॉलरशिप बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाता है ।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष ब्याज दर में ऋण योजना की शुरुआत की गई है ।
- **जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मीशन (JNNSM)** के अंतर्गत नया व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से प्राप्त अनुदान की सहायता से सौर आवास विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फिलहाल बैंक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । वर्ष 2013-14 (मार्च 2014 तक) के दौरान बैंक ने **सौर आवास विद्युत प्रणालियों** की **442 इकाइयों** को ₹ **1.62 करोड़ और सौर जल तापन प्रणालियों की 189 इकाइयों को ₹ 0.72 करोड़** का वित्तपोषण किया है। संचयी तौर पर, अब तक बैंक ने **सौर आवास विद्युत प्रणालियों** की **11415 इकाइयों** के लिए ₹ **22.86 करोड़** का वित्तपोषण किया है। मार्च 2014 तक बैंक ने संचयी तौर पर **सौर जल तापन प्रणालियों** की **3653 इकाइयों** के लिए ₹ **102.50 करोड़** का वित्तपोषण किया है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने **297 ग्रामीण विस्तार शिक्षण कार्यक्रमों को** आयोजित किया जिससे **44503 कृषक/ग्रामवासी** लाभान्वित हुए । इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के भाषण, कृषि प्रदर्शन, कृषि/पशुपालन संगोष्ठियाँ, पशु स्वास्थ्य जाँच शिविर आदि शामिल थे । फसल उत्पादन पद्धतियों एवं संबद्ध कार्यकलापों पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु बैंक इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है । ये कार्यक्रम बेहतर उपज प्राप्त करने में मददगार होंगे और इस प्रकार कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में सितंबर 2012 को बैंक ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के सहयोग से "कृषि वित्त में सिंडिकेट बैंक - केवीजी बैंक प्राध्यापक पद" का सृजन किया । बैंक ने इस कार्य के लिए अपनी नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए ₹50 लाख दान दिया है । चालू वर्ष में प्राध्यापक महोदय ने धारवाड़ जिले में बैंकिंग संबंधी अध्ययन के लिए तीन क्षेत्रों - "फसल ऋण संबंधी जांच", "शून्य शेष खाते की जांच-पड़ताल" और "व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडल पर जांच-पड़ताल" में शोध कार्य करने का निर्णय लिया ।

- **35873 new Self Help Groups (SHGs)** were credit linked during 2013-14 with a **credit support of ₹1267.45 crore.** The outstanding advances to SHGs as at March 2014 was 90875 accounts with an outstanding balance of **₹1799.58 crore.** In addition, 543 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of **₹3.34 crore**. The outstanding advances to JLG as at March 2014 was 1618 accounts with an outstanding balance of ₹10.01 crore.
- The Bank is participating in Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to extend insurance cover to all the women members of SHGs credit linked to Bank wherein the premium is subsidized by GOI. Moreover, the scheme has an add-on benefit under Shiksha Sahayog Yojana wherein two children of the insured member of SHG are provided with scholarship at no additional cost.
- A credit scheme with special rate of interest for other Backward Classes(OBCs), Scheduled Castes(SCs) and Scheduled Tribes(STs) was launched.
- The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems with subsidy assistance from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) under **Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM)**. During the year 2013-14 up to March 2014, the Bank has financed **₹1.62 crore** for 442 **units** of **Solar Home Lighting Systems and ₹0.72 crore for 189 units of Solar Water Heating Systems.** Cumulatively, the Bank has financed **₹22.86 crore** for **11415 units** of **Solar Home Lighting Systems.** The cumulative number of **Solar Water Heating Systems** financed by the Bank is **3653 units** amounting to **₹102.50 crore** up to March, 2014.
- **297 Rural Extension Education Programmes** benefitting **44503 farmers / villagers** were organized by our branches during the year 2013-14. These programmes included Expert Lectures, Agricultural Demonstrations, Agricultural / Animal Husbandry Seminars, Animal health Check-up Camps etc. Bank has been conducting these programmes to impart technical know-how on crop cultivation practices and allied activities. These programmes will help realize better yield and thereby improve the economic status of the farmers.
- "Syndicate Bank – KVG Bank Professor Chair in Agricultural Finance" instituted by the Bank in association with Karnataka Vikas Gramin Bank was established in September 2012 in the University of Agricultural Sciences, Dharwad. Bank had donated ₹50 lakh towards this cause as part of its Corporate Social Responsibilty. The Chair decided to undertake study in three areas of research in Banking in Dharwad District viz., "An enquiry into crop loans ", "An Investigation into No-frill Accounts" and "An investigation into Business Correspondent (BC) Model" during the current year.

- बैंक ने देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है। इन संस्थानों ने वर्ष 2013-14 के दौरान 23861 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 12708 महिलाएं थी और 6397 अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। शुरुआत से अबतक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 353035 है। नियोजन की दर 74 प्रतिशत है।
- बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंड आर.एस.ई.टी.आई.) को स्थापित किया है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2013-14 के दौरान 356 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 9593 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें 5505 महिलाएं थी और 2377 अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरुआत से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 105856 है। नियोजन की दर 69 प्रतिशत है।
- वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 सिंड आर सेटी को 'A++' और 6 सिंड आर सेटी को 'A' श्रेणी प्रदान की है। हमारे फरीदाबाद और कोट्टयम सिंड आरसेटी को क्रमशः कोटि I और II के अंतर्गत देश के सर्वश्रेष्ठ आरसेटी का सम्मान मिला । दिनांक 21.11.2013 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से पुरस्कार ग्रहण किया ।
- बैंक को संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित देशभर के 27 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डी.एल.आर.सी.) और जिला सलाहकार समिति (डी.सी.सी.) की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूर्ण हुई है और भा.रि.बैं. द्वारा प्रवर्तित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डी.सी.पी.) 2014-15 को पूरा किया गया है ।
- बैंक कर्नाटक राज्य और संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप के लिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- भारत सरकार की अधिसूचना सं.7/9/2011-आरआरबी (केरल) दिनांक 08.07.2013 के अनुसार केरल राज्य में नॉर्थ मलबार ग्रामीण बैंक का साउथ मलबार ग्रामीण बैंक के साथ तथा भारत सरकार की अधिसूचना सं.7/9/2011-आरआरबी (हरियाणा) दिनांक 29.11.2013 के अनुसार गुड़गाँव ग्रामीण बैंक का हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन के बाद, बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं । इन तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1278 शाखाएं 3 राज्यों के 18 जिलों में फैली हुई हैं।
- बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल कारोबार ₹ 36532 करोड़ रहा । क्षे.ग्रा.बैं. की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम क्रमश: ₹ 19031 करोड़ और ₹ 17501 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं । इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 14902 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2014 के कुल अग्रिमों का 85.15 प्रतिशत बनता है । कुल कृषि अग्रिम ₹ 12613 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया जो कुल अग्रिम का

- Bank has co-sponsored **27** Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 23861 candidates during the year 2013-14. Out of these trained candidates 12708 were **women** and 6397 were from **SC/ST** category. Total candidates trained since inception is 353035. The settlement rate is 74**%.**
- The Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. These institutes have conducted 356 training programmes during the year 2013-14, benefitting 9593 persons, of whom 5505 were women and 2377 were from SC / ST category. Total candidates trained since inception are 105856. The settlement rate is 69 **%.**
- 9 SyndRSETIs have been graded 'AA+' and 6 SyndRSETIs have been graded 'A' by MoRD, Govt. of India during the year. Our Faridabad and Kottayam SyndRSETIs were adjudged as the best RSETIs in the country under category I and II respectively. Our CMD received the awards from the Hon'ble Minister for Rural Development Shri Jairam Ramesh in a function held at New Delhi on 21-11-2013.
- The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 27 districts including UT of Lakshadweep.The Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2014-15 was launched as per time schedule envisaged by RBI.
- The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme.
- There are 3 Regional Rural Banks sponsored by our Bank, subsequent to amalgamation of North Malabar Gramin Bank with South Malabar Gramin Bank in the State of Kerala as per Govt of India Notification No 7/9/2011-RRB (Kerala) dated 08.07.2013 and Gurgaon Gramin Bank with Haryana Gramin Bank in the state of Haryana as per Govt of India Notification No7/9/2011-RRB (Haryana) dated 29.11.2013.These three RRBs are covering 18 districts in 3 states, with a network of 1278 branches.
- Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹36532 crore. The total deposits and advances of the RRBs reached a level of ₹19031 crore and ₹17501 crore, respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹14902 crore constituting 85.15 per cent

72.07 प्रतिशत बनता है । कुल मिलाकर, क्षे.ग्रा.बैं. ने किसानों को 6.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिसका बकाया ऋण ₹ 10530 करोड़ है । वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल मिलाकर ₹ 384.64 करोड़ निवल लाभ अर्जित किया है ।

- भा.रि.बैं. द्वारा क्षे.ग्रा.बैं. के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के संबंध में गठित वर्किंग समूह के सुझावों के अनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. ने सी.बी.एस. का कार्यान्वयन किया है । उन्होंने एनजीआरटीजीएस और एनईएफटी, एपीबीएस/एनएसीएच प्लैटफॉर्म, ईसीएस (नामे) और ईसीएस (जमा), सीपीएसएमएस 2.6 वर्शन का कार्यान्वयन किया है । ग्रामीण बैंकों द्वारा शीघ्र ही सी.डी. इन्स्टॉल करने और रुपे कार्ड का कार्यान्वयन करने की तैयारी की जा रही है । हमारे द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. में सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए एन.पी.ए. लेखा का कार्यान्वयन किया गया है। सभी तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय समावेशन योजना (2013-2016) का कार्यान्वयन किया है ।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) क्षेत्र को अग्रिम

31 मार्च 2014 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों को कुल ₹19799.80 करोड का अग्रिम प्रदान किया गया, जो वर्ष के दौरान 20.52% की वृद्धि दर्शाता है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के अग्रिमों का स्तर ₹18679.08 करोड तक पहुँच गया जिसमें 24.03% की वृद्धि दर्ज़ की गई है। मार्च 2014 तक एम एस ई को दिये गये अग्रिमों का हिस्सा एम एस ई को दिये गये अग्रिमों का 64.87% है। देश भर में बैंक की 69 विशेष शाखाएँ हैं, जो सिर्फ एमएसएमइ क्षेत्र को उधार देती हैं। बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत मार्च 2014 तक 38715 ऋण खातों को सम्मिलित करते हुए कुल रकम ₹1940.39 करोड का ऋण प्रदान किया है।

एम एस ई को संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध कराने में जोरदार पहल के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को अंतर्गत ₹5.00 लाख तक ऋणों के मामले में गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क पूरी तरह से बैंक द्वारा वहन किया जाता है और ₹5.00 लाख तकअन्य सभी ऋणों के मामले में देय शुल्क का 50% वहन किया जाता है।

एम एस एम ई कारोबार में बढोतरी लाने के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपायों का कार्यान्वयन किया है। एम एस ई अग्रिमों पर ब्याज दर को 0.25% से 0.50% तक घटाया गया है। चुने गए एम एस एम ई क्षेत्रों पर सकेंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से, बैंक ने पाँच नए उत्पादों की शुरुआत की है, जिनकी ब्याज दर, मार्जिन और संसाधन प्रभारों में कटौती की गई है। प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन बनानेवाली कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन का नवीकरण किया गया है ताकि एम एस ई क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की खरीदी के लिए उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। एम एस एम ई वित्तीयन के अंतर्गत बैंक की ब्रांड छवि निर्माण के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष के दौरान कई प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने देशभर में एम एस एम ई समूहों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एम एस एम ई प्रस्तावों को

of total advances as at 31.03.2014. Agricultural advances reached a level of ₹12613 crore forming 72.07 per cent of total advances. In all, the RRBs have issued 6.87 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹10530 crore. The RRBs together have earned a net profit of ₹384.64 crore for the year 2013-14.

- As per the suggestions of the working group constituted by RBI on Technology up-gradation of RRBs, all the RRBs sponsored by our bank have moved towards implementation of CBS. They have implemented NGRTGS and NEFT, APBS/NACH platform, ECS (debit) and ECS (credit), CPSMS 2.6 version. RRBs are preparing to install CDs and implement RuPay cards very soon. System generated NPA is implemented in all RRBs sponsored by us. All the three RRBs have implemented F I Plan (2013-2016) as per the direction of Reserve Bank of India and Government of India.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reached ₹19799.80 crore as at March 2014, registering a growth of 20.52% during the year. Advances to Micro and Small Enterprises (MSEs) reached a level of ₹18697.08 crore, recording a growth of 24.03%. Advances to MSEs accounted for 64.87% of the total advances to MSMEs as at March 2014. The Bank is having 69 specialized branches for exclusive lending to MSME sector across the country. The Bank has covered 38715 accounts with a loan amount of ₹1940.39 crore as at March 2014 under the Credit Guarantee Scheme of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

As a proactive measure to promote collateral free lending to MSEs, the Bank is absorbing entire guarantee fee and annual service fee payable for loans up to ₹5.00 lakh under all Govt. sponsored schemes and 50% of fee payable for all other loans up to ₹50.00 lakh.

To give a boost to MSME business, the Bank implemented various measures during the year. The rate of interest on MSE advances was reduced by 0.25% to 0.50%. Five new products were launched by the Bank to provide focused thrust to identified MSME sectors with reduced rate of interest, margin and processing charges. MOUs with reputed commercial vehicle manufacturing companies were renewed to expand credit to borrowers for purchase of commercial vehicles under MSE sector. The Bank actively participated in various exhibitions, workshops and seminars during the year to build brand image of the Bank in MSME financing. Additionally, it also organized awareness programs in MSME clusters all over the country. The Bank also organized a large number of credit camps at various

जुटाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रों में बड़ी मात्रा में क्रेडिट कैंपों का आयोजन किया है। इन कैंपों में बैंक के उच्च कार्यपालकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न केन्द्रों में डाक्टरों, ट्रान्स्पोर्टरों आदि की बैठक आयोजित की ताकि उनके प्रस्तावों को जुटाकर बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री की जा सके। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अधिकारियों की जानकारी एवं कौशल को अद्यतन बनाने के लिए वर्ष के दौरान बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में आटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम की शुरुआत की है ताकि एम एस एम ई के ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाया जा सके, और इससे एम एस एम ई इकाइयों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। एम एस एम ई प्रस्तावों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा अपनायी गयी है, जिसकी सहायता से उधारकर्ता अपने ऋण प्रस्तावों का पता करके उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऋण निगरानी और समीक्षा विभाग

वर्ष के दौरान, ऋण निगरानी, विभिन्न समितियों द्वारा स्वीकृत ऋणों की समीक्षा, नैगम ऋण पुर्नसंरचना और विशेष निगरानी खातों की निगरानी के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नया स्कंध बनाया गया है।

ऋण निगरानी नीति

अर्थव्यवस्था में वृहत गिरावट एवं आस्ति के निष्पादन का सतत निगरानी और स्वीकृति पश्चात उससे जुड़े हुए जोखिमों का मूल्यांकन और बैंक के आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऋण निगरानी और एसएमए विभाग ने विभाग के निगरानी कार्य का विवरण देते हुए एक अनन्य ऋण निगरानी नीति लाई है।

मासिक निगरानी रिपोर्ट

ऋण निगरानी को और अधिक दक्ष बनाने तथा ₹100 लाख से अधिक के सभी ऋणों की अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से दिसंबर 2013 से एक पूर्ण वेब आधारित रियोर्टिंग प्रणाली "एमएमआर" को प्रचालित किया गया है। एमएमआर एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्व चेतावनी संकेत को पहचानता है और यह चालू आधारित उपचारी कार्य करता है। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली को असरदार बनाने में भी सहायता करता है।

एसएमए विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सन 2009 से एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में एसएमए विभाग कार्य कर रहा है। यह विभाग आस्ति गुणवत्ता की देखभाल करता है और गिरावट को रोकता है। सभी दबावग्रस्त आस्तियों को विशेष निगरानी खाता में वर्गीकृत किया गया है और सतत आधार पर शाखाओं/क्षे. का./क्षे. महाप्रबंधक कार्यालयों द्वारा प्रभावी तरीके से इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। बैंक ने दि. 01-04-2014 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त बनाने के लिए नियमों को क्रियान्वित करने हेतु तैयारी कर ली है।

centers during the year to mobilize MSME proposals. These camps were attended by the Top Executives of the Bank. The Bank also organized the meets of the Doctors, Transporters etc., at various centers to mobilize their proposals and to cross sell the Bank's products and services. To update the knowledge and skills of the processing and marketing officers, training programs were organized at staff training colleges and regional offices of the Bank during the year. The Bank also introduced an automated loan processing system in all their branches and regional offices for improving the efficiency in processing of MSME loan proposals, there by facilitating timely availability of credit to MSME units. Online Tracking for MSME proposals launched to facilitate MSME borrowers to track and know the status of the applications.

CREDIT MONITORING AND REVIEW DEPARTMENT

During the year, a new vertical headed by a separate General Manager is formed for Credit Monitoring, Review of Credit Sanctions by various Committees, Corporate Debt Restructuring and Monitoring of Special Monitoring Accounts. .

Credit Monitoring Policy:

Due to heavy down turn in Economy and with a view to continuously monitoring the performance of the asset and constant evaluation of associated risks during post sanction period and to maintain the quality of the assets of the Bank the Credit Monitoring and SMA Department has brought out an exclusive Credit Monitoring Policy giving details of monitoring functions of the Department.

Monthly Monitoring Reports (MMR):

To make credit monitoring more robust and with an objective of getting the maximum information in respect of all exposures of ₹100 lakhs and above, "MMR", a fully web based reporting system is introduced with effect from Dec. 2013. The MMR is system driven tool for detecting early warning signal and to take remedial action on an ongoing basis. This also facilitates as an effective tool for Management Information System.

SMA Department:

The SMA Department functional from 2009 is a well built Mechanism for implementation of the various regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time. This department takes care of asset quality and prevents slippages. All stressed assets are classified as Special Monitoring Accounts and effective follow up is made on an on going basis with branches/ROs/FGMOs. Bank has got prepared for implementing norms for revitalizing the stressed accounts as per recent RBI guidelines effective from 01.04.2014.

आस्ति की गुणवत्ता और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

बैंक की वसूली नीति का लक्ष्य समग्र अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित है और यह क्षेत्र कार्यकर्ताओं को किसी भी श्रेणी की अनर्जक आस्ति खातों का समाधान करने में मदद करती है। 2013–14 के दौरान "अनर्जक आस्तियों के लिए व्यापक वसूली नीति" नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है।

बैंक ने कृषि ट्रैक्टर ऋणों, संदिग्ध और हानि आस्ति ऋणों के अंतर्गत मार्च 2013 तक ₹500,000/- एवं उससे कम बही शेषवाले छोटे एन.पी.ए. खातों के अंतर्गत पात्र किसानों और माइक्रो तथा लघु उधार श्रेणी के अधीन आनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेष एकमुश्त निपटान योजना की शुरूआत की। वर्ष 2013–14 के दौरान अधिकांश एन.पी.ए. किसानों के लाभ के लिए किसानों के सिंड जयकिसान एन.पी.ए. ऋणों को निपटाने हेतु एक विशेष एकमुश्त निपटान योजना की शुरूआत की गई।

बैंक ने, वर्ष के दौरान "मिल–बैठकर, निपटान करना" दृष्टिकोण को अपनाते हुए शाखाओं में आयोजित "सिंड अदालतो" में देय राशियों का निपटान करके बड़ी मात्रा में छोटे–छोटे एन.पी.ए. खातों को कम किया। चार बृहत सिंड अदालत, क्षेत्रीय/समूह शाखा स्तर पर दिनांक 09.06.2013, 20.08.2013, 19.11.2013, और 11.02.2014 को आयोजित किए गए और 62030 ओटीएस मामले निपटाए गए तथा ₹ 170.13 करोड़ की वसूली हुई जिसमें पेशकश रकम ₹ 544.40 करोड़ थी।

बैंक ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन नोटिस जारी करके और संपत्तियों की जब्ती/नीलामी करवाकर वर्ष 2013–14 के दौरान ₹645.47 करोड़ की राशि वसूल की है। अधिक से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों तथा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को सूची में शामिल करके शाखा स्तर के प्रयासों को समर्थन दिया गया।

अधिकाधिक वसूली के लिए दि. 01.10.2013 से 31.03.2014 तक ''सिंड वसूली अभियान 1314'' नामक गहन एनपीए वसूली कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया ।

प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एन.पी.ए. की पहचान करके वर्ष की शुरुआत से ही उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया गया और बहुत अधिक खातों का सफलतापूर्वक समाधान मार्च 2014 से पहले ही कर लिया गया। ₹10.00 लाख से कम राशिवाली अत्यधिक विशेष निगरानी आस्ति/अनर्जक खातोंवाली शाखाओं की सहायता करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर स्थापित नवीन स्ट्रेस्ड टाइनी असेट रिकवरी टीम (स्टार्ट) ने इस संबंध में जोरदार सफलता हासिल की है।

बड़े मूल्यों वाले अनर्जक आस्ति खातों की निगरानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई तथा इन खातों के निपटान के लिए जोरदार प्रयास किए गए । फलस्वरूप, बड़ी संख्या में अनर्जक आस्ति खातों का निपटान किया गया।

अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत ₹1518.39 करोड़ की राशि वसूल की गई है जिसमें मूलधन के प्रति ₹1015.67 करोड़ की वसूली और अप्रभारित ब्याज

ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS

Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enabled the field functionaries in resolving any category of Non Performing Accounts by bringing out a booklet on "Comprehensive Recovery Policy for Non Performing Assets" during 2013-14.

Bank has introduced / extended special OTS schemes for considering proposals of farmers eligible under agricultural tractor loans, small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5,00,000/- and below as at March 2013 and of Micro and Small Enterprises borrowers. A special OTS scheme for settling Synd Jaikisan NPA loans of Farmers was extended during 2013-14 for the benefit of majority of NPA farmers.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalats were conducted at regional/cluster/branch level on 07.06.2013, 20.08.2013, 19.11.2013 and 18.02.2014 and 62030 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹170.13 crore with an offer amount of ₹544.40 crore.

Bank was able to register a substantial recovery of ₹645.47 crore during the year 2013–14 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002.The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhyan-1314" was held successfully from 01st October, 2013 to 31st March 2014 for maximizing recovery.

Top NPAs from each Region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2014. Stressed Tiny Asset Recovery Team (START) stationed at Regional Offices are extensively utilized for assisting the branches having high concentration of Special Monitoring Assets / Non Performing Accounts of below ₹10.00 lakh.

All high value NPA accounts are monitored personally by Chairman & Managing Director/ Executive Directors and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, large number of NPA accounts could be resolved.

The recovery in existing NPAs amounted to ₹1518.39 crore which includes ₹1015.67 crore recovery towards principal

के प्रति ₹501.26 करोड़ तथा बट्टे खाते के प्रति ₹1.46 करोड़ है। नये और मौजूदा अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत वसूली को मिलाकर कुल नकद वसूली ₹1738.01 करोड़ है।

वित्तीय समावेशन पहल

वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक के प्रतिबद्ध पहल:

बैंक ने वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को दो स्तंभों के रूप में माना है जहाँ वित्तीय समावेशन आपूर्ति की ओर से कार्य करता है अर्थात पहुँचने का मार्ग बनाना और वित्तीय साक्षरता माँग की ओर से कार्य करती है अर्थात वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए माँग का निर्माण करना। वित्तीय सम ावेशन को बैंक में न केवल एक सामाजिक प्रतिबद्धता की दृष्टि से देखा जाता है बल्कि ग्रामीण भारत का समग्र आर्थिक विकास करने वाला एक साधन के रूप में देखा जाता है जिसमें आई.सी.टी. आधारित वितरण चैनलों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार तल सुदृढ एवं संमृद्ध हो।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ एवं मॉडेल:

वित्त मंत्रालय ने भारत में 6.0 लाख गावों को बैंक रहित माना है। एस.एल.बी.सी./डी.सी.सी. द्वारा सेवा क्षेत्र/सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के लिए इन गाँवों को आबंटित किया जाता है। हमारे बैंक ने 31.3.2013 को अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1553 गावों को शमिल किया है।

वित्त मंत्रालय और भा.रि.बैं. ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उचित लागत पर इन गावों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करें। तदनुसार बैंक ने एक अनुमोदित योजना बनाई जिसके अनुसार एस.एस.ए. अवधारणा का अनुपालन करते हुए 2000 से कम जनसंख्यावाले सभी 5290 गावों को 3 वर्षों की अवधि के दौरान, अर्थात 2013-16 तक, बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करा दिया जाएगा।

बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए निमंत्रित मॉडेल अपनाए गए हैं:

1) **आई.सी.टी. आधारित व्यवसायिक प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडेल:**

   वित्तीय समावेशन को प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए और सी.बी.एस. के साथ पूर्ण रूपसे समन्वित करने के लिए बैंक ने सफल समाधान हेतु 5 सेवा प्रदानकर्ताओं को नियुक्त किया है जो ग्रामवासियों के नामों को दर्ज करने से लेकर उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी करने तक कार्य करेंगे। तकनीकी आधारित बैंकिंग लेन-देनों को सभी गावों में प्रचलित करना इसका उद्धेश्य है।

   आई.सी.टी. आधारित बी.सी. मॉडल, बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड आधारित तकनीकि युक्त एप्लिकेशन सर्विस प्रोवइडर (ए.एस.पी.) मॉडेल पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत बी.सी.ए. के पास एक हैंड हेल्ड मशीन होगी जिसमें वे ग्राहकों के लेन-देन संबंधी बैंकिंग

and ₹501.26 crore towards uncharged interest and a recovery of ₹1.46 Crore written off accounts. The total cash recovery inclusive of recovery under existing and fresh is ₹1738.01 crore.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES

Bank's committed initiatives towards Financial Inclusion:

The Bank considered Financial Inclusion and Financial Literacy as twin pillars where FI acts on the supply side i.e. for creating access and Financial Literacy acts from the demand side i.e. creating demand for financial products and services. Financial Inclusion is being viewed in the Bank not just as a social commitment but also as an instrument to bring about overall economic development of rural India so as to tap opportunities at the bottom of the pyramid of Indian economy through sustainable ICT based delivery channels.

Strategies and models adopted:

The Ministry of Finance has identified around 6.0 lakh villages across India as unbanked areas. These villages are allocated to various banks by SLBC / DCC under the service area / sub- service area approach. Our Bank has covered 1553 villages of more than 2000 population under its service area as on 31.3.2013.

The Ministry of Finance and RBI has advised Banks to provide banking services at affordable cost to these villages. Accordingly, the Bank has approved a Plan which is disaggregated further to a village level following SSA concept to cover all the 5290 villages of less than 2000 population by providing banking services to them in 3 years time i.e. 2013-16.

The following models are adopted by the Bank for implementation of FI:

1) **ICT Based Business Correspondent (BC) Model :**

   In order to ensure that financial inclusion is implemented in a most efficient manner and is fully integrated with CBS, the Bank has appointed 5 Service Providers for a complete end to end solution i.e. from enrolment of villagers to issuance of smart cards to them. The purpose is to bring technology based banking transactions to the door steps of all villages.

   ICT based BC Model is based on Application Service Provider (ASP) model with biometrics Smart Card based technology. Under this approach, BCAs visit villages with a Hand Held Machine (HHM) devices for carrying out customer enrolments and transaction

कार्य कर पाएंगे। ये मशीनें जी.पी.आर.एस. तकनीक के माध्यम बैंक की सी.बी.एस. प्रणाली से सीधे संबद्ध होंगी।

बैंक को 31.03.2014 तक 2000 से कम जनसंख्यावाले 2111 गावों को समाविष्ट करने का एक लक्ष्य आबंटित किया गया था। बैंक ने 729 बी.सी.ए. की सहायता से तथा 32 शाखाओं/सेटेलाइट कार्यालयों को खोलकर 2000 से कम जनसंख्यवाले 2111 गावों के लक्ष्य की तुलना में 2248 गावों को बैंकिंग सेवा प्रदान की। यह 31.03.2013 तक समाविष्ट किए गए 2000 से अधिक जनसंख्यवाले 1553 गावों के अतिरिक्त है।

2) अत्यंत लघु शाखाएं (यू.एस.बी.)

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने, 31.3.2014 तक पूरे देश में 2000 से ज्यादा जनसंख्यावाले बी.सी. माडेल द्वारा शामिल किए गए गावों में 952 यू.एस.बी. की शुरूआत की है। संपर्क शाखाओं के बैंक अधिकारी एक हफ्ते में एक पूर्व निर्धारित दिन और समय पर इन अति लघु शाखाओं में जाएंगे। वे, विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में ग्राम वासियों को सूचित करने के अलावा खाता खोलना, ऋण हेतु आवेदन, शिकायत निवारण, गाँववालों के साथ वित्तीय साक्षरता के बारे में बैठक आयोजित करने जैसे कार्यों को पूरा करेंगे। बैंक की इस पहल से ग्रामीण स्तर पर वित्तीय साक्षरता सुधार आई है और उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

952 यू.एस.बी. में से लेन-देन की संख्या की दृष्टि से दि. 31.03.2014 तक यु.एस.बी. को संपूर्ण शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

3) पारंपरिक शाखा मॉडेल

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 115 ग्रामीण शाखाओं की शुरूआत की जिनमें 85 शाखाएं बैंक-रहित क्षेत्र में हैं।

वित्तीय साक्षरता: सफल समावेशन की कुंजी:

जब ग्रामीणों से भी समान प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तभी वित्तीय समावेशन का अपेक्षित उद्धेश्य बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीणों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और उसके लाभों के बारे में उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी बैंक के लिए वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन की एक सफल कुंजी होगी। इसलिए, जहाँ भी कोई बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आयोजित करता है, वहाँ न केवल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बल्कि वित्तीय साक्षरता के माध्यम से लोगों में बैंकिंग उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

बैंक जे.जे.एफ.सी.सी. ट्रस्ट के जरिए वित्तीय साक्षरता को प्रवर्तित कर रहा है। उक्त ट्रस्ट द्वारा बैंक के अग्रणी जिलों में 38 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) और 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफ.आई.आर. सी.) खोले जा चुके हैं। इन एफ.एल.सी. ने वर्ष के दौरान 9901 साक्षरता शिबिरों का आयोजन किया और जिससे 384742 पर लोग लाभान्वित हुए। बैंक ने वित्तीय साक्षरता हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिसमें

processing. These HHMs are directly connected with the CBS system of the Bank using GPRS technology.

Bank was allotted a target for coverage of 2111 villages of less than 2000 population by 31.03.2014. Bank has extended banking services to 2248 villages as against the target of 2111 villages of less than 2000 population by engaging 729 BCAs and by opening of 32 Branches / Satellite Offices. This is in addition to 1553 villages of more than 2000 population already covered as on 31.03.2013.

2) Ultra Small Branches (USBs):

As per the guidelines of DFS, MOF, GOI, the Bank has opened 952 USBs as on 31.03.2014 across the country in villages having population above 2000 which are covered through BC Model. The Bank's Officer from the Link Branches visit these USBs on a pre-determined fixed day and time in a week. They would clear all the applications for account opening, loan request, resolving grievances, arrange meeting with villagers on financial literacy, etc., besides advising villagers on various financial products. This initiative of the Bank has facilitated improvement in financial literacy and confidence building at the village level.

Out of 952 USBs, in view of the number of transactions 3 USBs were converted into full-fledged Branches as on 31.03.2014.

3) Brick & Mortar branch model:

The Bank has opened 115 Rural Branches, of which 85 are unbanked during the current financial year.

Financial Literacy: A Key to successful inclusion :

The desired objective of financial inclusion can be achieved only when the Bank is able to generate equal response from the villagers. In order to evoke the response from the villagers, the Bank need to educate them on various banking facilities and its benefits to them. In other words, Financial Literacy would be the key for success of financial inclusion initiatives of any Bank. Therefore, all constituents of FI need to develop a bond with each other not only to provide banking facilities but also to create massive awareness of banking products amongst the population through Financial Literacy wherever a Bank is implementing FI programme.

The Bank is promoting Financial Literacy through JJFLCC Trust which has opened 38 Financial Literacy Centres (FLCs) and 21 Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs) in the lead districts of the Bank. These FLCs have conducted 9901 literacy camps benefiting 384742 persons during the year. Bank has also taken up various Financial Literacy

कठपुतलीनाच और जादू प्रदर्शन; यक्षगान और क्षेत्रीय भाषाओं में पैम्पलेटों का वितरण आदि शमिल हैं। गावों में प्रमुख स्थानों पर भित्तीचित प्रदर्शन भी किए गए।

रूडसेटी और आरसेटी

बैंक ने, अपने अग्रणी जिलों में ग्रामीण बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षण देने और उनके जीवन-यापन के लिए नए उद्यमों को स्थापित करने तक उनकी मदद करने हेतु 27 रूडसेटी और 16 आरसेटी की स्थापना की है।

वित्तीय समावेशन (एफ.आई) के उत्पाद में नव परिवर्तन

बैंक अपने नैगम सामाजिक दायित्ववाले कार्य को सुदृढ बनाने के लिए एक अवसर के रूप में वित्तीय समावेशन का उपयोग कर रहा है। बैंक, ग्रामीण सम विशन का उपयोग कर रहा है। बैंक, ग्रामीण लोगों के बीच अपने उत्पादों के बारे में बैंकिंग ज्ञान बढ़ाते, ग्रामीण ऋण, तकनीकी जानकारी, ऋण-परामर्श, समस्या का समाधान, महिला और बालिकाओं का उन्नयन, किसान-क्लब बनाने, स्व सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को बनाने, आदि के बारे में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कई कदम उठा रहा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन के ग्राहकों के लिए विशिष्ट रूप से बनाए गए कई ग्राहकोन्मुख उत्पादों की शुरूआत की है। उनमें से कुछ निम्नवत हैं:

1) **ओ.डी. सुविधायुक्त मूल बचत बैंक जमा खाता बी.एस.बी.डी.ए.):**
उत्पाद को वित्तीय समावेशन के गावों के लोगों के लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है और उसे भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार के.वाई.सी. मानकों से छूट प्राप्त है। खाते को बिना किसी जमाराशि के खोला जा सकता है। इसके लिए कोई दंड नहीं होगा और उसे बी.सी., शाखा और ए.टी.एम. के माध्यम से परिचालित किया जाएगा।

बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के दौरान 11.34 लाख खाते खोले गए और 31.03.2014 की स्थिति में बकाया शेष ₹265.93 करोड़ है।

2) **वित्तीय समावेशन का आवर्ती जमा खाता**
बैंक ने, ग्रामीण बचतों को लक्षित करते हुए यह उत्पाद बनाई है जिसमें बी.सी.ए., वित्तीय समावेशन (एफ.आई.) ग्राहकों से आवर्ती जमा (आर.डी.) खातों की किस्तों को वसूल सकता है।

3) **किसान क्रेडिट कार्ड (एस.के.सी.सी.) सिंड के.सी.सी.:**
यह उत्पाद किसानों को अपने उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, वैयक्तिक ऋण एवं उपभोग ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। यह सीमा उपयोग करने के लिए लचीला है और वह वर्ष के दौरान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण का उपयोग कर सकता है। बैंक ने ₹8.10 लाख के.सी.सी. की मंजूरी दी है।

4) **जनरल क्रेडिट कार्ड (जी.सी.सी.)**
गांववालों/कारीगरों और लघु व्यवसाय के लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के सभी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के जरिए जी.सी.सी. का कार्यान्वयन हुआ है। बैंक द्वारा 31.3.2014 की स्थिति में 0.49 लाख जी.सी.सी. जारी किए गए हैं।

initiatives, such as puppet and magic shows, Yakshagana and broachers / pamphlets have been brought out in vernacular languages. Graffiti displayed at prominent places in the villages.

RUDSETIs and RSETIs :

Bank has established 27 RUDSETIs and 16 RSETIs by the Bank in the Lead Districts of the Bank to provide Training to rural unemployed youth and handholding them till they establish their new enterprises to settle in their lives.

Product Innovation in FI:

The Bank has also been using FI as an opportunity to strengthen its functioning of Corporate Social Responsibility. The Bank is taking various steps to increase banking awareness amongst the rural people, educate them on its products, rural credit, technology know-how, credit counseling, problem solving, uplifting women and girl children, formation of Farmers' Clubs and formation of SHGs, etc.

The Bank has introduced several customer oriented products specifically designed for FI customers. Some of them are as follows:

1) **Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) with inbuilt OD facility:**
The product is specially devised for individuals from FI villages with relaxed KYC norms as per the RBI guidelines. The account can be opened without depositing amount which does not attract any penalty and will be opened / operated through BC, Branch and ATM.

Under the BSBDA, the Bank has opened 11.34 lakh accounts during the current financial year 2013-14 and the balance outstanding as on 31.03.2014 is ₹265.93 crores.

2) **FI Recurring Deposit account :**
To target the rural savings, the Bank has designed the product wherein the BCA can collect the installments of the RD account from the FI customers.

3) **Kisan Credit Card (SKCC) – Synd KCC :**
This product is for farmers to cover their needs like production credit. Investment credit, personal loan needs as well as consumption needs. It is flexible in utilization of the limit as he can utilize the limits as per his requirements during the year. As on 31.3.2014, Bank has sanctioned ₹8.10 lakhs KCCs.

4) **General Credit Card (GCC) :**
The GCC is implemented through all the rural and semi urban branches of the Bank to cater to the different needs of the villagers / artisans and small business people. As on 31.3.2014, Bank has extended 0.49 lakh GCC accounts.

5) **लघु बीमा: कम प्रीमियम वाला बीमा उत्पाद:**
बैंक ने वित्तीय समावेशन के ग्राहकों को ₹15/- प्र.व. (सेवा कर सहित) के एक नामपत्र प्रीमियम पर जोखिम रक्षा प्रदान करने के लिए मेसर्स बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ व्यवस्था की है। वर्ष के दौरान, सेवांत बीमारी के लाभों के अलावा आकस्मिक और स्वाभाविक मृत्यु दोनों को शामिल करके,₹ 25,000/- की सीमा तक बीमा रक्षा प्रदान की गई। बैंक ने, लघु बीमा के अंतर्गत 10105 वित्तीय समावेशन (एफ.आई.) हिताधिकारियों को सम्मिलित किया है।

प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण

बैंक ने, वर्ष के दौरान (01.07.2013 से लागू) निर्धारित 78 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के सफल कार्यान्वयन के लिए कई कदम आए हैं।102 डी.बी.टी. जिलों में, हमारे बैंक की 852 शाखाओं का एक नेटवर्क है। उन 852 शाखाओं में से 681 शाखाओं में ऑन साइट ए.टी.एम. लगे हैं।

कार्यान्वयन करनेवाले कर्मचारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। निर्धारित हर एक जिले के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विशिष्ट केंद्रीय अधिकारी/कार्यपालकों को नामोद्दिष्ट किया गया है। डी.बी.टी. जिलों के सभी गांवों में बी.सी.ए. नियुक्त किए जाते हैं और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार डी.बी.टी. जिलों की सभी शाखाओं में ऑन-साइट ए.टी.एम. लगाने के प्रयास किए जाते हैं।

ये पहल, बिना किसी भेदभाव के संबंधित हिताधिकारियों को सरकारी लाभों के अंतरण को सुनिश्चित करेंगी। 121 जिलों में क्रियान्वित, डी.बी.टी. के अंतर्गत हमारे बैंक को 5 जिलों; अर्थात अनंतपुर, वाई.एस.आर कडपा, कर्नूल, कण्णूर और लक्षद्वीप, में अग्रणी बैंक का दायित्व है। ऐसे सभी हिताधिकारी जिनकी सूची सरकार से प्राप्त है उनके खाते खोले जाते हैं और उनमें आधार संख्याओं को शत-प्रतिशत डाला जाता है और एन.पी.सी.आई. में आधार को शत-प्रतिशत दिखाना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 26 योजनाओं के तहत हिताधिकारियों के खातों में ₹25.54 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एल.पी.जी. (डी.बी.टी.एल.)

वर्तमान में डी.बी.टी.एल. 293 जिलों में कार्यान्वित है। हमारे बैंक को 16 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व है। अग्रणी जिला प्रबंधक (एल.डी.एम.) सफल कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन एवं जिलों में बैंकों के साथ मिलकर काम करे रहे हैं। एफ.आई.डी., कार्पोरेट कार्यालय से भी प्रगति की निगरानी की जाती है।

बैंक द्वारा हमारे अग्रणी जिलों में (अनंतपुर, कडपा, प्रकाशम्, कण्णूर और कासरगोड) आधार सीडिंग का 50 प्रतिशत से ज्यादा कार्य समय सीमा के अनुसार हो चुका है और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इसकी सराहना की जा जा चुकी है।

आधार अदायगी पूरक प्रणाली (ए.पी.बी.एस.)

ए.पी.बी.एस. एक नई अदायगी सेवा है, जो भारतीय राष्ट्रीय अदायगी निगम द्वारा यू.आई.डी.ए.आई द्वारा जारी आधार संख्या का प्रयोग करते हुए प्रदान की जाती है इसके लिए उक्त निगम सरकारी लाभ हिताधिकारियों के खातों में आधार संख्या के माध्यम में अंतरित किए जाते हैं जिससे सरकारी

5) **Micro Insurance : Insurance product with low premium :**
Bank has entered into an arrangement with M/s Birla Sun Life Insurance Company Limited for extending risk cover to FI customers at a very nominal premium of ₹15/-pa (inclusive of service tax). Insurance cover is provided up to a limit of ₹25000/- covering both accidental and natural death besides inbuilt terminal illness benefits during the year. The Bank has covered 10105 FI beneficiaries under micro insurance.

DIRECT BENEFIT TRANSFER :

The Bank has taken a number of steps for successful implementation of Direct Benefit Transfer in the identified 78 districts during the year (w.e.f 01.07.2013). Our Bank has a network of 852 branches in 102 DBT districts. Out of 852 branches, 681 branches are provided with on-site ATMs.

Sensitization programmes for the implementing personnel have been organized. Specific Nodal Officer / Executives have been designated for each of the identified districts for supervision and monitoring. BCAs are appointed in all villages of DBT districts and efforts are made to install on-site ATMs at all branches in DBT districts as per guidelines.

These initiatives will ensure passing on the Government benefits to the intended beneficiaries seamlessly. Under the DBT, which is being implemented in 121 districts, our Bank has Lead Bank responsibility in 5 Districts viz., Anantapur, YSR Kadapa, Kurnool, Kannur and Lakshadweep. Accounts are opened to all the beneficiaries whose list is received from Govt and efforts are made to ensure 100% seeding of Aadhaar numbers and 100% mapping of Aadhaar with NPCI. An amount of ₹25.54 crores has been credited to the beneficiaries' accounts under 26 schemes during the year.

Direct Benefit Transfer –LPG (DBTL):

DBTL is presently implemented in 293 Districts. Our Bank is having Lead Bank responsibility in 16 Districts. LDMs are co-ordinating with district administration and also with the Banks in the districts for successful implementation. The progress is also monitored by FID:Corporate Office.

Aadhaar seeding by Banks in our Lead districts (Ananthapur, Kadapa, Prakasam, Kannur and Kasargod) has crossed 50% as per timelines and the same is appreciated by DFS, MOF.

Aadhaar Payment Bridge System (APBS) :

APBS is a new payment service offered by National Payment Corporation of India using Aadhaar Number issued by UIDAI. The Government benefits are transferred to the accounts of the beneficiaries on the basis of Aadhaar Number so that the Bank details and accounts

विभागों/एजेंसियों द्वारा बैंक ब्यौरों और हिताधिकारियों की खाता संख्याओं के रख-रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ए.पी.बी.एस. अब सारे बैंक में भी प्रचलित है।

आधार सक्षम अदायगी प्रणाली (ए.ई.पी.एस.)

ए.ई.पी.एस. बैंक द्वारा संचालित मॉडेल है और यह आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए किसी भी बैंक के बी.सी. के जरिए पी.ओ./एच.एच.एम. द्वारा ऑन लाइन अंतर प्रवर्तनीय वित्तीय लेन-देनों को होने देता है। आधार सक्षम बैंकिंग लेन-देन के लिए चार मौलिक प्रकार निम्नवत हैं:

- शेष की पूछ-ताछ
- नकदी जमा
- नकदी आहरण और
- आधार से आधार को निधि का अंतरण

ए.ई.पी.एस. हमारे बैंक में परीक्षण की स्थिति में है और शीघ्र ही इसका परिचालन शुरू हो जाएगा।

31.03.2014 तक वित्तीय समावेशन में बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएँ:

- बैंक ने अपने सेवा क्षेत्र में अब तक 3801 गावों को समविष्ट किया है।
- बैंक ने 69.74 लाख बी.एस.बी.डी. खाते खोले।
- बैंक के सादा खातों का औसत बकाया शेष करीब ₹2929 करोड़ हैं।
- बैंक द्वारा 2000 से अधिक जनसंख्यावाले गावों में 949 यू.एस.बी. खोले जा चुके हैं।
- बैंक ने 2000 से कम जनसंख्या वाले 5290 गावों के लिए अपनी वित्तीय समावेशन योजना को मार्च 2016 तक कार्यान्वित करने के लिए शाखा स्तर तक असंयोजित योजनाओं के लिए भी स्वीकृति दे दी है।
- बैंक ने वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए लघु बीमा उत्पाद की शुरूआत की है। चालू वर्ष के दौरान 10105 वित्तीय समावेशन ग्राहकों का इनमें समावेशन हुआ है।
- बैंक ने सी.एस.ई-ई. गवर्नेंस लि. के साथ उनकी सी.एस.सी. को बैंक की सेवा क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग प्लेटफार्म में बी.सी.ए. के रूप में सूचिबद्ध करने के लिए एक करार किया है।
- बैंक ने, लेखा-परीक्षा आधारित अदायगियों, यू.आई.डी.ए.आई. से जुड़ने, ग्राम कूट के अद्यतन आदि के लिए प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है।

कोष और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग

कोष और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग में निधियों के सुदक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

विदेशी मुद्रा कोष

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारे बैंक का 'ए' श्रेणी का कार्यालय है जो विदेशी विनिमय स्थिति, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खातों का रख-रखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, समुद्रपारीय कारोबार तथा कोष परिचालनों के विकास और अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी करता है।

numbers of the beneficiaries need not be maintained by the Government Departments / Agencies. APBS is now operational in our Bank.

Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) :

AEPS is a Bank led model which allows online interoperable financial transactions by POs / HHMs through the BC of any Bank using Aadhaar authentication. The four Aadhaar enabled Basic types of banking transactions are as follows:

- Balance enquiry
- Cash deposit,
- Cash withdrawl and
- Aadhaar to Aadhaar fund transfer

AEPS is in a testing phase in our Bank and will be operationalised shortly.

Highlights of the Bank's performance in FI upto 31.03.2014 :

- Bank has so far covered 3801 Villages under its service area.
- Bank has opened 69.74 lakh BSBD Accounts.
- The average balance outstanding in the No Frill Accounts of the Bank is around ₹2929 crores.
- Bank has opened 949 USBs in villages with above 2000 population.
- The Bank has approved disaggregated plans upto the Branch level to implement its FI Plan for 5290 villages of less than 2000 population by March 2016.
- Bank has introduced micro insurance product for FI customers. During the current year 10105 FI customers are covered.
- Bank has entered into an agreement with CSE e-governance Ltd to enroll their CSCs in the Bank's service area as BCAs on Kiosk banking platform under FI.
- Bank has fully prepared technology for audit based payments, UIDAI linkages, village code updation etc.

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT

Due importance has been given for efficient and effective management of funds in the Treasury and International Banking Department.

Forex Treasury

T&IBD is the 'A' Category Office in our Bank which maintains Foreign Exchange Position, Nostro and Vostro Accounts. Besides, T&IBD also monitors development and follow up of Foreign Exchange Business, Overseas Business and Treasury Operations at our London Branch.

स्पर्धात्मक दर प्रदान करने, हमारी सेवाओं का विपणन करने, ग्राहक संबंधों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए और नामोद्दिष्ट शाखाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई में स्थित बैंक के केंद्रीकृत डीलिंग रूम को नई दिल्ली स्थित एक लिंक डीलिंग केंद्र से समर्थन प्रदान किया गया है।

ओवरसीज़ काउंटरपार्टी बैंक के साथ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट वेब प्लेटफार्म का प्रयोग करके वेब आधारित व्यापार करनेवाले प्रथम बैंकों में से हमारा बैंक एक हैं। बैंक की 89 नामोद्दिष्ट शाखाएं (श्रेणी बी) हैं, जो संपूर्ण विदेशी विनिमय व्यवहारों को संभालती हैं और 386 नामित शाखाएं हैं जो बैंक के एफ सी एन आर कारोबार को संभालती हैं।

बैंक द्वारा नामोद्दिष्ट और नामित शाखाओं की संख्या बढाने की कार्रवाई की जा रहे है। बैंक की सभी शाखाओं में एन.आर.ई./एन.आर.ओ. जमाराशियां स्वीकार की जाती है।

यु.एस.डी./आई.एन.आर. में अंतर-बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन का निपटान फारेक्स फारवर्ड में सेगमेंट अंतर बैंक के.यू.एस.डी./आई. एन.आर. लेन-देन निपटान करने के लिए क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) का हमारा बैंक सदस्य है। सी.सी.आई.एल. द्वारा परस्पर लेन-देन केलिए निरंतर संपर्क निपटान लेने वाले प्रथम बैंकों में से हमारा बैंक एक है। ये दोनों पहल भुगतान जोखिम के मामले से संबंध रखते हैं और दायित्व नवीकरण एवं केंद्रीय काऊंटर पार्टी के जरिए निपटान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाते हैं। बैंक द्वारा केवल बिलकुल सादा व्युत्पन्न प्रदान किए जाते हैं और कोई जटिल व्युत्पन्न उत्पाद प्रदान नहीं किए जाते हैं।

बैंक द्वारा इंटिग्रेटेड ट्रेज़री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे सीधी प्रक्रिया द्वारा बैंक के घरेलू एवं विदेशी मुद्रा कोष, खातों का मिलान, निपटान और कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया जाएगा और शाखाओं से संपर्क हो सकेगा।

मुद्रा-वायदे खाते का व्यापार करने के लिए बैंक तीन विनिमय कंपनियों अर्थात् एम सी एक्स-एस एक्स, एन एस ई और यू एस ई का व्यापार-सह-समाशोधन सदस्य बन गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मुद्रा वायदे खाते में स्वामित्व व्यापार को बैंक ने रोक दिया है।

बैंक का कुल विदेशी मुद्रा कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष के ₹642372.84 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के लिए ₹938085.38 करोड़ रहा। बैंक का अंतर-बैंक कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष के ₹596695.40 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹899726.76 करोड़ रहा।

घरेलू कोष

संतुलित बाज़ार का लाभ उठाते हुए, बैंक ने अपने व्यापार डेस्क को सक्रिय बनाया और कारोबारी लाभ दर्ज किया। बैंक ने गुणवत्तापूर्ण तथा निर्धारित कॉरपोरेट बाँड और डिबेंचरों, वाणिज्यिक पत्रों, सीडी में निवेश करके गैर-एस.एल.आर. निवेश को भी बढ़ावा दिया है, जिससे निवेश संविभाग की आय में सुधार हुआ है।

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai is supported by one Link Dealing centre at New Delhi to offer competitive rates, to market our services, to develop and maintain customer relationships, and to guide designated branches.

The Bank is one of the first to undertake Web-based trading with Overseas counter party Banks by using state-of-the-art Web platforms. The Bank is having 89 designated Branches (category B) to handle full-fledged FX transactions and 386 nominated branches to handle FCNR business of the Bank.

Bank is also under the process of increasing the Designated and Nominated Branches. NRE/NRO deposits are accepted at all branches of the Bank.

The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) for settlement of Inter-Bank Forex Deals in USD/INR & for settlement of Inter-Bank USD/INR deals in the Forex Forward segment. Further, the Bank is one of the first Banks to participate in Continuous Linked Settlement (CLS) for Cross Currency Deals by CCIL. Both the initiatives address the issue of settlement risk and improve the efficiency of settlement process through novation and central counter party. The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank.

The Bank is implementing Integrated Treasury Management Software which will integrate the Domestic and Forex Treasury, Reconciliation, Settlement and Core Banking platform of the Bank with Straight-through-Process and access to the branches.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges i.e. MCX-SX, NSE and USE for undertaking trading in Currency Futures. Bank has stopped proprietary trading in Currency Future as per the directives of Reserve Bank of India.

The total Forex Turnover of the Bank was ₹938085.38 crore for the current financial year, as compared to ₹642372.84 crore for the previous financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank was ₹899726.76 crore for the current financial year as compared to ₹596695.40 crore for the previous financial year.

Domestic Treasury

Taking advantage of the robust market, the Bank activated its trading desk and booked trading profits. The bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs etc. resulting in improved yields on investment portfolio.

बैंक ने, सी.बी.एल.ओ. रेपो और कॉल जैसे विंडोज़ का प्रभावी प्रयोग करने के द्वारा मध्यस्थ व्यवहार से भी आय कमाया है। बैंक ने बाज़ार स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए, उधार देते और लेते समय, निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए, इन मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है।

बैंक का घरेलू निवेश दि. 31.03.2013 के ₹45574.21 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹ 55462.03 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 20.12.13 के ₹3275.43 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 को ₹3832.50 करोड़ हो गई। एस.एल.आर. प्रतिभूतियों पर बैंक का निवेश ₹48314.61 करोड़ हो गया है जो 31.03.2014 को बैंक के कुल निवेशों का 87.11% बनता है। इस वर्ष का व्यापार लाभ ₹145.83 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त

बैंक द्वारा निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए गए। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना एक विशिष्ट योजना है जिसके तहत पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्यता शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके।

भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर रुपी निर्यात ऋण पेशकश की गई। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराके रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया है। दिल्ली, सूरत, पुणे जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर बैंक ने निर्यातक बैठकें आयोजित की।

विनिमय कंपनियाँ

बैंक द्वारा निम्नलिखित दो विनिमय गृहों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है – मेसर्स नेशल एक्सचेंज कंपनी, डब्ल्यू.एल.एल., दोहा, क़तर और मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज, सल्तनत ऑफ ओमॉन। तीन दशकों से प्रबंधन समझौता कायम है और सारे क्षेत्र में निर्वासित समुदाय की सेवा कर रही है।

केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष

हमारे बैंक के एन आर ई संविभाग के विस्तृत करने की दृष्टि से, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग द्वारा केंद्रीकृत एन आर आई कक्ष प्रारंभ किए गए ताकि एन आर ई खातों को तत्काल खोला जा सके। कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग शाखा की तरफ से खाता खोलता है और ग्राहकों को देने हेतु चेकबुक, ए टी एम कार्ड और इंटरनेट आईडी युक्त एन आर ई किट सीधे विनिमय गृहों को प्रेषित करता है।

समुद्रपारीय परिचालन

बैंक की समुद्रपारीय उपस्थिति युनाइटेड के लंदन में है। यह कोष और विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों के अलावा मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों में सक्रिय है। यह शाखा अंतर बैंक परिचालनों में भी सक्रिय है। यह शाखा

The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo and Call. The bank has managed funds very efficiently by these money market avenues, monitoring continuously the fund flow and the liquidity position, while lending and borrowing, depending on the market conditions and rates.

The domestic investments of the bank were at ₹55462.03 crore as on 31.03.2014 as against ₹45574.21crore as on 31.03.2013. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹3832.50 crore in the year 2013-14 as against ₹3275.43 crore in the year 2012-13. Bank's Investment in SLR securities amounted to ₹48314.61 crore, which formed 87.11% of Bank's aggregate investments as on 31.03.2014. Trading profits for the year was ₹145.83 crore.

Export Finance

The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms was broadened to include more number of exporters.

Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Subvention Scheme, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest. Bank also conducted the Exporters meet at strategic places viz., Delhi, Surat, Pune.

Exchange Companies

The Bank is successfully managing two Exchange Houses viz. M/s. National Exchange Co., WLL, Doha, Qatar and M/s. Musandam Exchange, Sultanate of Oman. The Management Agreement is in place for more than three decades and serving the expatriate community in the Gulf Region. The Bank is also having fruitful Rupee Drawing Arrangements with other 7 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from Gulf countries.

Centralised NRI Cell

With a view to increasing the NRE Portfolio of our Bank, T&IBD has opened the Centralised NRI Cell to enable prompt opening of NRE Accounts. T&IBD is opening the account on behalf of the Branches and is dispatching the NRE kit containing cheque book, ATM card and internet IDs etc. directly to the Exchange Houses for onward delivery to the customer.

Overseas Operations

Bank's overseas presence is in United Kingdom at London. The Branch is active in money market operations, Investments, besides Treasury and Forex dealing operations. Branch is active in interbank operations. The

द्विपक्षीय ऋण के अलावा, भारतीय सिंडिकेशनों और ई सी. बी पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय कारपोरेट जो वैश्विक बन रहे हैं, उनसे शाखा को कारोबार के नए आयाम मिले हैं। शाखा के पास एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है।

शाखा का कुल कारोबार 31 मार्च 2014 को जी बी पी 5801.602 मिलियन (₹43442 करोड़) रहा है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह जी बी. पी 5283.091 मिलियन (43442 करोड़) था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

आपके बैंक ने एक सुदृढ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का प्रमुख दायित्व निदेशक मंडल का होता है। इसमें जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करना, नीतियाँ बनाना, समीक्षा करना और प्रभावी निगरानी शामिल है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी) मंडल की एक उपसमिति है, जो मंडल को आपके बैंक में, एक व्यापक प्रबंधन संरचना को कायान्वित करने में मदद देती है। बैंक की मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समिति से (सीआरएमसी), आस्ति देयता और चलनिधि जोखिम के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) से परिचालनगत जोखिम पहलुओं के संबंध में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति से सहयोग मिलता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, बैंक के लिए संभाव्य हानि है जो प्रतिपक्ष द्वारा या तो क्षम ता के अभाव या दायित्व को पूर्ति करने की अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से उत्पन्न होता है। आपके बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित ऋण नीति एवं ऋण जोखिम नीति बनाया है जो ऋण बाजार की परिवर्तनात्मक स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवधिक समीक्षा भी करती है। बैंक में, ऋण मंजूरी के लिए विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को जोखिम आधारित अधिकार दिए गए हैं और ऋण अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

ऋण जोखिम नीति एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें विनियामक/आंतरिक पूंजी निवेश मानदंड, विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के लिए उच्चतम सीमा का निर्धारण, ऋण समीक्षा और ऋण लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि निगरानी व्यवस्थाएँ हैं। उधारकर्ता और सुविधा, दोनों के श्रेणी-निर्धारण के आधार पर उधारकर्ताओं का श्रेणी निर्धारण किया जाता है। ऋणों का श्रेणीकरण एवं कीमत निर्धारण के लिए श्रेणी निर्धारण मापांक का उपयोग किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों से स्थानांतरण आस्तियों का श्रेणी निर्धारण किया जा रहा है और आपका बैंक पूँजी प्रभार परिकलन के लिए संस्था आंतरिक श्रेणीकरण आधारित (एफआईआरबी) दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम का तात्पर्य है, बाजार कीमतों के उतार-चढाव से ऑन एवं

Branch focuses of syndications and ECBs, besides bilateral loans. With Indian Corporates going global, branch finds new opportunities of business. The branch has robust risk-management system.

The total business of the branch stands at GBP 5801.602 Million (₹57880 crore) as at 31st Mar, 2014 as against GBP 5283.091 Million (₹43442 crore) as at the corresponding period of previous year.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture

Your bank has implemented a robust and comprehensive Risk Management Framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for risk management initiatives in the bank. It includes defining risk appetite, framing policies, review and effective monitoring. The Risk Management Committee (RMC), which is a subcommittee of the board, assists the Board in the implementation of the enterprise wide Risk Management architecture in your bank. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) which takes care of the Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) looking after the Asset Liability and Liquidity Risk, while Operational Risk Management committee taking care of operational risk aspects.

Credit Risk

Credit risk is the potential loss to the bank caused by the default of payment by counter party either due to the lack of capacity or unwillingness to meet obligation. Your bank has formulated the Credit Policy and Credit Risk policy, approved by the Credit Risk management committee with periodical review to meet the dynamics of the credit market. Your bank has adopted the risk based delegation of power for various levels of hierarchy in the bank for lending and has also constituted various committees at Regional office/Corporate office levels for credit approval.

The credit risk policy is a comprehensive document containing the Regulatory/internal capital exposure norms, setting of ceiling limit for various sectors/industries, Loan review and monitoring tools like credit audit, Concurrent audit. Internal audit etc. The borrowers are rated under two dimensions of Borrower and facility rating. Rating module is used for grading and pricing the loans.

Rating of assets migration are in place for the last five years and your bank is in the process of moving to Foundation Internal rating based (FIRB) approach for capital charge computation.

Market Risk:

Market Risk is defined as the risk of losses in on and off-

ऑफ तुलनपत्र स्थितियों में होनेवाली हानियों का जोखिम। बाजार जोखिम के विभिन्न घटकों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है:

1) ब्याज दर जोखिम: उक्त जोखिम, प्रतिफल चक्र में परिवर्तन, ऋण-विस्तार तथा अंतर ब्याज दरों में अस्थिरता से उत्पन्न होता है।
2) ईक्विटी कीमत जोखिम: उक्त जोखिम, ईक्विटी की कीमतों में परिवर्तन, ईक्विटी इन्डेक्स, ईक्विटी बास्केट और शेयर बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होता है।
3) विनिमय दर जोखिम: यह जोखिम, विनिमय दरों में परिवर्तन और उनकी अस्थिरता के कारण उत्पन्न होता है।
4) पण्य कीमत जोखिम: पण्यों की कीमतों में परिवर्तन और अस्थिरता से यह जोखिम उत्पन्न होता है। फिर भी, पण्यों से संबंधित बाजार में आपके बैंक ने कोई निवेश नहीं किया है।

आपके बैंक में, अपने कोषीय कार्यों का नियंत्रण एवं निगरानी के लिए अपेक्षित स्पष्ट नीतियाँ हैं। बैंक ने, घरेलू कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग और लंदन शाखा के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांतों सहित फारेक्स कोष और एकीकृत बाजार जोखिम नीति को शामिल करते हुए निवेश नीति अपनाई है। विनियामक, वित्तीय और बाजार की स्थितियों के आधार पर निवेश नीति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

बैंक ने, एकीकृत कोष प्रबंधन सोल्यूशन (आई टी एम एस) को अपनाया है जिसमें घरेलू और विदेशी मुद्रा कोष दोनों परिचालन सक्रिय हैं। संप्रति, मानकीकृत माप पद्धति (एस एम एम) के अंतर्गत बाजार जोखिम पूँजी का परिकलन एस ए एस मॉड्युल के साथ सक्रिय है। बैंक, आंतरिक मॉडल अप्रोच (आई एम ए) की ओर बढ़ रहा है।

बैंक में, ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर दृष्टिकोण और अवधि दृष्टिकोण, दोनों के अंतर्गत ब्याज दर जोखिम को आंका जाता है। आगे, आपका बैंक, मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एम डी) और 'ईक्विटी का आर्थिक मूल्य' के अनुमान आदि की गणना करता है।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह 'जोखिम' है जो या तो वित्तीय दायित्व जब कभी देय होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए बैंक के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होता है या इन वित्तीय संसाधनों को अत्यधिक और बनाए न रख सकने वाली लागत में प्राप्त करना पड़ता है।

बैंक, (i) संरचनात्मक चलनिधि विवरणी (ii) गत्यात्मक चलनिधि विवरणी के जरिए चलनिधि जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक, दैनिक आधार पर आस्तियों और देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संरचनात्मक चलनिधि स्थिति का आकलन करता है, जिसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। इससे, निधि स्थिति संबंधी योजना को अग्रिम रूप से बनाया जा सकता है।

उच्च प्रबंधन तंत्र के लोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) के सदस्य हैं और वे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन

balance-sheet positions arising from movements in market prices. The different components of market risk can be categorized as under:

1) Interest Rate Risk: The risk that arises from changes in yield curves, credit spreads and volatility in interest rates.
2) Equity Price Risk: The risk that arises from changes in the prices of equities, equity indices, equity baskets and volatility in stock market.
3) Exchange Rate Risk: The risk that arises from changes in the exchange rates and their volatility.
4) Commodity Price Risk: The risk that arises from changes in commodity prices and volatility. However, your bank does not have any exposure to commodity related markets.

Your bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. Your bank has put in place Investment policy including Domestic Treasury, Forex treasury for International Division and London branch with operational guidelines and Integrated Market risk policy. Investment policy is reviewed regularly in line with Regulatory, financial and market conditions.

Your Bank has put in place Integrated Treasury Management Solution (ITMS), where in both Domestic and forex treasury operations are live. Computation of Market risk capital under Standardized Measurement Method (SMM) is live with SAS module at present. Your Bank is in the progress to move to Internal Models Approach (IMA).

Interest rate Risk in your Bank is measured under both Interest rate Sensitivity Gap approach and Duration approach. Further, your Bank computes Earnings at Risk (EaR), Modified Duration (MD) and estimation of 'Economic Value of Equity' on monthly basis.

Liquidity Risk

Liquidity Risk implies the 'risk' when the Bank either does not have sufficient financial resources available to meet its financial obligations, as and when they are due, or can only access these financial resources at excessive and unsustainable cost.

Your Bank monitors the liquidity risk through (i) Structural Liquidity Statement (ii) Dynamic Liquidity Statement.

Your Bank draws the Structural Liquidity Statement based on the residual maturity of Assets and Liabilities on Daily basis. Dynamic liquidity statement is estimation of liquidity position for a future period of 90 days, which is prepared on monthly basis. There by Fund position can be planned in advance.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) consists of members of the Top Management and regularly meets to monitor Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price

जोखिम, आधार जोखिम, पूनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं।

पीआरए/एफ सी ए की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए विवेकपूर्ण विनियामक प्राधिकार (पी आर ए), यू.के के साथ 'होल फर्म मोडिफिकेशन' दृष्टिकोण के लिए अनुमोदन मिलने पर बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु एक व्यवस्था/तंत्र लागू किया है।

बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक अच्छी आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहा है।

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार बैंक, 'वैज्ञानिक निधि अंतरण कीमत निर्धारण' प्रणाली (एफ टी पी) को अपनाने जा रहा है।

परिचालन जोखिम:

परिचालन जोखिम वह जोखिम है जो बैंक में विधिक जोखिम सहित वैयक्तिक, प्रणाली, आंतरिक प्रक्रिया या बाहरी तथ्यों की असफलता से पैदा होती है। उच्च प्रबंधन और महाप्रबंधकों के नेतृत्व में संचालित परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, आवधिक बैठकों के माध्यम से बैंक के कार्यों में प्रक्रियाओं/प्रणालियों एवं क्रियाविधियों की समीक्षा/आशोधन करते हुए परिचालन जोखिम की निगरानी एवं नियंत्रण करती है।

आपका बैंक, वित्तीय वर्ष 2014 की पहली तिमाही में प्रणाली आधारित परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओ आर एम एस) को सफलतापूर्वक आरंभ किया है। बैंक, इस प्रणाली के जरिए परिचालन हानियों के ब्योरे प्राप्त कर सकता है और मॉडल का इस्तेमाल करते हुए परिचालन जोखिम के लिए अपेक्षित पूँजी का परिकलन कर सकता है।

कॉरपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आर एम सी) की सहायता करता है और पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

बासेल II अनुपालन

बैंक, बासेल II के सभी मानदंडो का अनुपालन करता है। पूंजी का जोखिम आधारित आस्ति अनुपात की गणना, भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनएसीएफ़) के मार्गदर्शनों का अनुसरण करके पिलर-I की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। बैंक ऋण जोखिम के लिए मानक पहल, परिचालन जोखिम के लिए मौलिक संकेतक पहल और विपणन जोखिम के लिए मानकीय अवधि पहल का उपयोग करता है।

बैंक के पास अनुमोदित व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और स्ट्रेस टेस्ट नीति है जिस की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि वह अपनी विपणन वास्तविकताओं, आर्थिक वातावरण, और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठा सके। बैंक एक

Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

With the Prudential Regulatory Authority (PRA), UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under the liquidity regime of PRA/FCA (Financial Conduct Authority), the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole.

The Bank has a well documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any eventuality. The Bank is undertaking stress test on quarterly basis to assess the impact on liquidity and interest income of the Bank.

As per the direction of RBI, Your Bank is the process of Implementing 'Scientific Fund Transfer Pricing (FTP)' mechanism.

Operational risk:

Operational risk is the risk of loss on account of failure of people, systems, internal process or external factors, including legal risk in the bank. The operational risk management committee of the bank headed by the Top management and the General Managers takes the responsibility of monitoring and controlling the operational risk through periodical meetings through review/amendment of processes, systems and procedures in the functions of the bank.

Your Bank is successfully launching the system based Operational Risk management system (ORMS) in the first quarter of financial year 2014. This will enable the bank to collect the details of operational losses through system which will enable the bank to compute capital for operational risk using models.

Risk Management Department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank, with the assistance of Risk Management Cell (RMC) at Regional Offices.

Basel II Compliance

Your Bank has been complying with all Basel II norms. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines of RBI. Your Bank is adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

Your Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test Policy which is reviewed periodically, so as to be in

वार्षिक पूंजी योजना तैयार कर रहा है जिसकी वास्तविक कार्य परिणामों के आधार पर त्रैमासिक समीक्षा की जाती है ताकि पिलर-I तथा पिलर-II जोखिमों का निर्धारण किया जा सके।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित प्रकटीकरण नीति भी है जिसकी भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में समीक्षा की जाती है।

बैंक के पास साख, विपणन तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन करने के लिए एक अच्छी प्रलेखी नीति और प्रक्रिया है, जिसे आवधिक रूप से समीक्षित किया जाता है ताकि बदलते कारोबार और विपणन वातावरणों के अनुकूल उसे बनाया जा सके।

बासेल III दिशानिर्देश

किसी भी स्त्रोत से उत्पन्न होनेवाले वित्तीय एव आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढाने के लिए बासेल III दिशानिदेशों को लागू किया गया ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा को समर्थन मिलें जिसमें ऑन एण्ड ऑफ तुलन-पत्र मदों के लिए पूंजी की अपेक्षा और कॉमन ईक्विटी पूँजी के प्रति ध्यान केंद्रित हो।

वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने आंतरिक उपचयों को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाते हुए तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी का उपयोग करते हुए कॉमन ईक्विटी टियर। पूँजी सीआरएआर को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं।

बैंक, भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पूँजी अपेक्षा अनुपात के तौर पर सुस्थिति में है। बैंक ने, 01-01-2015 की स्थिति को पूँजी की विनियामक आवश्यकताओं और लीवरेज अनुपातों को बनाए रखने के लिए भा.रि.बैं. के दिशा-निदेशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पूँजी प्राप्त करने के साथ-साथ बासेल III के अंतर्गत उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी.ई.टी., सी आर ए आर एवं लीवरेज अनुपात में वृद्धि करने के लिए सभी उपाय किए हैं और इसके साथ कारोबार में लक्ष्यानुरूप वृद्धि को भी हासिल किया गया है।

बैंक सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से बासेल III प्रकटन से संबंधी आवश्यक सूचना त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर बैंक वेब साइट पर प्रकाशित कर रहा है।

बासेल-II सहित बासेल-III के अंतर्गत पूँजी की तुलना निम्नवत दी गयी है:

मानदंड	बासेल-II	बासेल-III
टियर-I पूँजी अनुपात	8.99%	8.68%
टियर-II पूँजी अनुपात	3.02%	2.73%
कुल पूँजी	12.01%	11.41%

एमआईएस मिशन – व्यवस्था परिवर्तन की पहल

नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने तथा बैंक में भी प्रयोग हेतु त्रुटि रहित तथा स्थिर एम.आई.एस. डाटा/रिपोर्ट बनाते हेतु सिस्टम में एक ठोस डाटा

line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. Bank is preparing the Annual Capital Plan which is reviewed quarterly based on actual working results so as to assess both Pillar I and Pillar II Risks.

Your Bank has a Board approved Disclosure policy which is reviewed periodically by adhering to the guidelines issued by RBI.

Your Bank has a well documented policy and processes for management of Credit, Market and Operational Risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

Basel III Guidelines

Basel III guidelines have been introduced with a view to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, supplementing the Risk-based capital requirement with a Leverage Ratio which require the capital for all on and off balance sheet items and shifting focus towards Common Equity Capital.

During the current year, your Bank has taken various capital optimization measures for improving the quality of capital and improve the Common Equity, Tier 1 capital, CRAR, by plough back of internal accruals and infusion of capital by Government of India.

Your Bank is in a fairly comfortable position as regards Capital and adhere to the ratios prescribed by RBI. Bank is taking all measures to improve the CET, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the Basel III requirements in a phased manner as per the schedule prescribed by RBI to meet the regulatory requirements of Capital and Leverage Ratios as on 01.01.2015, while simultaneously achieving the expected growth in business.

Your Bank is also publishing on quarterly/half yearly basis the required information on Basel III disclosures in the website from the quarter ending September 2013.

A comparison of Capital, under Basel-II vis-à-vis Basel –III is given below:

Parameter	Basel - II	Basel – III
Tier I capital Ratio	8.99%	8.68%
Tier II capital Ratio	3.02%	2.73%
Total Capital	12.01%	11.41%

MIS-MISSION – A game changing initiative

To generate error free and consistent MIS data / Reports for submitting to Regulatory Authorities and also for internal

की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सिस्टम में ठोस एम.आई.एस. डाटा सुरक्षित रखते हेतु बैंक ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में अलग से एक 'सूचना प्रबंधन प्रणाली' (एम.आई.एस.) विभाग का गठन किया गया था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग ने उक्त कार्य को पूरा करने के लिए एम आई एस डेटा क्लीनिंग, पुनरावृत्ति को निकालने तथा एम आई एस डेटा संवर्धन के जरिए एम आई एस डेटा प्रणाली को पुनर्संशोधित किया है । एम आई एस डेटा पुनर्संशोधन प्रक्रिया में कमियों की समीक्षा करके उसमें प्रयोक्तानुकूल स्क्रीन लाए गए हैं ताकि एम आई एस विवरण पूरी तरह से शामिल किया जा सके । बैंक ने दि. 16.11.2013 में 'एम आई एस मिशन' की घोषणा की है।

इस कार्य को प्रशासनिक कार्यालयों/शाखाओं ने गंभीरतापूर्वक लिया है एवं इसे एक मिशन के रूप में की जा रही है। मौजूदा 34 लाख से अधिक उधार खातों का एम.आई.एस. कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। जैसे ही आस्ति भाग का एम आई एस अद्यतन कार्य पूर्ण हो जाएगा, देयता भाग का अद्यतन कार्य भी हो जाएगा। खाता स्तर पर की गई एम.आई.एस. विवरण का, समवर्ती/स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

नए एम.आई.एस. विवरण के संदर्भ से रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय जो मान्यताधीन हैं, के लिए परीक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाते हैं। आशा है कि सितंबर 2014 तक बैंक/नियामक प्राधिकरण के समस्त रिपोर्ट बिना कोई मानवीय हस्तक्षेप के, सिस्टम से प्राप्त किये जाने लगेंगे।

इन 'व्यवस्था परिवर्तन शुरुआत' से बैंक को, न केवल मात्रात्मक लाभ (वित्तीय-मानवीय रूप से रिपोर्ट बनाने में मानव-दिन बचाने के कारण) बल्कि गुणात्मक लाभ, जैसे-अच्छे निर्णय लेने, नियामक आवश्यकताओं को प्राप्त करने, बैंक की छवि बढ़ाने तथा ए.एफ.आई. रेटिंग प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सूचना प्रोद्योगिकी

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस):

31/03/2014 की स्थिति में बैंक के 34 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 2192 केंद्रों में, 3250 शाखाओं एवं 141 कार्यालयों के विस्तार के साथ सी.बी.एस. नेटवर्क का विस्तार है। वर्तमान में समस्त शाखाएं/कार्यालय केंद्रीकृत सर्वर व्यवस्था के अंतर्गत है।

सुपूर्दगी चैनलें:

एटीएम नेटवर्क:

31/03/2014 की स्थिति में पूरे देश में बैंक के 860 केंद्रों पर 1946 एटीएम विद्यमान है। बैंक के पास एटीएम एवं पी.ओ.एस. टर्मिनल की वैश्विक पहुंच के लिए 64.04 लाख कार्ड-आधार है। ए.टी.एम. के माध्यम से बैंक का औसत नकद वितरण ₹1036.52 करोड़ प्रतिमाह है।

एटीएम में नवोन्मेषी सेवाएं:

हिंदीभाषी क्षेत्रों में एटीएम के स्क्रीन द्विभाषी बनाए गए हैं। कर्नाटक एवं केरल राज्यों में समस्त एटीएम स्क्रीन बहुभाषी हैं। तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं में एटीएम स्क्रीन निर्माण प्रक्रियाधीन है।

use of the Bank, a robust MIS data in the system will play a significant role. To place a correct MIS data in the system, Bank had constituted a separate vertical 'Management Information System (MIS) Department' headed by General Manager.

To accomplish the above task, the MIS Department has taken up revamping of MIS data in system through the process of MIS Data Cleaning, De-duplication and MIS Data Enrichment. As a part of revamping process of MIS data, gap analysis has been done and new user friendly screens are provided to capture the MIS details. The Bank had declared 'MIS-MISSION' from 16.11.2013.

The task has been taken-up seriously at Administrative Offices / Branches and is being attended on a mission mode. The task of MIS capturing in as many as 34 lakhs existing borrowal accounts is in the verge of completion. Once the asset side MIS updation is completed, the liability side MIS updation will also be done. The MIS details that are captured at the account level are being audited by Concurrent / Local Auditors.

The process of development of report generation tools with reference to new MIS details is under way. Trial reports are generated for selected Branches / ROs which are under validation. It is envisaged to generate all reports of the Bank / Regulatory Authorities from the system without manual intervention by September, 2014.

Through this 'game changing' initiative, the Bank is expected to reap not only the quantitative benefits (financial – on account of saving man-days in manual preparation of reports) but also qualitative benefits viz, better decision making, meeting regulatory requirements, enhancing image of the Bank, better AFI rating etc.

INFORMATION TECHNOLOGY

CORE BANKING SOLUTION (CBS):

The Bank continues to spread its wings with a network of 3,250 Branches and 141 Offices in 2192 centres covering 34 States and Union Territories under the CBS Network as on 31.03.2014. All the branches / offices are currently under Centralized Server Setup.

DELIVERY CHANNELS:

ATM Network:

Bank has operationalised 1946 ATMs as at 31.03.2014, spread across 860 Centres across the country. Bank has a Card-base of over 64.04 Lakh for global access to ATMs and POS Terminals. Average Cash Disbursal through ATMs stands at ₹1036.52 Crore per month.

Innovative services in ATMs:

Bilingual screens are made available in ATMs of Hindi speaking areas. All the ATMs in the States of Karnataka and Kerala are having multi-lingual screens. ATM screens in Telugu, Malayalam, Oriya, Bengali etc are under process.

एटीएम से लेनदेन पर एसएमएस: भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एटीएम से समस्त लेनदेन की सूचना ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर संदेश भेजे जाते हैं।

31/03/2014 तक समस्त शाखाओं में एटीएम/नकदी वितरण मशीन

वित्त विभाग के निर्देशानुसार बैंक 1600 नये नकदी वितरण मशीन लगाने की दिशा में कार्यरत है। इन 1600 मशीनों में 1300 मशीन उन शाखाओं के लिए आबंटित किये गए हैं जहाँ ऐसे मशीन उपलब्ध नहीं है। 300 मशीनें पुराने एटीएमों की वापसी खरीद व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित करने के लिए आबंटित किये गए हैं। इन सब कार्यों की प्रक्रिया जारी है।

इंटरनेट बैंकिंग:

मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2014 को इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं में 0.85 लाख की वृद्धि हुई है एवं इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 7.97 लाख हो गई है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निधियों के अंतरण हेतु सुविधाएं जैसे - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट) एवं तत्काल सकल भुगतान (आर.टी.जी.एस.) रेल टिकट आरक्षण, उपयोगी बिलों के भुगतान, विधि प्रकार के करों के भुगतान, वैट आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

एस.एम.एस. बैंकिंग:

बैंक ने ग्राहकों के खातों में हुए लेन-देन की सूचना उन्हें तुरंत देने के लिए एस.एम.एस. बैंकिंग की शुरुआत की है। एस.एम.एस. बैंकिंग सुविधा का लाभ उठानेवालों की संख्या, जो 31 मार्च 2013 को 6,28,750 थी, 31 मार्च 2014 को बढ़कर 10,50,955 हो गई है।

मोबाइल बैंकिंग:

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा की शुरूआत की है जिससे ग्राहक बैंक से संबंधित लेनदेन अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या जो 31 मार्च 2013 को 9736 थी, 31 मार्च 2014 में बड़कर 24781 हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली -आर.टी.जी.एस./नेफ्ट

हमारा बैंक 3171 शाखाओं के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के अंतर्गत नेफ्ट तथा आर.टी.जी.एस. दोनों के लिए निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। मार्च 2014 के दौरान 19.32 लाख नेफ्ट हुई जिसमें 10,876.54 करोड़ एवं 1.74 लाख आर.टी.जी.एस. हुए जिसमें 1,40,963 करोड़ रुपये की लेनदेन हुई।

ग्राहक केंद्रित पहल:

बंच नोट स्वीकारकर्ता (बीएनए):

बैंक ने चयनित बाज़ार क्षेत्रों के ग्राहकों से थोक रूप में नकदी प्राप्त करने हेतु 100 बंच नोट स्वीकारकर्ताओं की तैनाती की है। ये बी.एन.ए. 24x7 के आधार पर खातों में नकद जमा/निकासी के लिए ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट की सुविधा प्रदान कराते हैं।

SMS for ATM Transactions: As per RBI guidelines, SMS is being sent to the customer's registered mobile number for all ATM transactions.

ATM/Cash Dispenser to each Branch of the Bank by 31.03.2014:

Bank is in the process of installing 1600 new Cash Dispensers to comply with the directions of DFS. Out of 1600 Cash Dispensers, 1300 is allotted for providing to branches where there is no ATM/CD. 300 CDs are allotted for replacement of old ATMs under buyback arrangement. The process is under progress.

Internet Banking:

Internet Banking facility-User base now stands at 7.97 Lakhs as at 31st March 2014 with an increase of 0.85 Lakhs over March, 2013. Facilities such as National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) facility for transfer of funds, Railway Ticket Reservation, Utility Bills payments, Payment of various types of Taxes, VAT etc. are being extended through Internet Banking channel.

SMS Banking:

Bank has introduced SMS Banking to inform the customer immediately when a transaction occurs in their account. The number of customers who have availed SMS Banking facility has grown from 6,28,750 as at March 31, 2013 to 10,50,955 as at March 31, 2014.

Mobile Banking:

Bank has implemented Mobile Banking Services, whereby customers can conduct their banking transactions through mobile phones. The number of mobile banking users is increased to 24781 as on 31.03.2014 from 9736 as on 31.03.2013.

Centralised Payments System of RBI – RTGS/NEFT:

The Bank is offering NEFT and RTGS, the Fund Transfer facility among the Banks, under the RBI's Centralised Payments System, through 3,171 branches/Offices for both RTGS and NEFT. During March 2014, there were 19.32 Lakhs NEFT transactions involving an amount of ₹10,876.54 Crore and 1.74 Lakhs RTGS transactions involving an amount of ₹1,40,963 Crore.

Customer-centric Initiatives:

Bunch Note Acceptors (BNA):

Bank has procured 100 Nos. of BNAs for installation in select market areas for accepting bulk cash from the customers. BNA facilitates for on-line credit/debit to the account for cash deposit/withdrawal on 24*7 basis.

स्विच निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली की आउटसोर्सिंग

एटी.एम. स्विच समर्थन सेवाओं की 24x7 आधार परस तत निगरानी, समयबद्धता एवं सटीकता में सुधार लाने के लिए संगठित कौशल स्तर की तैनाती आदि जैसी सुविधाओं के लिए स्विच निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली हेतु स्विच वैडर की आउट सोर्स किया जाता है।

कोर बैंकिंग में सरकारी कारोबार मॉड्यूल का क्रियान्वयन:

बैंक ने पी.पी.एफ. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस.सी.एस.एस.), भारतीय रिज़र्व बैंक रिलीफ फंड, ओलटास, इ.ए.एस.आई.इ.एस.टी, विभिन्न राज्यों के लिए कर संग्रह जैसे सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) शुरू की है। आशा है, इसका क्रियान्वयन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

बैंक की वेबसाइट का नवीकरण:

ग्राहकों के उपयोग के लिए बैंक के वेबसाइट के आसान उपयोग, सर्च इंजन की सुविधा, मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एस.पी.जी.आर.एस.) आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ बैंक के वेबसाइट को नवीकरण की शुरूआत की गई है।

इंटरनेट बैंकिंग समाधान हेतु नए उच्च संस्करण:

बैंक, इंटरनेट बैंकिंग समाधान की नये एवं उच्च संस्करण के रूप में परिवर्तन की ओर अग्रसर है। यह नया संस्करण इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा समस्त ब्राउजरों (क्रोम, फायरफोक्स, ओपेरा, सफारी) के लिए संगत होगा।

सिंड प्रोटेक्ट – आर.एस.ए. सुरक्षा आई.डी. के प्रयोग से द्विकारक प्रमाणीकरण:

ग्राहकों द्वारा हार्ड/सॉफ्ट टोकन के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर गलत तरीके से पैसों के अंतरण को रोकने के लिए नवीनतम उपाय है।

मिस्ड कॉल बैंकिंग :

मिस्ड कॉल बैंकिंग, ग्राहकों को उनके कासा खाते में बकाया शेष राशि पता करने की सुविधा है।

हरित पहल का कार्यान्वयन

ए) बैंक ने इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा कागजरहित अनुपालन को स्वीकार करते हुए ''कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल'' के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की है। बैंक ने उन ग्राहकों/निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्रा) लि. के जहाँ अपना ई मेल पता दर्ज करा लिया है। बैंक कागज आधारित अदायगी लिखतों के प्रयोग के बजाय वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करने को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है।

बी) इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बैठकें एवं विचार-विमर्श हुआ है कि यथासंभव सूचनाओं/ऑकड़ों को सॉफ्ट प्रतियों में रखा जाए।

सी) बैंकों द्वारा कॉरपोरेट ई-मेल सुविधा और इन्ट्रा-नेट आधारित आई.पी. मेसेज प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है और इससे कागज आधारित संप्रेषण पर निर्भरता में कमी आई है।

Outsourcing of Switch Monitoring & Management Services:

Switch Monitoring & Management Services is outsourced to Switch vendor for the advantages like Continuous monitoring of ATM Switch and Support Services on 24x7 basis, deploying organized skill levels for managing switch operations to improve lead times and accuracy on responses, etc.

Implementation of Govt. Business Module in Core Banking:

Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States etc. It is expected to be implemented shortly.

Revamping of Bank's Website:

Process initiated for revamping the Bank's website with additional features like user friendliness, search engine facility, Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS) for customers, etc.

New higher version of Internet Banking Solution

Bank is in the process of upgrading to a new higher version of Internet Banking Solution. The new version will be compatible in all Browsers (like Chrome, Firefox, opera, Safari) apart from Internet Explorer.

"Synd Protect" - Two-Factor Authentication using RSA SecurID: It is an Advanced Solution for internet banking transactions by customers, through hard/soft tokens, to prevent transfer of Funds fraudulently.

Missed Call Banking:

Missed Call Banking facilitates the customers to know the Balance Outstanding in their latest CASA Account.

IMPLEMENTATION OF GREEN INITIATIVES

a) Bank has taken steps towards implementation of "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances through electronic mode. Bank has been sending soft copies of Annual Report to those members / investors who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Bank is actively encouraging transactions through alternative channel to reduce the usage of paper based payment instruments.

b) Discussions/proceedings of several important meetings are held where the required information/data is kept in the form of soft copies as far as possible.

c) Bank is using corporate e-mail facility and intra-net based IP messaging system and thus reducing dependency on paper based communication.

डी) बैंक में प्रायोक्ताओं द्वारा मांगी जानेवाली आवधिक तथा तदर्थ रिपोर्टे इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि कागज़ आधारित रिपोर्टों पर निर्भरता को दूर किया जा सके।

ई) बांड धारकों/वैडरों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से राशि जमा कर हरित पहल का शत प्रतिशत अनुपालन कर कागज़ आधारित भुगतान को पूरी तरह से समाप्त करने की पहल की जा रही है।

अन्य सेवाएं

सरक्षित जमा लॉकर:

- सुरक्षित जमा लॉकर वाले समस्त शाखाओं से सुरक्षित जमा लॉकरों के कुशल प्रबंधन हेतु लॉकर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर क्रियान्वित।
- ग्राहकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से लॉकर शुल्क कम कर प्रतिस्पर्धी बनाया गया।

नकदी प्रबंधन

- **नकद जमा अनुपात (सीडी.आर):** वर्ष 2013–14 में 0.40 प्रतिशत की औसत सी.डी.आर. की तुलना में 31-3-2014 की स्थिति में यह 0.30 प्रतिशत की संतोषजनक स्थिति में रही।
- मुद्रा पेटिका/नकद प्राप्ति केंद्रों से संबद्ध सभी कैश वाहनों को जी.पी. आर.एस. युक्त रखा गया है।

मुद्रा प्रबंधन:

- वर्तमान में 44 मुद्रा तिजोरियाँ हैं। दो नयी मुद्रा तिजोरियाँ, एक कासरगोड (केरल) में तथा दूसरा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में शीघ्र ही शुरू की जाएंगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार स्वच्छ नोट नीति का क्रियान्वयन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार शाखाओं एवं मुद्रा पेटिकाओं में नोट छँटाई मशीन उपलब्ध कराई जानी है। बैंक द्वारा इसके अनुपालन के लिए कदम उठाया गया है।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम

01/04/2014 से सी.टी.एस. अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में बैंक ने सुनिश्चित किया है कि:

- समस्त शाखाओं/खाताधारकों को सी.टी.एस.– 2010 मानक के अनुरूप ही चेक जारी करें।
- जारी किये गए मांगपत्र भी सी.टी.एस. के अनुकूल हों।
- शाखाओं को पुराने एवं नये चेकों के कार्यप्रणाली से निपटने एवं अनुकूल नये चेकों के आदान–प्रदान हेतु शाखाओं को दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।

सी.टी.एस. समाशोधन की गतिविधियां ग्रिड–आधारित हैं। पूरे देश में इसे चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाता है। 66 एम.आई.सी.आर. केंद्रों पर केंद्रीकृत आवक समाशोधन पूर्ण रूप से लागू किया गया है। गैर एम.आई. सी.आर. केंद्रों के 95 प्रतिशत भी केंद्रीकृत आवक समाशोधन द्वारा कवर किये जाते है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सी.पी.पी.सी)

बैंक द्वारा जनवरी 2012 से ही केंद्रीकृत सिविल पेंशन को सरकारी कारोबार मॉड्यूल में परिणत कर दिया गया है जिसके लिए सी.पी.ए.ओ., नई दिल्ली

d) Various periodical and ad hoc reports required by the users across the Bank are being provided in an electronic form obviating the need for paper based reports.

e) 100 % adherence to Green Initiative by Direct Credit to accounts of Bond Holders / Vendors, there by totally eliminating paper based payments.

OTHER SERVICES:

SAFE-DEPOSIT LOCKERS

- Locker Module Software for efficient Management of Safe Deposit Lockers implemented in all branches having Safe Deposit Locker facility.
- Locker Charges made competitive with nominal rents to benefit cross section of the clientele.

CASH MANAGEMENT:

- Cash Deposit Ratio (CDR) is maintained at a satisfactory level of 0.30% as on 31.03.2014 against the Average CDR of the Bank for the year 2013-14 @ 0.40%.
- All the Cash Vans attached to our Currency Chests/ Cash Pooling Centres are GPRS enabled.

CURRENCY MANAGEMENT:

- At present there are 44 Currency Chests. Two new Currency Chests, one at Kasaragod (Kerala) and the other at Ghaziabad(Uttar Pradesh) will be operationalised shortly.
- Clean Note Policy as per RBI expectations is implemented. Under RBI Clean Note Policy, banks are required to provide Note Sorting Machines to Branches and Currency Chests. Bank has taken steps to comply with it.

CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS):

CTS is mandatory from 01.04.2013. In this regard, Bank has ensured

- CTS – 2010 Standard compliant Cheque books issued to all branches / account holders.
- The DDs issued are also CTS enabled.
- Specific guidelines are issued to the branches regarding modus operandi of dealing with old and new cheque books and also to exchange new cheque books wherever eligible.

CTS clearing activities is Grid-based. This is implemented throughout the country in a phased manner. There are 66 MICR centers where Centralised Inward Clearing has been implemented in full. 95% of the Non MICR centers are also covered by Centralised Inward Clearing.

CENTRALISED PENSION PROCESSING CENTRE (CPPC):

The Bank has already migrated Central Civil Pensions into Govt. Business Module from February 2012 for which Bank

तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से अनुमति ले ली गई है तथा सी.पी.पी.सी. द्वारा इसकी निगरानी ठीक प्रकार की जा रही है। दूरसंचार पेंशन को भी सरकारी कारोबार मॉड्यूल में पूर्णत: परिणत किया जा चुका है एवं संबंधित प्राधिकारियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन भी प्राप्त किए जा चुके हैं। सी.पी.पी.सी. ने दिनांक 1-04-2012 के बाद निर्गत समस्त नये पी.पी.ओ. के लिए रक्षा पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस श्रेणी में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए रक्षा पेंशन की परिणती केंद्रीकृत प्रणाली में करने का कार्य प्रक्रियाधीन/पर है।

मानव संसाधन विकास

मानव पूँजी

बैंक अपने कर्मचारियों को अत्यंत स्पंदनशील एवं मूल्यवान आस्ति के रूप में सम्मान देता है। बैंक की भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव पूँजी का विकास करने में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

बैंकिंग क्षेत्र भविष्य की मानव संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु मानवशक्ति का विकास करने तथा उसे बनाए रखने के लिए बैंक, मानव संसाधन आयाम पर सकेंद्रित है।

बैंक, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनके विकास पर निवेश करते हुए बैंक ने स्टाफ सदस्यों को नई एच.आर. चुनौतियों को संभालने के लिए सक्षम बनाया है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार रहें।

31-03-2014 की स्थिति के अनुसार बैंक की मानव पूँजी निम्नानुसार है:

वर्ग	31.03.2013	31.03.2014
अधिकारी	10394	11257
लिपिक	10360	10270
अधीनस्थ कर्मचारी	3743	3534
सफाई कर्मचारी	2109	2161
कुल	26606	27222

औसतन आयु रूपरेखा

वर्ग	31.03.2013	31.03.2014
कार्यपालक	56.06	56.24
अधिकारी	45.23	42.90
लिपिक	47.08	45.91
अधीनस्थ कर्मचारी	49.72	50.39
समग्र बैंक	46.72	45.45

सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन

वर्ष के दौरान बैंक ने, पदोन्नति, नियुक्ति और निष्पादन मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है।

has received its approvals from CPAO New Delhi and RBI Mumbai and the same is handled through CPPC smoothly. Migration of Telecom Pensions into Govt. Business Module is also completed and approvals from concerned authorities and RBI stand received. CPPC started disbursing Defence Pension payments for all new PPOs issued w.e.f.01.04.2012. Migration of Defence Pension to Centralised system for ensuring improved services to this category is in process / progress.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

HUMAN CAPITAL

Bank recognizes its employees as the most vibrant and valuable asset. HR plays a paramount role in developing human capital in tune with the Vision and Mission of the Bank.

Bank is constantly focussing on HR dimension by developing and retaining the workforce to meet the future HR challenges in the Banking Sector.

Investment in employees' training and development has enabled the Bank to prepare the staff members to handle new HR challenges and make them 'future ready'.

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2014 is as under:

Category	31.03.2013	31.03.2014
Officers	10394	11257
Clerks	10360	10270
Sub staff	3743	3534
Sweepers	2109	2161
Total	26606	27222

AVERAGE AGE PROFILE

Category	31.03.2013	31.03.2014
Executives	56.06	56.24
Officers	45.23	42.90
Clerks	47.08	45.91
Sub staff	49.72	50.39
Bank as whole	46.72	45.45

COMPLIANCE TO GOVERNMENT GUIDELINES

During the year the Bank has complied with the guidelines received from the Government of India on various H.R. matters in the areas of Promotions, Recruitment and Performance Appraisal etc.

नियुक्ति योजना

बैंक ने वित्त, मार्केटिंग, सुरक्षा, विधि एवं राजभाषा आदि विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए कुशल मानवशक्ति को नियुक्त करने हेतु सीधी भर्ती की है। आवधिक आधार पर कुशलता की कमियों की समीक्षा की जाती है और भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों के आधार पर कुशलता की कमियों को दूर करने के लिए व्यावसायिक योग्यता रखनेवाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

बैंक ने, आई.बी.पी.एस. द्वारा आयोजित सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया मे भी सहभागिता की है और वर्ष के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों और परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की है।

वर्ष 2013-2014 के लिए बैंक में की गई नियुक्तियों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

वर्ग	अधिकारियों की संख्या
परिवीक्षाधीन अधिकारी	1383
परिवीक्षाधीन लिपिक	1267
वित्त अधिकारी	03
सहायक प्रबंधक (मार्केटिंग)	16
सनदी लेखाकार	03
सुरक्षा अधिकारी	03
विधि अधिकारी	20
राजभाषा अधिकारी	01
कुल	**2696**

वर्ष 2014-2015 के दौरान सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन प्रस्तावित नियुक्ति योजना निम्नवत् है:

वर्ग	अधिकारियों की संख्या
परिवीक्षाधीन अधिकारी	2000
परिवीक्षाधीन लिपिक	2300
विशेषज्ञ अधिकारी	750
(750 में से, 686 को आई.बी.पी.एस. को माध्यम से और 64 को पार्श्विक नियुक्ति से)	

विशेषज्ञ वर्ग के कैरियर पथ के लिए पृथक स्कंध के सृजन हेतु बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

जन संपर्क, मुख्य अर्थशास्त्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जोखिम प्रबंधन वर्ग में कार्यपालकों की पार्श्विक नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।

वर्ष 2014-2015 में, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में नौ महीने का क्लास रूम प्रशिक्षण और बैंक में 3 महीने के आंतरिक प्रशिक्षण के साथ "वन इयर स्ट्रेटेजिक टैलेंट पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोग्राम" के माध्यम से 400 अधिकारियों की नियुक्ति पर बैंक विचार कर रहा है।

RECRUITMENT PLANNING

Bank had made direct recruitments for inducting skilled manpower in specialized areas like Finance, Marketing, Security, Law and Official Language. It is periodically reviewing the skill gaps and Officers with professional qualifications are recruited to fill up the skill gaps depending upon the future needs and challenges.

The Bank has also participated in the Common Recruitment Process conducted by IBPS and inducted Probationary Officers and Probationary Clerks during the year.

The details of recruitments made in the bank for the year 2013-2014 is shown below

Category	No of Officers
Probationary Officers	1383
Probationary Clerks	1267
Finance Officers	03
Asst Manager(Marketing)	16
Chartered Accountants	03
Security Officers	03
Law Officers	20
Official Language Officers	01
Total	**2696**

The hiring growth plan proposed during 2014 – 2015 through the Common Recruitment Process by IBPS is depicted below

Category	No of Officers
Probationary Officers	2000
Probationary Clerks	2300
Specialist Officers	750
Out of 750 , 686 through IBPS & 64 through lateral recruitment	

Bank has a Board approved policy for creating a separate vertical for Specialist Cadre with a career path.

A process for lateral recruitment of Executives is initiated in the category of Public Relations, Chief Economist, Information Technology and Risk Management.

Bank is envisaging to recruit 400 officers for the year 2014-2015 through one year " Strategic Talent Pipeline Building Programme " in reputed training institutes which includes nine months class room training and three months internship in the bank

कैरियर प्रगति

अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बैंक उन्हे तीव्र कैरियर प्रगति का अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हे उच्चतर जिम्मेदारियाँ सौंप कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का भी मौका देता है। उत्कृष्ट निष्पादक को पुरस्कृत करने हेतु पदोन्नति नीति का भी परिष्करण किया गया है जो उत्तराधिकार योजना के अनुरूप है

वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने विभिन्न वेतनमानों में 647 कर्मचारियों को पदोन्नत किया, जो निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	पदोन्नति		संख्या
	से	को	
01	टी.ई.जी.एस.- VI	टी.ई.जी.एस.- VII	13
02	एस.एम.जी.एस.- V	टी.ई.जी.एस.- VI	23
03	एस.एम.जी.एस.- IV	एस.एम.जी.एस.- V	54
04	एम.एम.जी.एस.- III	एस.एम.जी.एस.- IV	57
05	एम.एम.जी.एस.- II	एम.एम.जी.एस.- III	200
06	जे.एम.जी.एस.- I	एम.एम.जी.एस.- II	300
कुल			**647**

प्रतिभा वृद्धि व प्रतिधारण

प्रतिभा वृद्धि व प्रतिधारण के उद्देश्य से आई.आई.बी.एफ.द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों तथा एन.आई.एस.एम, आई.आर.डी.ए., सी.आई.एस.ए., सी.आई.एस.एस.पी., ओरेकल, जोखिम प्रबंधन जैसे विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के साथ-साथ बैंक उन्हें परीक्षा शुल्क की भी प्रतिपूर्ति करता है।

स्टाफ कल्याण योजना

1. बैंक क्वार्टर

स्टाफ कल्याण योजना के अंतर्गत, बैंक बेंगलूरु में अतिरिक्त क्वार्टर्स उपलब्ध करा रहा है तथा 100 फ्लैट का निर्माण कार्य वसुंधरा, गाजियाबाद में चल रहा है जो निकट भविष्य में पूरा होनेवाला है। बैंक ने चेन्नई में 19 तथा तिरुवनंतपुरम में दो अतिरिक्त फ्लैटों की भी खरीदी की है।

बैंक स्वामित्ववाले भवनों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनका रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य किया गया है।

2. एकमुश्त अनुग्रह राशि भुगतान योजना

बैंकने, सरकारी दिशा-निदेशों के अनुसार मृतक कर्मचारियों/चिकित्सीय आधार पर सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के परिवार को मुआवजे के रूप में नियुक्ति/एकमुश्त मुआवजा राशि के भुगतान की योजना तैयार की है।

चालू वर्ष में (31-03-2014 तक) नियुक्ति योजना के अंतर्गत 3 मामलों पर तथा एकमुश्त राशि की भुगतान योजना के तहत 8 मामलों पर, कुल ₹49.86 लाख के भुगतान पर विचार किया गया है।

CAREER PROGRESSION

The Bank provides optimum opportunities to its employees to fulfill their growing aspirations for faster career progression and motivate them to shoulder higher responsibilities. The promotion policy has also been fine-tuned to reward outstanding performers and is in sync with the succession planning.

During the year 2013-14, Bank had promoted 647 employees in various scales as under

S No.	Promotions		Numbers
	From	To	
01	TEGS-VI	TEGS-VII	13
02	SMGS-V	TEGS-VI	23
03	SMGS-IV	SMGS-V	54
04	MMGS-III	SMGS -IV	57
05	MMGS-II	MMGS-III	200
06	JMGS-I	MMGS-II	300
TOTAL			**647**

TALENT GROOMING & RETENTION

Bank is reimbursing examination fees besides paying incentives for passing various professional examinations like NISM, IRDA, CISA, CISSP, ORACLE, Risk Management Examinations, Courses conducted by IIBF etc. with the objective of talent grooming and retention

STAFF WELFARE MEASURES

1. Bank's Quarters

As a part of staff welfare measures, Bank is providing additional quarters at Bangalore and construction of 100 flats at Vasundhara, Ghaziabad is nearing completion. Bank has also purchased 19 additional flats in Chennai and two flats at Thiruvananthapuram.

Maintenance and repair works have been undertaken by Bank owned properties to enhance their usability.

2. Scheme for Payment of Ex-gratia Lump sum

The Bank has formulated a Scheme for appointment on compassionate grounds/payment of Lump sum compensation to the family of the deceased employee/employee retiring on medical grounds, based on the Government guidelines.

Totally 03 cases are considered under the Scheme for Appointment and 08 cases are considered for payment of Lump sum amounting to ₹49.86 lakh in the current year (upto 31.03.2014)

अनुग्रह राशि की भुगतान-सीमा श्रेणीवार इस प्रकार है:

(₹ में)

श्रेणी	अधिकतम राशि
अधिकारी	8.00 लाख
लिपिक	7.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	6.00 लाख

3. बैंक लूट तथा आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा:

सरकारी दिशा-निदेशों के अनुसार बैंक लूट, आतंकवादी तथा वामपंथी उग्रवादी घटनाओं का विरोध करनेवाले बैंक कर्मचारियों एवं आम जनता को प्रोत्साहन और मुआवजा भुगतान के लिए बैंक द्वारा एक योजना बनाई गई है।

मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक के परिवार को दी जानेवाली मुआवजा राशि इस प्रकार है:

संवर्ग	श्रेणी	अधिकतम राशि
बैंक कर्मचारी	अधिकारी	20.00 लाख
	लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी	10.00 लाख
बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त	ग्राहक/ आम जनता	3.00 लाख

यदि बैंक कर्मचारी/ग्राहक/आम जनता में से कोई व्यक्ति बैंक-लूट तथा बैंक पर आतंकी हमला का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करता है तो बैंक ₹2.00 लाख तक की ईनाम राशि देने पर भी विचार कर सकता है।

मृतक के बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा की देखभाल बैंक करता है तथा परिवार के एक सदस्य की तत्काल नौकरी की व्यवस्था भी नियमानुसार बैंक करता है।

हैदराबाद ग्रामीण क्षेत्र स्थित कवेली शाखा में बैंक-लूट का विरोध करनेवाले हमारे ग्राहकों को बैंक ने ₹3.05 लाख मुआवजे के रूप में भुगतान किया है।

अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. को आरक्षण

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. के लिए लागू आरक्षण नीति को बैंक ने अनुसरण किया है तथा सरकारी दिशा-निदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को बैंक ने भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट प्रदान किया है।

प्रधान कार्यालय में एक अलग से अ.जा./अ.ज.जा. तथा ओ.बी.सी. कक्ष गठित किया गया है जिस में बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा इसके लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में फिलहाल महा प्रबंधक को नामित किया गया है।

The cadre-wise ceiling on Ex-gratia amount payable is as follows:

(in ₹)

Cadre	Maximum amount
Officers	8.00 lakhs
Clerks	7.00 lakhs
Sub Staff	6.00 lakhs

3. Compensation to Bank Employees killed in Bank Robberies & Terrorist Incidents

Bank has formulated a Scheme as per Govt guidelines for Payment of Compensation and Reward so as to motivate the Bank employees and members of public resisting Bank robberies, terrorist incidents including left-wing extremism.

In case of death, the family of deceased will be given compensation by the Bank as follows:

Category	Cadre	Maximum amount
Bank Employee	Officers	20.00 lakhs
	Clerks /Sub Staff	10.00 lakhs
Other than bank employee	Customers/ members of the public	3.00 lakhs

In case of Bank employees / customers / members of public who actively resist Bank robberies and terrorist attacks on Banks, the Bank may consider a cash reward not exceeding ₹2.00 lakhs.

The Bank will look after educational expenses of the children of the deceased up to and inclusive of graduation and will give immediate employment to one member of the family of the deceased as per applicable rules.

The Bank has paid an amount of ₹3.05 lakhs as compensation to our customers of Kaveli Branch in Hyderabad Rural Region, for resisting the bank robbery.

RESERVATION TO SC/ST/OBC

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India from time to time and has been extending applicable reservations/ concessions to SC/ST/OBC/PWD employees in recruitment/ promotions strictly as per Government guidelines.

A separate SC/ST Cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Manager designated as Chief Liaison Officer.

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट वर्ष में एक बार बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

इस संबंध में सरकारी निदेशों के अनुपालन हेतु पद आधारित आरक्षण रोस्टर बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण

अ.जा./अ.ज.जा. के अलावा, ओ.बी.सी. संवर्ग के कर्मचारियों के लिए भी पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान, 868 अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. लिपिक कर्मचारियों और 836 अ.जा./अ.ज.जा./ अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे संबंधित अगले संवर्ग में पदोन्नति हेतु तैयारी कर सकें। कुल 4923 अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. कर्मचारियों को सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा 196 कार्यक्रमों में 5476 अधिकारियों और 107 कार्यक्रमों में 2951 कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रकार, 303 कार्यक्रमों के द्वारा 8427 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनके अतिरिक्त 378 कार्यपालकों/अधिकारियों को बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया जिनका संचालन भारत में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। पुनः, 12 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. संवर्ग के 2843 अधिकारियों एवं 2080 लिपिकों अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण प्रणाली में नवनियुक्त अधिकारियों के लिए शिष्टाचार एवं व्यवहार संबंधी एक नया कार्यक्रम शामिल किया गया है ताकि प्रथम पंक्ति में कार्यरत कर्मचारी ग्राहकों के साथ प्रभावीपूर्ण चर्चा कर सकें।

विदेशी मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन पर सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विदेशी मुद्रा प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्दिष्ट शाखाओं में एक माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल था। अनुशासनिक कार्यवाही/आई.आर. मामलों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

दि. 16-08-2013 को प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ऑन-लाइन लर्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कर्मचारियों के लिए यह एक प्रोद्योगिकी आधारित लर्निंग सिस्टम है जिसमें उपरि लागत तथा व्यय कम होता है।

The progress made in the implementation of the Reservation Policy is placed to the Board once in a Year.

The Post based Reservation Roster is displayed on the website of the bank in compliance to the directions of the Government.

PRE-PROMOTION TRAINING

The Pre-Promotion training is also extended to OBC employees, in addition to SC/ST employees. During the year, 868 SC/ST/OBC Clerical employees and 836 SC/ST Officer employees have been imparted Pre-Promotion training to prepare them for promotion to the next respective cadres. In all 4923 SC/ST/OBC employees have been given in-house training at SIBM, Manipal and other Staff Training Centres.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management, (SIBM), Manipal at the apex level and the seven Training Centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata & Mumbai cater to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees.

During the year 2013-2014, 196 Programmes covering 5476 Officers and 107 Programmes covering 2951 workmen employees were conducted by the Training System. Thus a total of 8427 employees were trained through 303 programmes. In addition, 378 executives/officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further 12 executives/officers were deputed to overseas training programmes. During the year 2843 Officers and 2080 Clerks/sub staff belonging to SC/ST/OBC category were imparted training.

The Training System has also devised a new programme to groom the newly recruited officers in etiquette and manners for effective and impressionable interaction with the customers by the Front Line Employees.

SIBM conducted training programme on Forex and Credit Management. The Forex training included on the job training of one month at the designated branches. Training programme was also conducted on disciplinary proceedings / IR issues.

On-Line Learning System was inaugurated by the Chairman and Managing Director on 16-08-2013 at Head Office. It is a technology based learning system to the employees which minimizes the expenditure and overheads.

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं जोरदार माध्यम भी है। बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक को इस क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, आगरा, कोयंबत्तूर, मैसूर और प्रक्षिण केंद्र, बेंगलूर को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2013 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में हमारी हिन्दी पत्रिका 'जागृति' को चौथा स्थान मिला। मार्च 2014 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 99% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत 2075 शाखाओं/कार्यालयों को अधिसूचित किया है।

राजभाषा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बैंक ने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूनिकोड के प्रयोग को बढ़ावा दिया है और बैंक के सभी ए टी एम स्क्रीनों में द्विभाषिकता (हिन्दी और अंग्रेजी) का प्रावधान किया गया है। बैंक ने सी बी एस शाखाओं में पास बुक प्रविष्टियाँ, खाता विवरण आदि हिन्दी में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्क्रिप्ट मैजिक' सॉफ्टवेयर का कारपोरेट लाइसेंस लिया है । बैंक की कारपोरेट वेबसाईट को यूनिकोड आधारित पूर्ण द्विभाषी बनाया गया है। वेबसाइट में अलग से हिंदी के लिए एक वेब पेज बनाया गया है। तिमाही हिंदी विवरणों को आटोमेटेड डाटा फ्लो के तहत रखा गया है और बैंक के उत्पादों की विशेषताओं को द्विभाषी रूप में वेबसाइट पर डाला गया है।

बैंक द्वारा राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यालयीन कार्य हिन्दी में तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी में उकृष्ट कार्य करनेवाले 47 कर्माचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए विजेता कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान राजभाषा निर्देशिका, स्क्रिप्ट मैजिक, यूनिकोड एवं हिंदी नोटिंग संबंधी मुद्रित सहायक सामग्री का विमोचन किया गया।

हिंदी माह समारोह के अवसर पर कार्यपालक राजभाषा संगोष्ठी, महिला सशक्तीकरण पर हिंदी में संगोष्ठी तथा वार्षिक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन भी आयोजित किए गए ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने 6 जुलाई 2013 को बैंक के प्रधान कार्यालय/नैगम कार्यालय का बेंगलूर में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की और बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की ।

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various forms not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking. The Bank made noteworthy progress under the implementation of Official Language and won many prizes at various levels during the year under review. Regional Office, Panaji was awarded second prize by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept.of Official Language. Apart from this, Regional Office Ahmadabad, Agra, Coimbatore, Mysore and Training Centre, Bangalore have received awards from respective Town Official Language Implementation Committees. Our in house Hindi magazine Jagrithi got 4th place in Hindi House Magazine Competition for the year 2013. As at March 2014, around 99% of employees have obtained working knowledge of Hindi and the Bank has notified 2075 branches under Rule 10(4) of O. L. Rules, 1976.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthened the use of Unicode package for Word Processing and also made bilingual (Hindi & English) provision in all the ATM screens of the Bank. The Bank has taken Corporate License for 'Script Magic' software for usage of Hindi in CBS branches for generating pass book entries, accounts statements etc. The Bank's Corporate Website is made bilingual with Unicode based. A separate Web Page has been created in website. Quarterly Hindi Statement is placed under automated data flow and bilingual applications pertaining to products of the bank are loaded on the website.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 47 employees were awarded cash incentives under excellent performance in Hindi as well as excellent users of Hindi on computers. The Bank has conducted an Annual All India Hindi Essay Competition for its employees and cash prizes were given to the winners.

'Rajbhasha Nirdeshika', Scriptmagic, Unicode & Hindi noting related printed help literature got released during the year.

Rajbhasha Sangoshti for Executives, a Seminar on Women Empowerment in Hindi in connection with Hindi Month celebrations and Annual Official Language Officer's Conference were organized.

The Third Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected the Bank's HO/CO at Bangalore on 6.7.2013 and lauded the efforts put in by the Bank.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रा.भा.) एवं संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने 14 सितंबर 2013 बैंक के प्रधान कार्यालय/नैगम कार्यालय का बेंगलूर में निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रयासों की सराहना की।

20.10.2013 को मनाये गए संस्थापक दिवस के अवसर पर वित्तीय सम ावेशन पर हिंदी में कार्टून एनिमेशन सीडी का विमोचन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदबाद, चंडीगढ़, लखनऊ तथा संबंधित नराकास के अध्यक्षों एवं कुच्छ सदस्य बैंकों के साथ विचार विमर्श किया तथा राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमारे बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बैंक कण्णूर, अनंतपुर, बिजापुर, मेरठ, गाजियाबाद और कारवार शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और कर्मचारियों को अभिप्रेरित तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

ग्राहक सेवा

इस बात पर विश्वास करते हुए कि ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि वृद्धि को बनाए रखने के लिए अनिवार्य भी है। वर्तमान ग्राहक सेवा की बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। बैंक का ग्राहक केंद्रित पहल भावी कारोबारी संभाव्यताओं के निर्माण एवं ग्राहक आधार को जुटाने, स्थापित करने तथा बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है।

बैंक ने जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक वसूली, सेवा में पाई गई विभिन्न प्रकार की कमियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान इत्यादि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई है। उक्त नीतियाँ ग्राहक की सुविधा हेतु बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा बैंक की प्रत्येक शाखा में भी प्रदर्शित की जाती हैं।

बैंक की शिकायत निवारण नीति का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों में कमी लाना है और इसके लिए समुचित सेवा सुपुर्दगी और समीक्षा प्रणाली निरूपित की गई है ताकि ग्राहकों की शिकायतों एवं तकलीफों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2013-14 के दौरान ग्राहक सेवा संबंधी उठाए गए कदम:

- बैंक ने ग्राहक शिकायतों के तत्काल निपटान हेतु आंतरिक लोकपाल योजना की शुरुआत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
- शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार और कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु निम्नलिखित मूलभूत सिद्धातों पर आधारित 'ग्राहक सेवा' संबंधी नीति अपनाई गई है, जैसे, शिष्टाचार, संप्रेषण, दक्षता एवं समयबद्धता, शाखाओं का सामान्य प्रबंधन, ज्ञान इत्यादि।

Joint Secretary (OL) & Joint Director (OL), Ministry of Finance, Govt. of India inspected our Head Office/Corporate Office on 14.9.2013 at Bangalore and appreciated the efforts of the Bank in the field of Official Language Implementation.

A cartoon animation CD in Hindi on Financial Inclusion was released on the occasion of Founders' Day Celebration on 20.10.2013.

Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament had discussion with our RO: Ahmadabad, Chandigarh and Lucknow along with the member offices of respective Town Official Language Implementation Committees and lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committees of Kannur, Ananthapur, Bijapur, Meerut, Ghaziabad, Karwar.

Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Govt. of India.

CUSTOMER SERVICE

Believing that quality customer service is not only important but inevitable for survival and growth, Bank has been constantly reviewing the efficacy of existing system of customer service. Bank's customer centric approach acts as a key differential in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has Board approved policies on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides displaying at each branch of the Bank.

The Grievances Redressal Policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.

Customer Service Initiatives taken during 2013-14

- Bank has taken steps to introduce internal ombudsman scheme to redress the customer grievances expeditiously
- With a view to improving the Customer Service in the branches and sensitize the staff, policy on 'Customer Service' has been adopted based on the following cardinal principles viz., Courtesy, Communication, Efficiency & timeliness, General Management of the branches, knowledge, etc.

- बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) का सदस्य है। ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता और एम.एस.ई. ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए संहिता के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है।
- ग्राहकों को बी.सी.एस.बी.आई कोड के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए, 28-02-2014 को नई दिल्ली में बी.सी.एस.बी.आई. से साथ मिलकर ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया।
- ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की स्वीकृत 148 सिफारिशों में से बैंक ने 128 सिफारिशों का कार्यान्वयन किया है तथा शेष 20 सिफारिशों की कार्यान्वयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
- ग्राहक सेवा तथा ग्राहक शिकायत संबंधी विषयों पर शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में आवधिक आधार पर ग्राहक एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता के साथ आयोजित होनेवाली बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में तिमाही अंतराल पर ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है और ग्राहक सेवा संबंधी शिकायतों/विषयों पर समीक्षा की जाती है।
- मंडल की ग्राहक सेवा समिति की तिमाही बैठकों के दौरान तथा निदेशक मंडल की अर्धवार्षिक बैठकों में भी ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है ।
- अपने दौरे के दौरान कार्यपालक, शाखाओं में ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श करते हैं तथा ग्राहक सेवा शिकायतों का निवारण एवं बी.सी.एस.बी.आई कोड के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हैं।
- बैंक ने कई ग्राहक हितैषी उत्पादों एवं सेवाओं की शुरुआत की है, जैसे, सिंड नवरत्न खाता, प्रिमियम बचत बैंक खाता मल्टी-सिटी खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट/ए टी एम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एस.एम.एस. बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. ऑन लाइन कर विप्रेषण इत्यादि।
- ग्राहक शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु बैंक ने एक मजबूत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। प्राप्त शिकायतें एवं शिकायतों के निवारण की अवधि के आधार पर सभी क्षे.का. को तिमाही आधार पर ए: उत्कृष्ट, बी: अच्छा, सी: संतोषजनक तथा डी: खराब श्रेणी दी जाती है।
- सभी शाखाओं में एक ही दिन 23-05-2013 को ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया। प्र.का./कॉरपोरेट कार्यालय/क्षे.का. से कार्यपालकों ने व्यस्त शाखाओं में संपन्न बैठकों का दौरा किया तथा ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त किया।
- पहली बार, बी.सी.एस.बी.आई. कोड के अनुपालन स्तर के आधार पर बी.सी.एस.बी.आई. ने बैंकों की रेटिंग की शुरुआत की है। रेटिंग का नाम बी.सी.एस.बी.आई. कोड - अनुपालन रेटिंग रखा गया है। बैंक को "औसत से अधिक" का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह दर्शाता है कि बैंक का स्कोर पी.एस.बी. के औसत अंक से भी थोड़ा बेहतर है।
- चयनित 20 जगहों पर चार प्रकार के ग्राहक कियोस्क (पासबुक मुद्रण, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, नकद जमा तथा चेक जमा सुविधा) स्थापित किए गए हैं। ये ई-लाऊंज 24×7 आधार पर कार्यरत हैं। ऐसे लाऊंज पूरे देश के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर विभिन्न चरणों में स्थापित किए जाएंगे।

- The Bank is a Member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and committed to implement the provisions of Code of Bank's Commitment to Customers and Code of Bank's Commitment to MSE Customers in letter and spirit.
- A Customer Meet was organized in association with BCSBI at New Delhi on 28.02.2014 in order to educate/ sensitize Customers about BCSBI Codes provisions.
- Out of 148 accepted recommendations of Damodaran Committee on customer service, Bank has implemented 128 recommendations and remaining 20 recommendations are under various stages of implementation.
- Matters relating to Customer Service and Customer complaints are discussed in the periodical meeting held at Branches/Regional Offices with the involvement of Customers/ Senior Citizens.
- Standing Committee on Customer Service meet at quarterly intervals at Corporate Office and review the customer service related matters / complaints etc.
- The Customer Service related matters are also deliberated during quarterly meeting of Customer Service Committee of the Board and Meeting of Board of Directors at half yearly intervals.
- Executives during their visit to branches interact with customers and review matters relating to Customer Service/ complaints redressal and implementation of BCSBI Codes provisions.
- Bank has introduced customer friendly products and services such as Synd Navratna Accounts, Premium SB Accounts, Multi-city Accounts, Credit Card, Debit/ ATM Card, Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Point of Sales Terminals, NEFT / RTGS, Online tax remittances, etc.
- Bank has put in place a robust Customer Grievance Redressal Mechanism for quick redressal of customer grievances. Based on number of complaints received and time taken for Redressal of complaints, all ROs are being graded A: Outstanding, B: Good, C: Satisfactory and C: Poor on quarterly basis.
- Uniform Customer Meet was organized in all branches on 23.05.2013.Executives from HO/CO/RO visited the Meet held at busy branches and obtained feedback from Customers.
- For the first time, BCSBI has started rating Banks on the basis of level of compliance of BCSBI Codes. The rating is labeled as "BCSBI Code-Compliance Rating". The Bank has been rated as "**ABOVE AVERAGE**". It is also indicated that the Bank's score is slightly better than the average score for PSBs.
- Four types of customer kiosks are provided (Passbook Printing, Internet Banking facility, cash deposit and Cheque Deposit facility) in 20 identified locations. These e-lounges will be functioning 24X7 basis. Such lounges will be extended at strategic locations all over the country in a phased manner.

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक होने के कारण, बैंक ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारीयों के निर्वहन हेतु विभिन्न कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों वाले कार्यकलापों में सक्रिय सहभागिता की है जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण सुधार तथा समाज का दीर्घकालीन विकास करना है। वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में बैंक द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं: अनाथाश्रम, विकलांग सहायता समिति, वृद्धाश्रम, न्यास, मंदिर, ग्रामीण अकादमी, अस्पताल, अपने विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों के लिए चारिटेबल फाऊंडेशन, को दान ; शोषित वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का वितरण; सरकारी स्कूलों में पंखे, वाटर कूलर/प्यूरिफायर का वितरण; कुछ एक जिलों में सोलार लाइट तथा हैंड पंप की व्यवस्था ; प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि से पीड़ितों की सहायता के लिए दान, इत्यादि।

नए उत्पाद पहल

बदलते ग्राहक अभिरुचि के अनुरूप नए उत्पादों को लाने के साथ-साथ मौजूदा उत्पादों को पुनर्नवीकरण तथा पुनर्सृजन करते हुए बैंक ने नवोन्मेषी प्रयास किए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित नए उत्पादों की शुरूआत की गई है :

देयता उत्पाद :

1) सिंड दिशा : बैंक ने 06 फरवरी 2014 को एक नयी जमाराशि उत्पाद की शुरुआत की है। यह जमा 444 दिनों की अवधि के लिए होगी और इस पर प्रति वर्ष 9.25% की दर से आकर्षक ब्याज मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यह उत्पाद सीमित अवधि के लिए ही था और केवल ₹10 करोड़ से कम रकमवाली जमाराशि के लिए ही लागू था।

आस्ति उत्पाद :

दि. 20.10.2013 को अपने 88 वें संस्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र को ऋण अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु पाँच नए उत्पादों, सिंड डॉक्टर, सिंड मार्बल, सिंड टेक्स्टाइल, सिंड कैशू तथा सिंड ट्रांस्पोर्ट की शुरूआत की है। ये उत्पाद योग्यता प्राप्त डॉक्टरों, मार्बल, ग्रेनाइट तथा स्टोन क्रशिंग इकाईयों, टेक्स्टाइल इकाईयों, काजू प्रसंस्करण इकाईयों तथा परिवहन परिचालकों की ऋण अपेक्षाओं के अनुकूल योजनाएं हैं। इनके ब्यौरे निम्नवत् है:

1) **सिंड डॉक्टर :**

यह उत्पाद क्लिनिक की स्थापना, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लैब, ड्रग/सर्जिकल स्टोर इत्यादी की स्थापना के लिए योग्यता प्राप्त डॉक्टरों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

2) **सिंड मार्बल :**

यह उत्पाद मार्बल, ग्रेनाइट एवं स्टोन क्रशिंग इकाईयों को कार्य प्रारंभ करने हेतु नए उपस्कर/मशीनरी/वाहन आदि की खरीद तथा कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Being a responsible social citizen, Bank recognizes its responsibility towards society and actively involved itself in various CSR (Corporate Social Responsibility) activities which aimed at socio-economic transformation, rural upliftment & sustainable development of the society. Some of the Bank's initiatives in the field of Corporate Social Responsibility taken during the year include donation to the orphanages for the disabled, viklang sahayata samiti, old age home, trust, temple, rural academy, hospital, charitable foundations for supporting their various social activities; distribution of mid-day meals to the underprivileged children; distribution of fans, water coolers/purifiers to Govt. schools; installation of solar lights and hand pumps in certain districts; donation towards assisting victims of natural calamities like flood etc.

NEW PRODUCT INITIATIVES

Bank has always endeavored to bring innovation in new products as well as developing the existing ones by revisiting and reengineering them in line with changing customer preferences.

During the year the following new products have been introduced by the Bank:

Liability Products

1) **SyndDisha:** Bank has launched a new deposit product SyndDisha on February 6, 2014. The deposit will be for a period of 444 days and carries attractive interest rate of 9.25% p.a. Senior citizens will get an additional interest of 0.50% p.a. This product was offered for limited period only and was applicable for deposits of less than Rs 10 crore only.

Asset Products

Commemorating its 88th foundation day on 20.10.2013, Bank has launched 5 new products viz. SyndDoctor, SyndMarble, SyndTextile, SyndCashew and SyndTransport to address the credit needs of MSME sector. These products are tailor made schemes, to meet the credit requirements of qualified doctors, Marble, Granite and Stone Crushing Units; Textile units, Cashew Processing units and transport operators. The details are provided as under:

1) **SyndDoctor:**

This product is made to meet the credit requirements of qualified Doctors for setting up Clinic, Nursing Home, Pathological lab, Drug/surgical store etc.

2) **SyndMarble**

This product is made for financing Marble, Granite and Stone Crushing Units to acquire new equipments / machinery/vehicles to start and for expansion of activity and to meet the Working Capital requirement.

3) सिंड टेक्स्टाईल :
यह उत्पाद रेडिमेड वस्त्रों के निर्माण एवं टेक्स्टाईल क्षेत्र से जुड़े इकाईयों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इकाई प्रारंभ करने हेतु नए उपस्कर/मशीनरी/वाहन की खरीदी तथा कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करता है।

4) सिंड कैशू :
यह उत्पाद मूल्य वर्धन, प्रोद्योगिकी उन्नयन और शेल्फ लाईफ बढ़ाने के लिए अपेक्षित नई मशीनरी/उपस्कर/वाहन/माल प्राप्त करने के लिए काजू प्रसंस्करण इकाईयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।

5) सिंड ट्रांसपोर्ट :
यह उत्पाद सभी प्रकार के परिवहन-वाहन, उपयोगी वाहन, माल ढुलाई हेतु हल्के एवं भारी वणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन जैसे, ऑटोरिक्शा, वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु पंजीकृत पर्यटक वाहनों, टैक्सी, यात्रियों के लिए कैब आदि खरीदने के लिए परिवहन/वाहन परिचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विपणन एवं शुल्क आय उत्पाद

विपणन स्कंध

बैंकिंग की मूलभूत गतिविधियों में विस्तार के दबाव को देखते हुए शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है जो बैंक की आय को बढ़ाने की दृष्टि से मददगार है। शुल्क आधारित आय को बढ़ाने में ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से बैंक ने कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन प्रयासों को गति देने के लिए एक अलग स्कंध बनाया है।

नकद प्रबंधन सेवाएं

प्राप्तियों एवं भुगतान खातों के सफल प्रबंधन के लिए बैंक ने कारपोरेट जगत, प्राईवेट एवं विदेशी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त उत्पादों की पेशकश की है।

बैंक ने पूरे देश में अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को सी एम एस सेवा की सुविधा दी है। वसूली के अंतर्गत, नकद वसूली, अधिदेशी स्वत: नामे सुविधा और केंद्रीकृत चेक डेबिट की सुविधा दी जा रही है। भुगतान के अंतर्गत लाभांश अधिपत्र का भुगतान/ब्याज अधिपत्र/मांग ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था तथा सुदूर मांग ड्राफ्ट मुद्रण की सुविधा दी जा रही है।

अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा)

बैंक ने सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के रूप में सेबी में अपना नाम दर्ज कराया है ताकि वह अपने ग्राहकों को अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा) प्रदान कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के पास कोर बैंकिंग समाधान के साथ-साथ समन्वित आस्बा सुविधा भी है। आस्बा प्रक्रिया बही निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किए जानेवाले सभी पब्लिक इश्यू और राईट इश्यू के संबंध में उपलब्ध है। साथ ही उस प्रथा के संबंध में भी उपलब्ध होगी, जहाँ रकम का भुगतान करने के लिए चैक का इस्तेमाल किया जाता है।

3) SyndTextile
This product is made to meet the credit requirements of units engaged in textile sector and manufacture of readymade garments in order to acquire new equipments / machinery/ vehicles to start the unit and to meet the Working Capital requirement.

4) SyndCashew
This product is made to meet the credit requirements of Cashew Processing units to acquire new machinery/ equipments / vehicles / stock required for the unit leading to value addition, technology upgradation and shelf life enhancement.

5) SyndTransport
This product is made for financing Transport Operators for purchase of all makes of Transport vehicles, Utility vehicles, Light Commercial, Heavy Commercial vehicles for goods transport and Passenger vehicles like Autorikshaws, Tourist vehicles, Taxies, Cabs for passenger transport registered for commercial purpose.

MARKETING & FEE INCOME PRODUCTS

Marketing vertical

With the compression of spreads from the core activities of banking, the necessity is felt in augmenting fee based income which acts as cushion for Bank's income. In order to have a focused approach to augment fee based income, Bank has created a separate vertical at Corporate Office and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

Cash Management Services

The Bank offers a state-of-the art technology driven products to corporates, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments.

The Bank offers CMS services to its clients through all its Branches across the country. Under the Collections, Cash Collection, Auto Debit facility through Mandates, and Centralized Cheque Debit facilities are being offered. Payment of Dividend Warrants / Interest Warrants / DD Drawing arrangement and Remote DD Printing facilities are being offered under Payments.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)

Bank is registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) to its customers. Bank has integrated ASBA facility with its Core Banking Solution during the year. ASBA process is available in all public issues made through the book building route and rights issues and will co-exist with the practices, wherein cheque is used as a mode of making payment.

नई पेंशन प्रणाली (एन. पी. एस.)

भारत सरकार ने वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नई पेंशन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उसके लिए बैंक ने प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स (पी. ओ. पी.) के रूप में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी. एफ. आर. डी. ए.) के पास अपना नाम पंजीकृत कराया है। बैंक ने 2050 से भी अधिक शाखाओं को नई पेंशन प्रणाली के तहत प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स – सर्विस प्रोवाइडर (पी.ओ.पी–पी.एस.पी.) के रूप में विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए एन.एस्.डी.एल. के पास पंजीकृत कराया है। बैंक को पी.एफ.आर. डी.ए.) द्वारा एन.पी.एस.–लाईट स्कीम के लिए एग्रिगेटर के रूप में नामित किया गया है।

निक्षेपागार सहभागी सेवाएँ

बैंक सी.डी.एस.एल. का निक्षेपागार सहभागी है। इस सुविधा से ग्राहक अपनी पूँजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं। बैंक ने "सिंड–ई–ट्रेड" ब्रांड नाम के अंतर्गत थ्री–इन–वन खाते के साथ ऑन–लाइन ट्रेडिंग सुविधा की शुरूआत 24 अक्तूबर 2011 को की। इस सुविधा के अंतर्गत कासा खाता, डीमेट खाता और ट्रेडिंग खाता आते हैं जिससे हमारे ग्राहक स्ट्रेट–थ्रू प्रक्रिया के माध्यम से कासा खाते में स्थित निधियों और डी. पी. खाते में स्थित अमूर्तीकृत प्रतिभूतियों का उपयोग करते हुए शेयरों का ऑन–लाइन लेन–देन कर सकते हैं।

बैंकाश्यूरेन्स

1. जीवन बीमा:

- बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के साथ 27 जून 2013 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वाणिज्यिक परिचालन की शुरूआत करने से पहले बैंक ने सभी क्षेत्रों में एक दिन की कार्यशाला आयोजित करके जीवन बीमा कारोबार करने के लिए 145 विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम तैयार की है। कारोबार के प्रथम वर्ष में ही बैंक ने ₹ 3047.37 लाख का प्रीमियम वसूल करके ₹ 439.12 लाख का कमीशन प्राप्त किया है।
- बैंक ने 02.12.2013 से 07.12.2013 तक "सिंड एल.आई. सी. सप्ताह – रैज़ द बार" अभियान को आयोजित करके 15119 पॉलीसियों का विपणन किया है। एक सप्ताह के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी बैंकाश्यूरेन्स सहयोगी द्वारा किये गये विपणन की यह सर्वाधिक मात्रा है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त "सिंड सुरक्षा" ग्रूप इन्श्योरेन्स पॉलिसी के अंतर्गत बैंक द्वारा ₹ 100 लाख की जीवन बीमा रक्षा (सहज मृत्यु होने पर) और (दुर्धटना से मृत्यु होने पर) ₹ 2.00 लाख की रक्षा मामूली प्रीमियम पर प्रदान की जा रही है।
- बैंक अपने आवास ऋण और शिक्षा ऋण के ग्राहकों को तथा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले खाताधारकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

New Pension System (NPS)

The Bank is registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (PoP) for offering various services under the New Pension System-a scheme introduced by the Government of India-for providing old age income security. The Bank has already registered over 2050 branches with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (PoP-SP). The Bank has also been appointed as Aggregator by PFRDA for NPS-Lite scheme.

Depository Participant Services

The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities in electronic form. The 3-in-1 account cum on-line trading facility under the brand-name "Synd e-Trade" was launched by the Bank on October 24, 2011. The facility comprises of the CASA account, Demat account and Trading account for enabling our customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialized securities in the DP account through the Straight Through Process.

BANCASSURANCE

1. Life Insurance:

- Bank had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Life Insurance Corporation of India (LIC) on 27th June 2013, as a Corporate Agent for distribution of Life Insurance Products. Before launching commercial operations on 11.10.2013, the Bank had conducted one-day workshops across all Regions and has developed a team of 145 Specified Persons for soliciting life insurance business. Bank collected premium of ₹3047.37 Lakh and earned commission of ₹439.12 Lakh during first year of its operations.
- Bank organised "Synd LIC Saptah-Raise the Bar" campaign from 02.12.2013 to 07.12.2013 by marketing of 15119 policies- highest by any of the Bancassurance partners of LIC of India during a week.
- Under "SyndSuraksha" Group Insurance Policy taken from LIC of India, Bank is offering Life Insurance cover of ₹1.00 lakh (natural death) and of ₹2.00 lakh (accidental death) at nominal premium.
- Bank offers Life Insurance cover to Housing Loan borrowers, Educational Loan borrowers and for account holders under Financial Inclusion.

2. साधारण बीमा

- बैंक, युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी (यू.आई.आई.सी.ओ.) से कॉरपोरेट एजेंट के रूप में गठजोड़ करके साधारण बीमा उत्पादों का संवितरण कर रहा है जिसमें अपने खाताधारकों को स्पर्धात्मक प्रीमियम पर सिंड आरोग्य पॉलिसी (फेमिली प्लोटर लाभ के साथ ग्रुप मेडिक्लेम- व- व्यक्तिगत दुर्घटना रक्षा) भी शामिल है।
- बैंक ने 14 फरवरी, 2014 को स्वास्थ्य बीमा दिवस के रूप में मनाया है और उस दिन 10,098 सिंडआरोग्य (मेडिक्लेम) पॉलीसियों का विपणन किया, जो युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि. के किसी बैंकाश्यूरेन्स सहयोगी द्वारा एक दिन में किए गए विपणन की सर्वाधिक मात्रा है।
- वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक ने ₹5404.26 लाख प्रीमियम वसूल करके ₹556.39 लाख का कमीशन अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष के दौरान वसूल किये गये प्रीमियम ₹4701.90 लाख और अर्जित किये गये कमीशन ₹463.26 लाख की तुलना में अधिक है।

कार्ड कारोबार

क्रेडिट कार्ड उत्पाद:

बैंक ने 20.10.2003 से वीसा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक क्रेडिट कार्डों का कारोबार शुरु किया है, जिनका प्रयोग एटीएम, प्वाइंट – ऑफ सेल्स टर्मिनल्स, (पी.ओ.एस.) तथा इंटरनेट के लिए किया जा सकता है। 31.03.2014 तक बैंक ने कुल 77,592 क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं।

डेबिट कार्ड

1. **डेबिट कार्ड:** बैंक ने दि: 29.3.2003 को वीसा के सहयोग से और दि. 22-06-2011 से मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड जारी करना शुरू किया है। दिनांक 20-10-2012 से बैंक उच्चतर लेन–देन सीमा के साथ वीसा अंतरराष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड जारी कर रहा है। दि. 31-03-2014 तक बैंक ने कुल 69,11, 468 डेबिट कार्ड जारी किये हैं।
2. **सिंडिकेट बैंक रूपे किसान कार्ड:** दिनांक 20-10-2012 से बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बैंक रुपे किसान कार्ड जारी कर रहा हैं। ये कार्ड घरेलू उपयोग के लिए हैं, जिनका उपयोग केवल एटीएम में ही किया जा सकता है। बैंक ने दि. 31-03-2014 तक कुल 1, 16, 903 एस.के.सी.सी. कार्ड जारी किये हैं।

प्वाइंट ऑफ सेल्स एक्वायरिंग (पी.ओ.एस.)

बैंक ने दि. 02-10-2009 को मर्चेंट एक्वारिंग बिजनेस का शुभांरभ किया है। इसके सभी प्वाइंट ऑफ सेल्स (पी.ओ.एस.) टर्मिनल्स वीसा/मास्टर कार्ड/रुपे के विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करते हैं और वे बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के कार्डों के संबंध में ई.एम.वी. और पिन आधारित लेन–देनों को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। दि. 31-03-2014 तक बैंक ने कुल 1772 प्वाइंट–ऑफ–सेल्स (पी.ओ.एस.) टर्मिनल्स स्थापित किए हैं जिनमें से 1,192 टर्मिनल्स की स्थापना इसी वर्ष के दौरान की गई है।

2. General Insurance:

- Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of General Insurance products, including SyndArogya (a Group Mediclaim-Cum-Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its Account Holders.
- Bank celebrated 14th February 2014 as Health Insurance Day by marketing 10,098 SyndArogya (Mediclaim) Policies-Highest in a Single Day by any of the Bancassurance Partners of United India Insurance Company Ltd.
- During the year 2013-14, Bank has collected premium of ₹5404.26 lakh and earned a commission of ₹556.39 lakh, compared to ₹4701.90 lakh and ₹463.26 lakh respectively during the previous year.

CARD BUSINESS

Credit Card Product:

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f 20.10.2003. Bank has issued 77,592 credit cards till 31.03.2014.

Debit Card Product:

1. **Debit Cards**: The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and in association with Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. The Bank has been issuing VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f 20.10.2012. The Bank has issued 69,11,468 Debit Cards till 31.03.2014.
2. **SyndicateBank RuPay Kisan Card**: Bank has been issuing RuPay Kisan Cards in association with National Payment Corporation of India (NPCI) w.e.f. 20.10.2012. These cards are meant for domestic use, which can be operated in ATMs only. The Bank has since issued 1,16,903 SKCC Cards till 31.03.2014.

Point of Sale (POS) Acquiring:

Bank ventured into the Merchant Acquiring business on 02.10.2009. All its POS terminals do comply with VISA / MasterCard / RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of Cards. issued by Banks. As on 31.03.2014, Bank had installed 1,772 POS Terminals, out of which 1,192 terminals were installed during the year.

अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम

ए) **एल आई सी के साथ समझौता ज्ञापन :** बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों को शुल्क के आधार पर बिना किसी जोखिम सहभागिता के संवितरण हेतु, एक कारपोरेट एजेंट के रूप में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) के साथ दिनांक 27 जून 2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

बी) **यू आई आई सी के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ :** बैंक ने सामान्य बीमा उत्पादों और सिंडिकेट बैंक खाताधारकों को स्पर्धात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध - एक समूह मेडिक्लेम बीमा सह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी -सिंड आरोग्य के संवितरण हेतु बैंक ने युनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ व्यवस्था की है।

सी) **म्यूचुअल फंड संवितरण उद्यम :** बैंक अपने अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की टीम को मजबूत बना रहा है जो म्यूचुअल फंड उत्पादों की सुविज्ञ बिक्री में सहायक हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास 380 एन आई एस एम (सीरीज़- V- ए) प्रमाणित व्यक्ति और 154 ईयूआईएन समर्थित स्टाफ हैं, जो दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 134 और 23 थे।

वर्ष के दौरान समिति का दौरा

स्थाई स्वरूप के कार्य करनेवाले ठेका मज़दूर/अनियमित श्रमिक/सफाई कर्मचारियों के अभिनियोजन के तत्काल अध्ययन हेतु "श्रम पर संसदीय स्थायी समिति" ने दि. 7/6/2013 को बेंगलूर का दौरा किया।

संघ सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जुड़े कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों के अनुशीलन के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियो के कल्याण पर गठित संसदीय स्थाई समिति ने दिनांक 15/06/2013 को पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया।

ऋण छूट योजना में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन की साइफ़निंग के संबंध में मामलों की जाँच करने हेतु और बैंकों द्वारा उदार ऋण संबंधी बैठक के संबंध मे भी "सरकारी आश्वासनों पर संसदीय समिति" ने दिनांक 09/07/2013 को बैंगलूर का दौरा किया।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित खातों को प्रस्तुत किए जाने की व्यापक समीक्षा करने हेतु "राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत कागज़ातों संबंधी संसदीय स्थायी समिति" ने दिनांक 13/09/2013 को बेंगलूर का दौरा किया।

वित्त मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/09/2013 को बेंगलूर में हमारे प्रधान कार्यालय/कॉरपोरेट कार्यालय का दौरा किया गया और निरीक्षण किया गया।

एन एस आई सी की ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेत ''उद्योग - एन एस आई सी की ऋण सुविधा योजना पर संसदीय स्थायी समिति'' ने दिनांक 11/01/2014 को बेंगलूर का दौरा किया।

STRATEGIC ALLIANCES & JOINT VENTURES

a) **MOU signed with LIC:** Bank had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Life Insurance Corporation of India (LIC) on 27th June 2013, as a Corporate Agent for distribution of Life Insurance Products on fee basis without any risk participation.

b) **Corporate Agency Tie-up with UIIC**: Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited for distribution of General Insurance products, including SyndArogya- a Group Mediclaim Insurance Cum Personal Accident policy-which is available at competitive premium for SyndicateBank Account Holders.

c) **Mutual Fund Distribution Venture:** Bank continued developing its team of qualified persons facilitating informed selling of mutual funds products. As on 31.03.2014, the Bank had a team of 380 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 154 EUIN compliant staff, compared to 134 and 23 respectively as on 31.03.2013.

COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR

"Parliamentary Standing Committee on Labour" visited Bangalore on 7/6/2013 for on the spot study of deployment of contract/casual workers/sanitation workers for perennial nature of jobs.

"Parliamentary Standing Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes" visited Port Blair on 15/06/2013 to study all matters concerning the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, falling within the purview of the Union Government and the Union Territories.

"Parliamentary Committee on Government Assurances" visited Bangalore on 09/07/2013 to scrutinize the matters regarding siphoning of money by financial institutions in debt waiver scheme and also pertaining to meeting regarding liberal lending by banks.

"Parliamentary Standing Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha" visited Bangalore on 13/9/2013 for comprehensive review of the laying of Annual Reports and Audited Accounts of the Bank.

Govt. Officials from Ministry of Finance visited and inspected our Head Office/Corporate Office on 14.9.2013 at Bangalore.

"Parliamentary Standing Committee on Industry- Credit Facilitation Scheme of NSIC" visited Bangalore on 11/01/2014 to evaluate Bank's performance under Credit Facilitation Scheme of NSIC.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 6/07/2013 को बेंगलूर में बैंक के प्र.का/कॉरपोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया गया और संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा हमारे क्षे.का: अहमदाबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ तथा संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं कुछ सदस्य बैंकों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

The Third Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected the Bank's HO/CO at Bangalore on 6.7.2013 and Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament held discussion programme with our RO:Ahmedabad, Chandigarh and Lucknow and the Chairman of respective Town Official Language Implementation Committees and with some of the member banks.

अनुपालन विभाग

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति इस बात को स्पष्ट रूप से मानती है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य भी अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। मुख्य अनुपालन अधिकारी (उप महाप्रबंधक श्रेणी के) द्वारा संचालित अनुपालन विभाग, बैंक में अनुपालन कार्य का पर्यवेक्षण करता है और अनुपालन जोखिम के प्रबंधन में उच्च प्रबंधन की मदद करता है।

उच्च अनुपालन मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की निरंतरता की दृष्टि से अनुपालन से संबंधित कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसमें और सुधार लाया जा सके। प्रतिवर्ष अनुपालन नीति की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त अनुभवों और उसकी उपयोगिता के पहलू को ध्यान में रखते हुए उनमें संशोधन भी किए जाते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पी आई ओ) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (ए पी आई ओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है, जो आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों तथा अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया है। अधिनियम के प्रारंभ होने से लेकर अभी तक कें.सू.आ. (सी आई सी) ने बैंक के किसी भी जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कोई भी दंड नहीं लगाए हैं।

आर टी आई आवेदन प्रमुख रूप से मा.सं.वि.प्र. में प्राप्त होते हैं जो भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, ए.पी.ए.आर., आरक्षण नीति, अनुकंपा आधारित नियुक्ति, अनुग्रह भुगतान आदि मामलों से संबंधित होते हैं जिनका निपटान आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है।

COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Department headed by a Chief Compliance Officer (in the rank of Deputy General Manager) oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the Compliance Risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary are carried out based on the experience gained and utility aspect.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

During the year, the Bank has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time. Since the inception of the Act, CIC has not imposed any penalty so far on PIOs of the Bank.

RTI Applications were received at HRDD predominantly on the matters of Recruitment Process, Promotion Process, APARs, Reservation Policy, compassionate appointments, Ex gratia payments etc and they have been disposed of within the time frame prescribed under the RTI Act.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रधान कार्यालय, मणिपाल में बैंक का निरीक्षण लेखापरीक्षा विभाग कार्यरत है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पालन की जाँच करता है। भा.रि.बैं., भारत सरकार से आंतरिक नियंत्रण पर प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार, बैंक बोर्ड एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होंगी।

बैंक की अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार, बैंक के कारोबार को बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षन की की प्रक्रियाओं, नीति एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की जांच करते हुए शाखाओं तथा कार्यालयों की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं को अंजाम देने के लिए आठ प्रादेशिक निरीक्षणालय निरीक्षण विभाग की मदद करते हैं। संस्था के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, संपूर्णता, कार्यकारी प्रभावशीलता एवं दक्षता के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन द्वारा इसे प्रभावी लेखापरीक्षा कार्य से आंतरिक नियंत्रण को सहायता मिलती है।

बासेल समिति (1988) की सिफारिश पर बैंक, 2007 से लेन-देन आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा से जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा की ओर फिर से उन्मुख हुआ है। विशिष्ट शाखाओं, कोष एवं उच्च मूल्य वाली शाखाओं जैसे अधिकतम जोखिम वाले क्षेत्रों की संगामी लेखापरीक्षा द्वारा सहायता करके सभी शाखाओं को जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर.बी.आई.ए.) के अंतर्गत लाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमारा बैंक पहला बैंक है जिसने सॉफ्टवेयर आधारित आर.बी.आई.ए. को क्रियान्वित किया है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए.सी.बी.) बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण प्रणाली तथा संबंधित अन्य निरीक्षण कार्यों जैसी प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विकसित करने के लिए समिति निदेश देती है। यह, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (ACE) तथा बैंक के निरीक्षण विभाग के कार्यकलापों की भी निगरानी करती है।

कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई) निरीक्षण विभाग से एक स्तर ऊपर है जिसे बैंक की संपूर्ण निरीक्षण प्रणाली की निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया था। कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक करते हैं तथा प्रधान कार्यालय एवं कॉरपोरेट कार्यालय के 5 महा प्रबंधक इसके सदस्य होते हैं। समिति, वर्ष के दौरान निर्धारित बैठकों की संख्या से ज्यादा ही संख्या में बैठकें करती है। यह वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (ए.ए.पी.) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा से संबंधित मुख्य टिप्पणियों का अनुपालन करती है। साथ ही, संबंधित विभागों/कार्यालयों की कमियाँ दूर करने हेतु निदेश भी देती है।

बैंक के पास जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, ए.एम.एल./के.वाई.सी. अनुपालन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्थापित नीतियाँ हैं, जिन्हें वार्षिक आधार पर समीक्षा/अद्यतन किया जाता है।

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an Inspection/ Audit Department at Head Office, Manipal that examines the adherence to Systems, Policies and Procedures of the Bank. The guidelines received on internal control from RBI, Government of India, Bank's Board and the Audit Committee of the Board and Audit Committee of Executives become part of the Internal Control System for better risk management.

Eight Regional Inspectorates operate as extended arms of the Inspection Department (ID) to carry out various types of Audits of Branches & Offices to examine adherence to Systems of internal control, Policy and Procedures for effective banking supervision to conduct the Business of the Bank in a prudent manner in accordance with the approved internal Audit Policy of the Bank. These internal controls are supplemented by the effective audit function which independently evaluates the adequacy, completeness, operational effectiveness and efficiency of the control systems within the organization.

As recommended by Basel Committee (1988), the Bank has reoriented transaction based Internal Audit to Risk Focused Internal Audit since 2007. All the Branches are brought under Risk Based Internal Audit (RBIA) which is supplemented with Concurrent Audit of High Risk areas like specialized Branches, Treasury and High volume Branches etc. Our Bank is the first Bank to implement software based RBIA among all Public Sector Banks.

The Audit Committee of the Board (ACB) oversees the Internal Audit function of the Bank. The committee guides in developing effective internal control system like Inspection system and related other inspection functions. It also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE) and Inspection Department in the Bank.

ACE is one layer above ID, has been established to monitor the entire Inspection System in the Bank. ACE is constituted with the Executive Director as its Chairman and 5 General Managers of Head office & Corporate Offices as its members. The Committee meets more than the minimum prescribed no. of times during the year. It monitors the implementation of Annual Audit Plan (AAP) and compliances to the major audit observations reported by the Auditors and directs the concerned Departments/ Offices to rectify the lapses.

The Bank is having well defined, Board approved policies on Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, AML/ KYC Compliance etc. which are being reviewed / updated on annual basis.

मण्डल द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है, जिसमें अनुसूची एवं संगत लेखापरीक्षा के सिद्धांत शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने सभी प्रकार के पूर्वानुमानित निरीक्षण, 31-03-2014 तक 12919 लेखापरीक्षाएँ पूरी की हैं, उदाहरणार्थ, आर.बी.आई.ए., ऋण लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, मुद्रातिजोरी सेवा शाखा लेखापरीक्षा, शाखाओं/कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा और सभी नियंत्रण कार्यालयों एवं कार्यकारी विभागों की प्रबंध लेखापरीक्षाएँ। 31.03.2014 तक कुल 3250 देशी शाखाओं में से 1988 शाखाएँ कम जोखिम, 190 शाखाएँ मामूली जोखिम, 806 शाखाएँ मध्यम जोखिम और 5 उच्च जोखिमवाली शाखाएँ हैं।

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, वर्ष के दौरान, बैंक ने संशोधित लेखापरीक्षा नीति का कार्यान्वयन किया है और संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत 534 शाखाओं/कार्यालयों में कुल कारोबार, अग्रिम और जमाराशि के 70% लक्ष्य की तुलना में कुल कारोबार का 74.08%, अग्रिम का 78.94% और जमाराशियों का 70.03% हासिल किया है।

आंतरिक नियंत्रण उपायों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त और महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन के रूप में जून 2007 में परोक्ष निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई। यह एक निरंतर चलनेवाली लेखापरीक्षा प्रणाली है और सभी शाखाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें एक यूनिट प्रधान कार्यालय, सभी 43 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 प्रादेशिक निरीक्षणालयों में एक-एक यूनिट शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत ओ.एम.सी. इकाई अपने क्षेत्र की शाखाओं की लेन-देन/बकाया राशि की जाँच करती है जबकि प्रादेशिक निरीक्षणालयों में कार्यरत इकाई उन शाखाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है जहाँ संगामी लेखापरीक्षक उपलब्ध नहीं हैं और निरंतर रूप से अनियमितताओं को दर्शा रहे हैं।

संक्षिप्त रूप में, बैंक की निरीक्षण प्रणाली, मण्डल, विनियामक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावी रूप से निगरानी कर रही है।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आयोजित करते हुए एस.आई.बी.एम. तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों को गठित करते हुए निवारक सतर्कता पर बल दिया गया है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, 185 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास आयोजित किए गए और कुल 254 खातों के मामलों में, जिनमें बैंक की 134 शाखाएँ शामिल हैं, बैंक को दृष्टिबंधकित मामलों का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

The AAP is drawn as per the Internal Audit Policy approved by the Board, which includes the Schedule & Rationale for Audit work planned. During the Financial Year 2013-14, Department has completed all the projected inspections of all kinds - 12919 Audits as on 31.03.2014 viz. RBIA, Credit Audits, Concurrent Audits, Currency Chest Audits, Service Branch Audits, Compliance Audits of Branches/ Offices and Management Audits of all Controlling Offices and Functional Departments. Out of the 3250 domestic Branches as on 31.03.2014, 1988 are in Low Risk, 190 are in Moderate Risk, 806 are in Medium Risk and 5 are in High Risk.

In line with the guidelines issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Bank has implemented revised Audit Policy during the year and surpassed the target under Concurrent Audit coverage of 70% of total Business, Advances and Deposit in 534 Branches/ Offices and achieved 74.08% of Business, 78.94 % of Advances and 70.03 % of Deposits.

The Offsite Monitoring System was set up in June 2007 as an additional and important Management tool to strengthen the internal control measures. It is an on-going Audit, covering all Branches. It comprises of one unit at Head Office, one each at all 43 Regional Offices and 8 Regional Inspectorates. While OMC units at Regional Offices monitor the transactions / balances of the Branches of their Regions, those in Regional Inspectorates focus on the Branches that do not have Concurrent Auditors and are reflecting persisting irregularities.

To summarise, the Bank's Inspection System has been effectively monitoring the compliance of Systems & Procedures laid down by the Board, the Regulator and the Government of India.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the Management function, aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization.

Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensure strict adherence to systems and procedures.

During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted in 185 Branches and Surprise Verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 254 Accounts covering 134 branches.

सम्मिलित सतर्कता उपायों के एक भाग के रूप में दि. 28-10-2013 से 02-11-2013 तक बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जोरदार ढंग से किया गया।

अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारक

भा.रि.बैं/भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहक को जानिए (के.वाइ.सी.) मानदंड और धनशोधन निवारक (ए.एम.एल.) उपायों पर बैंक की नीति की समीक्षा/संशोधन किया गया है। के.वाइ.सी. नीति का मुख्य उद्देश्य, अपराधियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में धन शोधन करने या आतंकवादी व्यक्तियों को वित्तीयन की गतिविधियों में बैंकिंग प्रणाली के इस्तेमाल को रोकना है।

शाखाओं को यह निदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गुमनाम या फर्जी बेनामी खाता और उन व्यक्तियों के नाम से खाता नहीं खोला गया हो, जो अपराधी प्रवृत्ति के है और/या आतंकवादी संगठनों से संपर्क रखते है।

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग हमारी सभी शाखाओं, ए.टी.एम. और कार्यालयों को प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विभाग ने मई 2007 में आइ.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है जिसका मई 2010 में आइ.एस.ओ. 9001:2008 में अपग्रेड किया गया। 14 सितंबर 2016 तक यही प्रमाणीकरण जारी रहेगा। इस प्रकार विभाग ने सभी सरकारी बैंकों के बीच आइ.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणीकरण प्राप्त करनेवाला प्रथम सुरक्षा विभाग के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सभी मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा-परीक्षा की गई है। मुद्रा तिजोरियों के परिसर तथा उनमें स्थित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सभी मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

लॉबी को कवर करने के लिए दूसरा सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा एक साउंड अलार्म सिस्टम को अपनाते हुए ए.टी.एम. की सुरक्षा को बढ़ाया गया है । उन ए.टी.एम केन्द्रों में चौबीस घंटे गार्ड तैनान किए गए हैं जहाँ पुलिस प्राधिकरण ने ऐसी तैनानी के लिए आग्रह किया है।

सिंडबैंक सर्विसेस लि.

सिंडबैंक सर्विसेस लि. (कंपनी) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है जो सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है और भारत में स्थित है। यह कंपनी सिंडिकेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैंक ऑफीस सेवाएँ प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा किये गये प्रमुख कार्यकलापों में ग्राहक उन्मुख सेवाएँ हैं, जिनमें इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जारी करना, रिटेल ऋण संविभाग के अंतर्गत अतिदेय ऋण खातों का अनुवर्ती कार्रवाई करना, कियोस्क से चुनिंदा ग्राहकों

Vigilance Awareness Week was observed throughout the Bank from 28.10.2013 to 02.11.2013 in a befitting manner as part of Participative Vigilance measures.

KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI MONEY LAUNDERING

Bank's policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti Money Laundering (AML) measures have been reviewed/ modified in the light of RBI/Govt., of India guidelines. The main objective of KYC policy is to prevent Bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities.

Branches have been instructed to ensure that no account is opened in anonymous or fictitious/benami name and in the name of persons with a criminal background and/ or having connections with terrorist Organisations. All KYC guidelines are scrupulously followed and implemented.

SECURITY

The Security Department of the Bank has been making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security solutions to all our Branches, ATMs and Offices. The Department had obtained ISO 9001:2000 Certification in May 2007, which was upgraded to ISO 9001:2008 in May 2010 and presently it stands extended up to 14th September 2016. The Department has thus achieved the unique distinction of being the first Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2008 compliant.

As per Guidelines, Security Audit has been conducted in respect of all Currency Chests. All Currency Chests are provided with security and surveillance equipment to efficiently secure the premises and the contents.

ATM Security has been enhanced by introducing Second CCTV Camera to cover the Lobby and also a Sound Alarm System. Round the clock guards have been provided at those ATM centres where the Police Authorities have insisted for posting of guards.

SYNDBANK SERVICES LTD

"SyndBank Services Ltd. (The Company) is a wholly owned Subsidiary of SyndicateBank, incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and domiciled in India. The Company is engaged in providing Back Office support to SyndicateBank and other Financial Institutions. The major activities undertaken by the Company during the Financial Year 2013-14 are customer oriented services like, issue of internet banking passwords, following up of overdue loan accounts under retail portfolio, cheque/ cash collection from Kiosks for select customers, debit

के लिए चैक/नकद की वसूली करना, डेबिट कार्ड पर्सनलाइजेशन सेवा प्रदान करना, आय-कर रिटर्न भरने में ग्राहकों की मदद करना आदि शामिल है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ये तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1278 शाखाजाल के साथ 3 राज्यों के 18 जिलों में फैले हुए हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख कारोबार मानदण्डों के मामले में देश के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में शीर्षपंक्ति में हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार ₹36532 करोड़ रहा।

क्षे.ग्रा. बैंक की कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों में वृद्धि होकर वे क्रमश: ₹19031 करोड़ और ₹17501 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं। कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹14902 करोड़ रहा, जो 31 मार्च 2014 के कुल अग्रिमों का 85.15 प्रतिशत बनता है। कुल कृषि अग्रिम ₹12613 करोड़ तक पहुँच गया है, जो कुल अग्रिमों का 72.07 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, क्षे.ग्रा. बैं. ने किसानों को 6.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं, जिनका बकाया ऋण ₹10530 करोड़ है। कई वर्षों से क्षे.ग्रा. बैंक लाभ अर्जित कर रहे हैं।

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सी.बी.एस. का कार्यान्वयन किया है। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एन.जी.आर.टी. जी.एस. और एन.ई.एफ.टी., ए.पी.बी.एस./एन.ए.सी.एच. प्लेटफार्म, ई.सी.एस. (नामे) और ई.सी.एस. (जमा), सी.पी.एस.एम.एस. 2.6 वर्जन का कार्यान्वयन किया है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जल्दी ही सी.डी. की संस्थापना और रुपे कार्डों का कार्यान्वयन करने जा रह हैं। हमारे द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा. बैंकों में खातों के लिए सिस्टम द्वारा जनरेट एन.पी.ए. लेखा का कार्यान्वयन किया गया है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के निदेशों के अनुसार वित्तीय समावेशन योजना (2013-2016) को कार्यान्वित किया है।

कारोबार संवर्धन अभियान

सुपर डील कासा अभियान

ग्राहक आधार को बढ़ाने के प्रति जोर देना तथा कासा एवं स्थायी जमाराशियो के हिस्से में बढ़ोतरी लाने को संबंध में अत्यधिक ध्यान देना हमेशा बैंक का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। जमाराशि के आधार को बढ़ाने हेतु, खासकर अल्प लागतवाली जमाराशियों को बढ़ाने की दृष्टि से बैंक ने 30-08-2013 से 31-10-2013 तक "सुपर डील कासा अभियान" का आयोजन किया, जिसे 31-03-2014 तक बढ़ाया गया।

इस अभियान ने ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को सफल साबित कर दिया है। फलस्वरूप, बैंक के कासा आधार में ₹1549 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

मीयादी जमाराशि अभियान

न्यून-आपूर्ति बाजार चलनिधि के रहते, बैंक, कोर मीयादी जमाराशि के अंतर्गत निधियों का कम आगमन और अधिक निर्गमन की वजह से अपनी निधि की स्थिति में चलनिधि असंतुलन का अनुभव कर रहा है। चल निधि

card personalization service, assisting customers in filing income tax returns etc.

REGIONAL RURAL BANKS

There are 3 Regional Rural Banks sponsored by our Bank. These three RRBs are covering 18 districts in 3 states, with a network of 1278 branches. RRBs sponsored by the Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹36532 crore.

The total deposits and advances of the RRBs reached a level of ₹19031 crore and ₹17501 crore, respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹14902 crore constituting 85.15 per cent of total advances as at 31.03.2014. Agricultural advances reached a level of ₹12613 crore forming 72.07 per cent of total advances. In all, the RRBs have issued 6.87 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹10530 crore. The RRBs have been making profit for so many years.

All the RRBs sponsored by our bank have moved towards implementation of CBS. All the three RRBs have implemented NGRTGS and NEFT, APBS/NACH platform, ECS (debit) and ECS (credit), CPSMS 2.6 version. RRBs are going to install CDs and implement RuPay cards very soon. System generated NPA is implemented in all RRBs sponsored by us. All the three RRBs have implemented FI Plan (2013-2016) as per the direction of Reserve Bank of India and Government of India.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Super Deal CASA Campaign

The strategy of emphasizing on growth of customer base and thrust on increasing the share of CASA and core deposit has always been one of the prime objectives of the bank. In order to shore-up the deposit base, particularly, Low Cost Deposits, Bank has launched 'Super Deal CASA Campaign' from 30/08/2013 to 31/10/2013. The campaign was further extended upto 31.03.2014.

The campaign has proved successful evoking positive response from the customers and Bank was able to garner a net increase of ₹1549 crore in their CASA base.

Term Deposits Campaign

In the prevailing environment of tight market liquidity, Bank has also been experiencing liquidity mismatch in its funds position, due to declining inflow and increasing outflow

की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एवं जमाराशियों की गति में तेजी लाने हेतु और अधिक आकर्षक ब्याज दरों को प्रदान करते हुए अधिक से अधिक कोर मीयादी जमाराशियों को जुटाने के वास्ते बैंक ने दि. 26-08-2013 से 30-09-2013 तक दो और जमाराशि अभियानों का आयोजन किया है:

1) **मैक्सीमा कोर मीयादी जमाराशि अभियान**
इस अभियान का लक्ष्य यह रहा है कि ₹10 करोड़ तक की मीयादी जमाराशियों पर ठीक 399 दिनों की अवधि के लिए वार्षिक 9.30% विशेष ब्याज दर प्रदान करते हुए बैंक की कोर मीयादी जमाराशियों में वृद्धि लाई जाए।

2) **खुदरा मीयादी जमाराशि अभियान**
मीयादी जमाराशियों की अधिकतम कार्ड दर का लाभ उठाने और हमारे जमाराशि स्तर को बढ़ाने हेतु बैंक ने ₹1 करोड़ तक की खुदरा जमाराशियों के लिए "खुदरा मीयादी जमाराशि अभियान का आयोजन किया।

3) **सेव टैक्स स्मार्टली कैमपैन**
सिंडटैक्स शील्ड के अंतर्गत कोर जमाराशि बढ़ाने के उद्देश्य से (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत कर लाभ सहित) और सिंडआरोग्य (मेडिक्लेम) पॉलिसियों के विपणन द्वारा शुल्क आधारित आय में वृद्धि लाने की दृष्टि से बैंक ने दि. 01-01-2014 से 31-03-2014 तक "सेव टैक्स स्मार्टली" अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के अंतर्गत निष्पादनकताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अभियान पूर्ण रूप से सफल साबित हुआ है।

अन्य पहल

सिंड नई दिशा कार्यशाला

वर्ष 2020 तक बैंक के लिए दीर्घावधि कारोबार योजना तैयार करने के उद्देश्य से और बैंक की भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य विवरण में सुधार लाने के लिए जनवरी 2014 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें उच्च प्रबंधन संवर्ग के सभी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, चयनित शाखा प्रबंधक, अधिकारी, लिपिक और यूनियन/एसोसियेशन के प्रतिनिधि तथा बैंक के कर्मचारी भाग लिये थे। रोड मैप के साथ वर्ष 2020 तक एक दीर्घावधि कारोबार योजना तैयार की गई। दि. 31-03-2020 तक ₹10 लाख करोड़ का ग्लोबल कारोबार लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सहमति हुई। नई दिशा कार्यशाला में निम्नलिखित भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य विवरण सामने आए तथा निदेशक मण्डल द्वारा उसे 2014-2020 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया।

कारोबार प्रक्रिया का पुनर्विन्यास (बी.पी.आर.)

बैंक ने, निदेशक मण्डल द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित के संबंध में बी.पी.आर. (कारोबार प्रक्रिया का पुनर्विन्यास प्रक्रिया) आरंभ की है:

1. मानव संसाधन विभाग
2. केंद्रीकृत रूप से खाता खोलना आदि जैसे कुछ बैक ऑफिस फार्मो को तथा ब्रैंड इमेज निर्माण के साथ-साथ उत्पादों के विपणन का भी आउटसोर्सिंग करना।
3. खुदरा एवं एम.एस.एम.ई.

under the core term deposits. In order to manage the liquidity position more efficiently and to prevent flight of these deposits as well as to canvas more and more fresh core term deposits by offering attractive rates, Bank has also launched the following two more deposits campaigns from 26.08.2013 to 30.09.2013.-

1) **MAXIMA Core Term Deposit Campaign**: This campaign had targeted to propel core term deposits of the bank by offering a Special Rate of Interest @ 9.30% p.a. on Term Deposits upto ₹10 crores for the tenor of 399 days exact.

2) **Retail Term Deposit Campaign:** To take advantage of the highest Card Rates on Term Deposits and to give a boost to our Deposits level, Bank launched a "Retail Term Deposit Campaign" for retail deposits upto ₹1 crore.

3) **"Save Tax Smartly Campaign"**

To augment core term deposits under Synd Tax Shield (with tax benefits u/s 80-C of Income Tax Act,1961) and to increase fee based income by marketing SyndArogya (Mediclaim) Policies, Bank had organized **"Save TAX Smartly"** campaign from 01.01.2014 to 31.03.2014 with reward and recognition to performers. The campaign has proved to be highly successful.

OTHER INITIATIVES

Synd Nayi Disha Workshop

In order to have a long term business plan for the Bank upto the year 2020 and to revisit the vision mission statements of the bank a work shop was conducted during January 2014. Participants included all Top Management Cadre, Regional Managers, Select Branch Managers, Officers, Clerks and representatives of union / association and employees of the Bank. A long term business plan upto 2020 has been drawn along with the road map. As a milestone, global business target of ₹10 lakh crore was agreed to be reached as on 31.03.2020. Based on the suggestions arrived at in the workshop the Vision & Mission Statements of the Bank for the period 2014-2020 are finalized.

Business Process Reengineering (BPR)

Bank has initiated process for undertaking BPR (Business Process Re-engineering) in respect of the following after necessary clearance from the Board of Directors:

1. Human Resources Development.
2. Outsourcing of certain Back Office functions like centralised account opening etc. and areas of Marketing of products besides creating Brand image.
3. Retail & MSME

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

बैंक, एच. आर.एम.एस. पैकेज को यथासमय लागू करने के लिए प्रयत्नशील है जिससे मानव संसाधन से संबंधित अधिक से अधिक कार्य स्वचालित रूप से होता है। विक्रेता का चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। बी.पी.आर. परियोजना के अंतर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी बैंक कर रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

बैंक ने, प्रभावी नियंत्रण और कारोबार विकास की दृष्टि से दो नए क्षेत्रीय कार्यालय – एक मदुरै में और एक ओंगोल में, खोला है। इसके साथ ही बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 43 हो गई है जो अनुषंगी कार्यालयों और अत्यंत लघु शाखाओं के अतिरिक्त 3250 शाखाओं की कार्यप्रणाली का नियंत्रण करते हैं। आगे, शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं त्वरित प्रगति प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा सकते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 300 नई शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव है।

बैंक ने कर्मठ स्टाफ सदस्यों को तैनात करते हुए इन सभी पहलुओं को आगे ले जाने का निर्णय लिया है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए स्टाफ सदस्यों को सक्षम बनाते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु 'सिंड नई दिशा' नामक एक नई परियोजना बनायी है जिसका सचित्र निरूपण निम्नवत् है।

संगठनात्मक पुनर्संरचना

परिवर्तनशील बाजार परिवेश को ध्यान में रखते हुए और ऋण मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने एवं ग्राहकों और शाखाओं के साथ उच्च कार्यपालकों का नज़दीकी संपर्क रहने के उद्देश्य से बैंक ने, 'क्षेत्र महा प्रबंधक' नामक एक नई संकल्पना की शुरुआत की है ताकि वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को संगठन बेहतर ढंग से सामना कर सकें। संगठनात्मक पुनर्संरचना संबंधी यह योजना सर्वोत्तम व्यवहारों के जरिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त उपलब्ध कराती है और प्रशासनिक क्षमता लाती है।

संप्रति, बैंक, ने 8 एफ.जी.एम. कार्यालयों को खोला है जो एक स्वस्थ मॉडल है न कि एक और नियंत्रक कार्यालय। ये कार्यालय परिचालनगत इकाईयों के

Human Resource Management System (HRMS)

Bank has initiated measures to implement HRMS package in due course which enables automation of majority of the HR functions. Selection of vendor is in final stages. Bank is also in the process of appointing consultants under BPR project.

Re-organization of Regions

For effective control and business development, Bank has opened two new Regional Offices - one at Madurai and another at Ongole. With this, the Bank is having 43 regional offices controlling the functions of 3250 branches besides satellite offices and ultra small branches. Going forward, Bank may open some more Regional Offices to have effective control over the branches and ensure quick Turnaround Time. Bank proposes to open around 300 new branches during the next financial year.

Bank has thought to take forward all these initiatives posting dedicated staff and giving the project name "Synd Nayi Disha", with below given pictorial representation, to gear up the staff for the challenges.

Organizational restructuring

Keeping in view the changing market environment and in order to ensure quick Turn Around Time (TAT) for credit and also to ensure top executive being close to customers & branches, Bank has introduced the concept of "Field General Manager" so that the organisation will be better equipped in meeting their present and evolving needs and challenges. This strategy of organisational restructuring provides competitive edge by meeting the best practices and also brings in administrative efficiencies.

At present, Bank has opened 8 FGM Offices - which are very sleek model & not one more controlling office

अत्यंत निकट रहते हुए कारोबार बढाने और वसूली को सुनिश्चित करने के लिए हैं। ये कार्यालय 01-11-2013 से कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के अंतर्गत 6/7 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे और उन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालय दोनों के समेकित आधार पर वसूली लक्ष्य एवं कारोबार लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ऋण अनुमोदन समिति प्राक्रेया के अंतर्गत ऋण एवं वसूली संबंधी मामलों में सही निर्णय लेने हेतु क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को बोर्ड द्वारा पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं।

छवि निर्माण

बैंक की छवि को बढाने की दिशा में बैंक ने, अपने लोगो का रंग बदलते हुए उसका प्रतिस्थापन किया है। लोगो में मुख्य रूप से नारंगी एवं पीले रंग का समावेशन है। जहाँ नारंगी रंग सामूहिक कार्य एवं सोच द्वारा बैंक की स्पंदनशीलता, सक्षमता एवं विश्वास को दर्शाता है। वहीं पीला रंग सामूहिक कार्य एवं सोच द्वारा नेवोन्मेषता, स्पंदनशीलता, का सहायक तथा निर्णय का प्रतीक है। एक ब्रांड मैनुअल को तैयार करके उसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को अपूर्ति किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस नए प्रतीक को प्रतिस्थापित करने का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों और त्रैमासिक लेखा परीक्षित/अलेखापरीक्षित परिणामों की घोषणा के अवसर पर प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये हैं। इसके अलावा, बैंक के कई महत्वपूर्ण समाचार, प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए हैं जिससे बैंक की छवि बढ़ी है।

पुरस्कार

- हमारे बैंक को इसकी शानदार निष्पादन के लिए 'इंनवेस्टमेंट एडवाइज़' मैगजीन की जून 2013 के प्रकाशन द्वारा **''बैंक ऑफ द इयर''** का सम्मान प्राप्त हुआ है।
- फैनांशियल एक्सप्रेस भारत के बेस्ट बैंक सर्वे 2012-13 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में हमारे बैंक को **''द्वितीय सर्वोत्तम पीएसयू बैंक''** का सम्मान प्राप्त हुआ है।
- **गुड़गांव ग्रामीण बैंक द्वारा समर्थित फार्मर क्लब –** हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित गुड़गांव ग्रामीण बैंक को उसके द्वारा प्रवर्तित फारमर क्लबों के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए हरियाणा राज्य के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया।
- आंध्रप्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री.किरण कुमार रेड्डी द्वारा हमारे बैंक को आंध्रप्रदेश राज्य में **'एस एच जी संयोजक कार्यक्रम लागू करने में सर्वोत्तम निष्पादनकर्ता बैंक'** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- आरसेटी की गतिविधियों को कार्यान्वित करने में समस्त बैंकों में से हमारे बैंक को श्री जयराम रमेश, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा **''बेस्ट बैंक अवार्ड''** प्रदान किया गया।
- स्टेट फॉरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल द्वारा हमारे बैंक को **''समग्र निष्पादन में द्वितीय सर्वोत्तम बैंक के रूप में बैंकिंग एक्सलेंस पुरस्कार 2013''** प्रदान किया गया है।

- to drive business & ensure recoveries by being very close to operational units and are operationalised since 01/11/2013. Each FGM Office will cover 6/7 Regions and will be responsible for achievement of Business Targets including recovery targets of the Regions and the FGM office on consolidated basis. FGMOs are empowered suitably by the Board to exercise powers relating to credit and recovery matters under Credit Approval Committee process.

IMAGE BUILDING

As part of a Bank's brand building exercise and to harness its image, Bank has repositioned its Logo by changing the colour patterns. The logo contains predominantly orange and yellow colours. Orange indicates Bank's vibrancy, competency and confidence through collective work and thinking. Yellow indicates innovation, backing the vibrancy and quick decision through collective work and thinking. A Brand Manual has been prepared and supplied to all Regional Offices and Field GM's Offices. The rollout of this new signage will be done during the next financial year 2014-15. Apart from this bank has brought advertisements in important news papers, on local and national important days and also on declaration of quarterly audited / unaudited results. Besides, many of the Bank's events are carried in all leading newspapers, bringing lot of mileage to the Bank.

ACCOLADES/AWARDS

- Our Bank has been recognised as **"BANK OF THE YEAR"** for its splendid performance by magazine 'Investment Advice' in its June 2013 issue.
- Our Bank has been adjudged as "**SECOND BEST PSU BANKS"** by financial express India's best banks survey 2012-13.
- **Farmers clubs promoted by Gurgaon Gramin Bank** - our sponsored RRB - were honoured by Hon'ble Chief Minister of Haryana by presenting a shield for its excellent performance.
- Our Bank has been presented with an award as **'Best Performing Bank in Implementation of SHG linkages programme'** in the state of Andhra Pradesh by Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N Kiran Kumar Reddy.
- Bank has been conferred "**Best Bank Award**" amongst all the Banks in the RSETI movement by Sri Jairam Ramesh, Hon'ble Minister for Rural Development, Government of India.
- Bank has been awarded "**Banking Excellence Award 2013 for the second best public Bank in overall performance"** by State forum of Bankers Club Kerala.

- **सिंड एल आई सी सप्ताह (2 से 7 दिसंबर 2013 तक) के दौरान** 15119 पालिसियों का एक सप्ताह में मार्केटिंग करते हुए बैंक एश्योरेन्स भागीदारों में से **रिकार्ड ब्रेकिंग निष्पादन** करने के लिए हमारे बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- बिजटेक2.कॉम द्वारा कारोबार बौद्धिकता के लिए हमारे बैंक को मान्यता प्रमाणपत्र- **''सी आई ओ मास्टर 2013''** प्रदान किया गया है।
- कारोबार - तकनीकी -नेतृत्व के लिए हमारे बैंक को **''सी आई ओ 100 - एसट्यूट 100 - होनोरी 2013''** पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

i. श्री सुधीर कुमार जैन को दिनांक 08.07.2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

ii. श्री टी. के श्रीवास्तव को दिनांक 01.09.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

iii. श्री एम. राजेश्वर राव को दिनांक 31.05.2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

iv. श्री शंकरन भास्कर अय्यर को दिनांक 04.09.2013 से बैंक के कामगार निदेशक के रूप में नामित किया गया।

v. श्री संजय ए.मांजरेकर को दिनांक 17.07.2013 से गैर कामगार निदेशक के रूप में नामित किया गया।

vi. श्री अतुल ए. गलांडे को दिनांक 26.06.2013 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।

vii. श्री म. गि. संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो गए।

viii. श्री रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 31.08.2013 को सेवानिवृत्त हो गए।

ix. श्री ए. एस. राव, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक ने दिनांक 31.05.2013 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

x. श्री नरेंद्र एल. दवे, कामगार निदेशक ने दिनांक 31.08.2013 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

xi. श्री दिनकर एस. पूँजा, गैर-कामगार निदेशक ने दिनांक 12.07.2013 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं:

कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रायोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दें यदि कोई हों, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि, लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

- Bank has been awarded for **Record Breaking Performance during Synd LIC Saptah (2nd to 7th December, 2013)** by marketing 15119 policies Highest by any of the Bancassurance Partners during a week by Life Insurance Corporation of India (LIC).
- Bank has been awarded ***"CIO Master 2013"*** – Certification of Recognition for its Business Intelligence by BIZTECH2.COM
- Bank has been awarded "**CIO 100 – ASTUTE 100 – HONOREE 2013**" for its Business -Technology – Leadership

CHANGES IN THE BOARD:

i. Shri Sudhir Kumar Jain, appointed as the Chairman & Managing Director of the Bank w.e.f. 08.07.2013.

ii. Shri T K Srivastava, appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f. 01.09.2013

iii. Shri M Rajeshwar Rao, nominated as RBI Director w.e.f. 31.05.2013.

iv. Shri Sankaran Bhaskar Iyer, nominated as Workmen Director w.e.f. 04.09.2013

v. Shri Sanjay A Manjrekar, nominated as Non workmen Director w.e.f. 17.07.2013

vi. Shri Atul A Galande, elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 26.06.2013.

vii. Shri M G Sanghvi, Chairman & Managing Director, superannuated on 30.06.2013.

viii. Shri Ravi Chatterjee, Executive Director, superannuated on 31.08.2013.

ix. Shri A S Rao, RBI Nominee Director, completed his term as Director of the Bank on 31.05.2013.

x. Shri Narendra L Dave, Workmen Director completed his term as Director of the Bank on 31.08.2013.

xi. Shri Dinkar S Punja, Non Workmen Director completed his term as Director of the Bank on 12.07.2013.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts alongwith proper explanation relating to making departures if any.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।

कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि, वार्षिक लेखों को 'निरंतर आधार' पर तैयार किया गया है।

आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं समर्थन व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल श्री म. गि. संघवी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक, जो वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए और श्री ए. एस.राव, भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक, श्री नरेंद्र एल. दवे, कामगार निदेशक, श्री दिनकर एस. पूँजा, गैर-कामगार निदेशक जिन्होंने वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूरा कर ली, उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सुधीर कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 15.05.2014

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2014.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India; RBI; SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Directors express their indebtedness to Shri M G Sanghvi, former Chairman & Managing Director and Shri Ravi Chatterjee, former Executive Director, who demitted the office during the year and also to Shri A S Rao, RBI nominee Director, Shri Narendra L Dave, Workmen Director, Shri Dinkar S Punja, Non Workmen Director who have completed their term during the year for their able guidance, leadership and support which they had provided during their tenure in the Bank.

For and on behalf of the Board of Director

(Sudhir Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 15.05.2014

नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1. बैंक का लक्ष्य ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त सक्षम वैश्विक बैंक बनना है।
2. बैंक निम्नलिखित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा:
   - समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।
   - अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अति मान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।
   - अति सुविधाजनक कार्यस्थल की निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरणा महसूस करें।
   - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों में सुखद माहौल बनाना।
   - प्रभावशाली वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन।
3. बैंक का नौगम अभिशासन दर्शन उसके संचालन के संबंध में उसकी नैतिक कार्याप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।
4. बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है।
6. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।
7. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।
8. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
9. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो सेबी दिशा निदेशों के अंतर्गत निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार गठित किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित एक निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक कामगार कर्मचारी निदेशक और एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक, एक सनदी लेखाकार निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 3 अन्य निदेशक और 3 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक - सं 1, निदेशक मंडल तथा कंपनी की सामान्य बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1) The Bank aims to be a leading financially strong universal Bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driving and employee friendly approach.

2) The Bank will strive for the following:
   - To be a leading provider of Banking solutions, providing range of financial services to all strata of society;
   - To be a highly recognized and visible brand, known for its customer service
   - To be the most preferred place to work, where employees feel proud and motivated;
   - To have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders;
   - To deliver strong financial and operational performance.

3) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value.

4) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.

5) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.

6) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in letter and spirit in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.

7) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.

8) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.

9) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management in line with the SEBI Guidelines.

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as amended from time to time.

Presently the Board comprises of 3 whole time Directors, the Chairman & Managing Director and the 2 Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director, 1 Officer Employee Director, 1 Chartered Accountant Director, 3 Directors nominated by the Central Government and 3 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director, in his absence the Executive Director No.1, presides over the Board and General Meetings of the Company. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल का संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री म. गि. संघवी (30.06.2013 तक)	बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए., सी.ए.आई.आई.बी.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	खंड (ए)	01.03.2012
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	खंड (ए)	08.07.2013
3.	श्री रवि चटर्जी (31.08.2013 तक)	बी.टेक.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.09.2010
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	एम.एस.सी., एम.बी.ए., सी.ए.आई. आई.बी., सी.आर.बी., आई.आई.बी.एफ. के सदस्य	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	24.08.2011
5.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	एम.कॉम., एम.एम.एस., सी.ए.आई. आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.09.2013
6.	श्री एच. प्रदीप राव	एम.बी.ए., एम.ए., सी.आई.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक)	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केन्द्र सरकार के प्राधिकारी)	खंड (बी)	10.05.2010
7.	श्री ए. एस. राव (31.05.2013 तक)	बी.कॉम., एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी. भाग-I	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के प्राधिकारी)	खंड (सी)	30.07.2010
8.	श्री एम. राजेश्वर राव	एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी.	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के प्राधिकारी)	खंड (सी)	31.05.2013
9.	श्री नरेंद्र एल. दवे (31.08.2013 तक)	बी.कॉम., एल.एल.बी. (सामान्य)	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	31.08.2010
10.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	बी.ए.	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	04.09.2013
11.	श्री दिनकर एस. पूंजा (11.07.2013 तक)	बी.एफ.एस.सी.	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	12.07.2010
12.	श्री संजय ए. मांजरेकर	बी.कॉम., सी.ए.आई.आई.बी.	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	17.07.2013
13.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (जी)	22.07.2011
14.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	बी.ए.	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	29.07.2011
15.	श्री रमेश एल. अडिगे	एम.बी.ए. और मार्केटिंग में विशेषज्ञता बी.ई. (ऑनर्स)	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	09.12.2011
16.	श्री सी. आर. नसीर अहमद	बी.ए.	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	01.02.2013
17.	श्री आनंद के. पंडित	बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन)	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	18.07.2012
18.	सुश्री जसलीन सूरी	बी.कॉम., एम.बी.ए. मार्केटिंग एवं फायनेंस में विशिष्टता सहित, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	18.07.2012
19.	श्री अतुल अशोक गलांडे	एम.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	26.06.2013

जिन निदेशकों ने बोर्ड में वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यग्रहण किया उनका एक संक्षिप्त बायो-डेटा निम्न प्रस्तुत है:

श्री सुधीर कुमार जैन

श्री सुधीर कुमार जैन ने सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 8 जुलाई, 2013 को कार्यभार ग्रहण किया। वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पहले बैंक ऑफ बडौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

The composition and category of the Board of Directors of the Bank during the financial year 2013-14 are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri M.G. Sanghvi (till 30.06.2013)	B.Com, LLB, FCA, CAIIB	Chairman & Managing Director	Clause (a)	01.03.2012
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	B.Com, FCA	Chairman & Managing Director	Clause (a)	08.07.2013
3.	Shri Ravi Chatterjee (till 31.8.2013)	B.Tech	Executive Director	Clause (a)	01.09.2010
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	M.Sc, MBA, CAIIB, CRB, Fellow of IIBF	Executive Director	Clause (a)	24.08.2011
5.	Shri T K Srivastava	M.Com, MMS, CAIIB	Executive Director	Clause (a)	01.09.2013
6.	Shri H. Pradeep Rao	MBA, MA, CIA (Certified Internal Auditor)	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	10.05.2010
7.	Shri A.S. Rao (till 31.05.2013)	B.Com., MBA, CAIIB Part I	RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	30.07.2010
8.	Shri M Rajeshwar Rao	MBA, CAIIB	RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	31.05.2013
9.	Shri Narendra L. Dave (till 31.08.2013)	B.Com., LL.B. (Gen)	Workmen Employee Director	Clause (e)	31.08.2010
10.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	B.A.	Workmen Employee Director	Clause (e)	04.09.2013
11.	Shri Dinkar S. Punja (till 11.07.2013)	B.FSc.	Officer Employee Director	Clause (f)	12.07.2010
12.	Shri Sanjay A Manjrekar	B.Com, CAIIB	Officer Employee Director	Clause (f)	17.07.2013
13.	Shri Dilip Kumar Saxena	B.Com, FCA	GoI Nominee Director	Clause (g)	22.07.2011
14.	Shri Jagdish Raj Shrimali	B.A.	GoI Nominee Director	Clause (h)	29.07.2011
15.	Shri Ramesh L. Adige	MBA with specialization in Marketing BE (Hons)	GOI NomineeDirector	Clause (h)	09.12.2011
16.	Shri C R Naseer Ahamed	B.A.	GOI Nominee Director	Clause (h)	01.02.2013
17.	Sri Anand K Pandit	B.E.(Electronics & Communications)	Shareholder Director	Clause (i)	18.07.2012
18.	Ms. Jasleenn Suri	B.Com, MBA with specialization in Marketing & Finance, PG Dip. in Insurance & Risk Mgt.	Shareholder Director	Clause (i)	18.07.2012
19.	Shri Atul Ashok Galande	M.Com, FCA	Shareholder Director	Clause (i)	26.06.2013

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2013-14 is given here below:

Shri Sudhir Kumar Jain

Shri Sudhir Kumar Jain has assumed charge as Chairman & Managing Director of SyndicateBank on July 8, 2013. Prior to assuming charge as Chairman & Managing Director, he was Executive Director of Bank of Baroda.

श्री जैन वाणिज्य शास्त्र में स्नातक हैं और एक योग्य सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने जून 1987 में देना बैंक में ऋण प्रबंधक के रूप में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद इन वर्षों के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आगे बढ़ते गए।

श्री जैन बैंकिंग में 26 वर्षों से भी अधिक विविध अनुभवों से युक्त एक सफल बैंकर हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पर शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में काम किया है। उन्होंने देना बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कोलकाता, अहमदाबाद, और नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में काम किया। वे महाप्रबंधक के रूप में बैंक के लेखा विभाग, कोष परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, खुदरा बैंकिंग और निवेशक संबंध विभागों का नेतृत्व किए।

श्री टी. के. श्रीवास्तव

श्री टी. के. श्रीवास्तव ने सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 1 सितंबर, 2013 को कार्यग्रहण किया। श्री श्रीवास्तव बैंक में कार्यग्रहण करने के पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री श्रीवास्तव को प्रबंधन अध्ययन और वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त वे भारतीय बैंकर संस्थान के एक सर्टिफायड एसोसिएट हैं। श्री श्रीवास्तव 37 वर्षों से भी अधिक अवधि के विभिन्न अनुभवोंवाले एक व्यावसायिक बैंकर हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1976 में यूनियन बैंक आफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और उसके बाद विभिन्न पदों में पदोन्नत होते हुए बैंक के महाप्रबंधक स्तर तक पहुँच गए। उन्होंने बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में यूनियन बैंक आफ इंडिया और उनके प्रायोजित ग्रामीण बैंकों में 100% सी बी एस कार्यान्वयन हुआ। उन्होंने यूनियन बैंक आफ इंडिया के लिए एक स्थिर आई टी प्लेट फार्म का निर्माण कर एक बड़ा योगदान दिया है।

श्री एम. राजेश्वर राव

श्री एम राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक, भा.रि बैं. को 31 मई, 2013 से बैंक के एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री राव एक कैरियर केंद्रित बैंकर हैं जिन्होंने भा.रि.बै. में करीब 30 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनका अंतिम संविभाग बैंकिंग लोकपाल के रूप में अप्रैल 2013 के अंत तक रहा। उन्होंने बैंकिंग लोकपाल की हैसियत से नई दिल्ली में ढाई वर्षों तक काम किया। वे अपने कैरियर के प्रारंभिक वर्षों में अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई के विभिन्न विभागों सहित विनिमय नियंत्रण विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण जैसे कई विभागों में कार्य किए। उन्होंने निर्गम (इस्यू)विभाग के महा प्रबंधक के रूप में नई दिल्ली जाने से पहले 4 वर्षों तक डी बी ओ डी केंद्रीय कार्यालय में एवं 5 वार्षों तक विदेशी निवेश प्रभाग के एल ई डी केंद्रीय कार्यालय में कार्य किया। वे नव-स्थापित जोखिम अनुप्रवर्तन विभाग में कार्यग्रहण करने से पूर्व पदोन्नति पर लोकपाल की हैसियत से कार्य किए।

श्री शंकरन भास्कर अय्यर

25 जून, 1963 को जन्में श्री शंकरन भास्कर अय्यर मुंबई विश्वविद्यालय से कला स्नातक हैं। भारत सरकार ने उन्हें दिनांक 29 अगस्त 2013 की अधिसूचना के जरिए कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे 4 सितंबर, 2013 को निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर को 1983 में प्रारंभ किया और पिछले 30 सालों से बैंक के साथ जुडे हैं। वे ट्रेड यूनियन के कार्यों में सक्रियता से भाग ले रहे हैं और वर्तमान में सिंडिकेट बैंक कर्मचारी संघ के उप महासचिव हैं।

श्री संजय अनंत मांजरेकर

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 17.07. 2013 के तहत श्री अनंत मांजरेकर को अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जो 3 वर्षों की अवधि के लिए था। सिंडिकेट बैंक के अधिकारी के रूप में उनकी सेवा समाप्त होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो उसके अनुसार लागू होगा।

जनवरी 1960 में कर्नाटक के तटीय शहर कारवार में जन्मे श्री मांजरेकर वाणिज्यशास्त्र में स्नातक हैं एवं सी ए आई आई बी की उपाधि से युक्त हैं। स्नातक होने के तुरंत बाद भारतीय जीवन बीमा निगम और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में एक संक्षिप्त सेवा के बाद वे 14 फरवरी, 1983 को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सिंडिकेट बैंक में कार्यग्रहण कर लिए। उन्होने पिछले तीन दशकों के दौरान विभिन्न शाखाओं में विविध हैसियत से कार्य किया है और उन्हें बैंकिंग के सभी क्षेत्रों का अनुभव है। वे वर्तमान में मुंबई होमजी स्ट्रीट शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

वे बैंक में कार्यग्रहण करने के दिन से ही सिंडिकेट बैंक अधिकारी संघ (एस बी ओ ए) के सक्रिय सदस्य बन गए और आंचालिक परिषद सदस्य से प्रारंभ करके विभिन्न पदों में संघ की सेवा किए। अब वे सिं बै अ सं (एस बी ओ ए) के अध्यक्ष पद पर हैं। वे बैंक अधिकारियों के शीर्ष स्तर के प्रतिनिधि निकाय अर्थात आल इंडिया नेशनलाईसड बैंक आफिसर्स फेडरेशन (ए आई एन बी ओ एफ) और ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन (ए आई बी ओ सी) के कार्यपालक समिति के एक सदस्य भी हैं।

Shri Jain is a graduate in Commerce and a qualified Chartered Accountant. He started his banking career in June 1987 as a Credit Manager in Dena Bank and got elevated to various positions thereafter over the years.

Shri Jain is a seasoned banker with over 26 years of varied experience in banking. He worked in various capacities in branches & administrative offices viz. Regional offices and Head office. As Regional Manager in Dena Bank, he worked in Kolkata, Ahmedabad and New Delhi Regions. As General Manager, he headed Accounts Department, Treasury Operations, International Division, Retail Banking and Investors' Relation Departments of the Bank.

Shri T K Srivastava

Shri T K Srivastava has assumed charge as Executive Director of SyndicateBank on 1st September 2013. Prior to joining the Bank, Shri. Srivastava was General Manager, Union Bank of India. Shri Srivastava holds Master Degree in Management Studies and Commerce. In addition, he is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Shri Srivastava has been a Professional Banker for over 37 years of varied experience. He started his career in 1976 as Probationary Officer in Union Bank of India and thereafter elevated to various ranks to the level of General Manager of the Bank. He worked in various capacities in different Regions of the bank. He was responsible for 100% CBS implementation of Union Bank of India and their sponsored Grameena Banks. He has made huge contribution in creating a stable IT platform for Union Bank of India.

Shri M Rajeshwar Rao

Sri M Rajeshwar Rao, Chief General Manager from RBI has been appointed as a Director of the Bank w.e.f. 31st May 2013. Shri Rao is a career central banker who has worked with RBI in various capacities for nearly 30 years. His last assignment till end of April 2013 was Banking Ombudsman New Delhi. He had worked as Ombudsman at New Delhi for 2 and half years. Earlier in his career he has worked in various departments at Ahmedabad, Hyderabad, Chennai and Mumbai and in various departments including Exchange Control Department, Rural Planning and Credit department, Department of Banking Supervision. He also worked in DBOD Central office for 4 years as well as FED Central Office in Foreign Investment Division for 5 years before moving to New Delhi as GM of Issue Department. On promotion he had worked as Ombudsman before taking up his charge in the newly established Risk Monitoring Department.

Shri Sankaran Bhaskar Iyer

Shri Sankaran Bhaskar Iyer born on 25th June 1963 is an Arts Graduate from the University of Mumbai. The Government of India has appointed him as Workmen Employee Director on the Board of the Bank vide its notification dated 29th August 2013. He has assumed charge as Director on 4th September 2013.He started his banking career in the year 1983 and has been with the bank for the last thirty years. He is also actively associated with Trade Union activities and is currently Deputy General Secretary of Syndicate Bank Employees' Union.

Shri Sanjay Anant Manjrekar

Shri Sanjay Anant Manjrekar has been appointed as Officer Employee Director on the Board by the Government of India for a period of 3 years from the date of notification dated 17.07.2013 or until he ceases to be an officer of Syndicate Bank or until further orders, whichever is the earliest.

Born in January 1960 at Karwar, a coastal town in Karnataka, Shri Manjrekar is a Graduate in Commerce and also CAIIB. After a brief stint of service, immediately after graduation, with LIC of India and Central Bank of India, he joined Syndicate Bank as Probationary Officer on 14th February, 1983. During the last three decades, he has worked in different capacities in various branches and has the exposure in all the spheres of banking. Presently he is holding the post of Chief Manager at Mumbai Homji Street Branch.

He has been an active member of Syndicate Bank Officers' Association (SBOA) ever since joining the Bank and has served the Association in various positions starting from Zonal Council Member. Presently he holds the position of President of SBOA. He is also an Executive Committee Member of All India Nationalised Banks Officers' Federation (AINBOF) and All India Bank Officers' Confederation (AIBOC), the apex level representative bodies of the bank officers.

श्री अतुल अशोक गलांडे

श्री अतुल अशोक गलांडे को केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के रूप में 26 जून 2013 से 25 जून 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है।

6 मई,1966 को जन्मे श्री अतुल अशोक गलांडे एम कॉम, एफ सी ए की उपाधिधारक हैं। वे विगत 22 सालों से सनदी लेखाकार का कार्य कर रहे हैं। वे भारत और विदेशों में कई कार्यभार निभाए हैं तथा विभिन्न देशों के व्यावसाय, वाणिज्यिक और नियंत्रक परिवेशों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने सीमा पारीय अधिग्रहण, विलयन, वैश्विक निर्गमन, विदेशी सहयोग, वित्तीय और नैगम संरचना और समूहों का नेतृत्व किया है। वे भारत व विदेशों में बैंकिंग उद्योग में गहराई से कार्य कर रहे हैं।

वे देना बैंक और आई एफ सी आई लिमिटेड के बोर्ड में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में थे। वे वित्तीय बाजारों और निवेशों की रक्षा से संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान समिति के एक सदस्य रह चुके हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2013-2014 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 13 बैठकें आयोजित कीं ।

15.04.2013	02.05.2013	24.06.2013	29.07.2013	25.08.2013
11.09.2013	21.10.2013	28.10.2013	03.12.2013	23.12.2013
09.01.2014	31.01.2014	04.03.2014		

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली ए.जी.एम. 24.06.2013		
1.	श्री म.गि. संघवी	03/03	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर, डीपीसी	1
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	10/10	लागू नहीं (जुलाई 2013 में कार्यग्रहण किया)	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर, डीपीसी, अधिमान्य शेयर समिति	1
3.	श्री रवि चटर्जी	05/05	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसआईजीसी, एसटीसी	1
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	13/13	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसआइजीसी, एसटीसी, अधिमान्य शेयर समिति	1
5.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	08/08	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसआइजीसी, एसटीसी, अधिमान्य शेयर समिति	1

Shri Atul Ashok Galande

Shri Atul Ashok Galande has been elected as a Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government for a period of three years from 26th June, 2013 to 25th June, 2016.

Shri Atul Ashok Galande, born on 6th May, 1966, is M.Com and F.C.A. He is practicing as Chartered Accountant for the past 22 years. He has handled multifarious assignments both within India and abroad and he is well conversant with the Business, Commercial and Regulatory Environment in various countries. He has spearheaded Cross Border Acquisitions, Mergers, Global Issuances, Foreign Collaborations, Financial and Corporate Structuring and Syndications. He has been working closely with the banking industry in India and overseas.

He was on the Boards of Dena Bank and IFCI Limited as Shareholders' Director. He has been a Member of Committee of the Institute of Chartered Accountants of India on Financial Markets and Investors' Protection.

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2013-2014 the Board held 13 meetings on the following dates:

15.04.2013	02.05.2013	24.06.2013	29.07.2013	25.08.2013
11.09.2013	21.10.2013	28.10.2013	03.12.2013	23.12.2013
09.01.2014	31.01.2014	04.03.2014		

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies
		Board	Last AGM 24.06.2013		
1.	Shri M G Sanghvi	03/03	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CPBA, CMR, DPC	1
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	10/10	N.A. (joined in July, 2013)	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CPBA, CMR, DPC, Pref. Shares Committee	1
3.	Shri Ravi Chatterjee	05/05	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CPBA, CMR, DPC, ACB, SIGC, STC,	1
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	13/13	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CPBA, CMR, DPC, ACB, SIGC, STC, Pref. Shares Committee	1
5.	Shri T K Srivastava	08/08	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CPBA, CMR, DPC, ACB, SIGC, STC, Pref. Shares Committee	1

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली ए.जी.एम. 24.06.2013		
6.	श्री एच. प्रदीप राव	11/13	अ	एसीबी, डीपीसी, आरसी, एनसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, सीएमआर	2
7.	श्री ए. एस. राव	01/02	–	एमसीबी, एसीबी, आरसी	–
8.	श्री एम. राजेश्वर राव	10/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरसी	–
9.	श्री नरेन्द्र एल. दवे (30.08.2013 तक)	05/05	उ	एमसीबी, आरएमसी, सीएससी, एसआईजीसी, एचआरसी	–
10.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	08/08	–	सीएससी, एचआरसी, एमसीबी, अधिमान्य शेयर समिति	–
11.	श्री दिनकर एस. पूंजा (11.07.2013 तक)	03/03	–	एचआरसी, आईटीएससी, एमसीएमएफएफसी	–
12.	श्री संजय ए. मांजरेकर	10/10	–	एमसीबी, एचआरसी, सीएससी, सीपीबीए	–
13.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	13/13	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, सीएससी, आरसी, एनसी	–
14.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	13/13	उ	एमसीबी, एसीबी, सीएससी, एससीएमएफएफसी	–
15.	श्री रमेश एल. अडिगे	13/13	उ	एमसीबी, आरएमसी, एसआईजीसी, आईटीएससी, सीपीबीए, एचआरसी	6
16.	श्री सी आर नसीर अहमद	13/13	उ	एमसीबी, सीएससी, एससीएमएफएफसी	1
17.	श्री आनंद के. पंडित	05/13	अ	एमसीबी, एसटीसी, सीएससी, एसआइजीसी, एचआरसी, आरसी	5
18.	सुश्री जसलीन सूरी	13/13	उ	आरएमसी, सीएससी, आइटीएससी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, एसटीसी, एसआइजीसी	–
19.	श्री अतुल ए. गलांडे	09/10	–	एमसीबी, एचआरसी, आरसी, एसटीसी	–

उ – उपस्थित

अ – अनुपस्थित

एमसीबी – मंडल की प्रबंधन समिति

एसीबी – मंडल की लेखा परीक्षा समिति

डीपीसी – विभागीय पदोन्नति समिति

आरएमसी – जोखिम प्रबंधन समिति

एसआईजीसी – शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

एनसी – नामांकन समिति

एससीएमएफएफसी – कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति

आरसी – पारिश्रमिक समिति

सीएससी – ग्राहक सेवा समिति

एसटीसी – शेयर अंतरण समिति

आईटीएससी – सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

एचआरसी – मानव संसाधन समिति

सीएमआर – वसूली अनुप्रवर्तन समिति

सीपीबीए – पारा बैंकिंग कार्यकलापों की समिति

मंडल की प्रबंधन समिति

मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया । पुन:, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies
		Board	Last AGM 24.06.2013		
6.	Shri H. Pradeep Rao	11/13	A	ACB, DPC, RC, NC, SCMFFC, HRC, CMR	2
7.	Shri A S Rao	01/02	--	MCB, ACB, RC	–
8.	Shri M Rajeshwar Rao	10/11	P	MCB, ACB, RC	–
9.	Shri Narendra L. Dave (Upto 30.08.2013)	05/05	P	MCB, RMC, CSC, SIGC, HRC	–
10.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	08/08	--	CSC, HRC, MCB, Pref. Shares Committee	–
11.	Shri Dinkar S.Punja (Upto 11.07.2013)	03/03	-	HRC, ITSC, SCMFFC	–
12.	Shri Sanjay A Manjrekar	10/10	-	MCB, HRC, CSC, CPBA,	–
13.	Shri Dilip Kumar Saxena	13/13	P	MCB, ACB, RMC, CSC, RC, NC	–
14.	Shri Jagdish Raj Shrimali	13/13	P	MCB, ACB, CSC, SCMFFC.	–
15.	Shri Ramesh L. Adige	13/13	P	MCB, RMC, SIGC, ITSC, CPBA, HRC	6
16.	Shri C R Naseer Ahamed	13/13	P	MCB, CSC, SCMFFC	1
17.	Shri Anand K Pandit	05/13	A	MCB, STC, CSC, SIGC, HRC, RC.	5
18.	Ms. Jasleenn Suri	13/13	P	RMC, CSC, ITSC, SCMFFC, HRC, STC, SIGC	–
19.	Shri Atul A Galande	09/10	--	MCB, HRC, RC, STC	–

P – Present
MCB – Management Committee of the Board
DPC – Departmental Promotion Committee
SIGC – Shareholders'/Investors' Grievance Committee
SCMFFC – Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
CSC – Customer Service Committee
ITSC – Information Technology Strategy Committee
CMR – Committee for Monitoring Recovery
A – Absent
ACB – Audit Committee of the Board
RMC – Risk Management Committee
NC – Nomination Committee
RC – Remuneration Committee
STC – Share Transfer Committee
HRC – Human Resource Committee
CPBA – Committee on Para Banking Activities

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I(i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum

दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 19 बैठकें आयोजित की गईं:

15.04.2013	02.05.2013	21.05.2013	24.06.2013	29.07.2013
25.08.2013	11.09.2013	26.09.2013	21.10.2013	28.10.2013
19.11.2013	03.12.2013	23.12.2013	09.01.2014	30.01.2014
14.02.2014	04.03.2014	15.03.2014	24.03.2014	

मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म. गि. संघवी	04/04
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	15/15
3.	श्री रवि चटर्जी	06/06
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	19/19
5.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	12/13
6.	श्री ए.एस. राव	02/03
7.	श्री एम. राजेश्वर राव	14/16
8.	श्री नरेंद्र एल. दवे	01/01
9.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	09/09
10.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	19/19
11.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	08/09
12.	श्री रमेश एल. अडिगे	09/09
13.	श्री सी.आर. नसीर अहमद	10/10
14.	श्री आनंद के पंडित	01/05
15.	श्री अतुल ए. गलांडे	09/10

मंडल की लेखा–परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ–साथ उसकी निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण ए.एफ.आई. की समीक्षा और अनुपालन, लेखा परीक्षित गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है । यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 12 बैठकें आयोजित की गईं:

15.04.2013	02.05.2013	29.07.2013	10.09.2013
21.10.2013	28.10.2013	30.12.2013	06.12.2013
09.01.2014	30.01.2014	31.01.2014	03.03.2014

dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 19 times during the year on the following dates:

15.04.2013	02.05.2013	21.05.2013	24.06.2013	29.07.2013
25.08.2013	11.09.2013	26.09.2013	21.10.2013	28.10.2013
19.11.2013	03.12.2013	23.12.2013	09.01.2014	30.01.2014
14.02.2014	04.03.2014	15.03.2014	24.03.2014	

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M.G. Sanghvi	04/04
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	15/15
3.	Shri Ravi Chatterjee	06/06
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	19/19
5.	Shri T K Srivastava	12/13
6.	Shri A.S. Rao	02/03
7.	Shri M Rajeshwar Rao	14/16
8.	Shri Narendra L. Dave	01/01
9.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	09/09
10.	Shri Dilip Kumar Saxena	19/19
11.	Shri Jagdish Raj Shrimali	08/09
12.	Shri Ramesh L. Adige	09/09
13.	Shri C R Naseer Ahamed	10/10
14.	Shri Anand K. Pandit	01/05
15.	Shri Atul A Galande	09/10

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 12 times during the year on the following dates:

15.04.2013	02.05.2013	29.07.2013	10.09.2013
21.10.2013	28.10.2013	30.12.2013	06.12.2013
09.01.2014	30.01.2014	31.01.2014	03.03.2014

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	12/12
2.	श्री रवि चटर्जी	03/03
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	12/12
4.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	07/09
5.	श्री एच. प्रदीप राव	11/12
6.	श्री ए. एस. राव	01/02
7.	श्री एम. राजेश्वर राव	09/10
8.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	12/12

जोखिम प्रबंधन समिति

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढ़ंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

24.06.2013	10.09.2013	03.12.2013
23.12.2013	09.01.2014	04.03.2014

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म.गि. संघवी	01/01
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	05/05
3.	श्री रवि चटर्जी	01/01
4.	श्री एम आंजनेय प्रसाद	06/06
5.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	04/05
6.	श्री नरेंद्र एल. दवे	01/01
7.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	04/04
8.	श्री रमेश एल अडिगे	01/01
9.	श्री आनंद के पंडित	01/04
10.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

24.06.2013	29.07.2013	10.09.2013	23.12.2013	13.03.2014

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Dilip Kumar Saxena	12/12
2.	Shri Ravi Chatterjee	03/03
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	12/12
4.	Shri T K Srivastava	07/09
5.	Shri H. PradeepRao	11/12
6.	Shri A.S. Rao	01/02
7.	Shri M Rajeshwar Rao	09/10
8.	Shri Jagdish Raj Shrimali	12/12

RISK MANAGEMENT COMMITTEE:

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 6 meetings on the following dates:

24.06.2013	10.09.2013	03.12.2013
23.12.2013	09.01.2014	04.03.2014

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished herein below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M.G. Sanghvi	01/01
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	05/05
3.	Shri Ravi Chatterjee	01/01
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	06/06
5.	Shri T K Srivastava	04/05
6.	Shri Narendra L. Dave	01/01
7.	Shri Dilip Kumar Saxena	04/04
8.	Shri Ramesh L. Adige	01/01
9.	Shri Anand K. Pandit	01/04
10.	Ms Jasleenn Suri	01/01

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES:

In terms of RBI circular No.DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of Rs. 1 crore and above.

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

24.06.2013	29.07.2013	10.09.2013	23.12.2013	13.03.2014

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म. गि. संघवी	01/01
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	04/04
3.	श्री रवि चटर्जी	01/01
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	05/05
5.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	03/04
6.	श्री एच. प्रदीप राव	03/03
7.	श्री दिनकर एस. पूंजा	01/01
8.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	02/02
9.	श्री सी.आर. नसीर अहमद	01/01
10.	सुश्री जसलीन सूरी	02/02

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उप खण्ड VI सी के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने ''शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति'' विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसे शेयरों का अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं

24.06.2013	03.12.2013

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि चटर्जी	01/01
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	02/02
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	00/01
4.	श्री नरेंद्र एल दवे	01/01
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
6.	श्री आनंद के पंडित	00/01
7.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 3090 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 3070 शिकायतों/प्रश्नों का निवारण कर दिया गया। दि. 31.01.2014 की स्थिति में 20 शिकायतें लंबित थीं उन्हें अप्रैल 2014 के प्रथम सप्ताह के दौरान निपटा दिया गया। कोई भी शिकायत एक माह में ज्यादा लंबित नही रहीं। 31.03.2014 की स्थिति में कोई भी शेयर स्थानांतरण हेतु लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी:

ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 47 और ऋण सूचीकरण करार के खण्ड 22 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

The members of the Committee and their attendance at the meeting are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M.G. Sanghvi	01/01
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	04/04
3.	Shri Ravi Chatterjee	01/01
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	05/05
5.	Shri T K Srivastava	03/04
6.	Shri H Pradeep Rao	03/03
7.	Shri Dinkar S Punja	01/01
8.	Shri Jagdish Raj Shrimali	02/02
9.	Shri C R Nasseer Ahamed	01/01
10.	Ms Jasleenn Suri	02/02

SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE:

In terms of Sub-clause VI C of clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/ Investors' Grievance Committee" of the Board, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/ grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

24.06.2013	03.12.2013

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ravi Chatterjee	01/01
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	02/02
3.	Shri T K Srivastava	00/01
4.	Shri Narendra L Dave	01/01
5.	Shri Ramesh L Adige	01/01
6.	Shri Anand K Pandit	00/01
7.	Ms Jasleenn Suri	01/01

During the year 2013-2014, 3090 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders / Investors of the Bank and out of them, 3070 complaints/ grievances/ queries have been resolved / attended to. 20 complaints, which were pending as on 31.03.2014, were resolved during first week of April 2014. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2014.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Clause 47 of the equity Listing Agreement and Clause 22 of the Debt listing agreement, Sri R Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.,

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE:

In terms of RBI DBOD letterNo. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

24.06.2013	10.09.2013	31.01.2014

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म.गि. संघवी	01/01
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
3.	श्री रवि चटर्जी	01/01
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	03/03
5.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	02/02
6.	श्री नरेंद्र एल. दवे	01/01
7.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
8.	श्री संजय ए. मांजरेकर	01/01
9.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	01/01
10.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	01/01
11.	श्री सी.आर. नसीर अहमद	01/01
12.	श्री आनंद के पंडित	01/01
13.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9.03.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 25.08.2013 को एक बैठक आयोजित की ।

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	1/1
2.	श्री एम. राजेश्वर राव	1/1
3.	श्री आनंद के. पंडित	0/1
4.	श्री अतुल ए. गलांडे	1/1

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

15.04.2013	24.06.2013	10.09.2013	30.01.2014

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

24.06.2013	10.09.2013	31.01.2014

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M.G. Sanghvi	01/01
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
3.	Shri Ravi Chatterjee	01/01
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	03/03
5.	Shri T K Srivastava	02/02
6.	Shri Narendra L Dave	01/01
7.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
8.	Shri Sanjay A Manjrekar	01/01
9.	Shri Dilip Kumar Saxena	01/01
10.	Shri Jagdish Raj Shrimali	01/01
11.	Shri C R Naseer Ahamed	01/01
12.	Shri Anand K Pandit	01/01
13.	Ms Jasleenn Suri	01/01

REMUNERATION COMMITTEE:

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted - a sub Committee of the Board to evaluate the performance of CMD and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 25.08.2013

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. PradeepRao	1/1
2.	Shri M Rajeshwar Rao	1/1
3.	Shri Anand K Pandit	0/1
4.	Shri Atul A Galande	1/1

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE:

A sub Committee of the Board was constituted in the meeting to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

15.04.2013	24.06.2013	10.09.2013	30.01.2014

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म.गि. संघवी	02/02
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
3.	श्री रवि चटर्जी	02/02
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	04/04
5.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	02/02
6.	श्री एच. प्रदीप राव	02/02
7.	श्री दिनकर एस. पूंजा	02/02
8.	श्री रमेश एल. अडिगे	02/02
9.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

शेयर अंतरण समिति

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया ।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारिखों में आयोजित की गई ।

24.06.2013	10.09.2013	03.12.2013	04.03.2014

इसके अलावा, परिचालन द्वारा 18 बैठकें आयोजित की गयीं और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि चटर्जी (31.08.2013 तक)	1/1
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	4/4
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव (दि. 01.09.2013 से)	3/3
4.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 31.07.2013 तक)	1/1
5.	श्री आनंद के पंडित (दि. 31.07.2013 तक)	0/1
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर (दि. 01.08.2013 से 31.01.2014 तक)	1/1
7.	सुश्री जसलीन सूरी (दि 01.08.2013 से 31.01.2014 तक)	2/2
8.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 01.02.2014 से)	1/1
9.	श्री अतुल ए. गलांडे (दि. 01.02.2014 से)	0/1

नामांकन समिति

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M.G. Sanghvi	02/02
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
3.	Shri Ravi Chatterjee	02/02
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	04/04
5.	Shri T K Srivastava	02/02
6.	Shri H Pradeep Rao	02/02
7.	Shri Dinkar S Punja	02/02
8.	Shri Ramesh L Adige	02/02
9.	Ms Jasleenn Suri	01/01

SHARE TRANSFER COMMITTEE:

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, Share Transfer Committee has been constituted.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held four meetings on the following dates:

24.06.2013	10.09.2013	03.12.2013	04.03.2014

Besides, 18 meetings of the committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ravi Chatterjee (till 31.08.2013)	1/1
2.	Shri M Anjaneya Prasad	4/4
3.	Shri T K Srivastava (from 01.09.2013)	3/3
4.	Shri Ramesh L Adige (till 31.07.2013)	1/1
5.	Shri Anand K Pandit (till 31.07.2013)	0/1
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer (till 01.08.2013 to 31.01.2014)	1/1
7.	Ms. Jasleenn Suri (from 01.08.2013 to 31.01.2014)	2/2
8.	Shri Jagdish Raj Shrimali (from 01.02.2014)	1/1
9.	Shri Atul A Galande (from 01.02.2014)	0/1

NOMINATION COMMITTEE:

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended in 2006.

RBI has directed that the Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future.

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तारिखों को आयोजित की गईं ।

02.05.2013	12.06.2013

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	2/2
2.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 31.07.2012 से 30.07.2013 तक)	2/2
3.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 31.07.2012 से 30.07.2013 तक)	2/2
4.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 31.07.2013 से)	-
5.	श्री सी. आर. नसीर अहमद (दि. 31.07.2013 से)	-

एच. आर. समिति

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30.10.2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीख को आयोजित की गयीं।

29.07.2013	02.12.2013	23.12.2013	04.03.2014

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	04/04
2.	श्री रवि चटर्जी	01/01
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	04/04
4.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	03/03
5.	श्री एच. प्रदीप राव	01/01
6.	श्री नरेंद्र एल. दवे	01/01
7.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	03/03
8.	श्री संजय ए. मांजरेकर	04/04
9.	श्री रमेश एल. अडिगे	02/02
10.	सुश्री जसलीन सूरी	02/02

पारा बैंकिंग कार्यकलापों की समिति

वर्ष के दौरान समिति की 1 बैठक दिनांक 10.09.2013 को आयोजित की गयी :

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	01/01
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	01/01
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	01/01
4.	श्री संजय ए. मांजरेकर	01/01
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
6.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार के निदेशानुसार वसूली की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

During the year the committee held two meetings on the following dates:

02.05.2013	12.06.2013

The particulars with regard to the members of the committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	2/2
2.	Shri Ramesh L Adige (from 31.07.2012 to 30.07.2013)	2/2
3.	Shri Jagdish Raj Shrimali from 31.07.2012 to 30.07.2013)	2/2
4.	Shri Dilip Kumar Saxena (from 31.07.2013)	-
5.	Shri C R Naseer Ahamed (from 31.07.2013)	-

H.R. COMMITTEE:

H.R. Committee of the Board was constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

29.07.2013	02.12.2013	23.12.2013	04.03.2014

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	04/04
2.	Shri Ravi Chatterjee	01/01
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	04/04
4.	Shri T K Srivastava	03/03
5.	Shri H Pradeep Rao	01/01
6.	Shri Narendra L Dave	01/01
7.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	03/03
8.	Shri Sanjay A Manjrekar	04/04
9.	Shri Ramesh L Adige	02/02
10.	Ms Jasleenn Suri	02/02

COMMITTEE ON PARA BANKING ACTIVITIES:

During the year the Committee held 1 meeting on 10.09.2013 :

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	01/01
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	01/01
3.	Shri T K Srivastava	01/01
4.	Shri Sanjay A Manjrekar	01/01
5.	Shri Ramesh L Adige	01/01
6.	Ms Jasleenn Suri	01/01

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY:

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis.

वर्ष के दौरान इस समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

29.07.2013	25.08.2013	28.10.2013
03.12.2013	23.12.2013	30.01.2014

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री. सुधीर कुमार जैन	06/06
2.	श्री रवि चटर्जी	02/02
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	06/06
4.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	04/04
5.	श्री एच. प्रदीप राव	06/06

ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों को प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र के तहत इस समिति को बोर्ड द्वारा ₹400.00 करोड़ तक के अधिकार दिए गए हैं।

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – समिति के अध्यक्ष
(बी) कार्यपालक निदेशक
(सी) महाप्रबंधक (ऋण)
(डी) महाप्रबंधक (लेखा)
(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)
(एफ) महाप्रबंधक (वसूली विभाग)

वर्ष के दौरान समिति की 47 बैठकें सपंन्न हुईं।

बोर्ड में परिवर्तन

1. श्री म. गि. संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दि. 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हुए।
2. श्री सुधीर कुमार जैन ने दि. 08.07.2013 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।
3. श्री रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक दि. 31.08.2013 को सेवानिवृत्त हुए।
4. श्री टी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दि. 01.09.2013 को कार्यग्रहण किया।
5. श्री ए. एम. राव, भा.रि.बैं के नामिति निदेशक वे भा.रि.बैंक के अधिसूचना दि. 31.05.2013 के अनुसार दि. 31.05.2013 को बैंक में अपना टर्म पूर्ण किया।
6. श्री एम. राजेश्वर राव, भा.रि.बैंक की दि. 31.05.2013 के अधिसूचना के अनुसार 31.05.2013 से बैंक के निदेशक मंडल में भा.रि.बैंक के नामिति निदेशक के रूप में नामित किया।
7. श्री नरेंद्र एल दवे, ने दि. 31.08.2013 को बैंक के कर्मचारी निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूर्ण की।
8. श्री शंकरन भास्कर अय्यर ने बैंक में दि. 04.09.2013 को कर्मचारी निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।
9. श्री दिनकर एस. पूंजा ने दि.11.07.2013 को बैंक के गैर-कर्मचारी निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूर्ण की।
10. श्री संजय अनंत मांजरेकर, बैंक के गैर-कर्मचारी निदेशक के रूप में दि. 10.07.2013 को कार्यग्रहण किया।
11. श्री अतुल ए. गलांडे को दि. 27.07.2013 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर-सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

During the year the Committee held 6 meetings on the following dates:

29.07.2013	25.08.2013	28.10.2013
03.12.2013	23.12.2013	30.01.2014

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	06/06
2.	Shri Ravi Chatterjee	02/02
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	06/06
4.	Shri T K Srivastava	04/04
5.	Shri H Pradeep Rao	06/06

CREDIT APPROVAL COMMITTEE

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual/company or to all the borrowers / companies in the same group not exceeding ₹ 400.00 Crore.

The Committee consists of the following members:

(a) Chairman and Managing Director – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors;
(c) General Manager (Credit);
(d) General Manager (Accounts)
(e) General Manager (Risk Management)
(f) General Manager (Recoveries Department)

During the year, the Committee met 47 times.

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri M G Sanghvi, Chairman & Managing Director, Superannuated on 30.06.2013.
2. Shri Sudhir Kumar Jain, assumed Office as Chairman & Managing Director of the Bank on 08.07.2013'
3. Shri Ravi Chatterjee, Executive Director superannuated on 31.08.2013
4. Shri T K Srivastava, Executive Director, assumed Office as Executive Director of the Bank on 01.09.2013
5. Shri A S Rao, RBI Nominee Director completed his term as Director of the Bank on 31.05.2013 as per RBI Notification dated 31.05.2013
6. Shri M Rajeshwar Rao, was nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 31.05.2013, as per RBI Notification dated 31.05.2013
7. Shri Narendra L Dave, completed his term as Workmen Director of the Bank on 31.08.2013.
8. Shri Sankaran Bhaskar Iyer, joined the Bank as Workmen Director on 04.09.2013.
9. Shri Dinkar S Punja, completed his term as Non workmen Director of the Bank on 11.07.2013.
10. Shri Sanjay A Manjrekar, joined the Bank as Non Workmen Director on 10.07.2013.
11. Shri. Atul A Galande elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 27.07.2013.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आइ. दि. 18.10.2011 के अनुसार गैर सरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए ₹5,000/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं जो दि.18.10.2011 से लागू है।

(दि. 01.04.2013 से दि. 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क ₹
1.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	75,000
2.	श्री दिनकर एस. पूंजा	45,000
3.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	1,60,000
4.	श्री संजय अनंत मांजरेकर	1,45,000
5.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	3,10,000
6.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	2,50,000
7.	श्री रमेश एल. अडिगे	2,20,000
8.	श्री सी. आर. नसीर अहमद	1,90,000
9.	सुश्री जसलीन सूरी	1,90,000
10.	श्री अतुल ए. गलांडे	1,35,000

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in. पर **''शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन''** के अधीन लगाया गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक **ई-मेल आई.डी.** खोल रखा है - **"syndinvest@syndicatebank.co.in",** जिससे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा ।

दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री एच. प्रदीप राव	शून्य
श्री एम. राजेश्वर राव	शून्य
श्री शंकरन भास्कर अय्यर	800
श्री संजय अनंत मांजरेकर	1204
श्री दिलीप कुमार सक्सेना	शून्य
श्री जगदीश राज श्रीमाली	शून्य
श्री रमेश एल. अडिगे	शून्य
श्री सी. आर. नसीर अहमद	शून्य
सुश्री जसलीन सूरी	100
श्री आनंद के. पंडित	301
श्री अतुल ए. गलांडे	200

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है । शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड सं. 49 के अनुसार अपेक्षित सभी अधिदेशात्मक आवश्यकताओं का पालन किया है।

SITTING FEES:

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors at the rate of ₹ 10000/- and ₹ 5000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011, effective from 18.10.2011.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2013 to 31.03.2014:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Narendra L. Dave	75,000
2.	Shri Dinkar S. Punja	45,000
3.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	1,60,000
4.	Shri Sanjay A Manjrekar	1,45,000
5.	Shri Dilip Kumar Saxena	3,10,000
6.	Shri Jagdish Raj Shrimali	2,50,000
7.	Shri Ramesh L. Adige	2,20,000
8.	Shri C.R.Naseer Ahamed	1,90,000
9.	Ms. JasleennSuri	1,90,000
10.	Shri Atul A Galande	1,35,000

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. www.syndicatebank.in under "**shareholders information".**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an **e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2014

Name of the Director	Number of shares held
Shri H Pradeep Rao	Nil
Shri M Rajeshwar Rao	Nil
Shri Sankaran Bhaskar Iyer	800
Shri Sanjay Manjrekar	1204
Shri Dilip Kumar Saxena	Nil
Shri Jagdish Raj Shrimali	Nil
Shri Ramesh L Adige	Nil
Shri C R Naseer Ahamed	Nil
Ms. Jasleenn Suri	100
Shri Anand K Pandit	301
Shri Atul A Galande	200

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges.

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से और शेयर धारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें ।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
चेतावनी सूचक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । अत्यावश्यक/आपत्काल के मामले में उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक पब्लिक इंट्रस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग में दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक व्हिसिल ब्लोअर नीति को बनाने के लिए कदम उठा रहा है जिसे सेबी परिपत्र सी आई आर/सी एफ डी/पॉलिसी सेल/2/2014 दि. 17.04.2014 के माध्यम से दि. 1.10.2014 से अधिदेशी बनाया गया है।
डाक द्वारा मतदान	कारोबार लेनदेन के लिए डाक द्वारा मतदान करने के लिए कोई विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इन्हें बैंक के वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं - कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता का पालन किया गया है।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण - कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष के दौरान 7 निदेशकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है ।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और सम कक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि.01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयर धारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

कंपनी की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है। दि. 31.03.2014 की स्थिति में बैंक की प्रदत्त पूंजी ₹601.95 करोड़ है।

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Chairman and Managing Director / Executive Directors in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/ rectified. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank is also taking steps for framing Whistle Blower Policy, made mandatory with effect from 01.10.2014 vide SEBI Circular CIR/CFD/Policy Cell/2/2014 dated 17.04.2014.
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It has been uploaded on the website of the Bank
Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank is taking steps to comply with this requirement.
Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 7 directors attended various training programmes.
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/ continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

Share Capital of the Company

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 Crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹ 10/- each. The Paid Capital of the Bank stood at ₹ 601.95 Crore as on 31.03.2014.

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ. सं. 11/13/2011– बी.ओ.ए. दिनांक 22.10.2013 के माध्यम से अपने पक्ष में ईक्विटी का अधिमान्य आबंटन के द्वारा ₹200.00 करोड़ (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) की पूंजी लगाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, शेयरधारक, बी.एस.सी.लि., (मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा सरकार से विधियों की प्राप्ति पर अधिमान्य आधार पर ₹88.36 प्रति शेयर की दर पर दि.13.01.2014 को भारत सरकार के पक्ष में ₹10/- अति अंकित मूल्यवाले 2, 26, 34, 676 (दो करोड़ छब्बीस लाख, चौंतीस हजार छह सौ छिहत्तर) ईक्विटी शेयर जारी किए गए और आबंटित किए गए। दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹624.58 करोड़ हो गई।

आम बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
बारहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2011	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
तेरहवीं वार्षिक आम बैठक	17.07.2012	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2013	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

शेयरधारक की एक रिक्ति के लिए एक ही वैध उम्मीदवार होने के कारण श्री अतुल अशोक गलांडे को सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए तथा 26 जून, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए यानि 25 जून, 2016 तक, कार्यग्रहण कर लिया। जैसा कि बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस में सूचित किया गया था।

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
शनिवार, मार्च 19, 2011	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन
गुरुवार, मार्च 22, 2012	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
शुक्रवार, जनवरी 10, 2014	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिनियम आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन

प्रकटीकरण

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सूचीकरण करार का खण्ड सं. 49 उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक वे अपने संबंधित संविधि तथा संगत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उलंघन नहीं करते हैं।

i) **निदेशकों का पारिश्रमिक**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक(कों) के पारिश्रमिक का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है । बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है:

मंडल बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹5,000/- प्रति बैठक

Government of India vide their letter F No. 11/13/2011-BOA dated 22.10.2013 decided to infuse ₹ 200.00 Crore (Rupees Two hundred Crore only) by way of preferential allotment of equity in its favour.

Accordingly, 2,26,34,676 (Two crore twenty six lakh thirty four thousand six hundred and seventy six only) equity shares of the face value of ₹ 10/- each were issued and allotted in favour of Government of India on 13.01.2014 @ ₹ 88.36 per share on preferential basis on receipt of funds from them and after obtaining necessary approvals from Government of India, Reserve Bank of India, Shareholders, BSE Ltd (Bombay Stock Exchange Ltd) and National Stock Exchange of India Ltd, (NSE). The paid up capital of the Bank increased to ₹ 624.58 crore as on 31.03.2014.

GENERAL BODY MEETINGS:

I) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance-Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
Twelfth Annual General Meeting	25.06.2011	11.30 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Thirteenth Annual General Meeting	17.07.2012	11.00 A M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Fourteenth Annual General Meeting	25.06.2013	11.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

As there was only one valid candidate for the one vacancy of Shareholder Director, Shri Atul Ashok Galande, in terms of SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 was deemed to have been elected as a Director and as indicated in the Notice convening the Annual General Meeting of the Bank assumed office from 26th June 2013 for a period of three years i.e. till 25th June 2016.

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Saturday March 19, 2011	11.30 A M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India
Thursday, March 22, 2012	11.30 A M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India and LIC of India
Friday, January 10, 2014	11.00 A M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e-g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors**

The Remuneration of the Chairman and Managing Director and Executive Director(s) is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees, which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

ii) **महत्वपूर्ण लेन–देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक (कों) के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप–समितियों के विचार–विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii) **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹200.00 करोड़ की रकम वाली अधिमान्य ईक्विटी शेयरों के रूप में भारत सरकार को ₹78.36 के प्रीमियम पर ₹10/- प्रति अंकित मूल्यवाले 2,26,34,676 ईक्विटी शेयरों को जारी किया है।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर–I पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

iv) बैंक के संगत पार्टी लेन–देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2014 के तुलन–पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।

v) बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है ।

vi) दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

vii) बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

viii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

ix) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2013-2014 के लिए बैंक ने नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

x) शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 47 (सी) के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ अंतरण, संप्रेषण, उप–विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों का विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया । उक्त प्रमाणपत्रों को उसकी प्राप्ती की तारीख से 24 घंटों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया।

xi) सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा करवायी । इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को दि. 02.05.2013, 29.07.2013, 28.10.2013 और 31.01.2014 को तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc**

During the year under review, the Bank issued 2,26,34,676 equity shares of the face value of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 78.36 to Government of India by way of Preferential Issue of Equity Shares amounting to ₹ 200.00 crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and same were utilized for the said purpose.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2014.

v. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

vi. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2014.

vii. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

viii. The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

ix. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2013-2014 and the same is annexed to this Report.

x. As required under Clause 47(C) of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 24 hours of receipt.

xi. In terms of SEBI's Circular No. D &CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 02.05.2013, 29.07.2013, 28.10.2013 and 31.01.2014, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc, and in the Regional newspaper, Udayavani.

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, फायनांशियल एक्सप्रेस, डी एन ए, मिंट	उदयवाणी	03.05.2013
जून 2013 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड, इकॉनॉमिक टाइम्स	उदयवाणी	30.07.2013
सितंबर 2013 को समाप्त अर्ध-वर्ष	बिजनेस लाइन, मिंट	विजय कर्नाटक	29.10.2013
दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही	इकॉनॉमिक टाइम्स, मिंट	उदयवाणी	01.02.2014

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्स्चेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

नैगम कार्य मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा नैगम अभिशासन में की गई पर्यावरण संरक्षण पहल

प्रलेखों को ई-माध्यम से भेजे जाने संबंधी नैगम कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, उन सदस्यों को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजी जाएंगी, जिन्होंने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (पी) लि., रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आई डी पंजीकृत किया है। वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 की सॉफ्ट प्रति बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 की हार्ड प्रतियाँ भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक के साथ अपना ई-मेल पता दर्ज नहीं किया है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 में शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2014 को प्रात: 11.00 बजे होगी और वर्ष 2013-2014 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2014 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	07.05.2014
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	21.05.2014 से 23.05.2014 तक
3.	बही बंदी	13.06.2014 से 20.06.2014 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	14.06.2014
5.	पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	20.06.2014
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर

सूचीकरण

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है ।

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
ए.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'' बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	–
बी.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532276

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई. 667ए 01018 है ।

दि. 31.03.2014 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजों को कर दिया गया है।

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2013	Economic Times, Business Line, Business Standard, Financial Express, DNA, Mint	Udayavani	03.05.2013
Quarter ended June 2013	Business Standard, Economic Times	Udayavani	30.07.2013
Half year ended September 2013	Business Line, Mint	Vijaya Karnataka	29.10.2013
Quarter ended December 2013	Economic Times, Mint	Udayavani	01.02.2014

In terms of clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2013-2014 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd, Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2013-2014 will be placed on the website of the Bank (www.syndicatebank.in).

Hard copies of Annual Report 2013-2014 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the Bank.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

Fifteenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on Friday, the 20.06.2014. at 11.00 A.M. and Financial Calendar of the Bank for the year 2013-2014 is as follows.

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2014 and recommending Dividend, etc..	07.05.2014
2.	Mailing of Annual Reports	21.05.2014 to 23.05.2014
3.	Book Closure	13.06.2014 to 20.06.2014
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	14.06.2014
5.	Fifteenth Annual General Meeting	20.06.2014
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	-----------
b.	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing fees upto 31.03.2014 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

शेयर बाजार आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-मास	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)
अप्रैल – 2013	123.50	105.00	17,77,921	123.65	104.90	1,92,47,876
मई – 2013	137.60	120.45	56,93,678	137.90	120.00	4,05,49,615
जून – 2013	135.95	103.30	27,63,446	136.00	103.25	2,13,59,644
जुलाई – 2013	120.00	81.75	36,65,548	120.00	81.75	3,00,43,773
अगस्त – 2013	90.70	61.05	74,40,022	90.75	61.00	4,84,59,460
सितंबर – 2013	79.65	63.15	56,59,134	79.50	63.15	3,91,64,918
अक्तूबर – 2013	82.10	67.55	59,80,048	82.25	67.45	4,14,33,819
नवंबर – 2013	94.90	80.50	83,97,645	94.90	80.50	5,63,62,842
दिसंबर – 2013	98.30	84.00	42,48,194	98.25	84.05	3,10,45,212
जनवरी – 2014	101.45	77.95	65,98,680	101.40	77.60	4,72,15,092
फरवरी – 2014	86.30	78.15	26,08,285	85.30	78.15	2,48,82,424
मार्च – 2014	99.00	80.00	43,60,133	98.90	79.85	3,64,43,786

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है।

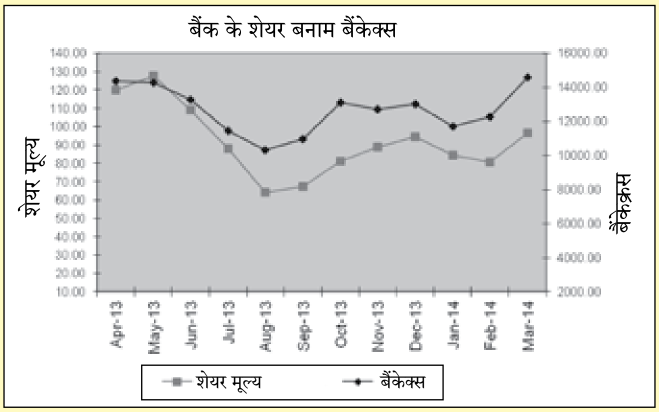

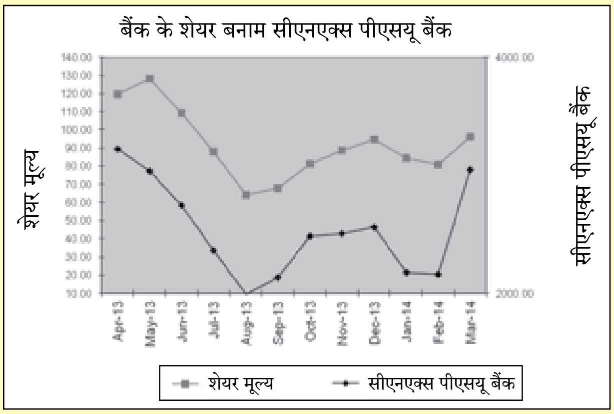

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

ए) **कागज़ी शेयर**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं । बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लाट नंबर 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081
दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814

STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) during the Financial Year 2013-2014 is as follows:

Year-Month	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)
2013 – April	123.50	105.00	17,77,921	123.65	104.90	1,92,47,876
2013 – May	137.60	120.45	56,93,678	137.90	120.00	4,05,49,615
2013 – June	135.95	103.30	27,63,446	136.00	103.25	2,13,59,644
2013 – July	120.00	81.75	36,65,548	120.00	81.75	3,00,43,773
2013 – Aug	90.70	61.05	74,40,022	90.75	61.00	4,84,59,460
2013 – Sept	79.65	63.15	56,59,134	79.50	63.15	3,91,64,918
2013 – Oct	82.10	67.55	59,80,048	82.25	67.45	4,14,33,819
2013 – Nov	94.90	80.50	83,97,645	94.90	80.50	5,63,62,842
2013 – Dec	98.30	84.00	42,48,194	98.25	84.05	3,10,45,212
2014 – Jan	101.45	77.95	65,98,680	101.40	77.60	4,72,15,092
2014 – Feb	86.30	78.15	26,08,285	85.30	78.15	2,48,82,424
2014 – Mar	99.00	80.00	43,60,133	98.90	79.85	3,64,43,786

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNX PSU Bank are as under:

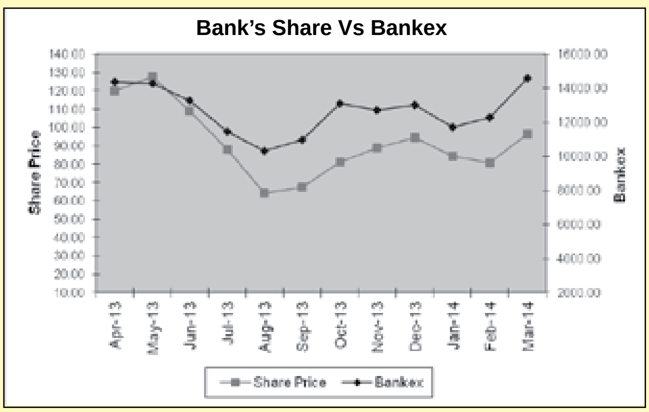

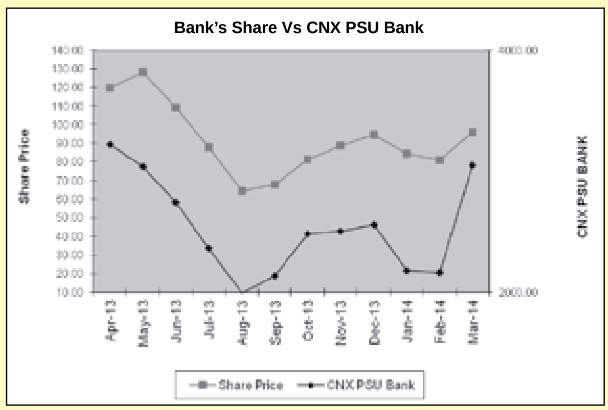

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer agents at the following address:

M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.
UNIT: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24,
Vithalrao Nagar, Madhapur,
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn: 116 or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

बी) **बेकागज़ी शेयर**

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।

दि. 31.03.2014 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 96.27% को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 42,09,20,347 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी का हिस्सा कुल प्रदत्त पूंजी का 67.39% है जो बेकागज़ीकृत फार्म में है।

दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल की प्रतिशतता
ए. कागज़ी	1,13,112	45.50	2,33,00,494	3.73
बी. बेकागज़ी				
• एन.एस.डी.एल.	1,03,489	41.63	16,95,87,739	27.15
• सी.डी.एस.एल.	31,986	12.87	43,16,96,398	69.12
कुल	**2,48,587**	**100.00**	**52,45,84,631**	**100.00**

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1	**प्रवर्तक**		
	भारत सरकार	42,09,20,347	67.39
	विदेशी प्रवर्तक	कुछ नहीं	
2	**सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति**	कुछ नहीं	
	कुल	**42,09,20,347**	**67.39**
बी.	**गैर-प्रवर्तक धारण**		
3	**संस्थागत निवेशक**		
ए.	म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	10,59,513	0.17
बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	12,57,859	0.20
सी.	बीमा कंपनियाँ	8,01,77,662	12.84
डी.	एफ.आइ.आइ. (विदेशी संस्थागत निवेशक)	4,09,67,502	6.56
ई.	अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	3,75,000	0.06
	उप-जोड़	**12,38,37,536**	**19.83**
4	**अन्य**		
ए.	निजी नैगम निकाय	1,26,62,829	2.03
बी.	भारतीय जनता	6,38,79,498	10.23
सी.	एनआरआइ/ओसीबी	13,89,312	0.22
डी.	अन्य	18,95,109	0.30
	उप-जोड़	**7,98,26,748**	**12.78**
	गैर-प्रवर्तक धारण की जोड	**20,36,64,284**	**32.61**
	कुल जोड़	**62,45,84,631**	**100.00**

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 31.03.2014, 96.27% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 42,09,20,347 equity shares constituting 67.39% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2014 are as under:

	No. of Shareholders	% to total	No. of Shares	% to total
A. PHYSICAL	1,13,112	45.50	2,33,00,494	3.73
B. DEMAT				
• NSDL	1,03,489	41.63	16,95,87,739	27.15
• CDSL	31,986	12.87	43,16,96,398	69.12
TOTAL	**2,48,587**	**100.00**	**52,45,84,631**	**100.00**

Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2014 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	Government of India	42,09,20,347	67.39
	Foreign promoters	NIL	
2	Persons acting in concert	NIL	
	Total	**42,09,20,347**	**67.39**
B	**Non –Promoter Holding**		
3	Institutional Investor		
a.	Mutual Funds and UTI	10,59,513	0.17
b.	Banks, Financial Institutions	12,57,859	0.20
c.	Insurance Companies	8,01,77,662	12.84
d.	FII's	4,09,67,502	6.56
e.	Qualified Foreign Investor	3,75,000	0.06
	Sub Total	**12,38,37,536**	**19.83**
4	Others		
a.	Private Corporate Bodies	1,26,62,829	2.03
b.	Indian Public	6,38,79,498	10.23
c.	NRIs/OCBs	13,89,312	0.22
d.	Any Others	18,95,109	0.30
	Sub Total	**7,98,26,748**	**12.78**
	Total Non-Promoters Holding	**20,36,64,284**	**32.61**
	Grand Total	**62,45,84,631**	**100.00**

दि. 31.03.2014 को 1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रायोजक	**भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली	42,09,20,347	67.39
बीमा कंपनियां	भारतीय जीवन बीमा निगम	**5,94,30,622**	**9.52**
	एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	1,73,24,701	2.77
	कुल	**49,76,75,670**	**79.68**

दि. 31.03.2014 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न

क्र.सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल की प्रतिशतता
1.	500 तक	232680	93.60	39444928	394449280.00	6.32
2.	501 – 1000	10280	4.14	7948341	79483410.00	1.27
3.	1001 – 2000	3339	1.34	4933616	49336160.00	0.79
4.	2001 – 3000	763	0.31	1923713	19237130.00	0.31
5.	3001 – 4000	383	0.15	1381336	13813360.00	0.22
6.	4001 – 5000	290	0.12	1356428	13564280.00	0.22
7.	5001 – 10000	352	0.14	2591994	25919940.00	0.41
8.	10001 – 50000	324	0.13	6821584	68215840.00	1.09
9.	50001 – 100000	65	0.03	4717686	47176860.00	0.76
10.	100001 और उससे अधिक	111	0.04	553465005	5534650050.00	88.61
	कुल	**248587**	**100.00**	**624584631**	**6245846310.00**	**100.00**

दि. 31.03.2014 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागज़ी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
–भारत सरकार	0	0	0	1	420920347	67.39	1	420920347	67.39
– अन्य	7145	1901401	0.30	10496	4221495	0.68	17641	6122896	0.98
बेंगलूर	10966	2282081	0.37	11853	3669893	0.59	22819	5951974	0.95
चेन्नई	3575	721100	0.12	6544	2577423	0.41	10119	3298523	0.53
हैदराबाद	4071	878400	0.14	5511	2325741	0.37	9582	3204141	0.51
कोलकाता	1481	366901	0.06	4103	8229415	1.32	5584	8596316	1.38
मंगलूर	1677	356925	0.06	2492	845990	0.14	4169	1202915	0.19
मुंबई	4234	1025612	0.16	14189	132766920	21.26	18423	133792532	21.42
उडुपि	1796	361300	0.06	1958	707957	0.11	3574	1069257	0.17
अन्य स्थान	78167	15406774	2.47	78328	25018956	4.01	156495	40425730	6.47
कुल	**113112**	**23300494**	**3.73**	**135475**	**601284137**	**96.27**	**248587**	**624584631**	**100.00**

Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2014

Category	Name of the Shareholder	No. of shares	% of shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	42,09,20,347	67.39
Insurance	**Life Insurance Corporation of India**	**5,94,30,622**	**9.52**
	HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.	1,73,24,701	2.77
	Total	**49,76,75,670**	**79.68**

Distribution Pattern as on 31.03.2014

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Sharehol-ders	% age of Total	No of Shares	Amount (₹)	% age to Total
1.	Upto 500	232680	93.60	39444928	394449280.00	6.32
2.	501 – 1000	10280	4.14	7948341	79483410.00	1.27
3.	1001 – 2000	3339	1.34	4933616	49336160.00	0.79
4.	2001 – 3000	763	0.31	1923713	19237130.00	0.31
5.	3001 – 4000	383	0.15	1381336	13813360.00	0.22
6.	4001 – 5000	290	0.12	1356428	13564280.00	0.22
7.	5001 – 10000	352	0.14	2591994	25919940.00	0.41
8.	10001 – 50000	324	0.13	6821584	68215840.00	1.09
9.	50001 – 100000	65	0.03	4717686	47176860.00	0.76
10.	100001 and above	111	0.04	553465005	5534650050.00	88.61
	TOTAL	**248587**	**100.00**	**624584631**	**6245846310.00**	**100.00**

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2014

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding
Delhi									
- GOI	0	0	0	1	420920347	67.39	1	420920347	67.39
- Others	7145	1901401	0.30	10496	4221495	0.68	17641	6122896	0.98
Bangalore	10966	2282081	0.37	11853	3669893	0.59	22819	5951974	0.95
Chennai	3575	721100	0.12	6544	2577423	0.41	10119	3298523	0.53
Hyderabad	4071	878400	0.14	5511	2325741	0.37	9582	3204141	0.51
Kolkata	1481	366901	0.06	4103	8229415	1.32	5584	8596316	1.38
Mangalore	1677	356925	0.06	2492	845990	0.14	4169	1202915	0.19
Mumbai	4234	1025612	0.16	14189	132766920	21.26	18423	133792532	21.42
Udupi	1796	361300	0.06	1958	707957	0.11	3574	1069257	0.17
Others	78167	15406774	2.47	78328	25018956	4.01	156495	40425730	6.47
TOTAL	**113112**	**23300494**	**3.73**	**135475**	**601284137**	**96.27**	**248587**	**624584631**	**100.00**

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है:

- शेयरों का अंतरण
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान की है।

एनइसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में नामांकन निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष ...... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार, भारत सरकार से दिशानिदेश प्राप्त होने के बाद वर्ष 2006-2007 तक के अंतरिम लाभांश के अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष बकाया राशि को उनके आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend /interest, etc are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility.

NECS mandated form is appended with the Annual Report.

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ……….."

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Accordingly, balance outstanding under unpaid dividend accounts upto Interim Dividend 2006-2007 will be transferred to IEPF of Government of India, on receipt of guidelines from them.

बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते तथा आई.ई.पी.एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के ब्यौरे निम्नवत् हैं।

क्र. सं.	अदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तारीख	दि. 31.03.2014 तक की शेष राशि (₹)	आई.ई.पी. एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख
1.	अंतिम लाभांश 2006-2007	3008.101.6672	16.07.2007	64,01,966	16.08.2014
2.	अंतरिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7530	11.04.2008	79,99,932	11.05.2015
3.	अंतिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7839	18.07.2008	69,05,908	18.08.2015
4.	अंतरिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8078	29.04.2009	88,92,560	29.05.2016
5.	अंतिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8160	21.07.2009	92,50,837	21.08.2016
6.	लाभांश 2009-2010	3008.101.8416	06.07.2010	1,75,69,594	06.08.2017
7.	लाभांश 2010-2011	3008.101.8720	07.07.2011	2,28,65,537	07.08.2018
8.	लाभांश 2011-2012	3008.101.9176	27.07.2012	2,70,72,203	17.09.2019
9.	लाभांश 2012-2013	3008.101.9567	28.06.2013	4,75,39,135	28.07.2020
10.	अंतरिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9793	28.01.2014	2,43,78,587	28.02.2021

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बंध पत्र

जो इक्विटी में परिवर्तनीय नहीं है, उसे पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने असुरक्षित एवं प्रतिदेय बांड को बढ़ाया । दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

शृंखला	आबंटन की तारीख	रकम करोड़ (रुपयों में)	अवधि (महीने में)	कूपन % (प्र.व.)	मोचन की तारीख
शृंखला VI - टियर II	29.09.2004	200.00	116	6.90	29.05.2014
शृंखला VII - टियर II	20.12.2004	100.00	120	7.50	20.12.2014
शृंखला VIII - टियर II	20.06.2005	500.00	118	7.40	20.04.2015
शृंखला IX - टियर II	15.12.2005	500.00	112	7.60	15.04.2015
अपर टियर II शृंखला I	27.07.2006	619.60	180	9.35	27.07.2021
अपर टियर II शृंखला II	28.02.2007	200.10	180	9.30	28.02.2022
आई.पी.डी.आई.* टियर I शृंखला I	25.03.2008	240.00	140	9.90	31.12.2019
लोअर* टियर II शृंखला X	26.12.2008	300.00	120	8.60	26.12.2018
आई.पी.डी.आई.* टियर I	12.01.2009	339.00	120	9.40	30.12.2019
आई.पी.डी.आई.* टियर I	15.06.2009	200.00	120	8.49	15.06.2019
आई.पी.डी.आई.* टियर I	29.06.2009	194.00	126	8.90	31.12.2020
आई.पी.डी.आई.* टियर I	31.12.2012	1000.00	120	9.00	31.12.2022
	कुल	**4392.70**			

*आई.पी.डी.आई.– नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

नोट: यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन–दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं– सेबी/सी.एफ.डी./डी.आई.एल./एल.ए./1/2009/24/04 दि. 24.04.2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेटबैंक
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक – अदावी उचंत खाता–डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद – 500 034

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current Account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2014 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1.	Final Dividend 2006-2007	3008.101.6672	16.07.2007	64,01,966	16.08.2014
2.	Interim Dividend 2007-08	3008.101.7530	11.04.2008	79,99,932	11.05.2015
3.	Final Dividend 2007-08	3008.101.7839	18.07.2008	69,05,908	18.08.2015
4.	Interim Dividend 2008-09	3008.101.8078	29.04.2009	88,92,560	29.05.2016
5.	Final Dividend 2008-09	3008.101.8160	21.07.2009	92,50,837	21.08.2016
6.	Dividend 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,75,69,594	06.08.2017
7.	Dividend 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,28,65,537	07.08.2018
8.	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,70,72,203	17.09.2019
9.	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,75,39,135	28.07.2020
10.	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	2,43,78,587	28.02.2021

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds

Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2014 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (₹ In Crore)	Tenor (in months)	Coupon (% p.a)	Redemption date
Series VI –Tier II	29.09.2004	200.00	116	6.90	29.05.2014
Series VII –Tier II	20.12.2004	100.00	120	7.50	20.12.2014
Series VIII –Tier II	20.06.2005	500.00	118	7.40	20.04.2015
Series IX –Tier II	15.12.2005	500.00	112	7.60	15.04.2015
Upper Tier II Series I	27.07.2006	619.60	180	9.35	27.07.2021
Upper Tier II Series II	28.02.2007	200.10	180	9.30	28.02.2022
IPDI * Tier I Series I	25.03.2008	240.00	140	9.90	31.12.2019
Lower Tier II Series X	26.12.2008	300.00	120	8.60	26.12.2018
IPDI* Tier I	12.01.2009	339.00	120	9.40	30.12.2019
IPDI* Tier I	15.06.2009	200.00	120	8.49	15.06.2019
IPDI *Tier I	29.06.2009	194.00	126	8.90	31.12.2020
IPDI* Tier I	31.12.2012	1000.00	120	9.00	31.12.2022
	Total	**4392.70**			

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

Note : Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2014:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank –Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (सूची बंध) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	117	22,007
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	1	402
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2013-14 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	1	402
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	116	21605

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	543	98,400
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	8	2300
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2013-14 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	8	2300
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	535	96100

दि. 31.03.2014 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006721
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

सेबी विनियमन 2002 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुनः, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो को निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 22.04.2013 से 03.05.2013 तक	31 मार्च 2013 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 19.07.2013 से 30.07.2013 तक	30 जून 2013 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 17.10.2013 से 29.10.2013 तक	30 सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 21.01.2014 से 01.02.2014 तक	31 दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

टेक ओवर संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली 2011 के प्रावधानों का पालन किया है।

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2013	117	22,007
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2013-2014	1	402
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2013-2014	1	402
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2014	116	21605

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2013	543	98,400
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2013-2014	8	2300
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2013-2014	8	2300
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2014	535	96100

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2014:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank –Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2002

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 22/04/2013 to 03/05/2013	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2013
From 19/07/2013 to 30/07/2013	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2013
From 17/10/2013 to 29/10/2013	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2013
From 21/01/2014 to 01/02/2014	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2013.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

सूचीबद्ध संस्थाओं के पर्यावरणपरक, सामाजिक एवं शासनपरक उत्तरदायित्वों का आकलन करने के उद्धेश्य से सेबी ने दि. 24.11.2011 को जारी अपने दिशानिदेशों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपेनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों के संबंध में अपनाये गए उपायों की जानकारी देते हुए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबार उत्तरदायी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सेबी के दिशानिर्देशों तथा निम्नलिखित क्षेत्रों संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समर्थन करने में बैंक कटिबद्ध है।

- कारोबारी आचरण में नीतिगत व्यवहार
- उत्तम सेवाओं का प्रावधान
- कर्मचारी कल्याण
- मानवाधिकार
- श्रमिक
- पर्यावरण
- सम्मिलित वृद्धि और साम्यिक विकास
- बैंक के सभी हिताधिकारियों, आदि को उत्तरदायी बनाना तथा उन्हें मान्यता प्रदान करना।

हमारे कार्य व्यवहार में इन सिद्धांतों का कड़ा अनुपालन किया जाएगा तथा उनमें निरंतर सुधार लाने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा।

सेबी ने उसके द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में कारोबारी उत्तरदायी रिपोर्ट को (वार्षिक रिपोर्ट में) शामिल किया है जो शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं केलिए (बाजारी पूंजीकरण) अनिवार्य कर दिया है। तथापि प्रवर्तित नीतियों के कार्यान्वयन हेतु बैंक द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं तथा सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस संबंधी विस्तृत रिपोर्ट 2014-2015 से वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।

नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

(सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार)

सेवा में,
बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है ।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है ।

1. निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका सूचना की समीक्षा इत्यादि
3. सहायक कंपनियाँ
4. प्रकटीकरण
   - ए) संगत पार्टी लेन-देन का आधार
   - बी) लेखाकरण प्रक्रिया
   - सी) जोखिम प्रबंधन
   - डी) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   - ई) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि
   - एफ) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
   - जी) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध
5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट
7. लेखा परीक्षकों से अनुपालन प्रमाण पत्र

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

के. एन. गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
ह/
(के. एन. गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 011939

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 07.05.2014

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTS

In order to assess fulfillment of the environmental, social and governance responsibilities of listed entities, SEBI vide its guidelines dated 24.11.2011 has mandated listed entities to submit Business Responsibility Reports, as a part of their Annual Reports, describing measures taken by them on certain key principles.

The Bank is committed to complying with these guidelines, and support key principles in the areas of:

- Ethical practices in the conduct of business
- Provision of good services
- Welfare of employees
- Human rights
- Labour
- Environment
- Inclusive growth and equitable development
- Anti-corruption,
- Accountability to all stakeholders of the Bank, etc and creation of value to them

These principles will be scrupulously followed in our operations and we strive for continuous improvement of the same and report our progress, annually.

SEBI has made inclusion of Business Responsibility Reports in the format specified by them (in Annual Reports) mandatory for top 100 listed entities (based on market capitalization). Our Bank is not falling under top 100 listed entities. However, Bank is taking steps for implementation of these policies, and a detailed report as per SEBI guidelines will be included in the Annual Report from 2014-2015 onwards.

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To

All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by SyndicateBank for the year ended 31.3.2014 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role review of information, etc.
3) Subsidiary Companies
4) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Risk Management
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Remuneration of Directors
   f) Management Discussion and Analysis
   g) Relationships between directors inter-se, etc.
5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
7) Compliance Certificate from the Auditors

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

FOR K. N. GOYAL & CO
Chartered Accountants
Sd/-
(K. N. Goyal)
Partner
Membership No. 011939

Place : BANGALORE
Date : 07.05.2014

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 30.04.2014

मैं प्रमाणित करता हूँ:

ए. मैंने वर्ष 2013-2014 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष 2013-14 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

	ह/	ह/
स्थान : बेंगलूरु	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01.10.2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुन: अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-

(सुधीर कुमार जैन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2014

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 30.04.2014

I/We Certify that –

a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2012-2013 and that to the best of our knowledge and belief:

   - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2013-2014 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee –

   - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2013-2014;
   - Significant changes in accounting policies during the year 2013-14 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Sd/- CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/- CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : BENGALURU

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2014.

Sd/-
(SUDHIR KUMAR JAIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : BENGALURU
Date : 07.05.2014

बासेल II प्रकटीकरण – मार्च 2014

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है । बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढांचा, प्रणालियां, नीतियां और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है । निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

अनुप्रयोग की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है।	**सिंडिकेटबैंक**
बी) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ।	लागू नहीं

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

सी) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम।	लागू नहीं
डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती बनाम इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं।	लागू नहीं

पूँजीगत ढाँचा

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूंजीगत लिखतों के मामले में जो टियर-I या उच्च टियर-II में शामिल करने हेतु पात्र हैं ।

BASEL II DISCLOSURES – MARCH 2014

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with Best practices and Regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

Scope of Application

Qualitative Disclosures

a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies	**SyndicateBank**
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group	Not Applicable

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not applicable

Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

बैंक के टियर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियोजित कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआइ को भी टियर-I पूँजी के रूप में परिकलित किया गया है ।

टियर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान, जिन्हें टियर-II और अपर टियर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं । इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

बी) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टियर-I पूँजी की रकम	**11,422.81**
• प्रदत्त शेयर पूँजी	624.58
• प्रारक्षित निधियाँ	10,178.79
• नवोन्मेषी लिखतें	773.00
• अन्य पूँजी लिखतें	–
• टियर-I पूँजी से कटौती की गई रकम, आस्थगित कर आस्ति सहयोगी संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%)	 (140.43) (13.13)
सी) टियर-II पूँजी की कुल रकम (टियर-II पूँजी से कटौती निवल)	**3,844.57**
डी) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टियर-II में कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	819.70
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	–
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ई) गौण ऋण, जो लोअर टियर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र है	1,640.00
बकाया कुल रकम	2,800.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	–
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1,640.00
एफ) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों, सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%)	 (13.14)
जी) पूँजीगत निधियों के रूप में गणना की जानेवाली पात्र कुल रकम	2,459.70
एच) टियर-II पूँजी के अंतर्गत शामिल किए जानेवाले पात्र अन्य आरक्षित निधि एवं प्रावधान	1,398.01
आई) कुल पात्र पूँजी	**15,267.38**

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में समग्र पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने की प्रणाली है साथ ही अपने पूँजी स्तर को बनाए रखने हेतु एक कार्यनीति भी है ।

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provisions which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

Quantitative Disclosures (₹ in crore)

b) The amount of Tier–1 capital, with separate disclosure of	**11,422.81**
• Paid-up share capital	624.58
• Reserves	10,178.79
• Innovative instruments	773.00
• Other capital instruments	–
• Amounts deducted from Tier–I capital, Deferred Tax Asset Equity investments in Associates (50%)	 (140.43) (13.13)
c) The total amount of Tier–II capital (net of deductions from Tier–II capital)	**3,844.57**
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier–II capital	819.70
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	–
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 Capital	1,640.00
Total amount outstanding	2,800.00
Of which amount raised during the current year	–
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1,640.00
f) Other deductions from capital, if any. Equity investments in Associates (50%)	 (13.14)
g) Total amount eligible to be reckoned as capital funds	2,459.70
h) Other Reserves & Provisions eligible for inclusion in Tier–II Capital	1398.01
i) Total eligible capital	**15,267.38**

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels.

इस प्रणाली से यह आश्वासन मिलता है कि कारोबार प्रोफाइल के आधार पर बैंक के पास अपने कारोबार से जुड़े सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूँजी है । स्वस्थ शासन एवं नियंत्रण पद्धतियों का प्रबल जोखिम प्रबंधन ढांचा पूंजी परिकलन एवं नियोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया के जारिए, प्रकटित सभी जोखिमों को समग्र रूप से पहचानने, निर्धारण करने के साथ प्रबंधन करता है।

कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूंजी का निर्धारण किया गया है :

पिलर I जोखिम, यानी,

1. ऋण जोखिम – मानकीकृत दृष्टिकोण
2. बाजार जोखिम – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
3. परिचालन जोखिम – मूल सूचक दृष्टिकोण और

पिलर II जोखिम, यानी,

4. संकेंद्रण जोखिम
5. चलनिधि जोखिम
6. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
7. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
8. रणनीति संबंधी जोखिम
9. अन्य अवशिष्ट जोखिम

iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए. ए.पी. प्रलेख (बासेल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टियर–I बॉंड और टियर–II बॉंड जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अपेक्षित सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

बोर्ड को, आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूँजी योजना और पूँजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

बासेल II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं (₹ करोड़ में)

संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	9894.81
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it are exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to the following:

Pillar I risks namely,

1. Credit Risk – Standardised approach
2. Market Risk – Standardised duration approach
3. Operational Risk – Basic Indicator Approach and

Pillar II risks namely,

4. Concentration Risk
5. Liquidity Risk
6. Interest Rate Risk in banking book
7. Reputation Risk
8. Strategic Risk
9. Other Residual Risks

iii) The Bank assesses capital requirement keeping in view the anticipated growth in risk weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodical review of the business plan with the trends in the economy, as part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for raising Tier–1 Bonds and Tier–II Bonds shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

Quantitative Disclosures

b) Capital Requirements for Credit Risk (₹ in crore)

Portfolios subjected to standardised approach	9,894.81
Securitization Exposures	NIL

सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:
मानकीकृत दृष्टिकोण (₹ करोड़ में)

ब्याज दर जोखिम	813.62
ईक्विटी जोखिम	59.64
विदेशी मुद्रा जोखिम	5.40

डी) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा
मूल सूचक दृष्टिकोण (₹ करोड़ में)

मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी अपेक्षा	736.87

ई) बैंक के लिए कुल पूँजी अनुपात

नये पूँजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	12.01
बासेल-II के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में टियर-I पूँजी का अनुपात	8.99
बासेल-I के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में टियर-II पूँजी का अनुपात	3.02

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक में एक सुदृढ़ तथा प्रभावी बैंकिंग प्रणाली मौजूद है । ऋण एवं अग्रिम बैंक की आस्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा है । साथ ही आय का मुख्य स्रोत भी है । आस्ति की गुणवत्ता ही बैंक की सुदृढ़ता का सूचक है । अतः आस्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जोर दिया गया है । ऋण तथा अग्रिमों की वसूली त्वरित गति से करने से न केवल बैंक की चलनिधि एवं लाभप्रदता की स्थिति में सुधार आएगा बल्कि अन्य उत्पादक क्रियाकलापों में निधियों का विनियोजन करने में बैंक समर्थ होगा, जिससे कि बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि होगी ।

बैंक, आस्ति का वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिमों का प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अपने अग्रिमों का वर्गीकरण (अग्रिम के स्वरूप में ऋण एवं साख प्रतिस्थापित करते हैं) अर्जक एवं अनर्जक आस्तियों के रूप में करता है । एक ऋण या अग्रिम को तब एनपीए के रूप में माना जाता है, जब :

- पट्टे पर दी गई किसी आस्ति से बैंक को किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है ।
- इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माने जाते हैं ;
  - मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
  - ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता अनियमित हो ।
  - खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
  - अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।

c) Capital requirements for Market Risk: Standardised Duration Approach: (₹ in crore)

Interest rate risk	813.62
Equity position risk	59.64
Foreign exchange risk	5.40

d) Capital Requirement for Operational Risk Basic Indicator Approach (₹ in crore)

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	736.87

e) Total Capital Ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	12.01
Tier–I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.99
Tier–II Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	3.02

Credit Risk – General Disclosures

a) Qualitative Disclosures

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major indicator of soundness of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

- An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.
- A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
  - Interest and / or installment of principal remains overdue for a period of more than 90days in respect of a term loan.
  - The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft / Cash Credit (OD/ CC).
  - The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
  - The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

- लंबी अवधि की फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
- फरवरी 1, 2006 में प्रतिभूतिकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के मामले में, जहाँ चलनिधि सुविधा की रकम 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया रहती है ।
- व्युत्पन्नी लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्य जो व्युत्पन्नी संविदा के प्रतिभूतियों के सकारात्मक दैनिक बाजार का मूल्य दर्शाता है, वह भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि तक अप्रदत्त रहते हैं ।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति : यदि किसी खाते की बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं' खाते के रूप में मानना चाहिए । यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है बल्कि तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे खातों को 'क्रम में नहीं' खातों के रूप में मानना चाहिए ।

अतिदेय : किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है ।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श

ऋण जोखिम को कम करने तथा उसका अनुप्रवर्तन के लिए बैंक ने कई रणनीतियाँ/प्रणाली/प्रक्रियाओं को अपनाया है । जोखिम अनुप्रवर्तन और नियंत्रण प्रणाली से संबंधित परिचालन मार्गदर्शी सिद्धांत, जो बैंक ने अपनाए हैं, वे निम्नानुसार हैं ।

- बैंक में एक स्वतंत्र एसएमए विभाग कार्यरत है, जो समस्यावाले खातों की पहचान करके उसके बारे में उच्च प्रबंधनवर्ग को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है साथ ही विशेष रूप से अनुप्रवर्तन करनेवाले खातों/पुनर्रचना किए गए खातों के प्रभावी रूप से अनुपालन करने में नै.का./प्र.का. में कार्यरत विभागों को सहयोग देता है । इसके अलावा प्रणाली/नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए प्रतिसूचना भी प्राप्त करता है । आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं एनपीए श्रेणी में स्लिपेज को रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्रवाई की गई ।
- ऋण अनुप्रवर्तन कक्ष बड़ी मात्रा के ऋणों का बारीकी से अनुप्रवर्तन करता है ताकि ऋण संविभाग की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके ।
- बैंक में प्रारंभिक सीमा से अधिक वित्तीयन के आवधिक रूप से ऋण लेखा-परीक्षा तथा स्टॉक लेखा-परीक्षा करने की प्रणाली मौजूद है ।

सुरक्षा प्रबंधन ऋण जोखिम को दूर करने में एक साधन के रूप में कार्य करता है । इसमें उधारकर्ता/बैंक के पक्ष में प्रभारित तीसरी पार्टी की संपत्तियों पर प्रवर्तनीय ऋण-भार सृजित करना, नियमित अंतराल पर बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन करना/भंडारण/रख-रखाव और बीमा की जाँच करने का कार्य शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के अग्रिम/ऋण, उन्हें प्रभारित प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है । इसके अलावा, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन आवधिक अंतराल पर किया जाता है और हमेशा निर्धारित मार्जिन को बनाए रखा जाता है ।

- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order Status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit / drawing power. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit / drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent SMA Department for identifying all problem accounts and places the same before Top Management and coordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Monitoring accounts/Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Credit Monitoring Cell monitors bank's exposures to large borrowers closely in order to ensure health of the portfolio.
- Bank has a system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.

Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all time.

बैंक ने भा.रि.बैं. की नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार सी.आर.ए.आर. के परिकलन हेतु ऋण जोखिम भारित आस्तियों के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

बैंक की सुविस्तृत ऋण और ऋण जोखिम नीतियां हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित हैं। इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विकास, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों, सरकार की नीतियों और बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

बैंक में एक सुनियोजित और मानकीकृत ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और श्रेणी निर्धारण मॉडेल है जो बासेल II के अनुकूल है। साख श्रेणी निर्धारण/स्कोरिंग फ्रेमवर्क की मदद से बैंक आस्ति संविभाग के श्रेणी निर्धारण को सुनिश्चित करता है। ₹5 करोड़ और उससे अधिक/या ₹50 करोड़ और उससे अधिक वार्षिक पण्यावर्तवाले ऋणों के संबंध में पूर्व-मंजूरी श्रेणी निर्धारण आबंटित करने तथा उसके पुष्टीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली भी तैयार की गयी है। ऋण मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया के कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है। ऋण जोखिम को कम करने के लिए नैगम कार्यालय/क्षे.का. में ऋण समितियाँ गठित की गयी हैं, जो सभी दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करती हैं और मंजूरी हेतु उसे संबंधित मंजूरीदाता प्राधिकारी को अग्रेषित करती हैं। ऋण निर्णय और कीमत निर्धारण को उधारकर्ता श्रेणी निर्धारण के साथ संबद्ध किया गया है।

बैंक पूंजीगत आबंटन को इष्टतम रखने के उद्देश्य से अपने कार्पोरेटों के ऋणों के श्रेणी निर्धारण को किसी बाहरी श्रेणीनिर्धारण एजेंसी द्वारा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संविभाग जोखिम जिसे सकेंद्रण जोखिम के रूप में प्रकट किया जाता है उसे प्रत्येक उधारकर्ता/समूह, उद्योगवार/क्षेत्रवार सीमाएं निर्धारित करके कम किया जाता है और आवधिक अंतरालों पर उसकी समीक्षा की जाती है। बैंक में एक ऐसी प्रणाली है जो बड़े और बेजमानती ऋणों की निगरानी करती है और वह संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की समय-समय पर समीक्षा करती हैं।

बड़े उधार खातों को दिए गए ऋणों की नियमित रूप से निगरानी करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कॉर्पोरेट कार्यालय में एक अलग ऋण निगरानी कक्ष खोला गया है, जो मंजूरी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी कार्य संभालता है।

बैंक ने अभिनिर्धारित खातों तथा पुन: संरचित खातों की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी खाता विभाग खोला है, जो समयोचित कार्रवाई करता है और खाते को एन.पी.ए. बनने से रोकता है। इसी प्रकार, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निगरानी करने के लिए क्षे.का. स्तर पर भी कक्ष खोले गए हैं।

Bank has adopted standardised approach to arrive at credit risk weighted assets for computing CRAR, as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of RBI.

Bank has a well articulated Credit and Credit Risk Policies, duly approved by the Board. The policies are regularly reviewed and updated to take care of micro and macro economic developments, regulatory guidelines, Government policies and Bank's specific requirements.

Bank has a structured and standardised Credit Approval Process and Rating Model which is Basel II compliant. The credit rating/scoring framework enables the Bank to ensure that the asset portfolio is rated. An independent system of pre-sanction rating, allotment and confirmation, covering exposures of ₹ 5 crores and above/or having annual turn over of ₹ 50 crores and above has also been put in place. The functions of Credit Sanctions and Review Process have been segregated. Bank has constituted Credit Approval Committee at Corporate Office as per the directions of Ministry of Finance, Government of India. To mitigate Credit Risk, Credit Committees have been constituted at Corporate/Regional Offices to evaluate credit proposals from all angles and recommend for sanction to the sanctioning authority. Credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

Bank is also encouraging its corporate constituents to get their exposures rated by approved external rating agencies, with a view to optimize capital allocation.

Portfolio risk which manifests as concentration risk is addressed by limiting the size of exposures to individual borrowers/group, fixing industry/sector-wise limits which are reviewed at periodic intervals. Bank has also a system of monitoring its substantial and unsecured exposures and undertakes periodic review of sensitive sector advances.

With a view to monitor bank's exposure to large borrowal accounts on regular basis and to ensure quality of the credit portfolio, a separate Credit Review & Monitoring Department has been formed at Corporate Office exclusively to attend to post-sanction review, follow-up and monitoring.

Bank has also put in place a Special Monitoring Accounts Department to exclusively monitor identified accounts and those accounts restructured, to take timely action and avoid slippages. Similar Cells function at Regional Offices for effective follow-up and monitoring.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

भौगोलिक वितरण–वार कुल सकल ऋण जोखिम निवेश (निधि आधारित और गैर–निधि आधारित) : (₹ करोड़ में)

वर्ग	मार्च 31, 2014 की स्थिति		
	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित	कुल
घरेलू	143734.58	14067.93	157802.51
समुद्रपारीय	32506.47	1.07	32507.54
कुल	**176241.05**	**14069.00**	**190310.05**

उद्योग–वार निवेश का वितरण (निधि आधारित और गैर–निधि आधारित) (₹ करोड़ में)

उद्योग	दिनांक 31.03.2014 को सार्वभौमिक स्थिति		
	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित	कुल
इन्फ्रास्ट्रक्चर	20,362.40	1,914.72	22,277.12
उनमें से :			
पावर	11,840.91	1,321.11	13,162.02
कपड़ा उद्योग	2,330.73	135.19	2,465.92
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन	5,287.21	1,470.14	6,757.35
उनमें से :			
पेट्रोलियम	5,243.05	1,469.07	6,712.12
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	2,302.26	407.14	2,709.41
उनमें से :			
उर्वरक	872.62	271.83	1,144.45
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	424.97	18.12	443.10
पेट्रो केमिकल्स	617.87	31.62	649.50
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	626.24	34.08	660.31
मूल धातु और धातु उत्पाद	9,378.54	238.33	9,616.88
उनमें से :			
लोहा और इस्पात	7,991.07	226.93	8,218.01
अन्य धातु और धातु उत्पाद	1,387.47	11.40	1,398.87
सभी इंजीनियरिंग	1,637.65	2,936.39	4,574.04
रत्न और आभूषण	1,279.46	2.79	1,282.26
निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)	2,081.90	1,878.39	3,960.28

उद्योग के लिए कुल निवेश से 5% अधिक निवेश

उद्योग	सार्वभौमिक निधि आधारित	सार्वभौमिक गैर–निधि आधारित	कुल	कुल निवेश का %
इन्फ्रास्ट्रक्चर	20,362.40	1,914.72	22,277.12	11.71%
उनमें पावर	11,840.91	1,321.11	13,162.02	6.92%
मूल धातु और धातु उत्पाद	9,378.54	238.33	9,616.88	5.05%

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures (Fund based and Non-fund based) Geographical distribution-wise: (₹ in crore)

Category	As on March 31, 2014		
	Fund Based	Non fund Based	Total
Domestic	143734.58	14067.93	157802.51
Overseas	32506.47	1.07	32507.54
Total	**176241.05**	**14069.00**	**190310.05**

Industry-wise distribution of exposures (Fund based and Non-fund based) (₹ in crore)

INDUSTRY	GLOBAL POSITION AS ON 31.03.2014		
	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL
Infrastructure	20,362.40	1,914.72	22,277.12
Of which:			
Power	11,840.91	1,321.11	13,162.02
Textiles	2,330.73	135.19	2,465.92
Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	5,287.21	1,470.14	6,757.35
Of which:			
Petroleum	5,243.05	1,469.07	6,712.12
Chemicals & Chemical Products	2,302.26	407.14	2,709.41
Of Which:			
Fertiliser	872.62	271.83	1,144.45
Drugs & Pharmaceuticals	424.97	18.12	443.10
Petro Chemicals	617.87	31.62	649.50
Cement & Cement Products	626.24	34.08	660.31
Basic Metal & Metal Products	9,378.54	238.33	9,616.88
Of which:			
Iron & Steel	7,991.07	226.93	8,218.01
Other Metal & Metal Products	1,387.47	11.40	1,398.87
All Engineering	1,637.65	2,936.39	4,574.04
Gems & Jewellery	1,279.46	2.79	1,282.26
Construction (other than Infrastructure)	2,081.90	1,878.39	3,960.28

Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure

INDUSTRY	Global Fund Based	Global Non Fund Based	TOTAL	% Of Total Exposure
Infrastructure	20,362.40	1,914.72	22,277.12	11.71%
Of which Power	11,840.91	1,321.11	13,162.02	6.92%
Basic Metal & Metal Products	9,378.54	238.33	9,616.88	5.05%

ई) आस्तियों और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वतावार विश्लेषण/(e) Residual maturity-wise breakdown of assets & liabilities

ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमाराशी एवं उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता अवधि के अंतर्गत)/
The Maturity Pattern of Loans & Advances, Investments, Deposits and Borrowings
(Under Various Maturity Buckets Prescribed by the Reserve Bank of India)

(₹ करोड़ में/₹ in crore)

As on 31.03.2014 की स्थिति	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 mths	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year	1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
1) जमाराशि Deposits	1,571.30	7,498.12	3,524.48	4,966.18	37,106.75	36,578.66	46,270.06	68,543.19	4,422.68	1,861.88	212,343.30
2) अग्रिम Advances	5,288.14	4,920.65	2603.24	5,417.20	12,619.71	15,666.65	16,256.42	59,845.13	22,327.91	28,967.36	173,912.41
3) निवेश Investments	0.00	1,667.36	195.96	931.59	289.39	104.52	1,212.24	5,441.79	15,454.69	30,241.84	55,539.38
4) उधार राशियाँ Borrowings	0.33	5,147.91	0.00	80.00	1,314.76	1,386.49	250.75	4,863.19	3,963.98	2,217.10	19,224.51
5) विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	1,750.85	3951.93	1,998.21	2,963.85	5,801.08	7,145.75	3,552.03	2,178.97	2,938.32	1,975.30	34,256.29
6) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	762.87	4,101.13	624.68	1,663.46	13,587.39	5,536.82	1,354.38	4,493.63	3,026.09	0.00	35,150.45

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 एवं 6 को उपर्युक्त मद सं. 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है।
Note: Item No. 5 & 6 above are included in respective heads in Item No. 1 to 4 above.

एफ)अनर्जक आस्तियों की राशि (₹ करोड़ में)

अवमानक	2,557.08
संदिग्ध 1	1,176.99
संदिग्ध 2	678.25
संदिग्ध 3	101.38
हानि आस्तियाँ	97.44
सकल एनपीए	4,611.14

f) Amount of NPAs (₹ in crore)

Substandard	2,557.08
Doubtful 1	1,176.99
Doubtful 2	678.25
Doubtful 3	101.38
Loss Assets	97.44
Gross NPA	4,611.14

जी)निवल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

31.03.2014 को निवल अनर्जक आस्तियाँ	2,721

g) Net NPAs (₹ in crore)

Net NPAs as on 31.03.2014	2721

एच)अनर्जक आस्ति अनुपात (₹ करोड़ में)

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.62%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	1.56%

h) NPA Ratios:

Gross NPAs to Gross Advances	2.62%
Net NPAs to Net Advances	1.56%

आई)अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव (₹ करोड़ में)

अथशेष	2,978.50
परिवर्धन	3,695.11
कटौती	2,062.47
इति शेष	4,611.14

i) Movement of NPAs (Gross) (₹ in crore)

Opening Balance	2,978.50
Additions	3,695.11
Reduction	2,062.47
Closing Balance	4,611.14

जे) अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव (₹ करोड़ में)

अथ शेष	1,775.65
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	989.88
बट्टे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	1,001.33
इति शेष	1,764.20

j) Movement of Provisions for NPAs (₹ in crore)

Opening Balance	1,775.65
Provisions made during the year	989.88
Write off/Write-back of excess provisions	1,001.33
Closing Balance	1,764.20

के) अनर्जक निवेशों की रकम (₹ करोड़ में)

अनर्जक निवेशों की रकम	196.37

एल) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	158.12

एम) निवेशों में होने वाले मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव (₹ करोड़ में)

अथ शेष	4.16
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	69.84
बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	–
इति शेष	74.00

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा का रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दिया गया है, वहीं रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगा । बैंक पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :

- क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
- क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
- इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
- इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
- ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक वर्क)
- एसएमईआरए रेटिंग्स लि.

बैंक, पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :

- फिच
- मूडीज़
- स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया गया है:

- दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमश: बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
- जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा ।
- बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के समरूप होते हैं ।
- अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है । फिर भी, जहाँ–कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काउंटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित

k) Amount of non-performing investments (₹ in crore)

Amount of non-performing investments	196.37

l) Amount of provisions held for non-performing investments: (₹ in crore)

Provisions held for non-performing investments	158.12

m) Movement of provisions for depreciation of investments (₹ in crore)

Opening Balance	4.16
Provisions made during the year	69.84
Write-off/Write-back of excess provisions	–
Closing Balance	74.00

Disclosures on portfolios subjected to standardised approach

Qualitative Disclosure

In line with the provisions of the Revised Framework under Basel II, where the facility provided by the bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purpose of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

- Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
- Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
- Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
- SMERA Ratings Ltd.

Bank uses the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

- Fitch
- Moody's
- Standard & Poor's

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure.
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of at least one level higher than the

अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम-से-कम एक स्तर ऊँचा होगा ।

- बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम:

(₹ करोड़ में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण	ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
अग्रिम			
100% से कम जोखिम भार	83,787.92	41,707.38	42,080.54
100% जोखिम भार	32,934.62	23,182.32	9,752.30
100% से अधिक जोखिम भार	16,664.43	8,967.39	7,697.04
कटौती			
निवेश			
100% से कम जोखिम भार	37,913.57	–	37,913.57
100% जोखिम भार	54.42	–	54.42
100% से अधिक जोखिम भार	50.29	–	50.29
कटौती	–	–	–

ऋण जोखिम में कमी

उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम में कमी लाने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं:

1. जमाराशि सहित, नकदी
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियां
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भूमि व भवन, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता

risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.

- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardised approach

(₹ in crore)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
Advances			
Below 100% Risk Weight	83,787.92	41,707.38	42,080.54
100% Risk Weight	32,934.62	23,182.32	9,752.30
More than 100% Risk Weight	16,664.43	8,967.39	7,697.04
Deducted			
Investments			
Below 100% Risk Weight	37,913.57	–	37,913.57
100% Risk Weight	54.42	–	54.42
More than 100% Risk Weight	50.29	–	50.29
Deducted	–	–	–

Credit Risk Mitigation

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods.
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel-II Accord does not recognize collaterals like Land & Building, Stock, Machinery etc. The New Framework recognizes only

दी जाएगी जिन्हें ''पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति'' कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है:

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

जोखिम भारित आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले संभाव्य भावी उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है ।

आभूषण ऋणों के मामले में, बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है । अत: प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है । के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन-अवधि पूरी हो चुकी हो ।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. और
- ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाता है ।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है । इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अंतर्गत कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा आरक्षित निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों/ऋण जोखिम उपशमक द्वारा आरक्षित कुल निवेश	9,876.11

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतीकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतीकरण कार्यकलाप नहीं करता है ।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है जो विभिन्न बाजार सेगमेंटों में निवेश और परिचालनों के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय सीमाओं, परिपक्वता सीमाओं, प्रवेश स्तर पर श्रेणीनिर्धारणों से संबद्ध है ।

cash collaterals, which are termed as "Eligible Financial Collaterals". The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans, bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- Central Government,
- State Government,
- CGTMSE and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor as prescribed by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

Quantitative Disclosures

Exposures covered by Eligible Collaterals (₹ in crore)

Particulars	As on March 31, 2014
Total Exposure covered by eligible Collaterals/ Credit Risk Mitigants	9,876.11

Securitization Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

The Bank has a board approved investment policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry level ratings for investment and

उक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में संविभाग से संबंधित विभिन्न सीमाएं जैसे जारीकर्तावार सीमाएं, अवधि आधारित सीमाएं, एकल पार्टी निवेश सीमाएं, उद्योगवार निवेश सीमाएं, संशोधित अवधि आधारित सीमाएं इत्यादि शामिल हैं । व्यापार के लिए धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) हेतु जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) आधारित सीमा भी निर्दिष्ट की गयी है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

ब्याज दर जोखिम	813.62
ईक्विटी स्थिति जोखिम	59.64
विदेशी विनिमय जोखिम	5.40

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम हानि की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह से होती है या बाह्य कारणों से होती है । परिचालन जोखिम के अंतर्गत कानूनी जोखिम आती है बल्कि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं ।

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं । बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है । बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), कार्यपालक निदेशकों तथा इसके सदस्य के रूप में अन्य कार्यकारी विभागों के प्रमुख, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचे के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं ।

बैंक में पूर्ण रूप से विकसित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा प्रचलित हैं जिसमें निम्न संबंधी मूल नीति के रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति एवं अन्य नीतियाँ शामिल हैं:

1. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए)
2. मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) और
3. लॉस डाटा प्रबंधन (एलडीएम)

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित नीतियों को भी अपनाया गया है

1. बिजनेस लाइन मैपिंग
2. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
3. के.वाई.सी. और ए.एम.एल. उल्लंघनों को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीतियाँ ।
4. बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ।
5. संगठन के प्रति व्यावसायिक कर्तव्यों के निर्वाह में व्यक्ति हितों का प्रभाव न होने हेतु बैंक ने एक नीति बनाई है।
6. बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित गोपाल कृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुसार कारोबार निरंतरता योजना का संशोधन किया है ।

operations in various market segments. The policy consists, inter alia, various limits like issuer wise limits, duration limits, single party exposure limits, industry wise exposure limits, modified duration based limits etc., for the portfolio as a part of market risk management. A value at Risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT).

Quantitative disclosures (₹ in crore)

Interest rate risk	813.62
Equity position risk	59.64
Foreign exchange risk	5.40

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic risk and reputation risk.

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars and desk guide to update the information with the developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services.

Operational Risk Management Committee (ORMC) headed by the Chairman and Managing Director and with the Executive Directors & also the Heads of other Functional Departments as its members, has the responsibility for implementing the operational risk management framework approved by the Board of Directors.

Bank has a well developed Operational risk management framework, which includes operational risk management policy, as parent policy and other policies on

1. Risk and Control Self Assessment (RCSA)
2. Key Risk Indicators (KRIs) and
3. Loss Data Management (LDM).

In addition, the following policies are also in place

1. Business Line Mapping
2. Fraud Risk Management Policy
3. KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations.
4. Bank had created off-site monitoring cells at HO and ROs to monitor sensitive transactions on a regular basis which serves as an early warning system.
5. Bank has also framed a Policy on Conflicts of Interest to ensure that Personal interests are not coming in the way of discharging the Professional duties towards the Organization.
6. Bank has revised the Business Continuity Plan Policy on the basis of experience gained and also on the basis of the recommendations made by the Gopala Krishna Committee formed by RBI.

परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजीगत प्रभार की गणना के लिए दृष्टिकोण

1. फिलहाल बैंक पूँजीगत प्रभार की संगणना के लिए बुनियादी सूचक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है ।
2. इसके साथ-साथ बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु विभिन्न कारोबार व्यवस्थाओं के संबंध में सकल आय का निर्धारण कार्य भी कर रहा है । इसके अलावा, उन्नत मापन दृष्टिकोण (ए.एम.ए.) अपनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर (परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान) को अपनाया है, जो जल्दी ही पूरा होनेवाला है । उसके बाद वह सॉफ्टवेयर लाइव हो जाएगा ।
3. बैंक कोरडेक्स (कन्सोर्टियम ऑफ रिस्क डाटा एक्सचेंज) का संस्थापक सदस्य है, इस कंपनी का संघटन भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया है। इसकी सहायता से बैंक एक्सटर्नल लॉस डाटा प्राप्त कर सकता है तथा तदनंतर की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो उन्नत मापन दृष्टिकोण के अंतर्गत पूँजी परिकलन के लिए निविष्टि के रूप में भी कार्य करता है ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) मॉड्युल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है। इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु, एक वर्ष की छूट सीमा के रूप में पिछले वर्ष की एन.आई.आई. का 15% या ₹500 करोड़ की सीमा, इनमें से जो भी कम अधिक हो, निर्धारित की है जो दर में 100 बीपीएस परिवर्तन के लिए है। ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि फ्लोटिंग ऋण का 3 माह में पुनर्मूल्यन हो जाएगा।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण - ब्याज दर जोखिम का प्रभाव

अर्जन परिप्रेक्ष्य (सांप्रदायिक अंतर विश्लेषण) - बैंक अर्जन पर प्रभाव

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज में कमी	
	100 बीपीएस	**200 बीपीएस**	**100 बीपीएस**	**200 बीपीएस**
आईएनआर	481.80	963.60	(481.80)	(963.60)
यूएसडी	(15.80)	(31.60)	15.80	31.60
अन्य	5.40	10.80	(5.40)	(10.80)
कुल	**471.40**	**942.80**	**(471.40)**	**(942.80)**

आर्थिक परिप्रेक्ष्य (अवधि अंतर विश्लेषण) - निवल मालियत पर प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1.	दर संवेदनशील देयताओं की भारित औसतन आशोधित अवधि	0.8676
2.	दर संवेदनशील आस्तियों की भारित औसतन आशोधित अवधि	1.0724
3.	ब्याज दर में 1% के परिवर्तन के लिए - निवल मालियत पर प्रभाव	618.39
4.	ब्याज दर में 2% के परिवर्तन के लिए - निवल मालियत पर प्रभाव	1,236.78

ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से निवल मालियत पर ₹618.39 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा और 2%, के परिवर्तन से निवल मालियत पर ₹1,236.78 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा ।

बैंक ने अपने वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर बासेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को डाला है:
"http://www.syndicatebank.in/scripts/basel-IIIdisclosures.aspx".

Approach for Computation of Capital Charge for Operational Risk

1. Bank is presently following the Basic Indicator Approach (BIA) for capital computation.
2. Bank is simultaneously undertaking the Mapping of Gross Income to the applicable Business Lines for enabling migration to The Standardised Approach (TSA) and has also procured a software (Operational Risk Management Solution) for enabling migration to the Advanced Measurement Approach (AMA), the implementation of which is nearing completion after which the software would go live.
3. Bank is one of the founder members of CORDEX (Consortium of Risk Data Exchange), a company formed by Indian Banks' Association (IBA). This will enable the Bank in collecting External Loss Data and subsequent developing of Scenarios which is also one of the inputs for Capital Calculation under the Advanced Measurement Approach.

Interest Rate Risk in Banking Book

Qualitative Disclosures

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) module periodically. Bank has also fixed a limit of ₹500 cr. or 15% of previous years NII whichever is higher as the tolerance limit for one year horizon for a 100 bps change in Rate. While calculating the EaR, it is assumed that the floating loans will be repriced within 3 months.

Quantitative disclosures – Impact of Interest Rate Risk

Earnings Perspective (Traditional Gap Analysis) – Impact on Bank earning

	Interest rate rise by		Interest rate fall by	
	100 bps	**200 bps**	**100 bps**	**200 bps**
INR	481.80	963.60	(481.80)	(963.60)
USD	(15.80)	(31.60)	15.80	31.60
Others	5.40	10.80	(5.40)	(10.80)
Total	**471.40**	**942.80**	**(471.40)**	**(942.80)**

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

S. No.	Particulars	Value
1.	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	0.8676
2.	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.0724
3.	For 1% change in interest rate – Impact on Net worth	618.39
4.	For 2% change in interest rate – Impact on Net worth	1,236.78

The impact on net worth for 1% change in the interest rate would be ₹618.39 crs and ₹1,236.78 crs for 2% change.

The Bank has placed pillar 3 disclosures under Basel III on the website of the Bank with the following URL:
"http://www.syndicatebank.in/scripts/basel-IIIdisclosures.aspx".

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमनें सिंडिकेटबैंक के संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2014 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षित किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षक 20 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1373 शाखाओं की रिपोर्ट हैं, तथा स्थानीय लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते में वैसी 1857 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा परीक्षण अभी नहीं किया गया है। इन लेखा-अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 6.87 प्रतिशत अग्रिम, 26.25 प्रतिशत जमाराशियाँ, 28.38 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 31.10 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो कि इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल, हो सकता है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है। उस मानदंडों के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षण करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

4. लेखा परीक्षण के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधडीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of SYNDICATEBANK, which comprise the Balance Sheet as on March 31, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1373 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by a local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1857 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.87 percent of advances, 26.25 percent of deposits, 28.38 percent of interest income and 31.10 percent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In

करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा परीक्षण में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

विषयवस्तु का महत्व

6. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे :

ए) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु पुन: विकल्प देने तथा ग्रेच्यूटी (उपदान) सीमा बढ़ाने के संबंध (प्रुडेंशियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट) में ''कर्मचारी लाभ'' पर लेखा मानदंड 15 के प्रावधानों को लागू करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी बी सी/80/21.04.018/2010-11 दि. 09.02.2011 के तहत प्राप्त छूट के अनुसरण में पेंशन तथा बैंक की ग्रेच्युइटी देयता को वित्तीय विवरणी की (दि. 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार ₹ 290.76 करोड़) अनुसूची 18 स्थित नोट सं. 9(v) के अनुसार स्थगित किया गया है जो ₹ 145.38 करोड़ है।

बी) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी. बी.सी. 77/21.04.018/2013–14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में, दिनांक 31 मार्च, 2013 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता के सृजन पर व्यय के लेखा निरूपण के संबंध में वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 का नोट सं. 9 (ix)

राय

7. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:

i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।

making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a) Note No. 9 (v) in Schedule 18 to the financial statements regarding deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 145.38 Crores (₹ 290.76 as on 31.03.2013) pursuant to the exemption granted to the public sector banks by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

b) Note No. 9 (ix) in Schedule 18 to the financial statements regarding the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 as on March 31, 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP. BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013.

Opinion

7. In our opinion and as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on March 31, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and

iii) नकदी उपलब्धता विवरण अपनी वर्ष समाप्ति तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमश: ''ए'' और ''बी'' में तैयार किए गए हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 से 5 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

   ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

   ग) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते **चंडोक एंड गुलियानी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 001199 एन	कृते **जे. एन. शर्मा एंड कं.** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 000833 सी	कृते **रमणलाल जी. शाह एंड कं.** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 108517डबल्यू
बी.बी. कालिया *साझेदार* सदस्यता सं.: 085772	**कुणाल शर्मा** *साझेदार* सदस्यता सं.: 405919	**विवेक एस. शाह** *साझेदार* सदस्यता सं.: 112269
कृते **शंभु एन. डे. एंड कं** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 307055 ई	कृते **के. एन. गोयल एंड कं.** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 001084 एन	
एस. एन. मित्रा *साझेदार* सदस्यता सं.: 011678	**के. एन. गोयल** *साझेदार* सदस्यता सं.: 011939	

स्थान : बेंगलूर

तारीख : 07.05.2014

iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 3 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For **Chandiok & Guliani** *Chartered Accountants* FRN : 001199N	For **J N Sharma & Co** *Chartered Accountants* FRN : 000833C	For **Ramanlal G Shah & Co** *Chartered Accountants* FRN : 108517W
B B Kalia *Partner* Membership No. 085772	**Kunal Sharma** *Partner* Membership No. 405919	**Vivek S Shah** *Partner* Membership No. 112269
For **Sambhu N De & Co** *Chartered Accountants* FRN : 307055E	For **K N Goyal & Co** *Chartered Accountants* FRN : 001084N	
S N Mittra *Partner* Membership No. 011678	**K N Goyal** *Partner* Membership No. 011939	

Place : Bengaluru

Date : 07.05.2014

31 मार्च 2014 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2014 को**	As on दि. 31.03.2013 को
पूंजी/Capital	1	624 58 46	601 95 00
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	11219 61 04	9939 39 17
जमाराशियाँ/Deposits	3	212343 30 45	185355 88 68
उधार/Borrowings	4	19224 51 30	12813 79 54
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	8449 46 13	6411 30 12
योग/TOTAL		**251861 47 38**	215122 32 51
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**12711 99 20**	8095 31 40
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**2295 13 42**	8488 93 22
निवेश/Investments	8	**55539 38 02**	45647 65 80
अग्रिम/Advances	9	**173912 40 79**	147569 01 81
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**1468 83 51**	1433 95 89
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**5933 72 44**	3887 44 39
योग/TOTAL		**251861 47 38**	215122 32 51
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**96161 94 75**	82345 28 08
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**4489 14 76**	3416 81 59
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

टी के श्रीवास्तव *कार्यपालक निदेशक* | **एम आंजनेय प्रसाद** *कार्यपालक निदेशक* | **सुधीर कुमार जैन** *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

एच प्रदीप राव *निदेशक* | **एम राजेश्वर राव** *निदेशक* | **शंकरन भास्कर अय्यर** *निदेशक*

संजय अनंत मांजरेकर *निदेशक* | **दिलीप कुमार सक्सेना** *निदेशक* | **जगदीश राज श्रीमाली** *निदेशक*

रमेश एल अडिगे *निदेशक* | **सी आर नसीर अहमद** *निदेशक* | **आनंद के पंडित** *निदेशक*

जसलीन सूरी *निदेशक* | **अतुल अशोक गलांडे** *निदेशक* | **आई पी नागराज राव** *महा प्रबंधक*

आर रामलिंगम *सहायक महा प्रबंधक*

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 07.05.2014

T K Srivastava *Executive Director* | **M Anjaneya Prasad** *Executive Director* | **Sudhir Kumar Jain** *Chairman & Managing Director*

H Pradeep Rao *Director* | **M Rajeshwar Rao** *Director* | **Sankaran Bhaskar Iyer** *Director*

Sanjay Anant Manjrekar *Director* | **Dilip Kumar Saxena** *Director* | **Jagdish Raj Shrimali** *Director*

Ramesh L Adige *Director* | **C R Naseer Ahamed** *Director* | **Anand K Pandit** *Director*

Jasleenn Suri *Director* | **Atul Ashok Galande** *Director* | **I P Nagaraja Rao** *General Manager*

R Ramalingam *Asst. General Manager*

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2014

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	**Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2014 को**	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2013 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**18620 32 52**	17120 68 80
	अन्य आय/Other Income	14	**1324 88 28**	1174 35 71
	योग/TOTAL		**19945 20 80**	18295 04 51
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**13080 50 48**	11666 63 11
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**3301 75 09**	3178 82 86
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**1851 49 45**	1445 16 36
	योग/TOTAL		**18233 75 02**	16290 62 33
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the Period		**1711 45 78**	2004 42 18
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**1711 45 78**	2004 42 18
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**427 86 45**	501 10 55
B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**1 07 07**	2 40 67
C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**612 81 69**	811 86 02
D	निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account		**-12 20 10**	12 20 10
E	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**280 00 00**	205 00 00
F	अनंतिम लाभांश (अनंतिम लाभांश कर ₹ 26.54 करोड़ (पिछले वर्ष – शून्य) Interim Dividend (Interim Dividend Tax ₹ 26.54 crores (Previous year - Nil)		**182 68 49**	0
G	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend		**187 37 54**	403 30 65
H	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend		**31 84 64**	68 54 19
	योग/TOTAL		**1711 45 78**	2004 42 18
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each)		**28.21**	33.30
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत) Basic and Diluted (Annualised)			
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते चंडोक एंड गुलियानी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001199एन

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000833सी

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

(बी बी कालिया)
साझेदार
सदस्यता सं.: 085772

(कुणाल शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 405919

(विवेक एस शाह)
साझेदार
सदस्यता सं.: 112269

कृते शंभु एन डे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 307055ई

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001084एन

(एस एन मित्रा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 011678

(के एन गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 011939

For **Chandiok & Guliani**
Chartered Accountants
FRN : 001199N

For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
FRN : 000833C

For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
FRN : 108517W

(B B kalia)
Partner
Membership No. 085772

(Kunal Sharma)
Partner
Membership No. 405919

(Vivek S Shah)
Partner
Membership No. 112269

For **Sambhu N De & Co**
Chartered Accountants
FRN : 307055E

For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN : 001084N

(S N Mittra)
Partner
Membership No. 011678

(K N Goyal)
Partner
Membership No. 011939

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
प्राधिकृत पूंजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I. **निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूंजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**601 95 00**	601 95 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**22 63 46**	0
62,45,84,631 (पिछले वर्ष 60,19,49,955)ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 62,45,84,631 (Previous year 60,19,49,955) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**624 58 46**	601 95 00
a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 42,09,20,347 (पिछले वर्ष 39,82,85,671) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 42,09,20,347 (Previous Year 39,82,85,671) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**420 92 03**	398 28 57
b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**203 66 43**	203 66 43
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**624 58 46**	601 95 00

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को		As on दि. 31.03.2013 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**2574 42 10**		2073 31 55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**427 86 45**	**3002 28 55**	501 10 55	2574 42 10
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**138 48 58**		136 07 91	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1 07 07**	**139 55 65**	2 40 67	138 48 58
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**1080 22 11**		1080 22 11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**177 36 53**	**1257 58 64**	0	1080 22 11
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**975 75 36**		1005 41 15	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		1 31 77	
	975 75 36		1006 72 92	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**29 18 45**	**946 56 91**	30 97 56	975 75 36
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI. **निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account**				
अथशेष/Opening Balance	**12 20 10**		0	
घटाएँ: लाभ व हानि खाते को अंतरण/Less: Transfer to Profit and Loss Account	**12 20 10**	**0**	12 20 10	12 20 10
VII. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**3823 66 03**		3011 80 02	
घटाएं/Less:				
ए) पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण। a) Transfer to Special Reserve created under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**66 62 71**		811 86 02	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2012-13 तक के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता। b) Deferred Tax Liability on Special Reserve upto the Financial Year 2012-13 under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961	**270 28 15**		0	
	3486 75 17		3823 66 04	
जोडें: लाभ व हानि खाते से अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	**612 81 69**	**4099 56 86**	1	3823 66 03
VIII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**1 48 49**		4 21 21	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**92 76 83**	**94 25 32**	-2 72 72	1 48 49
IX. **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
अथशेष/Opening Balance	**752 00 00**		547 00 00	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year				
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि का अंतरण/Trasfer from Revenue and Other Reserves	**66 62 71**		205 00 00	
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभ व हानि लेखा का अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year 2013-14	**280 00 00**	**1098 62 71**	0	752 00 00
योग/TOTAL		**11219 61 04**		9939 39 17

अनुसूचियाँ **SCHEDULES**

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
ए./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**125 26 97**	65 84 68
ii) अन्यों से/ From Others	**13842 65 44**	13870 64 29
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**42029 64 14**	38017 47 32
III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**30121 34 25**	23830 14 06
ii) अन्यों से/ From Others	**126224 39 65**	109571 78 33
योग (क)/TOTAL A (I+II+III)	**212343 30 45**	185355 88 68
बी./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**186965 79 99**	167054 59 85
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**25377 50 46**	18301 28 83
योग(क+ख)/TOTAL (A+B)	**212343 30 45**	185355 88 68

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**6062 43 73**	817 61 03
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**1367 17 76**	1721 32 87
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773 00 00**	773 00 00
ई/e. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures	**0**	0
एफ/f. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	**0**	0
जी/g. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	**0**	0
एच/h. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0
आई/i. गौण ऋण/Subordinated Debt	**3619 70 00**	3744 70 00
योग/TOTAL	**11822 31 49**	7056 63 90
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**7402 19 81**	5757 15 64
योग/TOTAL (I + II)	**19224 51 30**	12813 79 54
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**4648 33 05**	0

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. देय बिल/Bills Payable	**814 65 45**	819 05 98
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**1338 58 93**	14 32 76
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**902 50 47**	779 54 68
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**930 39 23**	807 30 60
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**4463 32 05**	3991 06 10
योग/TOTAL	**8449 46 13**	6411 30 12

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**454 65 30**	385 42 75
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12257 33 90**	7709 88 65
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**12711 99 20**	8095 31 40

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**81 59 20**	69 45 99
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1501 50 21**	2643 02 20
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**0**	5400 00 00
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**1583 09 41**	8112 48 19
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**130 86 46**	7 31 23
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**581 17 55**	369 13 80
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**712 04 01**	376 45 03
योग/TOTAL (I + II)	**2295 13 42**	8488 93 22

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**55462 03 25**	45574 21 34
घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**232 11 89**	42 92 28
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**55229 91 36**	45531 29 06
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**48245 55 05**	40166 18 56
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	18 96 01
शेयर/Shares	**313 97 52**	323 55 93
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**4255 14 83**	1901 84 11
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and / or Associates	**26 52 22**	33 59 83
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**2387 81 24**	3087 14 62
योग/ TOTAL	**55229 91 36**	45531 29 06
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**312 66 94**	119 45 09
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**3 20 28**	3 08 35
भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**309 46 66**	116 36 74
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**309 46 66**	116 36 74
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**309 46 66**	116 36 74
योग/TOTAL	**55539 38 02**	**45647 65 80**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1362 99 97**	1270 53 48
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**39294 08 21**	29555 58 74
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**133255 32 61**	116742 89 59
		योग/Total	**173912 40 79**	147569 01 81
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**110887 24 34**	101363 49 80
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**30874 73 47**	21448 54 72
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**32150 42 98**	24756 97 29
		योग/Total	**173912 40 79**	147569 01 81
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**50717 96 00**	39303 95 17
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**12929 55 66**	10137 64 25
		iii) बैंक/Banks	**2070 00 37**	4223 32 85
		iv) अन्य/Others	**75775 25 35**	68804 46 97
		योग/Total	**141492 77 38**	122469 39 24
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**26102 88 95**	17130 38 42
		ii) अन्यों से देय/Due from Others		
		ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**276 38 66**	223 27 09
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5790 39 75**	6032 56 38
		सी)/c) अन्य/Others	**249 96 05**	1713 40 68
		योग/Total	**32419 63 41**	25099 62 57
		योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)	**173912 40 79**	147569 01 81

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**1215 62 76**	1206 16 26
	जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the period	**22 72 21**	14 48 27
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the period	**2 00 55**	5 01 77
		1236 34 42	1215 62 76
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**176 55 70**	143 15 41
	योग/Total	**1059 78 72**	1072 47 35
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**35 75 07**	26 57 83
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1039 69 60**	869 14 20
	जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the period	**173 69 06**	204 65 32
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the period	**59 31 38**	34 09 92
		1154 07 28	1039 69 60
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**780 77 56**	704 78 89
	योग/Total	**373 29 72**	334 90 71
	योग/TOTAL (I+II+III)	**1468 83 51**	1433 95 89

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	1313 74 93	1040 31 24
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	1425 41 26	702 34 15
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	16 61 02	10 71 16
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	3 38	3 51
VI. अन्य/Others	3177 91 85	2134 04 33
योग/TOTAL	5933 72 44	3887 44 39

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	117 94 15	94 78 42
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	44 93 02	58 13 63
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	67941 66 04	56952 50 04
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
ए)/a) भारत में/In India	10092 66 97	9817 94 28
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	7 98	26 54
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	3976 24 75	4252 32 80
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	6 96 02	9 26 56
ii) अन्य/Others	13981 45 82	11160 05 81
योग/TOTAL	96161 94 75	82345 28 08

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	14419 64 05	13524 47 26
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	3781 39 12	3231 15 12
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	294 89 73	287 02 31
IV. अन्य/Others	124 39 62	78 04 11
योग/TOTAL	18620 32 52	17120 68 80

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**567 05 79**	546 38 79
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**157 90 24**	125 18 41
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	0
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**1 64 72**	77 26
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**- 68 43**	- 77 36
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**113 39 55**	81 47 18
	घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**- 15 15 56**	- 2 99
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**6 72 26**	5 88 48
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**493 99 71**	415 45 94
	योग/TOTAL	**1324 88 28**	1174 35 71

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**12076 99 59**	**10753 34 77**
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**85 33 71**	**76 08 79**
III.	अन्य/Others	**918 17 18**	**837 19 55**
	योग/TOTAL	**13080 50 48**	**11666 63 11**

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2228 61 57**	2179 21 07
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**216 20 41**	190 12 22
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**17 57 72**	22 32 15
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**26 01 97**	19 54 18
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**118 13 45**	100 65 93
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 26 39**	99 63
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**24 64 85**	20 06 27
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**7 79 24**	6 93 61
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**47 57 16**	32 91 03
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**79 17 73**	74 80 87
XI.	बीमा/Insurance	**118 74 90**	138 20 42
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**415 99 70**	393 05 48
	योग/TOTAL	**3301 75 09**	3178 82 86

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2013-2014

1. (ए) लेखांकन पद्धति

वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप होते हैं, जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुगृहीत होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित किए जाने वाले आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाएं तथा आकलन करें। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भविष्य में भावी रूप में माना जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2013 - 2014

1. (A) ACCOUNTING CONVENTIONS

The financial statements have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Exchange Rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

सी) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया।

3. **निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुन: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर डी) डिबेंचर और बंध पत्र
ई) अनुषंगी एफ) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो।

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है।

बी) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता है।

सी) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ., वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है।

डी) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

3. **INVESTMENTS**

3.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries
f) Others

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under 'Held to Maturity' are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method

3.2.2 Investments held under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI; and accordingly:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued at Market price if quoted, otherwise on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis

पर किया जाता है तथा भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं जाता है।

ई) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर किया जाता है और जहाँ शेयर एक्सचेंज में भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन रिज़र्व' यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है या ₹1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है, जहाँ अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

एफ) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य)।

जी) अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों मे किया गया निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है।

एच) प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।

आई) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया जाता है।

जे) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

3.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के आधार पर किया गया है। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया है।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ और हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है (करों और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली रकम को घटाकर)।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

and not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.

e) Equity Shares are valued at last traded prices if quoted; unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹ 1 per company, where latest balance sheet is not available.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value)

g) Investment in Subsidiaries/ Joint Ventures are valued at carrying cost.

h) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC) / Reconstruction Company (RC) are valued / classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

i) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

j) Units of mutual funds are valued as per stock exchange quotations, if quoted; at Repurchase Price/Net Asset Value, if unquoted.

3.2.4 Investments are also categorized based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is appropriated to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

3.4 Transfer of securities from one category to another is carried out at lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.5 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available For Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

3.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों का लेखाकरण क्रमश: उधार और वित्तीयन के रूप में किया गया है ।

4. व्युत्पन्न

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनको उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाता है ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाता है ।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाता है । मितीकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा/और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/बैंक/एफ.आई./एन.बी.एफ.सी. को निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम लागत पर यानि प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन.बी.वी. मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं लिया जाता बल्कि ए.आर.सी./एस.सी./बैंक/एफ.आई./ एन.बी.एफ.सी. को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों पर हुई हानि/ कमी को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

6. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expense.

3.7 Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

4. DERIVATIVES

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted for on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is not being reversed but is kept for utilization to meet the shortfall / loss on account of sale of other financial assets to ARC / SC / Banks / FIs / NBFCs.

6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and / or revaluation value less accumulated

है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

ए) परिसर:	**दरें**
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5 %
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	 10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

बी) अन्य आस्तियाँ:	**दरें**
i) फर्नीचर	10 %
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15 %
iii) वाहन	20 %
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40 %
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

8. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/ कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया,

depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(A) PREMISES:	**Rates**
i) Bank owned (freehold / leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease - where lease period is not specified - where lease period is specified	 10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	**Rates**
i) Furniture	10%
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, Generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic Equipments	40%
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7. RETIREMENT BENEFITS

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 Liability towards leave encashment is provided for on accrual basis as per actuarial valuation.

8. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income

अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10. देशी जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देशी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाहय तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

12. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों के प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधानें

from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets / Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal / external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

12. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

13. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करने के द्वारा परिकलित की गई है।

13. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2013-2014

1. पूँजी

ए) बसेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**8.29**	लागू नहीं
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**8.68**	
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.73**	
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**11.41**	
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**67.39**	66.17
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**200**	लागू नहीं
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी जिसमें		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0**	लागू नहीं
– पी.डी.आई.	**0**	लागू नहीं
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी जिसमें		
– ऋण पूँजी लिखत	**0**	1,000
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस./प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0**	0

नोट: दि. 31.03.2014 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.01 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2013 की स्थिति में यह 12.59 प्रतिशत था।

बी) वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 2,26,34,676 ईक्विटी शेयरों को ₹78.36 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹199,99,99,971.36 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 66.17% से 67.39% हो गया।

2. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**55,462.03**	45,574.21
(बी) भारत के बाहर	**312.67**	119.45
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**232.12**	42.92
(बी) भारत के बाहर	**3.20**	3.08
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**55,229.91**	45,531.29
(बी) भारत के बाहर	**309.47**	116.37
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**46.00**	70.49
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**191.00**	27.90
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1.68**	52.39
(iv) इतिशेष	**235.32**	46.00

2.1 रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2014 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52	3,224	1,006	2,645.76
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0
(iii) सी आर ओ एम एस उधार	25	2,501.92	70.36	0
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52	3,045	77.45	0
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0
(iii) सी आर ओ एम एस उधार	89.78	4,720.10	1,072.89	0

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2013 - 2014

1. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**8.29**	NA
ii) Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**8.68**	
iii) Tier 2 Capital Ratio **(%)**	**2.73**	
iv) Total Capital Ratio (CRAR) **(%)**	**11.41**	
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**67.39**	66.17
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**200**	NA
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0**	NA
– PDI	**0**	NA
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**0**	1,000
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.03.2014 as per Basel - II norms is 12.01% and as on 31.03.2013 it was 12.59%.

b. During the year, the Bank has allotted on preferential basis 2,26,34,676 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹78.36 aggregating ₹199,99,99,971.36 to Government of India. Consequently, the Government of India's shareholding has increased from 66.17% to 67.39%.

2. INVESTMENTS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**55,462.03**	45,574.21
b) Outside India	**312.67**	119.45
ii) Provisions for Depreciation and NPA		
a) In India	**232.12**	42.92
b) Outside India	**3.20**	3.08
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**55,229.91**	45,531.29
b) Outside India	**309.47**	116.37
ii) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**46.00**	70.49
ii) Add: Provisions made during the year	**191.00**	27.90
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**1.68**	52.39
iv) **Closing balance**	**235.32**	46.00

2.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repo				
(i) Govt. Securities	52	3,224	1,006	2,645.76
(ii) Corporate Debt Securities	0	0	0	0
(iii) CROMS Borrowing	25	2,501.92	70.36	0
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Govt. Securities	52	3,045	77.45	0
(ii) Corporate Debt Securities	0	0	0	0
(iii) CROMS Lending	89.78	4,720.10	1,072.89	0

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing/lending the value of the securities pledged/received will be 104% of the amount borrowed/lent.

2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2014 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	2,256.20	2,241.74	–	–	–
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,380.53	1,380.53	35.00	1.13	1.13
(iii)	बैंक	2,627.82	2,334.23	3.00	–	–
(iv)	निजी नैगम	1,065.62	1,046.54	54.11	1.13	1.13
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52	26.52	–	–	–
(vi)	अन्य	103.40	103.40	–	–	–
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	167.17	XXXX	42.86	1.38	1.38
	कुल*	**7,292.92**	**7,132.96**	**49.25**	**0.88**	**0.88**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:

(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र

(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

(2) कॉलम iv, v, vi और vii के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014			31.03.2013		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	38.74	12.22	50.96	15.37	25.44	40.81
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	158.75	-	158.75	23.74	–	23.74
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	1.12	11.11	12.23	0.37	13.22	13.59
इति शेष	196.37	1.11	197.48	38.74	12.22	50.96
रखे गए कुल प्रावधान	158.12	1.11	159.23	38.74	1.36	40.10

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

iii) एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) एस. जी.एल. उछालना

तकनीकी आधार पर एस.जी.एल. उछालने का एक उदाहरण था। इस विषय को बारीकी से लिया गया और भा.रि.बैं. द्वारा मौद्रिक दंड से छूट मिल गया।

v) ए.एफ.एस. एवं एच.एफ.टी. वर्ग के निवेशों के मूल्यांकन में मूल्य हास।

''बैंकों के निवेश संविभाग - वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रावधानीकरण'' पर परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. बी.पी.बी.सी. 41/21/04/141/2013-14 दिनांक 23 अगस्त 2013 के अनुसार भा.रि.बै. ने बैंकों को, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री के उपलब्ध (ए.एफ.एस.) और लेन-देन के लिए धारित (एच.एफ.टी.) संविभागों के निवल मूल्याहास को प्रत्येक मूल्यांकन की तारीख पर सममूल्य किस्तों पर बाँटने के लिए अनुमति दी। बैंक ने ऐसे मूल्यहास को सितंबर एवं दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाहियों के दौरान परिशोधन किया। बैंक ने, मार्च 31, 2014 को समाप्त तिमाही और बारह महीनों की लाभ हानि लेखें में ए.एफ.एस. और एच.एफ.टी. संविभागों से संबंधित मूल्यहास को पूर्ण रूप से मान्यता दिया।

2.3 एच.टी.एम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹2,16,26,380.00 (पिछली वर्ष ₹ 4,75,01,665.15) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2014.

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	2,256.20	2,241.74	–	–	–
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1,380.53	1,380.53	35.00	1.13	1.13
(iii)	Banks	2,627.82	2,334.23	3.00	–	–
(iv)	Private Corporates	1,065.62	1,046.54	54.11	1.13	1.13
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	26.52	26.52	–	–	–
(vi)	Others	103.40	103.40	–	–	–
(vii)	Provision held towards depreciation	167.17	XXXX	42.86	1.38	1.38
	TOTAL *	**7,292.92**	**7,132.96**	**49.25**	**0.88**	**0.88**

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.:

(a) Shares (b) Debentures and Bonds

(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amount reported under rows iv, v, vi and vii above may not be mutually exclusive.

ii) Non performing Non-SLR Investments (₹in crores)

Particulars	31.03.2014			31.03.2013		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	38.74	12.22	50.96	15.37	25.44	40.81
Additions during the year since 1st April	158.75	-	158.75	23.74	–	23.74
Reduction during the above period	1.12	11.11	12.23	0.37	13.22	13.59
Closing balance	196.37	1.11	197.48	38.74	12.22	50.96
Total provisions held	158.12	1.11	159.23	38.74	1.36	40.10

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) SGL Bouncing

There was one instance of SGL bouncing on technical grounds. A lenient view has been taken in this matter and monetary penalty has been waived by RBI.

v) Depreciation on Valuation of Investments held in AFS and HFT Categories:

In terms of circular DBOD.BP.BC.41/21.04.141/2013-14 dated August 23, 2013 on "Investment Portfolio of Banks – Classification, Valuation and Provisioning" RBI permitted banks to distribute the net depreciation on the Available For Sale (AFS) and Held For Trading (HFT) portfolios as on each of the valuation dates in equal instalments during the financial year 2013 - 14. The Bank amortised such depreciation during the quarters ended September and December, 2013. In the Profit and Loss Account for the quarter and twelve months ended March 31, 2014 the Bank has recognised depreciation in respect of AFS and HFT portfolios in full.

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹2,16,26,380.00 (Previous Year ₹4,75,01,665.15) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

2.4 एच.टी.एम. वर्ग के प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹56,21,11,965.41 (पिछले वर्ष ₹56, 49, 74, 074, 44) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

2.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार इन निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान ₹3.20 करोड़ रहा है।.

3. व्युत्पन्न

3.ए. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2014	31.03.2013
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**10,856.95**	8,054.26
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**180.51**	256.83
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**43.74**	130.95

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली बैंक के तुलन-पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने यू एस डी 1,000.00 मिलियन डॉलर के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला-बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

- ***मुद्रा अदला-बदली***

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2014	31.03.2013
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**137.37**	187.20
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**30.18**	26.94
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**0.61**	1.33

1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।

2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदल-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

5. व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2013-14 में प्रस्तुत हैं ।

2.4 The amortization charges of ₹56,21,11,965.41 (Previous Year ₹ 56,49,74,074.44) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

2.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available For Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers value. Consequently, the provision for depreciation on these investments is at ₹ 3.20 Crores.

3. DERIVATIVES

3.A. Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

- ***Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2014	31.03.2013
i)	The notional principal of swap agreements	**10,856.95**	8,054.26
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**180.51**	256.83
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**43.74**	130.95

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial year 2011-12 and 2012-13, Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,000.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

- ***Currency Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2014	31.03.2013
i)	The notional principal of the swap agreements	**137.37**	187.20
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**30.18**	26.94
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.61**	1.33

1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk.
2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.
3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
4) These derivative transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.
5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2013 - 2014.

3.बी. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदे:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है। फिर भी, 8 जुलाई 2013 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) द्वारा भा.रि.बैं. ने ए.डी. वर्ग-I के बैंकों को मुद्रा वायदा लेन-देनों पर मालिकाना व्यापार न करने का निदेश दिया है, इसलिए बैंक किसी प्रकार का मुद्रा वायदा लेन-देन करना स्थागित कर दिया है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोडों में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य और अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	

3. सी. व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

(ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर काऊंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- केवल गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- बैंक में काउँटर पार्टियों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank was undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. However, vide AP (DIR Series) on 8th July 2013, RBI directed AD category – I banks not to carry out proprietary trading in currency future transactions, hence Bank has stopped undertaking any currency future transactions. There are no outstanding contracts under currency future as on 31.03.2014.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2014 and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Mark-to-market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2014 and not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) *Qualitative Disclosure*

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest Rate Swaps, Currency Swaps and Currency Options, with Bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS is in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).

- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- बैंक के पास संम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काउँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 92.07% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- Credit Risk is monitored by setting up counter party exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- The transactions with Counter-Party Banks and non-bank counter parties are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in marked-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 92.07% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining maturity.

बी) दि. 31.03.2014 को मात्रात्मक निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014		31.03.2013	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए (प्रतिरक्षा एवं परस्पर)	137.37	10,856.95	187.20	8,054.26
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	प्रतिरक्षा के लिए				
	ए) आस्तियाँ (+)	16.44	99.64	8.22	137.93
	बी) देयताएँ (–)	(-) 15.83	(-) 55.91	(-) 6.89	(-) 6.97
	व्यापार के लिए				
	ए) आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) देयताएँ (–)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**ऋण विनिवेश**	**30.18**	**180.51**	**26.94**	**256.83**
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	0.58	(-) 169.88	(-) 4.90	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. डी) ऋण व्यतिक्रम विनियम

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक स्वैप में व्यापार नहीं किया है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31-03-2013
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.56%**	0.76%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष राशि	**2,978.50**	3,182.70
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**3,695.11**	2,142.04
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**2,062.48**	2,346.24
डी) इतिशेष	**4,611.13**	2,978.50
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,124.77**	1,185.43
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,705.23**	1,006.61
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**1,109.40**	1,067.27
डी) इतिशेष	**2,720.60**	1,124.77
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,775.65**	1,931.27
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**989.88**	1,135.44
सी) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,001.33**	1,291.06
डी) इतिशेष	**1,764.20**	1,775.65
ई) प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**70.02%**	83.41%

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2014.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014		31.03.2013	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging (Hedge and back to back)	137.37	10,856.95	187.20	8,054.26
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
2	**Marked To Market Positions**				
	For Hedging				
	a) Asset (+)	16.44	99.64	8.22	137.93
	b) Liability (-)	(-) 15.83	(-) 55.91	(-) 6.89	(-) 6.97
	For Trading				
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
3	**Credit Exposure**	**30.18**	**180.51**	**26.94**	**256.83**
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	0.58	(-) 169.88	(-) 4.90	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NIL	NIL	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL	NIL	NIL

3.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

4. ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.56%**	0.76%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**2,978.50**	3,182.70
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**3,695.11**	2,142.04
c. Reductions during the year	**2,062.48**	2,346.24
d. Closing balance	**4,611.13**	2,978.50
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**1,124.77**	1,185.43
b. Additions during the year	**2,705.23**	1,006.61
c. Reductions during the year	**1,109.40**	1,067.27
d. Closing balance	**2,720.60**	1,124.77
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**1,775.65**	1,931.27
b. Provisions made during the year	**989.88**	1,135.44
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,001.33**	1,291.06
d. Closing balance	**1,764.20**	1,775.65
e. *Provision Coverage Ratio (%)*	**70.02%**	83.41%

बी/b) वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2013-14

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31-03-2014 की स्थिति के अनुसार खातों में पुनर्संरचना का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2014																					
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2013	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	22	1	3	0	26	390	181	419	18	1,008	1,26,925	5,831	5,274	474	1,38,504	1,27,337	6,013	5,696	492	1,39,538
		बकाया राशि/AMT O/S	2,470.36	6.77	66.19	0.00	2,543.32	1,349.87	34.66	45.05	0.83	1,430.41	4,368.93	202.05	574.32	6.77	5,152.07	8,189.16	243.48	685.56	7.60	9,125.80
		प्रावधान/PROVISION	218.14	0.00	1.83	0.00	219.97	51.74	1.60	1.31	0.00	54.65	269.28	8.45	11.55	0.00	289.28	539.16	10.05	14.69	0.00	563.90
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	15	0	0	0	15	555	0	0	0	555	29,838	0	0	0	29,838	30,408	0	0	0	30,408
		बकाया राशि/AMT O/S	1,406.22	0.00	0.00	0.00	1,406.22	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88	1,437.22	0.00	0.00	0.00	1,437.22	2,920.32	0.00	0.00	0.00	2,920.32
		प्रावधान/PROVISION	84.57	0.00	0.00	0.00	84.57	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	60.76	0.00	0.00	0.00	60.76	146.49	0.00	0.00	0.00	146.49
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	51	2	5	0	58	166	1	8	0	175	217	3	13	0	233
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.46	0.53	0.00	3.85	7.18	9.01	0.44	0.00	16.63	10.04	9.47	0.97	0.00	20.48
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.02	0.00	0.18	3.10	0.03	0.03	0.00	3.16	3.24	0.05	0.05	0.00	3.34
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया गया।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	1	350	0	0	0	350	16,848	0	0	0	16,848	17,199	0	0	0	17,199
		बकाया राशि/AMT O/S	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	33.87	0.00	0.00	0.00	33.87	383.55	0.00	0.00	0.00	383.55	458.36	0.00	0.00	0.00	458.36
		प्रावधान/PROVISION	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	17.08	0.00	0.00	0.00	17.08
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	3	1	0	4	0	381	4	10	395	0	5,694	68	347	6,109	0	6,078	73	357	6,508
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	152.52	376.02	0.00	528.54	0.00	33.58	0.04	0.33	33.95	0.00	122.35	1.54	3.42	127.31	0.00	308.45	377.60	3.75	689.80
		प्रावधान/PROVISION	0.00	7.63	18.80	0.00	26.43	0.00	1.68	0.00	0.02	1.70	0.00	6.12	0.08	0.17	6.37	0.00	15.42	18.88	0.19	34.49
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2014 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	3	2	0	35	2,024	393	777	173	3,367	1,05,941	6,545	7,571	1,221	1,21,278	1,07,995	6,941	8,350	1,394	1,24,680
		बकाया राशि/AMT O/S	3,254.76	152.96	393.70	0.00	3,801.42	507.12	37.34	49.19	3.07	596.72	6,364.84	144.86	191.96	36.43	6,738.09	10,126.72	335.16	634.85	39.50	11,136.23
		प्रावधान/PROVISION	138.91	1.13	32.71	0.00	172.75	10.88	0.99	2.13	0.00	14.00	288.33	5.10	7.03	0.00	300.35	438.12	7.22	41.87	0.00	487.21

पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31.03.2014 have been shown including these accounts.

सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण के लिए बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i) No. of accounts	NIL	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	NIL	NIL
(iii) Aggregate consideration	NIL	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	NIL	NIL

डी) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए) खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी) बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. बेची गई खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**654.04**	407.93

5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)**	**8.53%**	9.18%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)**	**0.61%**	0.63%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)**	**1.63%**	1.85%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)**	**0.78%**	1.07%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.30**	12.57
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**6.83**	8.11

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

d) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

e) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provisions towards Standard Assets	**654.04**	407.93

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**8.53%**	9.18%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.61%**	0.63%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.63%**	1.85%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**0.78%**	1.07%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crs)**	**14.30**	12.57
(vi)	Profit per Employee **(₹ in Lakhs)**	**6.83**	8.11

Note: Working Funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the auditors.

6. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न /MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS												
(भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2014 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	1,571.30	7,498.12	3,524.48	4,966.18	37,106.75	36,578.66	46,270.06	68,543.19	4,422.68	1,861.88	2,12,343.30
2	अग्रिम/Advances	5,288.14	4,920.65	2,603.24	5,417.20	12,619.71	15,666.65	16,256.42	59,845.13	22,327.91	28,967.36	1,73,912.41
3	निवेश/Investments	0.00	1,667.36	195.96	931.59	289.39	104.52	1,212.24	5,441.79	15,454.69	30,241.84	55,539.38
4	उधार/Borrowings	0.33	5,147.91	0.00	80.00	1,314.76	1,386.49	250.75	4,863.19	3,963.98	2,217.10	19,224.51
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/Foreign Currency Assets	1,750.85	3,951.93	1,998.21	2,963.85	5,801.08	7,145.75	3,552.03	2,178.97	2,938.32	1,975.30	34,256.29
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities	762.87	4,101.13	624.68	1,663.46	13,587.39	5,536.82	1,354.38	4,493.63	3,026.09	0.00	35,150.45
नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item no 5 & 6 above are included in respective heads in item no 1 to 4 above.												

7. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
क) प्रत्यक्ष निवेश	**18,938.01**	17,161.16
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**9,939.27**	10,404.60
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**9,153.13**	9,281.72
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु–उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु–पारिवारिक आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**7,281.33**	6,064.79
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,717.41**	691.77
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – ए.आवासीय बी.वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित निवेश	**3.082.21**	4,563.45
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**22,020.22**	21,724.61

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**154.61**	175.92
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.12**	0.15
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**1.00**	1.14
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**685.69**	727.49
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**167.23**	157.59
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1,008.65**	1,062.29

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31.03.2014	31.03.2013
a) Direct Exposure	**18,938.01**	17,161.16
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**9,939.27**	10,404.60
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**9,153.13**	9,281.72
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**7,281.33**	6,064.79
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,717.41**	691.77
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**3,082.21**	4,563.45
Total Exposure to Real Estate Sector	**22,020.22**	21,724.61

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**154.61**	175.92
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.12**	0.15
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**1.00**	1.14
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**685.69**	727.49
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**167.23**	157.59
Total Exposure to Capital Market	**1,008.65**	1,062.29

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2014 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2014 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2013 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2013 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,378.21**	**शून्य**	3,481.44	शून्य
कम	**2,843.42**	**शून्य**	2,000.21	शून्य
मध्यम कम	**28.98**	**शून्य**	108.13	शून्य
मध्यम	**2.90**	**शून्य**	4.57	शून्य
मध्यम अधिक	**0.47**	**शून्य**	1.63	शून्य
उच्च	**-**	**शून्य**	25.76	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**13.69**	**शून्य**	9.74	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
कुल	**7,267.67**	**शून्य**	5,631.48	शून्य

नोट: बैंक ने 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

डी. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे: शून्य

इ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लागू नहीं

8. कर प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

चालू वर्ष के आयकर के लिए डी टी ए/डी टी एल के निवल से नियमित कर आधार पर ₹ (-)69.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-)441.01 करोड़) का प्रावधान किया जाता है जो आयकर परामर्शदाता के राय के आधार पर प्रबंधन वर्ग ने किया है । आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 115 जे बी के अनुसार न्यूनतम एकांतर कर (एम ए टी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू नहीं है ।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**72.99**	361.10
धन कर का प्रावधान	**1.51**	2.43
मैट क्रेडिट	**शून्य**	-573.59
डीटीए/डीटीएल	**-142.55**	-230.95
कुल	**-68.05**	-441.01

9. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदे तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):**

ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वावधि आय/व्यय मदें नहीं है जिसका एएस 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है ।

ii) **मूल्यह्रास के लिए लेखाकरण (एएस 6):**

प्रत्येक वर्ग के आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यह्रास का विश्लेषण: (₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2014	31.03.2013
परिसर	**33.40**	31.74
फर्नीचर और जुडनार	**46.25**	33.04
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**38.48**	35.88
कुल	**118.13**	100.66

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2014	Provision held as at 31st March, 2014	Exposure (net) as at 31st March, 2013	Provision held as at 31st March, 2013
Insignificant	**4,378.21**	**NIL**	3,481.44	NIL
Low	**2,843.42**	**NIL**	2,000.21	NIL
Moderately Low	**28.98**	**NIL**	108.13	NIL
Moderate	**2.90**	**NIL**	4.57	NIL
Moderately High	**0.47**	**NIL**	1.63	NIL
High	**-**	**NIL**	25.76	NIL
Very High / Restricted	**13.69**	**NIL**	9.74	NIL
Off-Credit	**0.00**	**NIL**	0.00	NIL
Total	**7,267.67**	**NIL**	5,631.48	NIL

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2014 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	NIL
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

8. TAX PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Provision for Income Tax for the current year of ₹ (-) 69.56 Crores (Previous Year ₹ (-) 441.01 Crores) is made net of DTA / DTL on the basis of Regular Tax, as in the opinion of the Management, based on the opinion of Tax Consultant, Minimum Alternate Tax (MAT) in accordance with Section 115JB of the Income Tax Act, 1961 is not applicable to the public sector banks.

b) Amount of provisions made for tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Income Tax (including London Branch)	**72.99**	**361.10**
Provision for Wealth Tax	**1.51**	**2.43**
MAT Credit	**NIL**	**-573.59**
DTA / DTL	**-142.55**	**-230.95**
Total	**-68.05**	-441.01

9. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) **Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):**

There were no material prior period income / expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

ii) **Accounting for Depreciation (AS 6):**

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31.03.2014	31.03.2013
Premises	**33.40**	31.74
Furniture and Fixtures	**46.25**	33.04
Computer Software	**38.48**	35.88
TOTAL	**118.13**	100.66

iii) लेखाकरण मानक 9 – राजस्व की पहचान:

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iv) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के निवल लाभ में, विनिमय दर में अंतर के कारण फॉरेक्स आस्ति और देयता के मूल्यांकन में हुए ₹43.76 करोड़ की हानि (पिछले वर्ष ₹19.54 करोड़ की हानि) शामिल है।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 2010-11 से कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया। तदनुसार, बैंक ने ₹145.38 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है और बाकी बची राशि ₹145.38 करोड़ को अनुवर्ती वर्षों में आमेलित किया जाएगा ।

1 नवंबर, 2012 से प्रभावी वेतन परिशोधन की संभावना को देखते हुए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान ₹240 करोड़ का प्रावधान किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

1. तुलन-पत्र की मुख्य बीमांकिक अनुमान

(₹करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपधान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%
प्रत्याशित वेतन की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.50%	8.50%	0.00%

2. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान (₹करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) 01.04.2013 को पी वी ओ	**4,550.04**	**1,030.84**	**325.35**
बी) जोड़ें: ब्याज लागत	366.94	80.48	26.48
सी) जोड़ें: चालू सेवा लागत	572.10	42.10	20.01
डी) घटाएं : प्रदत लाभ	466.09	168.14	27.75
ई) जोड़ें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(-)	25.84	33.56	78.57
एफ) 31.03.2014 को पी वी ओ	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

3. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) दि. 01-04-2013 को योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**4,310.48**	**1,019.55**
बी) जोड़ें: योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	366.39	86.67
सी) जोड़ें: अंशदान	500.60	52.02
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	466.09	168.14
ई) जोड़ें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	33.97	4.40
एफ) 31-03-2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4,745.35**	**994.50**

iii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy No. 8, given in schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes a loss of ₹43.76 Crores (₹19.54 Crores Loss for the previous year) being the loss booked for the difference in exchange rate on valuation of Forex Assets and Liabilities.

b) In terms of regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has amortised 1/5th (₹145.38 Crores) of the enhanced liability of ₹726.90 Crores from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Bank has charged ₹ 145.38 Crores to the current year Profit and Loss Account and the balance amount of ₹145.38 Crores will be absorbed in future years.

Pending finalisation of wage revision with effect from November 1, 2012, Bank has made provision of ₹240 Crores during the current year on estimated basis.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

1. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.50%	8.50%	0.00%

2. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at 01.04.2013	**4,550.04**	**1,030.84**	**325.35**
b) Add: Interest Cost	366.94	80.48	26.48
c) Add: Current Service Cost	572.10	42.10	20.01
d) Less: Benefits Paid	466.09	168.14	27.75
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	25.84	33.56	78.57
f) PVO as at 31.03.2014	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

3. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets as on 01.04.2013	**4,310.48**	**1,019.55**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	366.39	86.67
c) Add: Contributions	500.60	52.02
d) Less: Benefits Paid	466.09	168.14
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	33.97	4.40
f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2014	**4,745.35**	**994.50**

4. तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	5,048.83	1,018.84
बी) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,745.35	994.50
सी) अंतर	303.48	24.34
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	135.00	10.38
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	**168.48**	**13.96**

5. लाभ एवं हानि खाते में पहचानी गई व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	572.10	42.10	20.01
बी) ब्याज लागत	366.95	80.48	26.48
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	366.39	86.67	0
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (–)	-8.13	29.16	78.57
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**564.53**	**65.07**	**125.06**

6. तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	239.56	11.29	0
लाभ एवं हानि में पहचाने गए व्यय	564.53	65.07	125.06
दिए गए अंशदान	500.60	52.02	0
अंतिम निवल देयता	303.48	24.34	125.06
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

4. **Amount recognized in the Balance Sheet**

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5,048.83	1,018.84
b) Fair value of plan assets at the end of the year	4,745.35	994.50
c) Net	303.48	24.34
d) Unrecognised transitional liability	135.00	10.38
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	**168.48**	**13.96**

5. **Expense Recognized in the Profit and Loss Account** (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	572.10	42.10	20.01
b) Interest Cost	366.95	80.48	26.48
c) Less: Expected Return on Plan Assets	366.39	86.67	0
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	-8.13	29.16	78.57
Expenses Recognised in P&L Account	**564.53**	**65.07**	**125.06**

6. **Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet**

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	239.56	11.29	0
Expenses recognised in P&L Account	564.53	65.07	125.06
Contributions Paid	500.60	52.02	0
Closing Net Liability	303.48	24.34	125.06
Closing Fund/Povision at the end of year	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए : कारोबार खंड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	***4241***	***3649***	***10270***	***10068***	***4935***	***4165***	***499***	***413***	***19945***	***18295***
परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit)	536	683	2051	1863	844	771	132	132	3563	3449
अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1920	1886
परिचालन लाभ/Operating Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3563	3449
आय कर/Income Tax	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-68	-441
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	–	–
शुद्ध लाभ/Net Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1711	2004
अन्य सूचना/Other Information	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	55539	45648	121989	102282	51924	45286	20941	20472	250393	213688
अनांबटित आस्तियां/Unallocated Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1468	1434
कुल आस्तियां/Total Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	251861	215122
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	53238	43702	116934	97924	49772	43356	20073	19599	240017	204581
अनांबटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	240017	204581

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	19,197	17,667	748	628	19,945	18,295
आस्तियां	2,17,488	1,91,058	34,373	24,064	2,51,861	2,15,122

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	पदनाम	अवधी
श्री म. गि. संघवी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 30.06.2013 तक
श्री एस. के. जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 08.07.2013 से
श्री एम. आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 24.08.2011 से
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 31.08.2013 तक
श्री टी. के. श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 01.09.2013 से

बी) संगत पार्टी लेन-देन (₹ लाखों में)

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	31.03.2014	31.03.2013
वेतन और भत्ते	61.98	52.97

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है । इसके अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**1711,45,78**	2004,42,18
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**60,67,86,954**	60,19,49,955
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (ग = ए/बी)	**28.21**	33.30
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

ix) आय कर का लेखाकरण (एएस 22)

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है । 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ 140.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹268.16 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31.03.2014	31.03.2013
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**143.67**	105.58
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**316.24**	261.97
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**342.29**	234.51
अन्य	**82.76**	69.21
कुल	**884.96**	**671.27**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31.03.2014	31.03.2013
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	**(-)7.68**	3.08
प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याहास	**0.00**	109.30
प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है	**386.76**	290.73
वर्ष के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	**95.17**	शून्य
पिछले वर्षों के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ	**270.28**	शून्य
कुल	**744.53**	**403.11**
निवल डी.टी.ए.	**140.43**	**268.16**

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	19,197	17,667	748	628	19,945	18,295
Assets	2,17,488	1,91,058	34,373	24,064	2,51,861	2,15,122

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel:

Key Management Personnel	Designation	Period
Sri. M.G. Sanghvi	Chairman and Managing Director	Up to 30.06.2013
Sri. S. K. Jain	Chairman and Managing Director	From 08.07.2013
Sri. M. Anjaneya Prasad	Executive Director	From 24.08.2011
Sri. Ravi Chatterjee	Executive Director	Up to 31.08.2013
Sri. T. K. Srivastava	Executive Director	From 01.09.2013

(B) Related Party Transactions (₹in Lakhs)

Key Management Personnel	31.03.2014	31.03.2013
Salary and Allowances	61.98	52.97

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 - of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**1711,45,78**	2004,42,18
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**60,67,86,954**	60,19,49,955
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**28.21**	33.30
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

ix) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of DTA/DTL as on March 31, 2014 amounting to ₹140.43 Crores (P.Y. ₹ 268.16 Crores) consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Leave Encashment	**143.67**	105.58
Provision for Standard Assets	**316.24**	261.97
Provision for Restructured Assets	**342.29**	234.51
Others	**82.76**	69.21
Total	**884.96**	**671.27**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31.03.2014	31.03.2013
Depreciation on Fixed Assets	**(-)7.68**	3.08
Depreciation on valuation of securities	**0.00**	109.30
Interest accrued but not due on securities	**386.76**	290.73
Special Reserve u/s 36(1)(viii) for the year	**95.17**	NIL
Special Reserve u/s 36(1)(viii) previous years	**270.28**	NIL
Total	**744.53**	**403.11**
Net DTA	**140.43**	**268.16**

बैंक ने कर परिकलन में बाजार की स्थितियों पर अंकित निवेश पर हानि के लिए सृजित ₹109.30 करोड़ की आस्थगित कर देयता का प्रत्यावर्तन किया है और उसे चालू वर्ष में मान्यता नहीं दिया है और बैंक की राय में लेखा बहियों और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आनेवाले अंतर स्थायी रूप के हैं । उपर्युक्त विषय में सनदी लेखाकारों की संस्था के सुविक्ष सलाहाकार परिषद् के राय के अनुसार इस विषय के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु इसे भारतीय बैंक संघ को अग्रेषित किया गया है ।

विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता का उपचार

भा.रि. बैंक के परिपत्र सं. डी.बी. ओडी सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के खंड 36(1)(viii) के अंतर्गत 31.03.2013 की बकाया राशि पर सीधे राजस्व आरक्षण के जरिए विशेष आरक्षित निधियों पर ₹270.28 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन किया गया है ।

चालू वर्ष में, आयकर अधिनियम 1961 के खंड 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर ₹280 करोड़ की राशि को अंतरित किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में नामे डालते हुए ₹95.17 करोड़ राशि को आस्थगित कर देयता के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

x) अंतरित वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

xi) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	12.47	6.32
वर्ष के दौरान उपलब्ध	1.95	6.15
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
अंतिम शेष	14.42	12.47
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखा परीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

10. अन्य प्रकटीकरण

ए) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**202.83**	**- 7.69**
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**989.88**	**1135.44**
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**-68.05**	-441.02
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**726.83**	**758.43**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	33.44	255.71
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	**271.42**	181.37
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**240.00**	100.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	**97.32**	81.37
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**35.47**	47.63
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**33.00**	4.41
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**0.00**	74.00
उपदान के लिए प्रावधान	**0.00**	17.00
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**- 3.82**	(23.06)
कुल	**1851.49**	**1,445.16**

The Bank has reversed Deferred Tax Liability of ₹109.30 Crores created on claim of marked to market loss of investments in tax computation and has also not recognized the same in the current year, as in the Bank's opinion, the difference arising out of the treatment as per books and the Income Tax Act, 1961 is a permanent difference. Pursuant to the Opinion of the Expert Advisory Council of the Institute of Chartered Accountants of India on the subject, the matter is being referred to the Indian Banks Association for their guidance on the matter

Treatment of Deferred Tax Liability on Special Reserve:

Pursuant to RBI Circular No. DBOD NO. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, Deferred Tax Liability of ₹ 270.28 Crores on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 has been created directly through Revenue Reserves on the amount outstanding as at 31.03.2013.

During the current year, ₹ 280 Crores have been transferred to Special Reserve under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 and Deferred Tax liability of ₹ 95.17 Crores has been provided on the same by debiting to the Profit and Loss account.

x) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS.ARS. No.BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xi) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	12.47	6.32
Provided during the year	1.95	6.15
Amount used during the year	–	–
Closing Balance	14.42	12.47
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

10. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies: (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
Provision for depreciation on investment	**202.83**	**- 7.69**
Provision towards NPA	**989.88**	**1135.44**
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (Net of Adjustments)	**-68.05**	-441.02
Other provisions and contingencies	**726.83**	**758.43**
Provision towards Standard Assets	33.44	255.71
Provision for Restructured Accounts	**271.42**	181.37
Provision for Wage Revision	**240.00**	100.00
Provision for PL Encashment	**97.32**	81.37
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**35.47**	47.63
Provision for Cenvat Reversal	**33.00**	4.41
Provisions for Pension	**0.00**	74.00
Provision for Gratuity	**0.00**	17.00
Other Provisions and Contingencies	**- 3.82**	(23.06)
Total	**1851.49**	**1,445.16**

बी) अस्थायी प्रावधान के संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**306.63**	306.63
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**शून्य**	शून्य
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**102.21**	शून्य
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**204.42**	306.63

भातीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आर.बी.आई./2013-14/485/डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी. 95/21.04.048/2013-14 दिनांक 07.02.2012 के जरिए दी गई अनुमति के अनुसार और बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने अस्थायी प्रावधान/अनुत्पादक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधान के प्राप्ति प्रतिकरण आवर्ती प्रावधानों से ₹102.21 करोड़ राशि का उपयोग किया है।

सी) वर्ष के दौरान, बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 (पिचला वर्ष कुछ नहीं) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

डी) आरक्षित निधियों में आहरण किए गए (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2014	31.03.2013	
1.	विशेष आरक्षित निधियाँ	270.28	–	आस्थगित कर देयता का सृजन के लिए
		66.62	–	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत पहले की वर्षों के लिए विशेष आरक्षित निधियों में हुई कमी के लिए प्रावधान
2.	निवेश के लिए आरक्षित निधियाँ	12	–	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में जमा हेतु

ई) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	130	142
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	4,522	2802
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	4,416	2814
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	236	130

एफ) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**44**	42
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**616**	569
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**619**	567
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**41**	44

जी) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**0**	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	**16**	19
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	**16**	19
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**0**	0

b) Movement of Floating Provision (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(a) Opening Balance in the floating provision account	**306.63**	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**Nil**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**102.21**	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	**204.42**	306.63

As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no. RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07-02-2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilised a sum of ₹ 102.21 Crores from Floating Provisions / Counter Cyclical Provisioning buffer towards specific provision for Non Performing Assets.

c) During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank under section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

d) Draw down from Reserves (₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31.03.2014	31.03.2013	
1.	Special Reserve	270.28	–	To create Deferred Tax Liability
		66.62	–	Provided for short fall in Special reserve for earlier years under section 36 (i) (viii) of Income Tax Act, 1961
2.	Investment Reserve	12	–	To Credit to Revenue and Other Reserves on Depreciation on Investments

e) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	130	142
2.	No. of complaints received during the year	4,522	2802
3.	No. of complaints redressed during the year	4,416	2814
4.	No. of complaints pending at the end of the year	236	130

f) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	Complaints Pending at the beginning of the year	**44**	42
2.	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**616**	569
3.	Cases Disposed during the year	**619**	567
4.	Cases pending at the end of the year	**41**	44

g) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	16	19
3.	No. of awards implemented during the year	16	19
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

एच) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**395**	1,061
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**22,027**	33,810
3.	वर्ष के दौरान दूर किए गए शिकायतों की संख्या	**22,062**	34,476
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**360**	395

आई) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र दि. 31.12.2014 तक वैध (पिछले वर्ष यूएसडी 100.00 मिलियन) जारी किया ।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2013 को ₹16.94 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं । (पिछला वर्ष ₹27.31 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करने है तो क्रेता को चुकौती आश्वासन पत्र पर करने शाखाओं द्वारा विभिन्न विदेशी बैंको और विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹1,573.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,743.12 करोड़) है ।

दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹1,590.72 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹1,770.13 करोड़)

चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए चुकौती आश्वासन पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

जे) बैंकाश्योरेन्स कारोबार

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹1,054.95 लाख है जो पिछले वर्ष ₹565.09 लाख था । इसमें ₹486.78 लाख (पि.व. ₹497.99 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹568.17 लाख (पि.व. ₹67.10 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है ।

के) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार, अनर्जक आस्थियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	26,539.08	29245.21
बैंक के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	12.50%	15.78%

h) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	**395**	1,061
2.	No. of complaints received during the year	**22,027**	33,810
3.	No. of complaints redressed during the year	**22,062**	34,476
4.	No. of complaints pending at the end of the year	**360**	395

i) Letters of comfort issued by the Bank

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at London by International Division, Mumbai and Branches:

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA, U.K.

Treasury and International Banking Division; Mumbai issued Letters of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a Letter of Commitment amounting to USD 100.00 Mio valid upto 31-12-2014 (Previous Year USD 100.00 Mio) with the approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) Letters of Comfort issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank; London Branch for providing Buyers Credit, to the extent of ₹ 16.94 Crores as on 31-03-2014 . (Previous Year ₹ 27.31 Crores).

Amount of Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers' credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹ 1,573.77 Crores as on 31-03-2014 (Previous Year ₹ 1,743.12 Crores).

The outstanding gross amount of Letters of Comfort issued by Banks' Branches as on 31-03-2014 stands at ₹ 1,590.72 Crores (Previous Year ₹ 1,770.43 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account.

J) Bancassurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2013 - 14 is ₹ 1,054.95 Lakhs as against ₹ 565.09 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹ 486.78 Lakhs (PY ₹ 497.99 Lakhs) from Life Insurance business and ₹ 568.17 Lakhs (₹ 67.10 Lakhs) from Non Life Insurance business.

k) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Deposits of twenty largest depositors	26,539.08	29245.21
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.50%	15.78%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**29,572.74**	23,257.50
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**17.00%**	15.76%

सी) निवेश का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2014	31-03-2013
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**32,169.17**	23,729.56
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**18.50%**	16.08%

डी) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**811.03**	634.19

एल) क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	**3.67%**	4.67%
2.	उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	**4.73%**	2.13%
3.	सेवाएं	**2.37%**	5.10%
4.	वैयक्तिक ऋण	**2.97%**	4.54%

एम) अनर्जक आस्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**2978.50**	3,182.70
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**3695.11**	2,142.04
उप-जोड (ए)	**6673.61**	**5,324.74**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**233.10**	318.50
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**804.79**	730.44
iii) अपलेखन (पी डब्ल्यू ओ सहित)	**1024.59**	1,297.30
उप-जोड़ (बी)	**2062.48**	**2,346.24**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**4611.13**	**2,978.50**

एन) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल आस्तियां	**34,528.06**	26,319.10
कुल अनर्जक आस्तियां	**347.17**	162.62
कुल एनपीआई	**1.11**	12.22
कुल राजस्व	**747.76**	627.78

B. CONCENTRATION OF ADVANCES

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Advances to twenty largest borrowers	**29,572.74**	23,257.50
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**17.00%**	15.76%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**32,169.17**	23,729.56
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	**18.50%**	16.08%

D. CONCENTRATION OF NPAs

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to top four NPA accounts	**811.03**	634.19

l) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		31.03.2014	31.03.2013
1	Agriculture and allied activities	**3.67%**	4.67%
2	Industry (Micro and Small, Medium and Large)	**4.73%**	2.13%
3	Services	**2.37%**	5.10%
4	Personal Loans	**2.97%**	4.54%

m) Movement of NPAs

(₹ in crores)

PARTICULARS	31/03/2014	31/03/2013
Gross NPAs at the beginning of the year	**2978.50**	3,182.70
Additions (Fresh NPAs) during the year	**3695.11**	2,142.04
Sub Total (A)	**6673.61**	**5,324.74**
Less:		
(i) Up gradations	**233.10**	318.50
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**804.79**	730.44
(iii) Write-offs (including PWO)	**1024.59**	1,297.30
Sub Total (B)	**2062.48**	**2,346.24**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**4611.13**	**2,978.50**

n) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Assets	**34,528.06**	26,319.10
Total NPAs	**347.17**	162.62
Total NPIs	**1.11**	12.22
Total Revenue	**747.76**	627.78

ओ) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

पी) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

क्यू) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2011-12 (पिचला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया है) के दौरान, बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹ 29.18 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

आर) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

एस) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

o) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

p) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

q) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. Additional depreciation for the year aggregating to ₹ 29.18 Crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

r) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

s) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**18620 32 52**	17120 68 80
	अन्य आय/Other Income	**1324 88 28**	1174 35 71
	घटाएं/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**12694 61 04**	11347 95 99
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**5128 52 83**	5067 73 64
	आय पर कर/Taxes on income	**-68 05 12**	-441 01 70
	जोड़ें/Add:		
	मूल्यहास/Depreciation charged during the year	**118 13 45**	100 65 93
I.	**परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)**	**2308 25 50**	2421 02 51
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities:		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customers and Banks	**26987 41 77**	27414 83 00
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks and Other Institutions	**6535 71 76**	1223 88 91
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for expenses made in the earlier years)	**2290 78 67**	1309 35 04
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**-26343 38 98**	-23948 84 07
	निवेश/Investments	**-9891 72 22**	-4832 59 72
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**-2316 56 09**	-1090 47 34
		-2737 75 09	76 15 82
ए. A.	**परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**-429 49 59**	2497 18 33
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**-173 02 28**	-209 84 90
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	**-9 17 24**	-2 83 66
बी. B.	**निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**-182 19 52**	-212 68 56
	वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	पूंजी जारी करना/Issue of Capital	**199 99 99**	0
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**-654 53 44**	-265 84 86
	गौण ऋण (टियर I और टियर II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	**-125 00 00**	1000 00 00
	टियर I और टियर II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**-385 89 44**	-318 67 12
सी. C.	**वित्तीयन कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**-965 42 89**	415 48 02
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**-1577 12 00**	2699 97 79

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014		31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**8095 31 40**		8808 62 77	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**8488 93 22**	**16584 24 62**	5075 64 06	13884 26 83
II. **वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**12711 99 20**		8095 31 40	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**2295 13 42**	**15007 12 62**	8488 93 22	16584 24 62
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**-1577 12 00**		2699 97 79
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase / (Decrease) in Cash Flow				

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महाप्रबंधक/GENERAL MANAGER

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

एम आंजनेय प्रसाद/M ANJANEYA PRASAD
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

सुधीर कुमार जैन/SUDHIR KUMAR JAIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2014 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2014. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते चंडोक एंड गुलियानी
सनदी लेखाकार
For **Chandiok & Guliani**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001199एन/N

(बी बी कालिया/B B Kalia)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 085772

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

(कुणाल शर्मा/Kunal Sharma)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

(विवेक एस शाह/Vivek S Shah)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 112269

कृते शंभु एन डे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Sambhu N De & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 307055ई/E

(एस एन मित्रा/S N Mittra)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 011678

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001084एन/N

(के एन गोयल/K N Goyal)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 011939

स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

दिनांक/Date : 07.05.2014

समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सिंडिकेटबैंक
निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमनें सिंडिकेटबैंक (''समूह'') के समेकित संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2014 की स्थिति में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। जिनके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
   ए) हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 07 मई 2014 द्वारा, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित, सिंडिकेटबैंक (बैंक) के लेखा-परीक्षित लेखा।
   बी) अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित एक सहायक कंपनी के लेखा।

2. हमनें उन 3 संगठनों के गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों को भी विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणी, 31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल आस्तियाँ ₹27,376 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹2,480 करोड़ दर्शाती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

3. भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं सामान्यत: भारत में अनुमत लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी उपलब्धता का सही और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो सही और स्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं और इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल हो सकता है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

4. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors
SyndicateBank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATEBANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2014, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which following are incorporated:
   a) Audited Accounts of the SYNDICATEBANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 07, 2014.
   b) Audited Accounts of 1 Subsidiary audited by other auditor.

2. We have also relied on the unaudited financial statements of the 3 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹27,376 crores as on March 31,2014 and total revenue of ₹2,480 crores.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

3. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit

लेखा-परीक्षण किया है। उस मानदंड के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षण करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

5. लेखा परीक्षण के अतंर्गत रकम तथा समेकित वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधड़ीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, समूह से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं जिससे सही और स्पष्ट स्थिति का पता चलता है ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा परीक्षण में शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

विषयवस्तु का महत्व

6. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे:

ए) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु पुन: विकल्प देने तथा ग्रेच्यूटी (उपदान) सीमा बढ़ाने के संबंध (प्रुडेंशियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट) में ''कर्मचारी लाभ'' पर लेखा मानदंड 15 के प्रावधानों को लागू करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी बी सी/80/21.04.018/2010-11 दि. 09.02.2011 के तहत प्राप्त छूट के अनुसरण में पेंशन तथा बैंक की ग्रेच्युइटी देयता को वित्तीय विवरणी की (दि. 31.03.2013 की स्तिथि के अनुसार ₹290.76 करोड़) अनुसूची 18 स्थित नोट सं. 12(v) के अनुसार स्थगित किया गया है जो ₹145.38 करोड़ है।

बी) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी. बी.सी. 77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अनुसरण में, दिनांक 31 मार्च 2013 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता के सृजन पर व्यय के लेखा निरूपण के संबंध में वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट सं. 12 (x)।

in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a) Note No. 12 (v) in Schedule 18 to the financial statements regarding deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹145.38 crores (₹ 290.76 as on 31.03.2013) pursuant to the exemption granted to the public sector banks by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" vide its Circular No. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

b) Note No. 12 (x) in Schedule 18 to the financial statements regarding the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as on March 31, 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP.BC. 77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013.

राय

7. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और ऊपर नोट किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर किए गए विचार के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों कि अनुरूपता में सही और वास्तविक चित्र दर्शाते हैं:

   ए) समेकित तुलन-पत्र के मामले में, दि. 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति;

   बी) समेकित लाभ व हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का लाभ और

   सी) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का नकदी प्रवाह।

अन्य विषय

8. समेकित वित्तीय विवरणों में सिंडबैंक सर्विसेज़ लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिसका लेखा-परीक्षण हमने नहीं किया है, जिसकी कुल आस्तियाँ 31 मार्च 2014 की स्थिति में ₹6.80 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹3.29 करोड़ हैं। उक्त सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है।

अन्य विषयों के संबंध में हमारी राय मान्य नहीं है।

कृते **चंडोक एंड गुलियानी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 001199 एन	कृते **जे. एन. शर्मा एंड कंपनी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 000833 सी	कृते **रमणलाल जी. शाह एंड कंपनी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 108517 डब्ल्यू
बी.बी. कालिया *साझेदार* सदस्यता सं.: 085772	**कुनाल शर्मा** *साझेदार* सदस्यता सं.: 405919	**विवेक एस. शाह** *साझेदार* सदस्यता सं.: 112269
कृते **शंभु एन. डे. एंड कंपनी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 307055 ई	कृते **के. एन. गोयल एंड कंपनी** *सनदी लेखाकार* एफ.आर.एन: 001084 एन	
एस. एन. मित्रा *साझेदार* सदस्यता सं.: 011678	**के. एन. गोयल** *साझेदार* सदस्यता सं.: 011939	

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 07.05.2014

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the report of the other auditor on the financial statements as noted above, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2014;

   b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit of the Group for the year ended on that date and

   c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matter

8. Incorporated in the Consolidated Financial Statements are the Financial Statements of 1 subsidiary namely Syndbank Services Limited which has not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of ₹6.80 crores as on March 31, 2014 and total revenue of ₹3.29 crores for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiary has been audited by other auditor.

Our Opinion is not qualified in respect of other matters.

For **Chandiok & Guliani** *Chartered Accountants* FRN : 001199N	For **J N Sharma & Co** *Chartered Accountants* FRN : 000833C	For **Ramanlal G Shah & Co** *Chartered Accountants* FRN : 108517W
B B Kalia *Partner* Membership No. 085772	**Kunal Sharma** *Partner* Membership No. 405919	**Vivek S Shah** *Partner* Membership No. 112269
For **Sambhu N De & Co** *Chartered Accountants* FRN : 307055E	For **K N Goyal & Co** *Chartered Accountants* FRN : 001084N	
S N Mittra *Partner* Membership No. 011678	**K N Goyal** *Partner* Membership No. 011939	

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2014

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च 2014 का समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

पूंजी एवं देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2014 को**	As on दि. 31.03.2013 को
पूंजी/Capital	1	**624 58 46**	601 95 00
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**12333 81 72**	11265 18 35
जमाराशियाँ/Deposits	3	**212336 95 47**	185350 80 84
उधार/Borrowings	4	**19224 51 30**	12813 79 54
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**8449 37 12**	6411 05 81
योग/TOTAL		**252969 24 07**	216442 79 54
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**12711 99 20**	8095 31 40
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**2295 13 42**	8488 93 22
निवेश/Investments	8	**56647 11 78**	46968 08 03
अग्रिम/Advances	9	**173912 40 79**	147569 01 81
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**1468 91 22**	1433 98 94
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**5933 67 66**	3887 46 14
योग/TOTAL		**252969 24 07**	216442 79 54
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**96161 94 75**	82345 28 08
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**4489 14 76**	3416 81 59
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

टी के श्रीवास्तव *कार्यपालक निदेशक* — **एम आंजनेय प्रसाद** *कार्यपालक निदेशक* — **सुधीर कुमार जैन** *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

एच प्रदीप राव *निदेशक* — **एम राजेश्वर राव** *निदेशक* — **शंकरन भास्कर अय्यर** *निदेशक*

संजय अनंत मांजरेकर *निदेशक* — **दिलीप कुमार सक्सेना** *निदेशक* — **जगदीश राज श्रीमाली** *निदेशक*

रमेश एल अडिगे *निदेशक* — **सी आर नसीर अहमद** *निदेशक* — **आनंद के पंडित** *निदेशक*

जसलीन सूरी *निदेशक* — **अतुल अशोक गलांडे** *निदेशक* — **आई पी नागराज राव** *महा प्रबंधक*

आर रामलिंगम *सहायक महा प्रबंधक*

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 07.05.2014

T K Srivastava *Executive Director* — **M Anjaneya Prasad** *Executive Director* — **Sudhir Kumar Jain** *Chairman & Managing Director*

H Pradeep Rao *Director* — **M Rajeshwar Rao** *Director* — **Sankaran Bhaskar Iyer** *Director*

Sanjay Anant Manjrekar *Director* — **Dilip Kumar Saxena** *Director* — **Jagdish Raj Shrimali** *Director*

Ramesh L Adige *Director* — **C R Naseer Ahamed** *Director* — **Anand K Pandit** *Director*

Jasleenn Suri *Director* — **Atul Ashok Galande** *Director* — **I P Nagaraja Rao** *General Manager*

R Ramalingam *Asst. General Manager*

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2014

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	**Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2014 को**	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2013 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**18620 32 52**	17120 68 80
	अन्य आय/Other Income	14	**1324 87 83**	1174 40 53
	योग/TOTAL		**19945 20 35**	18295 09 33
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**13080 00 13**	11666 23 20
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**3300 62 21**	3177 36 95
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**1852 02 26**	1445 78 06
	योग/TOTAL		**18232 64 60**	16289 38 21
III.	**लाभ/हानि/PROFIT / LOSS**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**1712 55 75**	2005 71 12
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	अनुषंगी उद्यमों के अपनी का शेयर/Share of earnings in Associates	19	**142 51 86**	200 68 48
	योग/TOTAL		**1855 07 61**	2206 39 60
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to:			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Staturory Reserve		**427 86 45**	501 10 55
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**1 07 07**	2 40 67
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**613 91 66**	813 14 96
डी/D	समेकित पर आरक्षित निधि/ Capital Reserve on Consolidation		**142 51 86**	200 68 48
ई/E	निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account		**-12 20 10**	12 20 10
एफ/F	आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserves Under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**280 00 00**	205 00 00
जी/G	**अनंतिम लाभांश** (अनंतिम लाभांश कर ₹ 26.54 करोड़ (पिछले वर्ष – शून्य)/**Interim Dividend**/(Interim Dividend Tax ₹ 26.54 Crores (Previous year - Nil))		**182 68 49**	0
एच/H	**प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend**		**187 37 54**	403 30 65
आई/I	लाभांश पर कर/Tax on Final Dividend		**31 84 64**	68 54 19
	योग/TOTAL		**1855 07 61**	2206 39 60
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)		**30.57**	36.65
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत)/Basic and Diluted (Annualized)			
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते चंडोक एंड गुलियानी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001199एन

(बी बी कालिया)
साझेदार
सदस्यता सं.: 085772

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000833सी

(कुणाल शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

(विवेक एस शाह)
साझेदार
सदस्यता सं.: 112269

कृते शंभु एन डे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 307055ई

(एस एन मित्रा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 011678

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001084एन

(के एन गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 011939

For **Chandiok & Guliani**
Chartered Accountants
FRN : 001199N

(B B kalia)
Partner
Membership No. 085772

For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
FRN : 000833C

(Kunal Sharma)
Partner
Membership No. 405919

For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
FRN : 108517W

(Vivek S Shah)
Partner
Membership No. 112269

For **Sambhu N De & Co**
Chartered Accountants
FRN : 307055E

(S N Mittra)
Partner
Membership No. 011678

For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN : 001084N

(K N Goyal)
Partner
Membership No. 011939

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I. **निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**601 95 00**	601 95 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**22 63 46**	0
62,45,84,631 (पिछले वर्ष 60,19,49,955) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 62,45,84,631 (Previous Year 60,19,49,955) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**624 58 46**	601 95 00
a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 42,09,20,347 (पिछले वर्ष 39,82,85,671) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 42,09,20,347 (Previous year 39,82,85,671) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**420 92 03**	398 28 57
b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- 20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹ 10/- each.	**203 66 43**	203 66 43
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**624 58 46**	601 95 00

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को		As on दि. 31.03.2013 को
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**	**2574 42 10**		2073 31 55	
अथशेष/Opening Balance	**427 86 45**	**3002 28 55**	501 10 55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year				2574 42 10
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**138 48 58**		136 07 91	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1 07 07**	**139 55 65**	2 40 67	138 48 58
III. **समेकित पर आरक्षित पूंजी/Capital Reserve on consolidation**				
अथशेष/Opening Balance	**1320 67 23**		1119 98 75	
कटौती/Less: Deduction	**355 20 33**			
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**142 51 86**	**1107 98 76**	200 68 48	1320 67 23
(अनुसूची 18 की नोट संख्या 12 (xi) का संदर्भ लें/Refer note no. 12 (xi) of Schedule 18)				
IV. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**1080 22 11**		1080 22 11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**177 36 53**	**1257 58 64**		1080 22 11
V. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**975 75 36**		1005 41 15	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		1 31 77	
	975 75 36		1006 72 92	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**29 18 45**	**946 56 91**	30 97 56	975 75 36
VI. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VII. **निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account**				
अथशेष/Opening Balance	**12 20 10**		0	
घटाएं: लाभ व हानी लेखे में अंतरण/Less: Transfer to Profit and Loss Account	**12 20 10**	**0**	12 20 10	12 20 10
VIII. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**3828 77 98**		3015 63 03	
घटाएं: ए) पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण। Less: a) Transfer to Special Reserve created under section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**66 62 71**		1	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2012-13 तक के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता। b) Deferred Tax Liability on Special Reserve upto the Financial Year 2012-13 under section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961	**270 28 15**			
योग/TOTAL	**3491 87 12**		3015 63 02	
जोडें: लाभ व हानि लेखे में अंतरण/Add: Transfers from Profit and Loss Account	**613 91 66**	**4105 78 78**	813 14 96	3828 77 98
IX. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**1 48 49**		4 21 21	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**92 76 83**	**94 25 32**	-2 72 72	1 48 49
X. **विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve** **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत** (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)				
अथशेष/Opening Balance	**752 00 00**		547 00 00	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year				
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में अंतरण/Transfer from Revenue and Other Reserves	**66 62 71**		205 00 00	
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभ व हानि लेखे से अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year 2013-14	**280 00 00**	**1098 62 71**	0	752 00 00
योग/TOTAL		**12333 81 72**		11265 18 35

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
ए /A.I.	मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits		
	i) बैंकों से/ From Banks	125 26 97	65 84 68
	ii) अन्यों से/ From Others	13842 53 70	13870 50 43
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits	42029 64 14	38017 47 32
	III. सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits		
	i) बैंकों से/From Banks	30121 34 25	23830 14 06
	ii) अन्यों से/ From Others	126218 16 41	109566 84 35
	योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	212336 95 47	185350 80 84
बी/B. i)	भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	186959 45 01	167049 52 01
ii)	भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	25377 50 46	18301 28 83
	योग (ए + बी)/TOTAL (A + B)	212336 95 47	185350 80 84

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I.	भारत में उधार/Borrowings in India		
ए/a.	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	0	0
बी/b.	अन्य बैंक/Other Banks	6062 43 73	817 61 03
सी/c.	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	1367 17 76	1721 32 87
डी/d.	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments	773 00 00	773 00 00
ई/e.	बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures	0	0
एफ/f.	बेमायादी संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares	0	0
जी/g.	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	0	0
एच/h.	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares	0	0
आई/i.	गौण ऋण/Subordinated Debt	3619 70 00	3744 70 00
	योग/TOTAL	11822 31 49	7056 63 90
II.	भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India	7402 19 81	5757 15 64
	योग/TOTAL (I + II)	19224 51 30	12813 79 54
	उपरोक्त I और II में शामिल रक्षित उधार/Secured Borrowings included in I and II above	4648 33 05	0

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I.	देय बिल/Bills Payable	814 65 45	819 05 98
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	1338 58 93	14 32 76
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	902 50 47	779 54 68
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	930 39 23	807 30 60
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	4463 23 04	3990 81 79
	योग/TOTAL	8449 37 12	6411 05 81

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**454 65 30**	385 42 75
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12257 33 90**	7709 88 65
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**12711 99 20**	8095 31 40

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**81 59 20**	69 45 99
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1501 50 21**	2643 02 20
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**0**	5400 00 00
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**1583 09 41**	8112 48 19
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**130 86 46**	7 31 23
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**581 17 55**	369 13 80
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**712 04 01**	376 45 03
योग/TOTAL	**2295 13 42**	8488 93 22

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**56569 77 01**	46894 63 57
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**232 11 89**	42 92 28
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**56337 65 12**	46851 71 29
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**48245 55 05**	40166 18 56
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	18 96 01
शेयर/Shares	**313 97 52**	323 55 93
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**4255 14 83**	1901 84 11
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**1134 25 98**	1354 02 06
अन्य (वाणिज्यक पेपर, उद्यम पूँजी, सीओडी इत्यादी) /Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**2387 81 24**	3087 14 62
योग/ Total	**56337 65 12**	46851 71 29
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**312 66 94**	119 45 09
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**3 20 28**	3 08 35
भारत के बाहर शद्ध निवेश/Net Investments Outside in India	**309 46 66**	116 36 74
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**309 46 66**	116 36 74
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**309 46 66**	116 36 74
योग/TOTAL	**56647 11 78**	46968 08 03

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1362 99 97**	1270 53 48
	ii)	ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**39294 08 21**	29555 58 74
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**133255 32 61**	116742 89 59
		योग/Total	**173912 40 79**	147569 01 81
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)/Secured by tangible assets (Includes advances against book debts)	**110887 24 34**	101363 49 80
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**30874 73 47**	21448 54 72
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**32150 42 98**	24756 97 29
		योग/Total	**173912 40 79**	147569 01 81
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**50717 96 00**	39303 95 17
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**12929 55 66**	10137 64 25
		iii) बैंक/Banks	**2070 00 37**	4223 32 85
		iv) अन्य/Others	**75775 25 35**	68804 46 97
		योग/Total	**141492 77 38**	122469 39 24
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**26102 88 95**	17130 38 42
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**276 38 66**	223 27 09
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5790 39 75**	6032 56 38
		सी)/c) अन्य/Others	**249 96 05**	1713 40 68
		योग/Total	**32419 63 41**	25099 62 57
		योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)	**173912 40 79**	147569 01 81

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**1215 62 76**	1206 16 26
	जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the peropd	**22 72 21**	14 48 27
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the period	**2 00 55**	5 01 77
		1236 34 42	1215 62 76
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**176 55 70**	143 15 41
	योग/Total	**1059 78 72**	1072 47 35
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**35 75 07**	26 57 83
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर और जुड़नार सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1039 84 43**	869 27 37
	जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the period	**173 75 55**	204 66 98
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the period	**59 36 58**	34 09 92
		1154 23 40	1039 84 43
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**780 85 97**	704 90 67
	योग/Total	**373 37 43**	334 93 76
	योग/TOTAL (I+II+III)	**1468 91 22**	1433 98 94

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1313 74 93**	1040 31 24
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	**1425 48 31**	702 44 41
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**16 61 02**	10 71 16
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 38**	3 51
VI. अन्य/Others	**3177 80 02**	2133 95 82
योग/TOTAL	**5933 67 66**	3887 46 14

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2014 को	As on दि. 31.03.2013 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**117 94 15**	94 78 42
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture funds	**44 93 02**	58 13 63
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**67941 66 04**	56952 50 04
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of Constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**10092 66 97**	9817 94 28
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 98**	26 54
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**3976 24 75**	4252 32 80
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**6 96 02**	9 26 56
ii) अन्य/Others	**13981 45 82**	11160 05 81
योग/TOTAL	**96161 94 75**	82345 28 08

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**14419 64 05**	13524 47 26
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**3781 39 12**	3231 15 12
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**294 89 73**	287 02 31
IV. अन्य/Others	**124 39 62**	78 04 11
योग/TOTAL	**18620 32 52**	17120 68 80

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**567 05 79**	546 38 79
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**157 90 24**	125 18 41
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	0
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**1 64 72**	77 26
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-68 43**	- 77 36
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**113 39 55**	81 47 18
	घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	**-15 15 56**	- 2 99
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**6 72 26**	5 88 48
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**493 99 26**	415 50 76
	योग/TOTAL	**1324 87 83**	1174 40 53

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**12076 49 24**	10752 94 86
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**85 33 71**	76 08 79
III.	अन्य/Others	**918 17 18**	837 19 55
	योग/TOTAL	**13080 00 13**	11666 23 20

अनुसूची – 16: परिचालनगत व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2229 18 56**	2179 70 17
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**216 20 46**	190 12 27
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**17 69 94**	22 44 30
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**26 01 97**	19 54 18
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**118 14 65**	100 66 51
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 26 39**	99 69
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**24 65 54**	20 07 11
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**7 79 24**	6 93 61
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**47 67 86**	32 98 45
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**79 18 58**	74 81 31
XI.	बीमा/Insurance	**118 75 04**	138 20 42
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**414 03 98**	390 88 93
	योग/TOTAL	**3300 62 21**	3177 36 95

अनुसूची – 17

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ: 2013-2014

1. **(ए) लेखांकन पद्धतियाँ**

वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप होते हैं, जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुगृहीत होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित किए जाने वाले आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाएं तथा आकलन करें । प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार का संशोधन चालू तथा आगामी अवधि के लिए प्रत्याशित माना जाएगा, बशर्ते कोई अन्यथा वर्णन न हो।

2. **समेकन प्रक्रिया**

बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणों और इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइ सी ए आई)/नेशनल एडवाइसरी कमिटी आन एकाउंटिंग स्टैंड्स (एन ए सी ए एस) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक (एएस-21-''समेकित वित्तीय विवरणों'' के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

बैंक और उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ एवं हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं खर्चों की रकमों को एक साथ जोडकर एक चरणबद्ध तरीके (लाइन बै लाइन) से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन के दिनांक पर सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के

SCHEDULE – 17

CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2013 - 2014

1. **(A) ACCOUNTING CONVENTIONS**

The Consolidated Financial Statements have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India, in respect of foreign office, statutory provision and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) / National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the Subsidiary is drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of

लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग रूप से दर्शाया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

3.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

3.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

3.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

3.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

3.5 गारंटियों, वायदा संविदाओं साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

3.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, तथा आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

सी) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुन: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां	बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर	डी) डिबेंचर और बंध पत्र
ई) अनुषंगी	एफ) अन्य

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

the Associates in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Exchange Rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

3.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

3.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

3.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

3.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

3.6 Foreign Branch of the Bank (Parent) is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS 11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

4. INVESTMENTS

4.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:

I Held to Maturity
II Available for Sale
III Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities	b) Other Approved Securities
c) Shares	d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries	f) Others

4.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

4.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

4.2.2 'विक्रय के लिए उपलब्धे' एवं 'ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित' श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का श्रेणीवार समुच्चयन किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

4.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

I. लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो।

II. बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आई. की नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है।

बी) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता है।

सी) तिजोरी बिल, ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.), वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

डी) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता हैं तथा यह भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा।

ई) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर किया जाता है और जहाँ शेयर एक्सचेंज में भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन रिज़र्व' यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है या ₹1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है, जहाँ अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

एफ) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया जाता है (यानी बही मूल्य) ।

जी) अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों मे किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया जाता है।

एच) प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण/वर्गीकरण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों

4.2.1 Investments under 'Held to Maturity' are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

4.2.2 Investments held under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

4.2.3 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI; and accordingly:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued at Market price if quoted, otherwise on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis and not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines.

e) Equity Shares are valued at last traded prices if quoted; unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹ 1 per company, where latest balance sheet is not available.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value)

g) Investment in Subsidiaries / Joint ventures are valued at carrying cost.

h) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC) / Reconstruction Company (RC) are valued / classified as

के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर-एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निवेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

आई) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने पीछे तक के पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया जाता है।

जे) म्यूच्युअल फंड के इकाइयों का मूल्य निर्धारण शेयर बाजार की भाव दर के अनुसार किया जाता है, यदि उपलब्ध है और यदि उपलब्ध न हो तो पुनः खरीदी मूल्य निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

4.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया है।

4.3 परिपक्वता श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, को लाभ और हानि लेखे के जरिए आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया जाता है (करों और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली रकम को घटाकर)।

4.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है ।

4.5 विदेशी शाखा में अस्थिर-स्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोट, निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया जाता है। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया जाता है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया जाता है।

4.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों का लेखाकरण क्रमश: उधार और वित्तीयन के रूप में किया जाता है ।

5. व्युत्पन्न

5.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

5.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाता है और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

5.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनको उचित मूल्य पर आंका जाता है।

per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

i) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

j) Units of mutual funds are valued as per stock exchange quotations, if quoted; at Repurchase Price / Net Asset Value, if unquoted.

4.2.4 Investments are also categorized based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

4.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is appropriated to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

4.4 Transfer of securities from one category to another is carried out at lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.5 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available For Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

4.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expense.

4.7 Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

5. DERIVATIVES

5.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

5.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

5.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

5.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

5.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा। मितीकाटे को अग्रिम लेखे में, प्राप्त आय के तहत रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाएगा।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

6.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

6.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/बैंक/एफ.आई./एन.बी.एफ.सी. को निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम लागत पर यानि प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन.बी.वी. मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं लिया जाता बल्कि ए.आर.सी./एस.सी./बैंक/एफ.आई./ एन.बी.एफ.सी. को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों पर हुई हानि/ कमी को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

7. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

7.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

7.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

7.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान , उक्त के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

5.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted for on interest accrual basis.

5.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

5.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

6. ADVANCES

6.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

6.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

6.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e Book Value Less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is not being reversed but is kept for utilization to meet the shortfall / loss on account of sale of other financial assets to ARC / SC / Banks / FIs / NBFCs.

7. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and / or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

7.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(ए) परिसर:	दरें
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5 %
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियाँ:	दरें
i) फर्नीचर	10 %
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15 %
iii) वाहन	20 %
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40 %
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

7.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

8.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

9. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

(A) PREMISES:	Rates
i) Parent Company owned (freehold / leasehold)	5 %
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified – where lease period is specified	10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10 %
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, generators, etc.	15 %
iii) Vehicles	20 %
iv) Electronic Equipments	40 %
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

7.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

8. RETIREMENT BENEFITS

8.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

8.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

8.3 Liability towards leave encashment is provided for on accrual basis as per actuarial valuation.

9. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

10. आय पर कर

10.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

10.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाहय तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधानें

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Current Tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

10.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets / Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Company has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal / external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

14. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची –18

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधी टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहायक संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

क) अनुषंगी:

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) सहायक संस्थाएं:

प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का वित्तीय विवरण**

अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च 2014.

3. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. पूंजी

ए) बसेल III के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**8.29**	लागू नहीं है
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात	**8.68**	
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात	**2.73**	
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**11.41**	
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता (%)	**67.39**	66.17
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**200**	लागू नहीं है
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी जिसमें		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0**	लागू नहीं है
– पी.डी.आई.	**0**	लागू नहीं है
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी जिसमें		
– ऋण पूँजी लिखत	**0**	1,000
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एस.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0**	0

नोट: ए) दि. 31.03.2014 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.01 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2013 के स्थिति में यह 12.59 प्रतिशत था।

बी) वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 2,26,34,676 ईक्विटी शेयरों को ₹78.36 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹199,99,99,971.36 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 66.17% से 67.39% हो गया।

SCHEDULE – 18

Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31ST March 2014

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of SyndicateBank (Parent) and the following Subsidiary and Associates.

a) Subsidiary:

Syndbank Services Limited

b) Associates:

Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary /Associates**

The Audited financial statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent. .i.e. March 31, 2014.

3. The accounts of the Subsidiary for the year ended March 31, 2014 are subject to the comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

4. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**8.29**	NA
ii) Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**8.68**	
iii) Tier 2 Capital Ratio **(%)**	**2.73**	
iv) Total Capital Ratio (CRAR) **(%)**	**11.41**	
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**67.39**	66.17
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**200**	NA
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0**	NA
– PDI	**0**	NA
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**0**	1,000
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0

Note: a) The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31-03-2014 as per Basel - II norms is 12.01% and as on 31-03-2013 was 12.59%.

b) During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis 2,26,34,676 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹78.36 aggregating ₹199,99,99,971.36 to Government of India. Consequently, the Government of India's shareholding has increased from 66.17% to 67.39%.

5. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**56,569.77**	46,894.63
(बी) भारत के बाहर	**312.67**	119.45
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**232.12**	42.92
(बी) भारत के बाहर	**3.20**	3.08
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**56,337.65**	46,851.71
(बी) भारत के बाहर	**309.47**	116.37
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**46.00**	70.49
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**191.00**	27.90
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1.68**	52.39
(iv) इतिशेष	**235.32**	46.00

5.1 रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2014 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52	3,224	1,066	2,645.76
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0
(iii) सी आर ओ एम एस उधार	25	2,501.92	70.36	0
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52	3,045	77.45	0
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0
(iii) सी आर ओ एम एस उधार	89.78	4,720.10	1,072.89	0

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

5.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2014 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	2,256.20	2,241.74	–	–	–
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,380.53	1,380.53	35.00	1.13	1.13
(iii)	बैंक	2,627.82	2,334.23	3.00	–	–
(iv)	निजी नैगम	1,065.62	1,046.54	54.11	1.13	1.13
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	1134.26	1134.26	–	–	–
(vi)	अन्य	103.40	103.40	–	–	–
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	167.17	XXXX	42.86	1.38	1.38
	कुल*	**8,400.66**	**8,240.70**	**49.25**	**0.88**	**0.88**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:
(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र
(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

(2) कॉलम iv, v, vi और vii के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ए. मूल बैंक ने निवेश संविभाग को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया है अर्थात् ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' और ''व्यापार हेतु धारित'' और भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार निवेशों को मूल्यांकित बनाया है ।

5. INVESTMENTS (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
i) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**56,569.77**	46,894.63
b) Outside India	**312.67**	119.45
ii) Provisions for Depreciation and NPA		
a) In India	**232.12**	42.92
b) Outside India	**3.20**	3.08
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**56,337.65**	46,851.71
b) Outside India	**309.47**	116.37
ii) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**46.00**	70.49
ii) Add: Provisions made during the year	**191.00**	27.90
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**1.68**	52.39
iv) Closing balance	**235.32**	46.00

5.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repo				
(i) Govt. Securities	52	3,224	1,066	2,645.76
(ii) Corporate Debt Securities	0	0	0	0
(iii) CROMS Borrowing	25	2,501.92	70.36	0
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Govt. Securities	52	3,045	77.45	0
(ii) Corporate Debt Securities	0	0	0	0
(iii) CROMS Lending	89.78	4,720.10	1,072.89	0

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing/lending the value of the securities pledged/received will be 104% of the amount borrowed/lent.

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2014.

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	2,256.20	2,241.74	–	–	–
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1,380.53	1,380.53	35.00	1.13	1.13
(iii)	Banks	2,627.82	2,334.23	3.00	–	–
(iv)	Private Corporates	1,065.62	1,046.54	54.11	1.13	1.13
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	1134.26	1134.26	–	–	–
(vi)	Others	103.40	103.40	–	–	–
(vii)	Provision held towards depreciation	167.17	XXXX	42.86	1.38	1.38
	TOTAL *	**8,400.66**	**8,240.70**	**49.25**	**0.88**	**0.88**

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.:
(a) Shares (b) Debentures and Bonds
(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amount reported under rows iv, v, vi and vii above may not be mutually exclusive.

A. The Parent Bank has classified the investment portfolio into three categories .i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India.

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014			31.03.2013		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	38.74	12.22	50.96	15.37	25.44	40.81
वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से परिवर्धन	158.75	-	158.75	23.74	–	23.74
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	1.12	11.11	12.23	0.37	13.22	13.59
इति शेष	196.37	1.11	197.48	38.74	12.22	50.96
रखे गए कुल प्रावधान	158.12	1.11	159.23	38.74	1.36	40.10

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

iii) *एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण*

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) एस. जी.एल. उछालना

तकनीकी आधार पर एस.जी.एल. उछालने का एक उदाहरण था। इस विषय को बारीकी से लिया गया और भा.रि.बैं. द्वारा मौद्रिक दंड से छूट मिल गया।

v) ए.एफ.एस. एवं एच.एफ.टी. वर्ग के निवेशों के मूल्यांकन में मूल्य ह्रास।

''बैंकों के निवेश संविभाग - वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रावधानीकरण'' पर परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी.बीसी. 41/21.04.141/2013-14 दिनांक 23 अगस्त 2013 के अनुसार भा.रि.बै. ने बैंकों को, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री के उपलब्ध (ए.एफ.एस.) और लेन-देन के लिए धारित (एच.एफ.टी.) संविभागों के निवल मूल्याहास को प्रत्येक मूल्यांकन की तारीख पर सममूल्य किस्तों पर बाँटने के लिए अनुमति दी। मूल बैंक ने ऐसे मूल्यह्रास को सितंबर एवं दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाहियों के दौरान परिशोधन किया। मूल बैंक ने, 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही और बारह महीनों की लाभ एवं हानि लेखें में ए.एफ.एस. और एच.एफ.टी. संविभागों से संबंधित मूल्यह्रास को पूर्ण रूप से मान्यता दिया।

5.3 एच.टी.एम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹2,16,26,380.00 (पिछली वर्ष ₹ 4,75,01,665.15) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग के प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹56,21,11,965.41 (पिछले वर्ष ₹56, 49, 74, 074, 44) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II - निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

5.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार इन निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान ₹3.20 करोड़ रहा है।

6. व्युत्पन्न

6.ए. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली** (₹करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2014	31.03.2013
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**10,856.95**	8,054.26
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**180.51**	256.83
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**43.74**	130.95

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली बैंक के तुलन-पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 वर्ष 2012-13 के दौरान, मूल बैंक ने यू एस डी 1,000.00 मिलियन डॉलर के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला-बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

ii) ***Non performing Non-SLR Investments*** (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014			31.03.2013		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	38.74	12.22	50.96	15.37	25.44	40.81
Additions during the year since 1st April	158.75	-	158.75	23.74	–	23.74
Reduction during the above period	1.12	11.11	12.23	0.37	13.22	13.59
Closing balance	196.37	1.11	197.48	38.74	12.22	50.96
Total provisions held	158.12	1.11	159.23	38.74	1.36	40.10

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) ***Sale and transfers to / from HTM category***

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) ***SGL Bouncing***

There was one instance of SGL bouncing on technical grounds. A lenient view has been taken in this matter and monetary penalty has been waived by RBI.

v) ***Depreciation on Valuation of Investments held in AFS and HFT Categories:***

In terms of circular DBOD.BP.BC.41/21.04.141/2013-14 dated August 23, 2013 on "Investment Portfolio of Banks – Classification, Valuation and Provisioning" RBI permitted banks to distribute the net depreciation on the Available For Sale (AFS) and Held For Trading (HFT) portfolios as on each of the valuation dates in equal instalments during the financial year 2013 - 14. The Parent Bank amortised such depreciation during the quarters ended September and December, 2013. In the Profit and Loss Account for the quarter and twelve months ended March 31, 2014 the Parent Bank has recognised depreciation in respect of AFS and HFT portfolios in full.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹2,16,26,380.00 (Previous Year ₹4,75,01,665.15) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

5.4 The amortization charges of ₹ 56,21,11,965.41 (Previous Year ₹ 56,49,74,074.44) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

5.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available For Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers value. Consequently, the provision for depreciation on these investments is at ₹ 3.20 Crores.

6. DERIVATIVES

6.A. Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

- ***Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2014	31-03-2013
i)	The notional principal of swap agreements	**10,856.95**	8,054.26
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**180.51**	256.83
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**43.74**	130.95

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial year 2011-12 and 2012-13, Parent Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,000.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

• *मुद्रा अदला-बदली* (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2014	31.03.2013
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**137.37**	187.20
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**30.18**	26.94
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**0.61**	1.33

1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।

2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदल-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

5. व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2013-14 में प्रस्तुत हैं ।

6.बी. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदे:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है। फिर भी, 8 जुलाई 2013 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) द्वारा भा.रि.बैं. ने ए.डी. वर्ग-I के बैंकों को मुद्रा वायदा लेन-देनों पर मालिकाना व्यापार न करने का निदेश दिया है, इसलिए बैंक किसी प्रकार का मुद्रा वायदा लेन-देन करना स्थागित कर दिया है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। मूल बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोडों में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो "अत्यंत प्रभावकारी" नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य और "अत्यंत प्रभावकारी" नहीं है। (लिखतवार)	

6. सी. व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

(ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए मूल बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- मूल बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।

• ***Currency Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2014	31-03-2013
i)	The notional principal of the swap agreements	**137.37**	187.20
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**30.18**	26.94
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.61**	1.33

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk.

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2013 - 2014.

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank was undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. However, vide AP (DIR Series) on 8th July 2013, RBI directed AD category – I banks not to carry out proprietary trading in currency future transactions, hence Bank has stopped undertaking any currency future transactions. There are no outstanding contracts under currency future as on 31-03-2014.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Parent Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	**NIL**
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2014 and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Mark-to-market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2014 and not "highly effective" (instrument-wise)	

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) *Qualitative Disclosure*

- The Parent Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest Rate Swaps, Currency Swaps and Currency Options, with Bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.

- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे मूल बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- वर्ष के दौरान मूल बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- केवल गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- मूल बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- बैंक में काऊँटर पार्टियों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- मूल बैंक के पास संम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- मूल बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काऊंटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि में किया जाता है। परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाता है। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाता है और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाता है।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि मूल बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 92.07% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से अल्प अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- Currency futures have no credit risk for the Parent Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year Parent Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The Parent Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS is in place to monitor the same.
- The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- Credit Risk is monitored by setting up counter party exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- The transactions with Counter-Party Banks and non-bank counter parties are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Parent Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Parent Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in marked-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Parent bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 92.07% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining maturity.

बी) दि. 31.03.2014 को मात्रात्मक निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014		31.03.2013	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए (प्रतिरक्षा एवं परस्पर)	137.37	10,856.95	187.20	8,054.26
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	प्रतिरक्षा के लिए				
	ए) आस्तियाँ (+)	16.44	99.64	8.22	137.93
	बी) देयताएँ (–)	(-) 15.83	(-) 55.91	(-) 6.89	(-) 6.97
	व्यापार के लिए				
	ए) आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) देयताएँ (–)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**ऋण विनिवेश**	**30.18**	**180.51**	**26.94**	**256.83**
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	0.58	(-) 169.88	(-) 4.90	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6. डी) ऋण व्यतिक्रम विनियम

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऋण चूक स्वैप में व्यापार नहीं किया है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31-03-2013
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.56%**	0.76%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष राशि	**2,978.50**	3,182.70
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**3,695.11**	2,142.04
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**2,062.48**	2,346.24
डी) इतिशेष	**4,611.13**	2,978.50
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,124.77**	1,185.43
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,705.23**	1,006.61
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**1,109.40**	1,067.27
डी) इतिशेष	**2,720.60**	1,124.77
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,775.65**	1,931.27
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**989.88**	1,135.44
सी) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,001.33**	1,291.06
डी) इतिशेष	**1,764.20**	1,775.65
ई) प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**70.02%**	83.41%

b) Quantitative Disclosures as on 31-03-2014.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014		31.03.2013	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging (Hedge and back to back)	137.37	10,856.95	187.20	8,054.26
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
2	**Marked To Market Positions**				
	For Hedging				
	a) Asset (+)	16.44	99.64	8.22	137.93
	b) Liability (-)	(-) 15.83	(-) 55.91	(-) 6.89	(-) 6.97
	For Trading				
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
3	**Credit Exposure**	**30.18**	**180.51**	**26.94**	**256.83**
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	0.58	(-) 169.88	(-) 4.90	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NIL	NIL	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL	NIL	NIL

6.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

7. ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.56%**	0.76%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**2,978.50**	3,182.70
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**3,695.11**	2,142.04
c. Reductions during the year	**2,062.48**	2,346.24
d. Closing balance	**4,611.13**	2,978.50
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**1,124.77**	1,185.43
b. Additions during the year	**2,705.23**	1,006.61
c. Reductions during the year	**1,109.40**	1,067.27
d. Closing balance	**2,720.60**	1,124.77
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**1,775.65**	1,931.27
b. Provisions made during the year	**989.88**	1,135.44
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,001.33**	1,291.06
d. Closing balance	**1,764.20**	1,775.65
e. ***Provision Coverage Ratio (%)***	**70.02%**	83.41%

बी/b) वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2013-14

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31-03-2014 की स्थिति के अनुसार खातों में पुनर्संरचना का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31-03-2014																					
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2013	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	22	1	3	0	26	390	181	419	18	1,008	1,26,925	5,831	5,274	474	1,38,504	1,27,337	6,013	5,696	492	1,39,538
		बकाया राशि/AMT O/S	2,470.36	6.77	66.19	0.00	2,543.32	1,349.87	34.66	45.05	0.83	1,430.41	4,368.93	202.05	574.32	6.77	5,152.07	8,189.16	243.48	685.56	7.60	9,125.80
		प्रावधान/PROVISION	218.14	0.00	1.83	0.00	219.97	51.74	1.60	1.31	0.00	54.65	269.28	8.45	11.55	0.00	289.28	539.16	10.05	14.69	0.00	563.90
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	15	0	0	0	15	555	0	0	0	555	29,838	0	0	0	29,838	30,408	0	0	0	30,408
		बकाया राशि/AMT O/S	1,406.22	0.00	0.00	0.00	1,406.22	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88	1,437.22	0.00	0.00	0.00	1,437.22	2,920.32	0.00	0.00	0.00	2,920.32
		प्रावधान/PROVISION	84.57	0.00	0.00	0.00	84.57	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	60.76	0.00	0.00	0.00	60.76	146.49	0.00	0.00	0.00	146.49
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	51	2	5	0	58	166	1	8	0	175	217	3	13	0	233
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.46	0.53	0.00	3.85	7.18	9.01	0.44	0.00	16.63	10.04	9.47	0.97	0.00	20.48
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.02	0.00	0.18	3.10	0.03	0.03	0.00	3.16	3.24	0.05	0.05	0.00	3.34
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया गया।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	1	350	0	0	0	350	16,848	0	0	0	16,848	17,199	0	0	0	17,199
		बकाया राशि/AMT O/S	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	33.87	0.00	0.00	0.00	33.87	383.55	0.00	0.00	0.00	383.55	458.36	0.00	0.00	0.00	458.36
		प्रावधान/PROVISION	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	17.08	0.00	0.00	0.00	17.08
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	3	1	0	4	0	381	4	10	395	0	5,694	68	347	6,109	0	6,078	73	357	6,508
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	152.52	376.02	0.00	528.54	0.00	33.58	0.04	0.33	33.95	0.00	122.35	1.54	3.42	127.31	0.00	308.45	377.60	3.75	689.80
		प्रावधान/PROVISION	0.00	7.63	18.80	0.00	26.43	0.00	1.68	0.00	0.02	1.70	0.00	6.12	0.08	0.17	6.37	0.00	15.42	18.88	0.19	34.49
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2014 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	3	2	0	35	2,024	393	777	173	3,367	1,05,941	6,545	7,571	1,221	1,21,278	1,07,995	6,941	8,350	1,394	1,24,680
		बकाया राशि/AMT O/S	3,254.76	152.96	393.70	0.00	3,801.42	507.12	37.34	49.19	3.07	596.72	6,364.84	144.86	191.96	36.43	6,738.09	10,126.72	335.16	634.85	39.50	11,136.23
		प्रावधान/PROVISION	138.91	1.13	32.71	0.00	172.75	10.88	0.99	2.13	0.00	14.00	288.33	5.10	7.03	0.00	300.35	438.12	7.22	41.87	0.00	487.21

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागु हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।/Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2014 have been shown including these accounts.

सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण के लिए बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(i) No. of accounts	NIL	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	NIL	NIL
(iii) Aggregate consideration	NIL	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	NIL	NIL

डी) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए) खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी) बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. बेची गई खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**654.04**	407.93

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)**	**8.53%**	9.18%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)**	**0.61%**	0.63%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)**	**1.63%**	1.85%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)**	**0.78%**	1.07%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.30**	12.57
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**6.83**	8.11

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

d) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1. No. of Accounts Sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate Consideration Received	NIL	NIL

e) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
Provisions towards Standard Assets	654.04	407.93

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**8.53%**	9.18%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.61%**	0.63%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.63%**	1.85%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**0.78%**	1.07%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crs)**	**14.30**	12.57
(vi)	Profit per Employee **(₹in Lakhs)**	**6.83**	8.11

Note: Working Funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹करोड़ में/₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2014 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	**1,571.30**	**7,498.12**	**3,524.48**	**4,966.18**	**37,106.75**	**36,578.66**	**46,270.06**	**68,543.19**	**4,422.68**	**1,861.88**	**2,12,343.30**
2	अग्रिम/Advances	**5,288.14**	**4,920.65**	**2,603.24**	**5,417.20**	**12,619.71**	**15,666.65**	**16,256.42**	**59,845.13**	**22,327.91**	**28,967.36**	**1,73,912.41**
3	निवेश/Investments	**0.00**	**1,667.36**	**195.96**	**931.59**	**289.39**	**104.52**	**1,212.24**	**5,441.79**	**15,454.69**	**30,241.84**	**55,539.38**
4	उधार/Borrowings	**0.33**	**5,147.91**	**0.00**	**80.00**	**1,314.76**	**1,386.49**	**250.75**	**4,863.19**	**3,963.98**	**2,217.10**	**19,224.51**
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/Foreign Currency Assets	**1,750.85**	**3,951.93**	**1,998.21**	**2,963.85**	**5,801.08**	**7,145.75**	**3,552.03**	**2,178.97**	**2,938.32**	**1,975.30**	**34,256.29**
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities	**762.87**	**4,101.13**	**624.68**	**1,663.46**	**13,587.39**	**5,536.82**	**1,354.38**	**4,493.63**	**3,026.09**	**0.00**	**35,150.45**

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item no 5 & 6 above are included in respective heads in item no 1 to 4 above

10. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**18,938.01**	17,161.16
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**9,939.27**	10,404.60
उपरोक्त से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**9,153.13**	9,281.72
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**7,281.33**	6,064.79
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,717.41**	691.77
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – ए.आवासीय बी.वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**3.082.21**	4,563.45
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**22,020.22**	21,724.61

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**154.61**	175.92
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.12**	0.15
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**1.00**	1.14
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**685.69**	727.49
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**167.23**	157.59
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1,008.65**	1,062.29

10. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31-03-2014	31-03-2013
a) Direct Exposure	**18,938.01**	17,161.16
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**9,939.27**	10,404.60
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**9,153.13**	9,281.72
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**7,281.33**	6,064.79
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,717.41**	691.77
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**3.082.21**	4,563.45
Total Exposure to Real Estate Sector	**22,020.22**	21,724.61

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**154.61**	175.92
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.12**	0.15
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**1.00**	1.14
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**685.69**	727.49
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**167.23**	157.59
Total Exposure to Capital Market	**1,008.65**	1,062.29

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2014 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2014 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2013 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2013 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,378.21**	शून्य	3,481.44	शून्य
कम	**2,843.42**	शून्य	2,000.21	शून्य
मध्यम कम	**28.98**	शून्य	108.13	शून्य
मध्यम	**2.90**	शून्य	4.57	शून्य
मध्यम अधिक	**0.47**	शून्य	1.63	शून्य
उच्च	-	शून्य	25.76	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**13.69**	शून्य	9.74	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**7,267.67**	शून्य	5,631.48	शून्य

नोट: मूल बैंक ने 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश मूल बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित मूल बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है।

डी. मूल बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे: शून्य

ई. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लागू नहीं

11. कर प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

चालू वर्ष के आयकर के लिए डी टी ए/डी टी एल के निवल से नियमित कर आधार पर ₹ (-)69.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-)442.83 करोड़) का प्रावधान किया जाता है जो आयकर परामर्शदाता के राय के आधार पर प्रबंधन वर्ग ने किया है। आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 115 जे बी के अनुसार न्यूनतम एकांतर कर (एम ए टी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू नहीं है।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**73.52**	**361.71**
धन कर का प्रावधान	**1.51**	2.43
मैट क्रेडिट	शून्य	-573.59
डीटीए/डीटीएल	**-142.55**	**-230.95**
कुल	**-67.52**	-440.40

12. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदे तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):**

ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वावधि आय/व्यय मदें नहीं है जिसका एएस 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

ii) **मूल्यह्रास के लिए लेखाकरण (एएस 6):**

प्रत्येक वर्ग के आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यह्रास का पृथक्कीकरण: (₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2014	31.03.2013
परिसर	**33.40**	31.74
फर्नीचर और जुडनार	**46.25**	33.04
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**38.48**	35.88
कुल	**118.13**	100.66

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2014	Provision held as at 31st March, 2014	Exposure (net) as at 31st March, 2013	Provision held as at 31st March, 2013
Insignificant	4,378.21	**NIL**	3,481.44	NIL
Low	2,843.42	**NIL**	2,000.21	NIL
Moderately Low	28.98	**NIL**	108.13	NIL
Moderate	2.90	**NIL**	4.57	NIL
Moderately High	0.47	**NIL**	1.63	NIL
High	-	**NIL**	25.76	NIL
Very High / Restricted	13.69	**NIL**	9.74	NIL
Off-Credit	0.00	**NIL**	0.00	NIL
Total	**7,267.67**	**NIL**	5,631.48	**NIL**

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2014 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	NIL
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

11. TAX PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Provision for Income Tax for the current year of ₹ (-) 69.03 Crores (Previous Year ₹ (-) 442.83 Crores) is made net of DTA / DTL on the basis of Regular Tax, as in the opinion of the Management, based on the opinion of Tax Consultant, Minimum Alternate Tax (MAT) in accordance with Section 115JB of the Income Tax Act, 1961 is not applicable to the public sector banks.

b) Amount of provisions made for tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
Provision for Income Tax (including London Branch)	**73.52**	**361.71**
Provision for Wealth Tax	**1.51**	**2.43**
MAT Credit	**NIL**	**-573.59**
DTA / DTL	**-142.55**	**-230.95**
Total	**-67.52**	-440.40

12. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) **Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):**

There were no material prior period income / expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

ii) **Accounting for Depreciation (AS 6):**

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31-03-2014	31-03-2013
Premises	**33.40**	31.74
Furniture and Fixtures	**46.25**	33.04
Computer Software	**38.48**	35.88
TOTAL	**118.13**	100.66

iii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, में दिए गए महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iv) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के निवल लाभ में, विनिमय दर में अंतर के कारण फॉरेक्स आस्ति और देयता के मूल्यांकन में हुए ₹43.76 करोड़ की हानि (पिछले वर्ष ₹19.54 करोड़ की हानि) शामिल है।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक ने 2010-11 से कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया । तदनुसार, मूल बैंक ने ₹145.38 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है और बाकी बची राशि ₹145.38 करोड़ को अनुवर्ती वर्षों में आमेलित किया जाएगा ।

1 नवंबर, 2012 से प्रभावी वेतन परिशोधन की संभावना को देखते हुए मूल बैंक ने चालू वर्ष के दौरान ₹240 करोड़ का प्रावधान किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

1. तुलन-पत्र की मुख्य बीमांकिक अनुमान

(₹करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	निधिक उपधान	छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%
प्रत्याशित वेतन की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.50%	8.50%	0.00%

2. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान

(₹करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) 01.04.2013 को पी वी ओ	**4,550.04**	**1,030.84**	**325.35**
बी) जोडें: ब्याज लागत	366.94	80.48	26.48
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	572.10	42.10	20.01
डी) घटाएं : प्रदत लाभ	466.09	168.14	27.75
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(-)	25.84	33.56	78.57
एफ) 31.03.2014 को पी वी ओ	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

3. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) दि. 01-04-2013 को योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**4,310.48**	**1,019.55**
बी) जोडें: योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	366.39	86.67
सी) जोडें: अंशदान	500.60	52.02
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	466.09	168.14
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	33.97	4.40
एफ) 31-03-2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4,745.35**	**994.50**

iii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy no. 8, given in schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes a loss of ₹43.76 Crores (₹19.54 Crores Loss for the previous year) being the loss booked for the difference in exchange rate on valuation of Forex Assets and Liabilities.

b) In terms of regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

In accordance with the RBI guidelines, the Parent Bank has amortised 1/5th (₹145.38 Crores) of the enhanced liability of ₹726.90 Crores from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Parent Bank has charged ₹145.38 Crores to the current year Profit and Loss Account and the balance amount of ₹145.38 Crores will be absorbed in future years.

Pending finalisation of wage revision with effect from November 1, 2012, Parent Bank has made provision of ₹240 Crores during the current year on estimated basis.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

1. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.50%	8.50%	0.00%

2. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at 01.04.2013	**4,550.04**	**1,030.84**	**325.35**
b) Add: Interest Cost	366.94	80.48	26.48
c) Add: Current Service Cost	572.10	42.10	20.01
d) Less: Benefits Paid	466.09	168.14	27.75
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	25.84	33.56	78.57
f) PVO as at 31-03-2014	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

3. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets as on 01-04-2013	**4,310.48**	**1,019.55**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	366.39	86.67
c) Add: Contributions	500.60	52.02
d) Less: Benefits Paid	466.09	168.14
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	33.97	4.40
f) Fair Value of Plan Assets as on 31-03-2014	**4,745.35**	**994.50**

4. तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	5,048.83	1,018.84
बी) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,745.35	994.50
सी) अंतर	303.48	24.34
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	135.00	10.38
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	**168.48**	**13.96**

4. Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5,048.83	1,018.84
b) Fair value of plan assets at the end of the year	4,745.35	994.50
c) Net	303.48	24.34
d) Unrecognised transitional liability	135.00	10.38
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	**168.48**	**13.96**

5. लाभ एवं हानि खाते में पहचानी गई व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	572.10	42.10	20.01
बी) ब्याज लागत	366.95	80.48	26.48
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	366.39	86.67	0
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-)	-8.13	29.16	78.57
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**564.53**	**65.07**	**125.06**

5. Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	572.10	42.10	20.01
b) Interest Cost	366.95	80.48	26.48
c) Less: Expected Return on Plan Assets	366.39	86.67	0
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	-8.13	29.16	78.57
Expenses Recognised in P&L Account	**564.53**	**65.07**	**125.06**

6. तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	239.56	11.29	0
लाभ एवं हानि में पहचाने गए व्यय	565.53	65.07	125.06
दिए गए अंशदान	500.60	52.02	0
अंतिम निवल देयता	303.48	24.34	125.06
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

6. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	239.56	11.29	0
Expenses recognised in P&L Account	565.53	65.07	125.06
Contributions Paid	500.60	52.02	0
Closing Net Liability	303.48	24.34	125.06
Closing Fund/Provision at the end of year	**5,048.83**	**1,018.84**	**422.66**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग क: कारोबार खंड/Part A: Business Segments

(₹करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	***4241***	***3649***	***10270***	***10068***	***4935***	***4165***	***642***	***614***	***20088***	***18496***
परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit)	536	683	2051	1863	844	771	276	335	3707	3652
अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1920	1886
परिचालन लाभ/Operating Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3707	3652
आय कर/Income Tax	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-68	-440
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	–	–
शुद्ध लाभ/Net Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1855	2206
अन्य सूचना/Other Information	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	55539	45648	121989	102282	51924	45286	20935	20468	250387	213684
अनांबटित आस्तियां/Unallocated Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2582	2759
कुल आस्तियां/Total Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	252969	216443
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	53238	43702	116934	97924	49772	43356	20067	19594	240011	204576
अनांबटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	240011	204576

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year/

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	19,340	17,868	748	628	20,088	18,496
आस्तियां	2,18,596	1,92,379	34,373	24,064	2,52,969	2,16,443

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	पदनाम	अवधी
श्री म. गि. संघवी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 30.06.2013 तक
श्री एस. के. जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 08.07.2013 से
श्री एम. आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 24.08.2011 से
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 31.08.2013 तक
श्री टी. के. श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 01.09.2013 से

बी) संगत पार्टी लेन-देन (₹ लाखों में)

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	31.03.2014	31.03.2013
वेतन और भत्ते	61.98	52.97

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है । इसके अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	1855,07,61	2006,39,60
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	60,67,86,954	60,19,49,955
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (ग = ए/बी)	30.57	36.65
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

ix) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए, एएस 21 और मूल बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है ।

x) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22)

मूल बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है । 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ 140.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹268.16 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31.03.2014	31.03.2013
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	143.67	105.58
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	316.24	261.97
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	342.29	234.51
अन्य	82.76	69.21
कुल	**884.96**	**671.27**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31.03.2014	31.03.2013
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(-)7.68	3.08
प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याहास	0.00	109.30
प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है	386.76	290.73
वर्ष के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	95.17	शून्य
पिछले वर्षों के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	270.28	शून्य
कुल	**744.53**	**403.11**
निवल डी.टी.ए.	**140.43**	**268.16**

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	19,340	17,868	748	628	20,088	18,496
Assets	2,18,596	1,92,379	34,373	24,064	2,52,969	2,16,443

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel:

Key Management Personnel	Designation	Period
Sri. M.G. Sanghvi	Chairman and Managing Director	Up to 30-06-2013
Sri. S. K. Jain	Chairman and Managing Director	From 08-07-2013
Sri. M. Anjaneya Prasad	Executive Director	From 24-08-2011
Sri. Ravi Chatterjee	Executive Director	Up to 31-08-2013
Sri. T. K. Srivastava	Executive Director	From 01-09-2013

(B) Related Party Transactions (₹ in Lakhs)

Key Management Personnel	31-03-2014	31-03-2013
Salary and Allowances	61.98	52.97

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 - of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	1855,07,61	2006,39,60
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	60,67,86,954	60,19,49,955
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	30.57	36.65
Face Value Per Share (₹)	10.00	10.00

ix) Consolidated Financial Statements (AS 21):

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2014 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Parent Bank, M/s. Syndbank Services Limited.

x) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Parent Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of DTA/DTL as on March 31, 2014 amounting to ₹140.43 Crores (P.Y. ₹268.16 Crores) consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2014	31-03-2013
Provision for Leave Encashment	143.67	105.58
Provision for Standard Assets	316.24	261.97
Provision for Restructured Assets	342.29	234.51
Others	82.76	69.21
Total	**884.96**	**671.27**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31-03-2014	31-03-2013
Depreciation on Fixed Assets	(-)7.68	3.08
Depreciation on valuation of securities	0.00	109.30
Interest accrued but not due on securities	386.76	290.73
Special Reserve u/s 36(1)(viii) for the year	95.17	NIL
Special Reserve u/s 36(1)(viii) previous years	270.28	NIL
Total	**744.53**	**403.11**
Net DTA	**140.43**	**268.16**

मूल बैंक ने कर परिकलन में बाजार की स्थितियों पर अंकित निवेश पर हानि के लिए सृजित ₹109.30 करोड़ की आस्थगित कर देयता का प्रत्यावर्तन किया है और उसे चालू वर्ष में मान्यता नहीं दिया है और मूल बैंक की राय में लेखा बहियों और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आनेवाले अंतर स्थायी रूप के हैं । उपर्युक्त विषय में सनदी लेखाकारों की संस्था के सुविक्ष सलाहकार परिषद् के राय के अनुसार इस विषय के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु इसे भारतीय बैंक संघ को अग्रेषित किया गया है ।

विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता का उपचार

भा.रि. बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के खंड 36(1)(viii) के अंतर्गत 31.03.2013 की बकाया राशि पर सीधे राजस्व आरक्षण के जरिए विशेष आरक्षित निधियों पर ₹270.28 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन किया गया है ।

चालू वर्ष में, आयकर अधिनियम 1961 के खंड 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर ₹280 करोड़ की राशि को अंतरित किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में नामे डालते हुए ₹95.17 करोड़ की राशि को आस्थगित कर देयता के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

xi) **समेकित वित्तीय विवरणों (एएस 23) में सहायक संस्थाओं के निवेश का लेखाकरण:**

लेखाकरण मानक (एएस 23) के अनुपालन में दि. 31.03.2013 एवं 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, मूल बैंक ने ईक्विटी विधि द्वारा सहयोगी संस्थाओं के दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2014 के वर्षांत तक सहयोगियों के निवेशों में परिणामी अधिमूल्यन को 'समेकन पर आरक्षित पूंजी' के रूप में अलग से दर्शाया गया है तथा दि. 31.03.2014 के वर्षांत के लिए सहयोगियों के परिचालन परिणामों के बैंक का हिस्सा लाभ एवं हानि लेखे के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

xii) **अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):**

मूल बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डीबीएस.एआरएस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है ।

xiii) **आस्तियों की हानि (ए एस 28):**

मूल बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार मूल बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xiv) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)**

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोड़कर) (₹करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	12.47	6.32
वर्ष के दौरान उपलब्ध	1.95	6.15
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
अंतिम शेष	14.42	12.47
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखापरीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

13. अन्य प्रकटीकरण

ए) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹करोड़ में)

विवरण	31-03-2014	31-03-2013
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**202.83**	**- 7.69**
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**989.88**	**1135.44**
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**-67.52**	**- 440.40**
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**726.83**	**758.43**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**33.44**	255.71
पुनर्सरचित खातों के लिए प्रावधान	**271.42**	181.37
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**240.00**	100.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	**97.32**	81.37
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**35.47**	47.63
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**33.00**	4.41
पेंशन के लिए प्रावधान	**0.00**	74.00
उपदान के लिए प्रावधान	**0.00**	17.00
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**- 3.82**	(23.06)
कुल	**1852.02**	**1,445.78**

The Parent Bank has reversed Deferred Tax Liability of ₹109.30 Crores created on claim of marked to market loss of investments in tax computation and has also not recognized the same in the current year, as in the Parent Bank's opinion, the difference arising out of the treatment as per books and the Income Tax Act, 1961 is a permanent difference. Pursuant to the Opinion of the Expert Advisory Council of the Institute of Chartered Accountants of India on the subject, the matter is being referred to the Indian Banks Association for their guidance on the matter.

Treatment of Deferred Tax Liability on Special Reserve:

Pursuant to RBI Circular No. DBOD NO. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, Deferred Tax Liability of ₹270.28 Crores on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 has been created directly through Revenue Reserve on the amount outstanding as at 31-03-2013 by Parent Bank.

During the current year, ₹280 Crores have been transferred to Special Reserve under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 and Deferred Tax liability of ₹95.17 Crores has been provided on the same by debiting to the Profit and Loss account.

xi) **Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements(AS 23):**

In compliance with Accounting Standard (AS-23), the Parent Bank has valued long term investments in associates as at 31.03.2013 and 31.03.2014 under equity method and resultant appreciation in investments of associates up to the year March 31, 2014 has been separately reflected as 'Capital Reserve on consolidation' and for the Bank's share of the results of operation of the associates for the year ended 31.03.2014 is reflected separately in the consolidated statements of the profit and loss account.

xii) **Interim Financial Reporting *(AS 25):***

The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. ARS.No.BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xiii) **Impairment of Assets (AS 28):**

In the opinion of the Management of the Parent Bank, there is no impairment of assets of the Parent Bank.

xiv) **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):**

Movement of provisions (excluding provisions for other) (₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	12.47	6.32
Provided during the year	1.95	6.15
Amount used during the year	-	-
Closing Balance	14.42	12.47
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

13. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies: (₹in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
Provision for depreciation on investment	**202.83**	**- 7.69**
Provision towards NPA	**989.88**	**1135.44**
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (net of adjustments)	**-67.52**	**- 440.40**
Other provisions and contingencies	**726.83**	**758.43**
Provision towards Standard Assets	**33.44**	255.71
Provision for Restructured Accounts	**271.42**	181.37
Provision for Wage Revision	**240.00**	100.00
Provision for PL Encashment	**97.32**	81.37
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**35.47**	47.63
Provision for Cenvat Reversal	**33.00**	4.41
Provisions for Pension	**0.00**	74.00
Provision for Gratuity	**0.00**	17.00
Other Provisions and Contingencies	**- 3.82**	(23.06)
Total	**1852.02**	**1,445.78**

बी) अस्थायी प्रावधान के संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	306.63	306.63
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	शून्य	शून्य
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	102.21	शून्य
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	204.42	306.63

भातीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आर.बी.आई./2013-14/485/डीबीओडी सं. बीपी. 95/21.04.048/2013-14 दिनांक 07.02.2014 के जरिए दी गई अनुमति के अनुसार और बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अस्थायी प्रावधान/अनुत्पादक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधान के प्राप्ति प्रतिकरण आवर्ती प्रावधानों से ₹102.21 करोड़ राशि का उपयोग किया है ।

सी) वर्ष के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (पिछले वर्ष कुछ नहीं) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है ।

डी) आरक्षित निधियों से आहरण: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2014	31.03.2013	
1.	विशेष आरक्षित निधियाँ	270.28	–	आस्थगित कर देयता का सृजन के लिए
		66.62	–	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत पहले की वर्षों के लिए विशेष आरक्षित निधियों में हुई कमी के लिए प्रावधान
2.	निवेश के लिए आरक्षित निधियाँ	12	–	निवेश पर मूल्यहास के लिए राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में जमा हेतु

ई) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	130	142
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	4,522	2802
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	4,416	2814
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	236	130

एफ) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	44	42
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	616	569
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	619	567
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	41	44

जी) मूल बैंक के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	16	19
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	16	19
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0

b) Movement of Floating Provision (₹ in crores)

Particulars	31-03-2014	31-03-2013
(a) Opening Balance in the floating provision account	306.63	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	102.21	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	204.42	306.63

As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no. RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07-02-2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Parent Bank has during the year utilised a sum of ₹102.21 Crores from Floating Provisions / Counter Cyclical Provisioning buffer towards specific provision for Non Performing Assets.

c) During the year no penalty was imposed by RBI on the Parent Bank under section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

d) Draw down from Reserves:

(₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31/03/2014	31/03/2013	
1.	Special Reserve	270.28	–	To create Deferred Tax Liability
		66.62	–	Provided for short fall in Special reserve for earlier years under section 36 (i) (viii) of Income Tax Act, 1961
2.	Investment Reserve	12	–	To Credit to Revenue and Other Reserves on Depreciation on Investments

e) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	130	142
2	No. of complaints received during the year	4,522	2802
3	No. of complaints redressed during the year	4,416	2814
4	No. of complaints pending at the end of the year	236	130

f) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1	Complaints Pending at the beginning of the year	44	42
2	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	616	569
3	Cases Disposed during the year	619	567
4	Cases pending at the end of the year	41	44

g) Awards passed against the Parent Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	16	19
3	No. of awards implemented during the year	16	19
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

एच) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	395	1,061
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	22,027	33,810
3.	वर्ष के दौरान दूर किए गए शिकायतों की संख्या	22,062	34,476
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	360	395

आई) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी समुद्रपारीय शाखा लंदन के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

मूल बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

मूल बैंक के राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने निदेशक मंडल/के अनुमोदन से यू.एस. डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और दि. 31.12.2014 तक वैध यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (पिछले वर्ष यूएसडी 100.00 मिलियन) जारी किया ।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2013 को ₹16.94 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं । (पिछला वर्ष ₹27.31 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करने है तो क्रेता को चुकौती आश्वासन पत्र पर करने शाखाओं द्वारा विभिन्न विदेशी बैंको और विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹1,573.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,743.12 करोड़) है ।

दि. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार हमारी मूल बैंक की शाखाओं द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹1,590.72 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹1,770.13 करोड़)

चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए चुकौती आश्वासन पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

जे) बैंकाश्योरेन्स कारोबार

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त कुल आय ₹1,054.95 लाख है जो पिछले वर्ष ₹565.09 लाख था । इसमें ₹486.78 लाख (पि.व. ₹497.99 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹568.17 लाख (पि.व. ₹67.10 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है ।

के) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार, अनर्जक आस्थियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	26,539.08	29245.21
मूल बेंक के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	12.50%	15.78%

h) **Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction**

Sl. No.	Particulars	31-03-2014	31-03-2013
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	395	1,061
2	No. of complaints received during the year	22,027	33,810
3	No. of complaints redressed during the year	22,062	34,476
4	No. of complaints pending at the end of the year	360	395

i) **Letters of comfort issued by the Bank**

(a) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at London by International Division, Mumbai and Branches.**

The Parent Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA, U.K.

Treasury and International Banking Division; Mumbai issued Letters of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a Letter of Commitment amounting to USD 100.00 Mio valid upto 31-12-2014 (Previous Year USD 100.00 Mio) with the approval from the Board of Directors of the Parent Bank.

(b) **Letters of Comfort issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:**

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank; London Branch for providing Buyers Credit, to the extent of ₹16.94 Crores as on 31-03-2014 . (Previous Year ₹27.31 Crores).

Amount of Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers' credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹1,573.77 Crores as on 31-03-2014 (Previous Year ₹1,743.12 Crores).

The outstanding gross amount of Letters of Comfort issued by Parent Banks' Branches as on 31-03-2014 stands at ₹1,590.72 Crores (Previous Year ₹1,770.43 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account.

J) **Bancassurance Business**

The total income from the Bancassurance Business during the year 2013 - 14 is ₹1,054.95 Lakhs as against ₹ 565.09 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹ 486.78 Lakhs (PY ₹ 497.99 Lakhs) from Life Insurance business and ₹ 568.17 Lakhs (₹ 67.10 Lakhs) from Non Life Insurance business.

k) **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.**

A. **CONCENTRATION OF DEPOSITS**

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Deposits of twenty largest depositors	26,539.08	29245.21
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Bank	12.50%	15.78%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	29,572.74	23,257.50
मूल बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	17.00%	15.76%

सी) निवेश का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2014	31-03-2013
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण	32,169.17	23,729.56
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर मूल बैंक द्वारा किए गए कुल निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर निवेश की प्रतिशतता	18.50%	16.08%

डी) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	811.03	634.19

एल) क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	3.67%	4.67%
2.	उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	4.73%	2.13%
3.	सेवाएं	2.37%	5.10%
4.	वैयक्तिक ऋण	2.97%	4.54%

एम) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	2978.50	3,182.70
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	3695.11	2,142.04
उप-जोड (ए)	**6673.61**	**5,324.74**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	233.10	318.50
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	804.79	730.44
iii) अपलेखन (पी डब्ल्यू ओ सहित)	1024.59	1,297.30
उप-जोड़ (बी)	**2062.48**	**2,346.24**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**4611.13**	**2,978.50**

एन) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल आस्तियां	34,528.06	26,319.10
कुल अनर्जक आस्तियां	347.17	162.62
कुल एनपीआई	1.11	12.22
कुल राजस्व	747.76	627.78

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31/03/2014	31/03/2013
Total Advances to twenty largest borrowers	29,572.74	23,257.50
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Bank	17.00%	15.76%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	32,169.17	23,729.56
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Parent Bank on borrowers / customers	18.50%	16.08%

D. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31/03/2014	31/03/2013
Total Exposure to top four NPA accounts	811.03	634.19

l) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		31/03/2014	31/03/2013
1	Agriculture and allied activities	3.67%	4.67%
2	Industry (Micro and Small, Medium and Large)	4.73%	2.13%
3	Services	2.37%	5.10%
4	Personal Loans	2.97%	4.54%

m) Movement of NPAs (₹ in crores)

PARTICULARS	31/03/2014	31/03/2013
Gross NPAs at the beginning of the year	2978.50	3,182.70
Additions (Fresh NPAs) during the year	3695.11	2,142.04
Sub Total (A)	**6673.61**	**5,324.74**
Less:		
(i) Up gradations	233.10	318.50
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	804.79	730.44
(iii) Write-offs (including PWO)	1024.59	1,297.30
Sub Total (B)	**2062.48**	**2,346.24**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**4611.13**	**2,978.50**

n) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31/03/2014	31/03/2013
Total Assets	34,528.06	26,319.10
Total NPAs	347.17	162.62
Total NPIs	1.11	12.22
Total Revenue	747.76	627.78

ओ) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

पी) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि मूल बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

क्यू) **अचल आस्तियाँ**

मूल बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल बैंक के पास हैं।

वर्ष 2011-12 (पिछला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया है) के दौरान, मूल बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹29.38 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

आर) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

एस) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

o) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

p) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Parent Bank has not sponsored any SPVs.

q) **Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Parent Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The Parent bank owned premises have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. Additional depreciation for the year aggregating to ₹ 29.38 Crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

r) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

s) **Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची – 19: अर्जित अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/
SCHEDULE – 19: SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजारों में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2014 को	Year ended दि. 31.03.2013 को
I. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andra Pragathi Gramina Bank	**61 63 13**	65 20 73
II. गुड़गांव ग्रामीण बैंक/Gurgaon Gramin Bank	**0**	33 65 20
III. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक / Karnataka Vikas Grameen Bank	**49 15 04**	68 73 46
IV. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक/North Malabar Gramin Bank	**0**	5 28 35
V. प्रथमा बैंक/Prathama Bank	**31 73 69**	27 80 74
योग/TOTAL	**142 51 86**	200 68 48

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**18620 32 52**	17120 68 80
	अन्य आय/Other Income	**1324 87 83**	1174 40 53
	घटाइए/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**12694 10 69**	11347 56 08
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**5127 92 76**	5066 27 73
	आय पर कर/Taxes on income	**-68 05 12**	-440 40 00
	जोड़िए/Add:		
	मूल्यह्रास/Depreciation charged during the year	**118 14 65**	100 66 51
I.	**परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** ***(Prior to changes in operating Assets & Liabilities)***	**2309 36 67**	2422 32 03
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/*Increase/(Decrease) in Liabilities:*		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customers and Banks	**26986 14 63**	27413 81 68
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks and Other Institutions	**6535 71 76**	1223 88 91
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	**2290 93 97**	1309 18 89
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/*Decrease/(Increase) in Assets*		
	अग्रिम/Advances	**-26343 38 98**	-23948 84 07
	निवेश/Investments	**-9891 72 22**	-4832 59 72
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**-2316 49 56**	-1090 57 73
		-2738 80 40	74 87 96
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**-429 43 73**	2497 19 99
	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**-173 08 14**	-209 86 56
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	**-9 17 24**	-2 83 66
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**-182 25 38**	-212 70 22
	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	पूंजी जारी करना/Issue of Capital	**199 99 99**	0
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**-654 53 44**	-265 84 86
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	**-125 00 00**	1000 00 00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**-385 89 44**	-318 67 12
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**-965 42 89**	415 48 02
	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) नकदी **उपलब्धता** में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**-1577 12 00**	2699 97 79

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014		31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with the R.B.I.	**8095 31 40**		8808 62 77	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**8488 93 22**	**16584 24 62**	5075 64 06	13884 26 83
II.	**वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
	भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with the R.B.I.	**12711 99 20**		8095 31 40	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**2295 13 42**	**15007 12 62**	8488 93 22	16584 24 62
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**-1577 12 00**		2699 97 79
	नकदी **उपलब्धता** में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महा प्रबंधक/ GENERAL MANAGER

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

एम आंजनेय प्रसाद/M ANJANEYA PRASAD
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

सुधीर कुमार जैन/SUDHIR KUMAR JAIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2014. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते चंडोक एंड गुलियानी
सनदी लेखाकार
For **Chandiok & Guliani**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001199एन/N

(बी बी कालिया/B B Kalia)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 085772

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

(कुणाल शर्मा/Kunal Sharma)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

(विवेक शाह/Vivek S Shah)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 112269

कृते शंभु एन डे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Sambhu N De & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 307055ई/E

(एस एन मित्रा/S N Mittra)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 011678

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001084एन/N

(के एन गोयल/K N Goyal)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 011939

स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

दिनांक/Date : 07.05.2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में **सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड** के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने **सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड** की संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं तत्कालीन समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र जिम्मेदार है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 (नियम) की धारा 211 की उप धारा 3 (सी) में दिए गए लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही विवरण देना है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित अभिकल्पना, क्रियान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल है जिससे कंपनी के बारे में, या तो गलती या धोखाधड़ी के कारण भौतिक विषयवस्तु से संबंधित गलत विवरण से मुक्त सही एवं स्पष्ट चित्रण मिलता है।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय को प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं जिससे पर्याप्त आश्वासन मिलें कि वित्तीय विवरणियां विषयवस्तु संबंधी अयथार्थ विवरणी नहीं है।

4. लेखा परीक्षा में अनुपालन प्रक्रियाएं हैं ताकि वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं अन्य प्रकटीकरण के बारे में लेखा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय के अनुसार होती हैं जिसमें या तो गलती या धोखाधडी से वित्तीय विवरणियों में भौतिक विषयवस्तु संबंधी गलती का निर्धारण करना भी शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों को करते समय, लेखा-परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं इसका स्पष्ट रूप से प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर उसकी प्रभावशीलता के संबंध में अपनी राय व्यक्त नहीं करते बल्कि आंतरिक नियंत्रण की प्रासंगिकता के संबंध में विचार करते हैं ताकि वे ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकें जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार समुचित है। लेखा-परीक्षा में, कंपनी द्वारा प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलन के औचित्य का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा संबंधी साक्ष्य हमारी लेखा संबंधी राय के लिए पर्याप्त हैं और उचित भी हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of **SYNDBANK SERVICES LTD.**

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of **SYNDBANK SERVICES LTD.**, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014 and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

राय

6. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए विवरणों के अनुसार, वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं दे रही हैं और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्रण दर्शा रही हैं।
   ए) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 के अनुसार कंपनी का कार्यसंचालन
   बी) लाभ एवं हानि लेखों के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ
   सी) नकदी प्रवाह विवरण, के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. भारत के कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (''आदेश'') के आधार पर हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।
8. अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि
   ए) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।
   बी) कंपनी की लेखा बहियों की जाँच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत रख रखाव किया है।
   सी) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के साथ मेल खाता है।
   डी) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
   ई) दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।
   एफ) चूँकि, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत प्रदत्त की जानेवाली उपकर की दर के बारे में किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की है तथा कथित धारा के अंतर्गत उपकर प्रदत्त करने की विधि के बारे में भी किसी प्रकार की नीति जारी नहीं की है, कंपनी द्वारा कोई भी उपकर प्राप्य और देय नहीं है।

कृते **मेसर्स नायक एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 007580S)

ह /-
सी.ए. नरसिंह नायक
(मालिक)
(सदस्यता सं. 205543)

स्थान : उडुपि
दिनांक : 28.04.2014

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014;
   b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
   c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
8. As required by section 227(3) of the Act, we report that:
   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
   b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
   c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
   d) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.
   e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2014, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2014, from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.
   f) Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.

For **M/s Nayak and Associates**
Chartered Accountants
(FRN: 007580S)

Sd/-
C.A. Narasimha Nayak
(Proprietor)
(Membership No. 205543)

Place: Udupi
Date : 28.04.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों से संबंधित उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुबंध 7 के संदर्भ में

हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान उचित जाँच के आधार पर जिसे हम सही मानते हैं और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

1. ए) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।

   बी) जैसा कि हमें बताया गया, अचल आस्तियों की भौतिक जाँच उचित समयांतरालों पर प्रबंधन द्वारा की जाती है और जाँचों के दौरान कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

   सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी अचल आस्ति का निपटान नहीं किया गया और अतएव चालू मामलों की धारणाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. ए) जैसा कि हमें बताया गया, कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुछेद 4(ii) (ए) से (सी) लागू नहीं होता।

3. ए) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और खाता-बहियों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती/परिणामस्वरूप, ऑर्डर के खंड (iii) (बी), iii (सी) और iii (डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

   बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस प्रकार उपखंड (एफ) एवं (जी) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पायी है।

5. ए) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो, अतएव लेन-देन के औचित्य की जरूरत नहीं है।

The Annexure referred to in paragraph 7 of the Our Report of even date to the members of SYNDBANK SERVICES LTD. on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2014.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us during the course of our audit, we report that:

1. a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.

   b) As explained to us, fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; no material discrepancies were noticed on such verification.

   c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, no fixed asset has been disposed during the year and therefore does not affect the going concern assumption.

2. a) As explained to us, the Company does not have any Inventory and hence paragraphs 4 (ii) (a) to (c) of the order are not applicable to the company.

3. a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Consequently, the provisions of clauses iii (b), iii (c) and iii (d) of the order are not applicable to the Company.

   b) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured from any Company, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Thus sub clauses (f) & (g) are not applicable to the company.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchase of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.

5. a) Based on the audit procedures applied by us and according to the information and explanations provided by the management, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuant of section 301 of the Act, therefore requirement of reasonableness of transactions does not arises.

6. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए अधिनियम की धारा 58ए और 58एए के उपबंध एवं उसके अंतर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

7. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आंतरिक लेखा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।

8. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के परिचालन के संबंध में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है। अतएव, कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

9. ए) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, सेवाकर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उच्च प्राधिकारियों के पास सामान्यत: नियमित रूप से निक्षेपित की है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक कोई सांविधिक बकाया देय नहीं था जो देय निधि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए हो।

   बी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, सेवाकर और उपकर की कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से निक्षेपित नहीं किया गया हो।

10. कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा-परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

11. हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किए हैं।

13. कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों और अन्य निवेशों में लेन-देन

6. As per information & explanations given by the management, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of section 58A and 58AA of the Act, and rules there under are not applicable to the company.

7. As per information & explanations given by the management, the Company has an internal audit system commensurate with its size and the nature of its business.

8. As per information & explanation given by the management, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

9. a) According to the information and explanations given to us and according to the records of the company, undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Service-tax, Cess to the extent applicable and any other statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us there were no outstanding statutory dues as on 31st of March, 2014 for a period of more than six months from the date they became payable.

   b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of income-tax, service-tax and Cess to the extent applicable which have not been deposited on account of any disputes.

10. The Company does not have any accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.

11. Based on our audit procedures and on the information and explanations given by the management, we are of the opinion that, the Company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution, bank or debenture holders.

12. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

13. The Company is not a chit fund or a nidhi /mutual benefit fund/society. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

14. According to information and explanations given to us, the Company is not dealing in Shares,

नहीं कर रही है। इसलिए कंपनी (लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और 31 मार्च, 2014 के कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।

18. की गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा-परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

21. की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

कृते **मेसर्स नायक एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 007580S)

ह/-
सी.ए. नरसिंह नायक
(मालिक)
(सदस्यता सं. 205543)

स्थान : उडुपि
दिनांक : 28.04.2014

Securities, Debentures, Mutual funds & other Investments. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees for loan taken by others from a bank or financial institution.

16. Based on our audit procedures and on the information given by the management, we report that the company has not raised any term loans during the year.

17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company as at 31st March, 2014, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment by the Company.

18. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us by the management, we report that the Company has not made any preferential allotment of shares during the year.

19. According to the information and explanations given to us the Company has not issued any secured debentures during the period under audit. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

20. The Company has not raised any money by public issue during the year.

21. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

For **M/s Nayak and Associates**
Chartered Accountants
(FRN: 007580S)

Sd/-
C.A. Narasimha Nayak
(Proprietor)
(Membership No. 205543)

Place: Udupi
Date : 28.04.2014

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

31 मार्च, 2014 का तुलन–पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2014 को	As at दि. 31.03.2013 को
I **इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES**			
1 **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
ए /a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**62,192,048**	51,195,293
2 **आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		**–**	–
3 **गैर चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**1,248,235**	945,526
4 **चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**1,626,095**	1,087,280
डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**424,482**	299,328
कुल/TOTAL		**67,990,860**	56,027,427
II **आस्तियां/ASSETS**			
1. **गैर–चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
ए /a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**771,310**	305,371
(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets			-
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress			-
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under-Development			-
बी/ b) गैर–चालू निवेश/Non-Current Investments			
सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**544,096**	418,879
डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**28,900**	28,900
ई/e) अन्य गैर–चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2. **चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
ए /a) चालू निवेश/Current Investments			
बी/ b) माल सूची/Inventories			
सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	**2,255,619**	3,394,727
डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**62,273,931**	49,886,209
ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**615,793**	697,315
एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**1,501,211**	1,296,026
कुल/TOTAL		**67,990,860**	56,027,427
लेखा संबंधी टिप्पणियां/**Notes on Accounts**	2		
इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस. के. जैन/S. K. Jain)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा /Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
FOR NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 28.04.2014
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2014

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	2013-14	2012-13
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**27,865,048**	29,433,091
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**5,056,483**	3,990,801
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**32,921,531**	33,423,892
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**5,859,233**	5,044,359
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**10,664,429**	9,258,058
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**119,645**	57,750
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**16,643,306**	14,360,167
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		**16,278,225**	19,063,725
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**5,406,687**	6,285,010
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(125,217)**	(114,979)
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**10,996,754**	12,893,695
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**43.99**	51.57
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस. के. जैन/S. K. Jain)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा /Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 28.04.2014
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
FOR NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2014 को	As at दि. 31.03.2013 को
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000
नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**8,535,367**	7,245,997
जोडिए: लाभ व हानि लेखा विवरण में शेष अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement of Profit and Loss Account	**1,099,675**	1,289,370
इतिशेष/Closing Balance	**9,635,042**	8,535,367
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**42,659,926**	31,055,600
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**10,996,755**	12,893,695
घटाइए/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**1,099,675**	1,289,369
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**52,557,006**	42,659,926
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**1,248,235**	945,526
कुल/Total	**1,248,235**	945,526
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
क.भ.नि. प्रबंधक वर्ग का अंशदान/Mgmt. cont. PF	**229,252**	
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses	**1,024,403**	966,027
देय आय कर/Income Tax Payable	**225,000**	
देय स्रोत पर कर की कटौती/TDS Payable	**146,040**	120,053
देय व्यावसायिक कर/Professional Tax Payable	**1,400**	1,200
कुल/Total	**1,626,095**	1,087,280

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2014 को	As at दि. 31.03.2013 को
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**424,482**	299,328
कुल/Total	**424,482**	299,328
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
किराया जमा/Rent Deposits	**27,900**	27,900
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,000**	1,000
कुल/Total	**28,900**	28,900
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेट बैंक/Syndicate Bank	**2,255,619**	3,311,197
अन्य/Others	**0**	83,530
कुल/Total	**2,255,619**	3,394,727
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**61,100,000**	48,500,000
चालू खाते में–सिंडिकेट बैंक/In Current A/c – Syndicate Bank	**1,173,931**	1,386,209
कुल/Total	**62,273,931**	49,886,209
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance	**188,300**	69,480
पूर्वदत्त एएमसी प्रभार/Prepaid AMC Charges	–	–
अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS	**427,493**	627,835
कुल/Total	**615,793**	697,315
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**1,224,313**	898,098
प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable	**276,898**	397,928
कुल/Total	**1,501,211**	1,296,026

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं/Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2013 को शेष राशि Balance as on 01.04.2013	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2014 को शेष राशि Balance as on 31.03.2014**	दि. 01.04.2013 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2013	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	दि. 31.03.2014 को शेष राशि Balance as on 31.03.2014	दि. 31.03.2013 को मूल्यहसित मूल्य WDV as on 31.03.2013	**दि. 31.03.2014 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2014**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:											
फर्नीचर/Furniture	87,214	–		**87,214**	62,819	18.10%	4,415		67,234	24,395	**19,980**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	–		**24,450**	16,389	13.91%	1,121		17,510	8,061	**6,940**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	833,609			**833,609**	633,011	40.00%	80,239		713,250	200,598	**120,359**
मोबाइल फोन Mobile Phones	9,900	4,800		**14,700**	5,879	13.91%	782		6,661	4,021	**8,039**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	–		**7,790**	3,280	13.91%	627		3,907	4,510	**3,883**
मोटर कार/Motor Car	519,870	644,570	**519,870**	**644,570**	456,084	25.89%	32,461	456,084	32,461	63,786	**612,109**
कुल/Total	**1,482,833**	**649,370**	**519,870**	**1,612,333**	**1,177, 462**		**119,645**	**456,084**	**841,023**	**305,371**	**771,310**
पिछला वर्ष Previous Year	1,316,963	–		**1,316,963**	1,038,533		81,179		1,177,462	278,430	**197,251**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	आय कर Income Tax		वित्तीय विवरण Financial Statements	अंतर Difference	आस्थगित कर आस्तियाँ/Deferred Tax Assets
अचल आस्तियां: कर मूल्यह्रास और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के बीच के अंतर का प्रभाव/ Fixed Assets: Impact of difference between Tax Depreciation and Depreciation charged for Financial Reporting	775,571.00		771,310	4,261	1,382
लाभ व हानि विवरण को प्रभारित परंतु कर के प्रयोजन हेतु भुगतान आधार पर अनुमत व्ययों का प्रभाव/ Impact of Expenditure charged to the Statement of Profit and Loss but allowed for Tax purpose on payment basis	0		1,672,717	1,672,717	542,713
कुल आस्थगित कर आस्तियां/Total Deferred Tax Assets					544,096

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calcualtion of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2013 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2013	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	दि. 31.03.2014 को शेष राशि Balance as on 31.03.2014	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year	दि. 31.03.2014 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2014
फर्नीचर/Furniture	56262.00	0.00		56262.00	10.00%	5626.00	50636.00
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	121081.00	0.00		121081.00	60.00%	72649.00	48432.00
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	174218.00	649370.00	85000.00	738588.00	15.00%	62085.00	676503.00
कुल/Total	351561.00	649370.00	150340.00	915931.00		140360.00	775571.00

कर की दर/Tax rate 0.32

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2014 को	As at दि. 31.03.2013 को
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**3,254,870**	7,327,340
अनियमित रिटेल ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow up Irregular Retail Loans	**8,885,252**	7,203,167
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue	–	–
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**7,673,302**	6,841,761
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income	**4,000**	7,663
सी.एम.एस.-एस.एम.एस. से प्राप्त आय/CMS-SMS Income	**168,206**	202,536
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**5,179,218**	5,407,276
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**2,189,081**	2,199,478
के.पी.एस.सी. से प्राप्त आय/KPSC Income	–	104,085
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	–	139,785
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**511,119**	–
कुल/Total	**27,865,048**	29,433,091
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**5,035,269**	3,990,801
आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund	–	–
विविध आय – मोटर कार की बिक्री/Miscellaneous Income - Sale of Motor car	**21,214**	–
कुल/Total	**5,056,483**	3,990,801
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**4,881,625**	4,160,734
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य निधियों को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	**229,252**	207,375
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**427,863**	344,013
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**320,493**	332,237
कुल/Total	**5,859,233**	5,044,359
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation expenses	**4,975,911**	4,325,681
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**3,040**	1,848
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expences	**245,117**	444,737
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**948,524**	708,004
दूरभाष प्रभार और एस.एम.एस./Telephone charges & SMS	**240,897**	245,625
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**12,100**	2,000
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**20,000**	20,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**20,000**	20,000
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**29,387**	40,699
व्यावसायिक प्रभार अनुपालन और अन्य/Professional charges for Compliance & others	**22,500**	3,500
निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's sitting fees	-	6,000
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**140,981**	137,546
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance expenses	**238,150**	230,449

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2014 को	As at दि. 31.03.2013 को
कार बीमा/Car Insurance	**14,071**	–
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development charges	**6,800**	3,540
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**28,578**	62,375
विराम और वाहन व्यय/Halting & conveyance	**206,242**	204,180
कार्यालय का किराया/Office Rent	**336,000**	478,275
आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry charges	**165,280**	75,717
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**33,280**	40,279
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**58,280**	**12,578**
आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditors Fees	**–**	–
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
कार्यालय परिसर का किराया/Office Premises Rent	**–**	–
डाक व्यय/Postal Charges	**1,223**	5,026
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**1,568,920**	1,598,170
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	**12,463**	9,407
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**423,048**	–
आर ई सी एस व्यय/RECS Expenditure	**–**	50,000
साफ्टवेयर विकसित करने का व्यय/Software development Expenses	**45,000**	–
पिन मेलर के प्रेषण पर व्यय/PIN Mailers Dispatch Expenses	**827,636**	491,420
कुल/Total	**10,664,429**	9,258,058

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस. के. जैन/S. K. Jain)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा /Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 28.04.2014
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
FOR NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इस वित्तीय विवरण को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है।

डी. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिगृहण की तारीख को प्रचलित दरों पर समानुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके। पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 2: Notes to Accounts

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है । इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना । कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है ।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी है और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ–भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है ।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं है ।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन–पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है । मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to SyndicateBank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations. All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to SyndicateBank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of SyndicateBank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by SyndicateBank.

I. Contingent Liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per Share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण
Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details**	यू 72300 केए2006 ओकेसीओ38305 / U72300KA2006OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date	31-3-2014
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public issue	0	अधिकार निर्गम/Right issue	0
	बोनस निर्गम/Bonus issue	0	निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement	0
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	67,990.86	कुल आस्तियाँ/Total Assets	67,990.86
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	62,192.05
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	0.00	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	66,646.55	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	544.10
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	32,921.53	व्यय/Expenditure	16,643.31
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	16,278.22	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	10,996.75
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹	43.99	लाभांश की दर/Dividend rate %	0
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम Generic names of three principal products/services of the company :**			
	मद कूट सं (आई.टी.सी. कूट)/Item Code No. (ITC Code): लागू नहीं/N A			
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description : सेवाएँ/Services			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस. के. जैन/S. K. Jain)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा /Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
FOR NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 28.04.2014
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2013-14	2012-13
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**16,278,225**	19,063,725
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**119,645**	57,750
उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provisions	**302,709**	228,241
मोटर कार की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of motar car	**(21,214)**	–
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	**125,154**	115,772
ब्याज आय/Interest Income	**(5,035,269)**	(3,990,801)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**11,769,250**	15,474,687
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**538,815**	874,986
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**1,139,108**	(1,585,307)
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	–	30,600
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि/(कमी)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**(118,820)**	127,104
अन्य चालू आस्तियों में हुई वृद्धि (कमी)/Decrease/(increase) in other current assets	**(205,185)**	(504,747)
परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations	**13,123,168**	12,467,352
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund)	**(5,206,345)**	(6,647,318)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities	**7,916,823**	6,200,034
असाधारण मदें/Extra ordinary items	–	–
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities	**7,916,823**	6,200,034
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities		
मोटर कार की खरीद/Purchase of Motar car	**(649,370)**	(165,870)
मोटर कार की बिक्री/Sale of Motar car	**85,000**	–
प्राप्त ब्याज/Interest received	**5,035,269**	3,990,801
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**4,470,899**	3,824,931
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	–	–
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	–	–
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**12,387,722**	10,024,966
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**49,886,209**	39,861,243
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**62,273,931**	49,886,209
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित ''परोक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 1956 कि धारा 211 कि उप-धारा (3सी) के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** The Cash flow statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements, notified under sub-section (3c) of Section 211 of the Companies Act, 1956.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस. के. जैन/S. K. Jain)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा /Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 28.04.2014
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
FOR NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
   क) प्रेषण में हानि
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
7. **निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागियों, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखा गया है, अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतन कराएं।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को <u>सीधे</u> उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेट बैंक,** प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,
रवि
(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक: 21.05.2014

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit
   b) Fraudulent encashment by third parties
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for <u>DIRECT CREDIT</u> of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: SyndicateBank,** Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(R RAVI)
COMPANY SECRETARY

Date: 21.05.2014

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
(केवल भौतिक रूप में रखे गए पीएफ शेयरों के लिए प्रस्तुत किया जाए)
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES
(to be submitted only in respect pf shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लॉट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें।
Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा/DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।
I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:
दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:
दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना ।
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षर किए जाए)

पंजीकृत फोलियो (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत हो)

मैं/हम .... निवासी ....
जिला .... राज्य .... सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती...निवासी..
जिला .... राज्य .... को, **अथवा** इनके न होने पर, श्री/श्रीमती .... निवासी ....
जिला .... राज्य .... को सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की ....
को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में 20.06.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2014 के .... माह के .... दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹ 1/- का राजस्व स्टांप लगाएं

....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

....
प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :
पता :

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश:

1. प्राक्सी की लिखत तभी वैध होगा जब
   ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसके/उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाए ।
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
   सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
2. मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए । किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।
3. मुख्तारी के साथ
   ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात्, 14.06.2014 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. मुख्तारी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हों ।
5. बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी ।
6. यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए ।
7. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हों।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I/We..resident(s) of...in the district of..in the State of...being a shareholder/ shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. .... resident of...in the district of....................................in the State of...............................**OR** failing him/her, Shri/Smt. ....resident of....................................in the district of ....in the state of.......................................as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 20.06.2014 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... 2014.

Please Affix ₹ 1/- Revenue Stamp

.... Signature of Proxy

.... Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 14.06.2014.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम ....और...

और .... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ....

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : ____

पता : ____

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ____

नाम और पता ____

____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ______________________________	______________________________
2. ______________________________	______________________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसै गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2B
(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM
(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We..and...
and .... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : ______________________________

Address : ______________________________

____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ______________________________

Name and Address: ______________________________

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address | Signature with date

1. ______________________________ ______________________________

____

2. ______________________________ ______________________________

____

Instructions:
1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....

REGISTRATION NO. .... DATE: ....

REMARKS: ....

....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 20.06.2014

समय : प्रात: 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 15वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी**
	ग्राहक आइडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी**
	ग्राहक आइडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। प्रवेश-पत्र अंश को शेयरधारक (प्राक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए। किन्ही भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच/सत्यापना किया जाएगा।

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 20.06.2014

Time : 11.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the 15th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders/Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting.

प्रिय शेयरधारक,

विषय: नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल: कागज़ रहित

नैगम कार्य मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पेपरलेस अनुपालन अपनाकर नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.4.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्टों के उन निवेशों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'पर्यावरण संरक्षण पहल' में सहभागी (ग्रीन इनीशिएटिव) बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the recent circular bearing No.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices /documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2013-2014, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email – IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let us be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards

Yours faithfully,

(R Ravi)

COMPANY SECRETARY

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: सिंडिकेटबैंक)
प्लॉट सं.: 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद – 500 081

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन .... के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

पुराना पता **नया पता**

शहर :

राज्य :

पिन कूट :

ई मेल आई डी :

दूरभाष संख्या :

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व-प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक: भवदीय,

(________________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर

अनुलग्नक: 1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व-प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पास बुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To

Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : SYNDICATEBANK)
Plot No.: 17 to 24, Vittalrao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my / our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN………………………..

<u>Old Address</u> **<u>New Address</u>**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / we am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Yours faithfully,

Date :

(____)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

कॉरपोरेट कार्यालय : गांधीनगर, बेंगलूर – 560 009

निवेशक संपर्क केन्द्र

शिकायत पंजीकरण फॉर्म

दिनांक :

1) **शेयरधारक का नाम व पता**

____

____

____

2) **दूरभाष सं./ई–मेल आईडी:** ______________________________

3) **फोलियो सं./डीपीआईडी और ग्राहक आईडी के ब्यौरे:** ____________________

4) **बैंक अधिदेश:**

मेरे बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण निम्नवत् हैं:

बैंक का नाम : ____________________

शाखा : ____________________

खाता सं. : ____________________

एम.आई.सी.आर. कूट : ____________________

5) **शिकायत का स्वरूप:** ______________________________

शेयरधारक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:
1. एकल/प्रथम शेयरधारक के पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।
2. अद्यतन पते के सबूत की स्व–प्रमाणित प्रति।
3. बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त चेक पन्ना।

CORPORATE OFFICE: GANDHINAGAR: BENGALURU – 560 009

INVESTOR RELATIONS CENTRE

GRIEVANCE REGISTRATION FORM

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Date:

1) **Name & Address of the shareholder**

____

____

____

2) **Phone No./E-Mail ID:** ______________________________

3) **Folio No./DPID & Client ID particulars:** ____________________

4) **Bank Mandate:**
Details of my Bank account number are as under:

Name of the Bank : ____________________

Branch : ____________________

Account No. : ____________________

MICR Code : ____________________

5) **Nature of Grievance :** ______________________________

Signature of the Shareholder

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.
2. Self-attested copy of latest address proof.
3. Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

चलते–चलते करें बैंकिंग
सिंडमोबाइल

- कहीं से भी 24 x 7 बैंकिंग करें
- सरल एवं सुरक्षित
- एसएमएस/ आईवीआर मोड, डाउनलोड एप्लिकेशन मोड व एनयुयुपी (नेशनल यूनिफायड यूएसएसडी प्लेटफार्म) में उपलब्ध
- एम–पिन प्राप्त करें और सिंडमोबाइल बैंकिंग शुरु करें

Bank while you're on the move
SyndMobile

- Bank 24 x 7 from anywhere
- Simple and secure
- Available in SMS/IVR Mode, Downloaded Application Mode & NUUP (National Unified USSD Platform)
- Obtain M-PIN and start SyndMobile banking

For assistance and clarifications, please contact your nearest branch or call helpdesk at 1800-425-5784

www.syndicatebank.in

आइए, बैंकिंग की नई राह पर...
It's time to change the way you bank...

सिंडबैंक इंटरनेट बैंकिंग

- अपने घर या कार्यालय से आरामदायक बैंकिंग
- सुरक्षित, सरल, सुविधाजनक एवं तेज
- कागजरहित बैंकिंग
- अपना खाता विवरण देखें और डाउनलोड करें
- ई–टिकट – रेलवे टिकट
- उपयोगिता बिलों का भुगतान
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का भुगतान
- निधि अंतरण के लिए आरटीजीएस एवं एनईएफटी
- सभी लेनदेन 256 बिट एसएसएल इनक्रिप्टेड माध्यम द्वारा सुरक्षित

SyndBank Internet Banking

- Bank from the comfort of your home or office
- Safe, simple, convenient and fast
- Paperless banking
- View and download your account statement
- e-ticketing - Railway Tickets
- Payment of Utility Bills
- Payment of Direct & Indirect Taxes
- RTGS & NEFT for Fund Transfer
- All transactions are secured via 256-bit SSL encrypted medium

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

For assistance and clarifications, please contact your nearest branch or call helpdesk at 1800-425-5784

www.syndicatebank.in